लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 33, नौवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 20, गुरुवार, 3 दिसम्बर, 1987/12 अग्रहायण 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत के शिष्टमंडल का स्वागत	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 394 से 396, 398 और 399	2—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 397 और 400 से 413	20—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3949 से 4069, 4071 से 4110 और 4112 से 4166	31—215
सभा-पटल पर रखे गए पत्र :	216—218
राज्य सभा से संदेश	219
सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक-राज्य सभा द्वारा यथापारित	220
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) श्रीनिवास काटन मिल्स, बंबई के राष्ट्रीयकरण तथा मालिकों को मुआवजा देने के लिये राज्य सरकार को अग्रिम योजना सहायता दिये जाने के बारे में प्रस्ताव मंजूर करना — श्री शरद दिघे	220
(दो) आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सहजवा और उतरौला के बीच रेल लाईन के लिए मांग — डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	221
(तीन) पंजाब के किसानों को पानी की अवैध आपूर्ति रोकने के लिये सरहिन्द फीडर नहर से स्थापित पंपों को हटाने और इस तरह राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी पुनः उपलब्ध कराने की मांग — श्री बीरबल	221—222

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(चार) विटामिन बल्क औषधियों की कीमतों पर लगा नियंत्रण हटाने का निर्णय लेने, जिससे विटामिन फार्मूलेशनों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, के लिये उत्तर-दायित्व निर्धारित करने की मांग	
श्री मानवेन्द्र सिंह	222
(पांच) सतलुज-यमुना संपर्क नहर परियोजना को उचित समय के भीतर पूरा करने के लिये उसका निर्माण कार्य किसी केन्द्रीय अभिकरण को सौंपने की मांग	
श्री राम नारायण सिंह	222
(छः) जोधपुर शहर को पानी की सप्लाई करने की परियोजना को पूरा करने के लिये राजस्थान सरकार को निदेश देने की मांग	
श्री अशोक गहलोत	222—223
(सात) पुरी स्थित प्राचीन मन्दिरों के रख-रखाव और संरक्षण का कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की मांग	
श्री अनादि चरण दास	223
(आठ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिये एक संसदीय समिति का गठन करने की मांग	
श्री राम भगत पासवान	223—225
(नौ) राज्य क्षेत्र में बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने की मांग	
श्री गदाधर साहा	225
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1987-88	
श्री भट्टम श्री राममूर्ति	226—229
श्री मुरली देवरा	229—234
श्री हरुभाई मेहता	234—237
डा० सुधीर राय	237—239
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	239—243
श्री मधुसूदन वैराले	243—245
डा० फूलरेणु गुहा	245—246
श्रीमती गीता मुखर्जी	246—249
डा० प्रभात कुमार मिश्र	249—2[illegible]

विषय	पृष्ठ
श्री जुझार सिंह	252—255
श्री ए०सी० षण्मुख	255—260
श्रीमती जयन्ती पटनायक	260—262
श्री बीरेन्द्र सिंह	263—265
प्रो० मधु दण्डवते	266—276
कुमारी ममता बनर्जी	276—280
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में चर्चा	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	281—283
प्रो० के०वी० थामस	284 285
श्री गिरधारी लाल व्यास	286—288
श्रीमती प्रभावती गुप्त	288—291
श्री एम० महालिंगम	291—293
श्री पी०आर० कुमारमंगलम	293—297
श्री के०डी० सुल्तानपुरी	297 300
श्री सी० जंगा रेड्डी	300—302
श्रीमती ऊषा चौधरी	302 -- 305
श्री वीर सेन	305—308

लोकसभा

गुरुवार 3 दिसम्बर, 1987/12 अग्रहायण 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज भी आप काम करना चाहते हैं या नहीं।

[अनुवाद]

श्री वी.बी. रमैया : महोदय, हम यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री टी. बशीर : वे प्रश्नकाल के बाद आयेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं सब की राय पूछ रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप देख लीजिए कन्सैन्सस है, अगर काम करने की सलाह है तो शुरू कर देते हैं।

नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत के शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है। अपनी तरफ से और सदन के माननीय सदस्यों की तरफ से नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत के चेयरमैन और नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत के नेता महामहिम श्री नवराज सुवेदी तथा नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत के शिष्टमन्डल के माननीय सदस्यों का जो भारत यात्रा पर आए हुए हैं और इस समय हमारे माननीय अतिथि हैं। स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं :

1. श्री चन्द्र देव चौधरी (नेपाल राष्ट्रीय पंचायय के सदस्य)
2. श्री चक्र बहादुर शाही ,,
3. श्री चम्पक सुनुवार ,,

4. श्री दीर्घ राज परासाई	नेपाल राष्ट्रीय पचायत के सदस्य
6. श्री दीपक बोहारू	,,
6. श्रीमती इन्दिरा अत्रेय	,,
7. श्री इन्द्र बहादुर खत्री	,,
8. श्री कुल राज शर्मा	,,
9. श्री लेख नाथ अधिभारी	,,
10. श्री परशुराम खापुगं	,,
11. श्री यज्ञ बहादुर बुड्डाक्षेकी	,,

शिष्टमंडल गुरुवार 26 नवम्बर, 1987 को दोपहर बाद यहां पहुंचा। वे अब विशेष बाक्स में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि इस देश में उनकी यात्रा। सुखद और लाभदायक हो। हम उनके माध्यम से महामहिम नेपाल नरेश, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत वहां की सरकार तथा लोगों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

*394. श्री जितेन्द्र प्रसाद† :

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक संवर्धन और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हाल ही में स्थापित किये गये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के नाम क्या हैं और उन केन्द्रों के क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र, ढांचा तथा कृत्य क्या हैं;

(ख) इन क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना किये जाने के समय से अब तक इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं और प्रत्येक केन्द्र को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है और उनमें से प्रत्येक ने कुल कितना धन व्यय किया है;

(ग) इन केन्द्रों ने देश के सभी भागों से, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से लोक कलाकारों को आकर्षित करने के लिए क्या मानदड अपनाए हैं; और

(घ) क्या किसी केन्द्र ने सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा में पत्रिकायें/समाचार पत्रिकायें प्रकाशित करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अधिन पंजीकृत स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। उनके संघटक राज्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। जिस राज्य में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र का अपना मुख्यालय होता है, उस

राज्य का राज्यपाल इसका अध्यक्ष होता है। केन्द्र में शासी निकाय और कार्यकारी बोर्ड के अलावा कार्यक्रम और वित्त समितिया भी हैं। निदेशक इसका कार्यकारी प्रधान होता है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न प्रदेशों में भारतीय संस्कृति का सृजनात्मक विकास करना तथा सांस्कृतिक सम्बद्धता की भावना पैदा करना है।

(ख) केन्द्रों ने बहुत से सांस्कृतिक उत्सवों, थियेटर/फिल्म/सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की हैं और उन में भाग लिया है तथा शिल्प, चित्रकला और प्रदर्शन कलाओं की प्रदर्शनियों तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया है। केन्द्रों द्वारा किया गया व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) केन्द्र कलाकारों को नियुक्त नहीं करते हैं। विशिष्ट उत्सवों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कलाकारों का चयन सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए उनकी प्रासंगिकता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण और लोक कलाकारों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि केन्द्र ग्रामीण और लोक कलाओं पर बल देते हैं।

(घ) दक्षिण क्षेत्र और उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र के सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा एक-एक प्रकाशन निकाला गया है। अन्य केन्द्रों से सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण-I

क्षेत्रों तथा उनके संघटक राज्यों के ब्यौरे

क्र०सं०	क्षेत्र	संघटक राज्य
1.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान के राज्य और चण्डीगढ़ का संघशासित क्षेत्र।
1.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, शान्ति निकेतन	असम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल के राज्य।
3.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के राज्य और पाण्डिचेरी, अन्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के संघशासित क्षेत्र।
4.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान के राज्य तथा दमन और दीव का संघ शासित क्षेत्र।
5.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के राज्य और दिल्ली का संघ शासित क्षेत्र।
6.	उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मिजोरम और नागालैण्ड के राज्य।
7.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्य।

विवरण-II

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा कि् गए व्यय के ब्यौरे

		लाख रुपयों में
1.	उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला 31-3-87 तक	100.65
2.	पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, शान्तिनिकेतन -1-4-1987 तक	5.24*
3.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर-(1986-87)	177,00
4.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर-31-10-1987 तक	95.14
5.	उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद 18-11-1987 तक	87.68
6.	उतर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर- 31-10-1987 तक	6.79
7.	दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर - 31-10-1987 तक	86.88

*पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक ने बताया है कि व्यय के और विवरण सदस्य राज्यों से अभी प्राप्त होने हैं।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि इन केन्द्रों का जो लक्ष्य था वह बहुत ही उत्तम था। संस्कृति के जरिए सारे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ना था तथा प्राचीन संस्कृति को कायम रखना इसका लक्ष्य था। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग नहीं दिया। क्या जो कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में बिलकुल सहयोग नहीं दिया, यदि हां, तो वे कौन-कौन से प्रदेश हैं जिन्होंने कम सहयोग दिया और वे कौन से प्रदेश हैं जिन्होंने बिलकुल योगदान नहीं दिया तथा सहयोग न देने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि 7 सांस्कृतिक केन्द्र हैं जो स्थापित हुए हैं। उनमें तकरीबन सब राज्य सम्मिलित हैं। प्रारम्भ में एक राज्य सम्मिलित नहीं हुआ था, किन्तु बाद में वह भी सम्मिलित हो गया। नॉर्थ जोनल कल्चरल सेंटर जो हैं उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान आदि राज्य सम्मिलित हैं। यह सब जानकारी तो आपको दी हुई है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मंत्री महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों ने सहयोग नहीं दिया।

श्रीमती कृष्णा साही : सभी राज्यों ने सहयोग दिया है ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय अब मैं यह जानना चाहूंगा कि साउथ जोनल कल्चरल सेंटर और नॉर्थ जोनल कल्चरल सेंटर ने, जिन कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया है-प्रदर्शन एवं फिल्म आदि, ये किए ? इन दोनों सेंटरों ने क्या-क्या कार्यक्रम किए और आगे आने वाले समय में ये क्या-क्या कार्यक्रम करने वाले हैं ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या पहले यह प्रावधान था कि इन सेंटर्स को 5 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार देगी और राज्य सरकारें एक-एक करोड़ रुपया इन सेंटर्स को देंगी ? यदि हां, तो क्या यह धन राज्य सरकारों ने इन सेंटर्स को दे दिया है और क्या केन्द्र ने भी अपना पूरा धन इन सेंटर्स को दे दिया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और यदि दिया है, तो कितना दिया है ?

प्रत्येक राज्य का बताइये कि कितना कितना योगदान है ?

श्रीमती कृष्णा साही : साउथ जोन कल्चरल सेंटर का आपने पूछा है । इसमें 1987 में जो मेजर प्रोग्राम हुए वह हैं—द्वीप महोत्सव, पोर्टब्लेयर में हुआ, मद्रास फैस्टिवल हुआ, डी-जोरे-डे पांडीचेरी में हुआ, सैलीब्रेशन आफ केरला मद्रास में हुआ, सुरेन्द्र फैस्टिवल इम्पी में हुआ और आर्टिस्ट कैम्प हुआ ।

1988 का जो आप जानना चाहते हैं, उसमें पोंगल फैस्टिवल मदुरई में होने वाला है, वर्कशाप आन थियेटर गांधीग्राम में होने वाला है, सी-शोर फैस्टिवल महाबलीपुर, कोवालम और कन्याकुमारी में होने वाला है । अंदमान में आइ-लैंड फैस्टिवल होने वाला है, वर्कशाप आन पपेटरी पांडीचेरी में होने वाला है, आर्टिस्ट कैम्प हैदराबाद में होगा, क्लासिकल म्युजिक एंड डांस फैस्टिवल पूना में होगा, जोनल प्ले राइट वर्कशाप गोआ में होगा, एग्जीबीशन आफ जोनल क्राफ्ट्स बम्बई, गांधीनगर, जयपुर और पणजी में होगी ।

अध्यक्ष महोदय : सारा पढ़ेंगी तो सारा मामला गड़बड़ हो जायेगा ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूछा है तो मैंने बताया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण चन्द पाराशर

श्री जितेन्द्र प्रसाद : राज्य सरकारों का योगदान तो बता दें ?

अध्यक्ष महोदय : वह बता देंगे, सारा रख देंगे ।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है ।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : वह मालूम तो हो जाये ?

श्रीमती कृष्णा साही : हम बता देंगे । आपने कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है, नार्दर्न जोन का मैं बताती हूं—

नार्दर्न जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला का टोटल कंट्रीब्यूशन इस प्रकार है—इसमें सैंट्रल गवर्नमैंट का 500 लाख, राजस्थान का 33 लाख हरियाणा का 66 लाख, पंजाब का 100 लाख, जम्मू-काश्मीर का 100 लाख और हिमाचल प्रदेश का 100 लाख है ।

इसमें जो रिलीज किया गया है वह इस प्रकार है—सैंट्रल गवर्नमैंट का 185 लाख, राजस्थान का 33 लाख, हरियाणा का 50 लाख, पंजाब का 78 लाख, जम्मू-काश्मीर का 66 लाख और हिमाचल प्रदेश का 71 लाख है। इसका टोटल 483 लाख है। 426 लाख अभी बैलेंस बाकी है जो देना है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : इन केन्द्रों की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति की रक्षा और उसको प्रोत्साहन है। इस संदर्भ में लोक-भाषा और लोक साहित्य भी आते हैं, जो कि संस्कृति का अंग है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई लैबारेट्री का संग्रहालय या इस तरह का कोई म्यूजियम सरकार बनायेगी, जिससे खत्म होती जा रही भाषाओं की या लोक-संस्कृति की रक्षा की जा सके या इन रीदम्स को या फोक-लोक को टेप कर के फ्यूचर जैनरेशन के लिए प्रीजर्व किया जा सके ?

दूसरा यह कि जो आर्टिस्ट और कलाकार चुनते हैं, उसके लिये आपके क्या आधार हैं ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सांस्कृतिक विकास के निमित्त ही हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि मौलिकता की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जो सांस्कृतिक केन्द्र खोले गये हैं उनका मुख्य कार्यक्रम यही है कि जन-संस्कृति को सामान्य जन तक ले जाना और उसमें चेतना पैदा करना। इस सिलसिले में मैं कहना चाहती हूं कि…।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सामान्य-जन तक पहुंच ही नहीं रही है।

श्रीमती कृष्णा साही : जो हमारी मृत-प्रायः लोक-कलाएं हैं, उनको पुनर्जीवित करने और ग्रामीण कला को बढ़ावा देने के लिये काम किया जा रहा है। हम जन-साधारण को लोक भाषा में उसका ट्रांसलेशन करवा कर उपलब्ध करायेंगे। बाकी इन्होंने नार्थ जोन कल्चर सेंटर के बारे में भी पूछा है। सभी जगह इसका अलग-अलग मापदंड होता है। फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिये नार्थ जोन सेंटर पटियाला के बारे में यह बताना चाहती हूं कि—

[अनुवाद]

दल/संगठन जिसने सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य किया है, और विभिन्न त्यौहारों में राज्य या जिलों का प्रतिनिधित्व किया है उन्हें उस मंडल के पांच सदस्य राज्यों में से कार्यक्रमों के लिए चुना जाता है। राज्यों के सांस्कृतिक विभाग भी मण्डलियों के नामों को भेजते हैं।

यही बात दक्षिण मण्डल सांस्कृतिक केन्द्र की भी है। हिस्सा लेने वाले प्रत्येक राज्य की राज्य स्तर पर एक समिति है और संस्कृति निदेशक उन्ही सिफारिशों पर आधारित कलाकारों की सूची भेजता है कलाकारों की सूची प्राप्त होने पर उसे कलाकारों के अन्तिम चयन के लिए उप समिति के समक्ष रखा जाता है। किसी भी कलाकार कला दल को एक वर्ष में दो बार नहीं चुना जाता ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : प्रत्येक मण्डलीय केन्द्र के अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत तीन से चार राज्य होते हैं इन सभी राज्यों को अपनी संस्कृति है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मण्डल केन्द्र के अधीन प्रत्येक राज्य में उप-केन्द्र स्थापित करने और उस क्षेत्र की संस्कृति के किसी विशेष पहलू पर अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सब-सेंटर्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और वह अपना काम भी अच्छे ढ़ग से कर रहे हैं ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह सब-सेंटर्स कहां-कहां हैं ?

श्रीमती कृष्णा साही : सब-सेंटर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है । अगर माननीय सदस्य चाहें तो वह उपलब्ध करायी जा सकती है । (व्यवधान)

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही : हमारे स्टेट में एक भी ऐसा सब-सेंटर नहीं हैं । ईस्टन जोन में कहां कहां ऐसे सेंटर्स हैं? (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : इसकी सूची इन्हें बाद में दी जा सकती है । (व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : उड़ीसा मे कहां है यह तो बताओ । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री टी. बशीर : बहुत थोड़े से सदस्य हैं लेकिन आप एक भी और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं । आपने केवल एक अनुपूरक प्रश्न की अनुमति दी है ।

अध्यक्ष महोदय, : महोदय, मैंने 20 मिनट लगा दिए हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री टी. बशीर : वह समय मंत्री जी द्वारा दिये गये लम्बे उत्तर के कारण लगा है ।

अध्यक्ष महोदय : कई प्रश्न हैं जिसमें चर्चा की आवश्यकता है और प्रश्न-उत्तर की नहीं उन्हें इस तरह से नहीं पूछा जा सकता । यह एक लम्बा प्रश्न है । इस पर पहले ही 20 मिनट खर्च किये जा चुके है । अत : अब मुझे अगला प्रश्न लेना है । मेरे लिए, यह ठीक है । मेरे लिये इस प्रश्न और उस प्रश्न में कोई अन्तर नहीं है ।

(व्यवधान

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : इससे पहले माननीय सदस्य ने जो कुछ पूछा है उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि श्रीसैलम में सब सेंटर है ।

[अनुवाद]

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए योजना

°395. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन**† :
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अध्यापकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रबोधन योजना प्रारंम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 तक कितने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेंगे ; और

(ग) विभिन्न राज्यों के जिलों, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े जिलों में ऐसे स्थान संस्थापित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) स्कूल शिक्षकों का जन-अनुस्थापन सम्बंधी कार्यक्रम वर्ष 1986 से क्रियान्वित किया जा रहा है और इसके सातवीं पंचवर्षीय योजना के बकाया दो वर्षों में जारी रखने का अभिप्राय है ।

(ख) और (ग) देश में सभी जिलों में एक जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है । वर्तमान राजकीय प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रोन्नति करके तथा उन जिलों में जहां ऐसी संस्थाएं विद्यमान नहीं है, वहां एक ऐसी संस्था की स्थापना करके ऐसा किया जायेगा ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिये जो ओरियंटेशन कार्यक्रम चल रहे हैं।

वह कार्यक्रम वास्तव में अच्छा चल रहा है और हम उसका स्वागत करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम के बारे में आगे क्या प्रगति है और उसका जो कार्य निष्पादन है, ओरिएण्टेशन कार्यक्रम चला है उसमें कुछ परिवर्तन लाने के बारे में आप सोच रही हैं जिससे वह कार्यक्रम और भी सफल हो सके ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मास ओरिएण्टेशन कार्यक्रम और शिक्षकों के शिक्षक उन्मुखीकरण कार्यक्रम 1986 से चलाये जा रहे हैं जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा चली तो यहां लोगों के मन में था कि जब तक शिक्षकों के स्तर का उन्नयन नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो 1986 मे जो कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया उसमें मास ओरिएण्टेशन कोर्सेज में कुछ कमियां पाई गई और उन कमियों को 1987 में दूर करने का प्रयास किया गया। हमारा विगत का अनुभव यह था कि पढ़ाई की सामग्री शिक्षकों तक नहीं पहुंच पाई थी, सही ढंग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो डाक्यूमैण्ट था वह भी सभी शिक्षकों को उपलब्ध नहीं हो सका था और मोड्यूल्स सब क्वालिटी थे, ट्रांसलेशन की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, इस प्रक्रिया में बहुत सारे लैक्चर दिये गये थे जिसमें शिक्षक लोग आकर्षित नहीं हुए । अब इन सब में परिवर्तन कर दिया गया है और परिवर्तन के बाद 1987 में हमें बहुत अच्छा रैस्पोंस मिला है उसके लिए ।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने प्रगति से सम्बन्धित किया है, प्रगति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि टास्क फोर्स बहुत सारे राज्यों ने बना ली है और उन्हीं की अनुशंसा पर स्थल का चयन किया जायेगा । राज्य सरकार और भारत सरकार से मानव संसाधन विकास मंत्रालय सम्पर्क में है और काफी दूर तक काम हो गये हैं । मैं समझती हूं कि दिसम्बर तक हमारा प्रक्रिया का सब काम पूरा हो जायेगा, जो संस्थान के बारे में उन्होंने कहा है ।

तीसरी बात, ग्रुप आफ एक्सपर्ट्स भी तय किये गये हैं जिन्होंने इस साल रिपोर्ट्स दे दी हैं और रिवाइज्ड गाइडलाइंस भी स्टेट्स को भेज दी गई हैं, प्रोफार्मा भी उनको भेज दिया गया है। आशा है कि दिसम्बर तक काम हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के उत्तर के बाद में भी क्या कोई चीज बाकी रह जाती है ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अभी तो कुछ आया ही नहीं।

डिस्ट्रिक्ट इंसटीट्यूट आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग के बारे में यह तय किया गया है कि वह कई जिलों में स्थापित हो तो उसके लिए क्या मापदण्ड स्थापित किये गये हैं और पिछड़े हुए जिलों में वह कब तक स्थापित किये जायेंगे ?

श्रीमती कृष्णा साही : 400 जिलों में स्थापित किये जायेंगे और हमारा टार्गेट है कि हम सब जिलों में सातवीं पंचवर्षीय योजना में उनको स्थापित करें लेकिन कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां नहीं किया जायेगा, जो भी जिले हैं सभी में जिला स्तर पर सारे भारतवर्ष में किया जायेगा।

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : माननीय अध्यक्ष जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जो उत्तर मिला है उसमें थोड़ी सफाई चाहिए।

एक बात तो यह है कि पहले से, कितने सालों से ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे थे उसके बाद मास ओरिएण्टेशन या उन्मुखीकरण शिक्षकों का चला, 1986 में और अब डिस्ट्रिक्ट इंसटीट्यूट खुलने जा रहे हैं. सभी जगहों पर, तो इन तीनों में बेसिक अन्तर क्या है ? यह नहीं कि उनको ट्रांसलेशन की कापी मिली या नहीं या न्यू एजुकेशन स्कीम की कापी उनको मिली कि नहीं, यही दो बातें अभी तक कही गई हैं लेकिन इनमें आधारभूत डिफरेंसेज क्या हैं जिसको ठीक करने से मास ओरिएण्टेशन का जो पहले प्रोग्राम चल रहा था उसमें सुधार आयेगा ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : महोदय. योजनाओं के नाम से योजनाओं में अंतर होने का पता चलता है। एक योजना में अंतर होने का पता चलता है। एक योजना में 10 दिन का पुनश्चर्या कार्यक्रम है जिसमें काफी संख्या में अध्यापकों को इन केन्द्रों में लाया जाता है और उन्हें नई शिक्षा नीति के अनुसार नए तरीके से उसके अनुरूप जानकारियाँ दी जाती हैं। ये कार्यक्रम केवल 10 दिन का होता है लेकिन वर्ष 1986 में यह इस तरह का पहला कार्यक्रम था। इसमें कुछ कमियां पाई गई वर्ष 1987 में इन कमियों को दूर कर दिया गया। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, 1987 में इसके परिणाम तथा इसकी प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही। मैं यह नहीं कह सकता कि अब भी यह पूरी तरह से ठीक है। यह प्रक्रिया जारी है। यदि इसमें कोई और कमियां पाई गई तो हम निश्चित रूप से उन्हें दूर करेंगे। लेकिन यह तरीका चलता रहेगा।

अन्य तरीका सामान्य है, जो पहले ही से अपनाया हुआ है। देश में 1500 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान है और जैसा कि सदस्यों को याद होगा, शिकायत इस बात की रही है कि इन संस्थाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ संस्थाएं केवल अनुदान लेने के लिए ही बनें हैं और संभवतः वे उस पैसे का सदुपयोग नहीं करते। अन्य संस्थान काम नहीं कर रहे हैं। अतः हमें इस सब उलझन की बजाय

प्रति जिले में एक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर स्थायी व्यवस्था करनी चाहिए। 'डी' से अभिप्राय है डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला। अतः जितने जिले होंगे उतने ही जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे लेकिन वे 24-परगना और अन्य बड़े जिलों में हम वहां एक से अधिक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बना सकते हैं। यदि जिले छोटे होंगे तो हम दो तीन जिलों को मिलाकर उनके लिए एक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। सामान्यतः नियम यह है कि एक जिले के लिए एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाए।

ऐसा पहले ही से विद्यमान संस्थानों की जगह पर किया जा रहा है। हमें नए संस्थान बनाने से 1000 या 1100 के करीब विद्यमान संस्थान बंद करने पड़ेंगे। यह प्रणाली एकदम भिन्न नहीं है। यह पहले ही से विद्यमान प्रणाली का पुनर्गठन ही है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का यही अभिप्राय है।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों के कार्यनिष्पादन की ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है वह तो स्वागत- योग्य है। परन्तु आज बुनियादी सवाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापक स्कूलों में जा नहीं रहे हैं। आप बीस बार उनको कार्य निष्पादन का प्रशिक्षण दीजिए, करोड़ों अरबों रुपया खर्च दीजिए नयी शिक्षा नीति सम्बन्धी जानकारी के लिए लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल महीने दर महीने बन्द हो रहे हैं, यह एक बड़ा भारी मर्ज है तो इसकी क्या दवा है? आज सारी शिक्षा और संस्कृति की बुनियाद हिल रही है··· ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका खयाल है वहां स्कूल न जाने की शिक्षा दी जाती है?

श्री उमाकान्त मिश्र : यह मेरा मतलब नहीं है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि उनको शिक्षा यह दी जाये कि स्कूलों में अध्यापक जायें और लड़कों को पढ़ायें। इस संदर्भ का लाभ उठाते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस देश में शिक्षा की बुनियाद को ठीक करना है तो प्राइमरी और बेसिक शिक्षा, कक्षा 8 तक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये और आप उस पर विशेष तवज्जह दीजिए नहीं तो हमारे राष्ट्र में शिक्षा की बुनियाद हिल जायेगी। ऊपर से आप बड़े सुधार कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे स्तर पर आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं वह सब व्यर्थ हो जायेंगे, उनका कोई भी लाभ नहीं होगा। मेरा आप से निवेदन है कि प्राइमरी और बेसिक शिक्षा पर आप पहले और अधिक ध्यान दीजिए और उस पर आप कन्सेन्ट्रेट कीजिए।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य मुद्दा है चाइल्ड सेन्टर्ड एजूकेशन। चाइल्ड का मतलब बच्चा, यह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसीलिए प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए डी.आई.इ.टी. की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। और इसीलिए मासओरिएन्टेशन भी किया जा रहा है। ये सारे कार्यक्रम हमारे जो हैं वह प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए ही है। तो हम पूरी तरह से सजग है और इसी दिशा में काम हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि जेना : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाले पुराने शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया जाएगा और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की नई प्रशिक्षण

नीति के अन्तर्गत नए संस्थान खोले जाएंगे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसके लिए नए सस्थान शुरू करने अथवा स्थापित करने पर विचार किया है अथवा नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पुराने संस्थान बंद कर दिए गए थे, अध्यापको को नई पद्धति से प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हीं संस्थानों को नया रूप दिया जाएगा ?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इसका उत्तर प्रश्न के मुख्य उत्तर में पहले ही दे दिया गया है। ऐसा सरकार के विद्यमान प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में और सुधार करके किया जाएगा और जिन जिलों में ऐसे संस्थान नहीं हैं वहां नए संस्थान खोले जाएंगे।

जुकाम और दर्द से छुटकारा पाने हेतु ली जाने वाली दवाओं का उत्तरवर्ती प्रभाव

*396. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जुकाम और दर्द के लिए ली जाने वाली कुछ प्रचलित दवाओं के प्रतिकूल उत्तरवर्ती प्रभावों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन दवाओं के नाम क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दवाओं के साहित्य में इनके उत्तरवर्ती दुष्प्रभावों की चेतावनी दी होती है और क्या प्रचार माध्यमों द्वारा विज्ञापनों में भी इस बात की जानकारी दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार को मैसर्स बूट्स कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई द्वारा निर्मित एस्पिरिन युक्त "कोल्डरिन" योग के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में नेहरू नगर, बम्बई के निवासी श्री एस० दतरांगे से एक शिकायत मिली थी। शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया है कि उनके 5-1/2 वर्ष की आयु के पुत्र ने कोल्डरिन की गोलियां खाई थी और उसे जठर रक्त स्रावके गौन प्रभाव हो गए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके पुत्र ने ज्वर और ज्वर से होने वाली ठण्ड को कम करने के लिए चार दिन की अवधि तक लगातार यह औषध ली थी। पांचवे दिन बच्चे ने रक्त की उल्टी कर दी और उसे दादर, बम्बई में स्थित एक प्राइवेट उपचर्या गृह में दाखिल कराया गया और रक्त स्राव लगातार होता रहा इसलिए बच्चे को लोकमान्य तिलक मैमोरियल अस्पताल, सिरोन बम्बई की गहन बाल रोग परिचर्या यूनिट में भेज दिया गया था। अन्ततः रक्त स्राव का निदान यह हुआ था कि वह सस्पिरिन के गौण प्रभान के कारण था।

(ग) और (घ) कोल्डरिन के पैकेट में रखी पर्ची पर ऐस्पिरिन के गौण प्रभावों के बारे में सावधानी विवरण होता है और यह चेतावनी भी होती है कि यह औषध 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। सावधानी और चेतावनी को दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तथापि, इस औषध के निर्माता मैसर्स बूट्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई के दूरदर्शन के माध्यम से कोल्डरिन के विज्ञापन को निलम्बित कर दिया है। सरकार ने पर्याप्त सावधानी के एक उपाय के रूप में राज्य औषध नियंत्रकों को लिखा है कि वे इस बात की पुष्टि करें कि ऐस्पिरिन

योगों के निर्माता सावधानी और चेतावनी का निर्देश दे रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भी पत्र लिखा गया है कि वे अपने सदस्यों को सलाह दें कि वे 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ऐस्पिरिन योग का नुस्खा न लिखें।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि कोल्डरिन में कितनी मात्रा में ऐस्पिरिन होता है और क्या पश्चिमी देशों में इस औषधि को बेचने की अनुमति है।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : यह एक मानकीकृत औषधि है। सभी देशों ने इसे मानक के रूप में स्वीकार किया है और इसमें जो सहनशक्ति है वह सीमाओं के अन्दर ही हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : श्री दतरांगे ने न केवल महाराष्ट्र सरकार को बल्कि केन्द्र सरकार के अधिकारियों को भी इसकी शिकायत की है। उन्हें 6 महीनों से अधिक समय से इसका कोई उत्तर नहीं मिला है। उन्होंने लिखा है कि उनके पास दवाई के वे पत्ते हैं जिन पर वह 'चेतावनी' नहीं लिखी हुई थी और यहां उन्होंने लिखा है कि दवाई के पत्ते पर चेतावनी लिखी हुई है। क्या सरकार उनसे वहदवाई का पत्ता लेकर इस बात की जाच कराएगी कि क्या वह जो बात कह रहा है वह ठीक है या जो इन लोगों ने कहा हैं वह ठीक है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि दूरर्शन पर ऐसी चेतावनी के बारे में कभी नही बताया गया और हम नहीं जानते कि क्या दवाई के पत्ते पर उन्होंने यह चेतावनी लिखी है या नही। क्या सरकार बूट्स कम्पनी (इन्डिया) लिमिटेड से इन लोगों को मुआवजा देने के लिए कहेगी?

कुमारी सरोज खापर्डे : माननीय सदस्य इस घटना के बारे में पूछ रहे थे और मैं उन्हें यह बताना चाहती हूं कि मैसर्स बूट्स कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई ने भारतीय औषध नियंत्रक को यह जानकारी दी थी कि अप्रैल 1987 के महीने में श्री एस० दतरांगे से शिकायत मिलने पर उन्होंने अपने अधिकारियों को शिकायत कर्ता से मिलकर उनकी शिकायत दूर करने तथा विश्लेषण के लिए दवाई का वह पत्ता लाने के लिए भेजा लेकिन जो शिकायतकर्ता ने यह पत्ता नहीं दिया है। कम्पनी के लोग उस औषधि का प्रतिकूल प्रभाव जानने के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा बच्चे का इलाज करने वाले डाक्टरों से भी मिले थे। इसके साथ साथ कम्पनी ने कोल्डरिन गोलियां, बैच संख्या 4680 के नियंत्रित नमूनों की भी जांच की, जो संतोषजनक तथा अच्छे स्तर के पाए गए। इस बीच कम्पनी ने दूरदर्शन के माध्यम से कोल्डरिन के विज्ञापन को निलम्बित कर दिया है।

श्री उत्तम राठौड़ : आप बूट्स कम्पनी पर विश्वास करना चाहते हैं और आप अपने ही नागरिकों पर विश्वास करने के लिए तैयार नही हैं। जब श्री दतरांगे ने यह बताया कि दवा के प्रतिकूल प्रभाव से उन्हें इतनी परेशानी हुई तब आप लोगों ने उनसे भेंट क्यों नहीं की?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हम तो भारतीय औषध नियंत्रक की बात पर विश्वास कर रहे हैं और हम सभा को जो कुछ भी बता रहे हैं वह औषध नियंत्रक की रिपोर्ट के आधार पर बता रहे है। हमने उनके साथ कई बार विस्तार से चर्चा की थी। मुझे इस बात का संतोष है कि पहली बार जब भारतीय औषध नियंत्रक और दवा निर्माताओं का ध्यान इसके प्रतिकूल प्रभावों की ओर दिलाया गया तो उन्होंने स्वयं दूरदर्शन के माध्यम से इस विज्ञापन को रोक देने और इसमें यह चेतावनी जोड़ देने के लिए कहा था। एक दवा निर्माता दवाई बनाते समय उसमें ऐसा कोई अंश नहीं डालता जो हानिकारक हो। लेकिन एक बार दवा के बाजार में आने के बाद और लोगों द्वारा

प्रयोग में लाए जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति उसके प्रयोग से कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की शिकायत करता है तब उस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाता है । हर दवाई के मामले में हमें देखना यह होता है कि क्या दवा निर्माता ने दवा के बारे में कोई शिकायत मिलने पर तुरन्त पूरी सावधानी बरती है । इस मामले में, यह हुआ कि इस निर्माता ने, हमारे पास उपलब्ध सब रिकार्डों के आधार पर, वे सभी सावधानियां बरती हैं । जब तक कोई रिपोर्ट नहीं की जाती वह इसके दुष्प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था । इसकी रिपोर्ट मिलने के तुरन्त बाद उसने दवाई के पत्ते पर चेतावनी का निर्देश देना शुरू कर दिया । उससे पहले ऐसा नहीं था और यदि आप तीन साल पुराना कोई पत्ता देखें तो उस पर चेतावनी का निर्देश नहीं दिया होगा ।

श्री उत्तम राठौड़ : आप उन्हें मुआवजा देने के लिए बाध्य क्यों नहीं करते ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : उन्हें मुआवजे के लिए न्यायालय जाना चाहिए । मैं किसी को मुआवजा देने के लिए कैसे कह सकता हूं उन्हें मुआवजे के दावे के लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा ।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : एक दशक से अधिक समय पूर्व, चिकित्सा के शास्त्र विशेषज्ञ डा० गुडमैन और गिलमैन ने विश्व को सलाह दी थी कि किसी भी मिश्रित चिकित्सा को अब आगे प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए । किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हमारे देश में अधिकतर पीड़ाहारी दर्द-निवारक औषधियां, सर्दी-जुकाम की औषधियां तथा अन्य औषधियां अभी भी मिश्रित चिकित्सा के आधार पर बनाई जाती हैं ; इनमें बहुत सारे संघटक हैं । एक बार कोई रोगी कोई औषधि ले लेता है तो यह पता लगाना अत्यन्त कठिन होता है कि किस संघटक से प्रतिक्रिया हुई है । औषधि विशेषज्ञों की सिफारिशों के बावजूद सरकार अभी भी देश में मिश्रित औषधियों के उत्पादन को क्यों प्रोत्साहन दे रही है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे नहीं मालूम । यहां मेरे साथ एक दर्जन भर विशेषज्ञ हैं ; मैं लेख भी साथ लाया हूं और पत्रिकाएं भी जिन में इन बातों पर विचार किया गया है । अनेक देश, विश्व के लगभग सभी देश यह चीजें बनाते हैं और इनकी बिक्री करते हैं इन्हें दर्द-निवारक के रूप में प्रयोग किया गया है । जहां तक हमें याद है लम्बे समय से इस देश में दर्द-निवारक औषधियां हैं । यदि किसी चिकित्सा अधिकारी ने देखा है कि यह ठीक नहीं है, समस्त विश्व में यह राय है कि इस का प्रयोग किया जाता है इसे विवेकपूर्ण पाया गया है कारण यह है कि यदि इसमें तीन संघटक एक विशेष दवाई में है क्योंकि सर्दी (जुकाम) का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है । जुकाम की दवाई में दो या तीन संघटक हैं । एक बुखार के लिए है और दूसरा बलगम के लिए है । यदि तीन संघटक को इसकी तीनों शिकायतों को दूर करने के लिए मिलाया जाता है और एक कैप्स्यूल अथवा गोली का रूप दिया जाता है, तो मेरे विचार में इसमें कोई असंगत बात नहीं है ; यह पूर्णतयः संगत है ।

श्री हरूभाई मेहता : कभी जब सरकार औषध नियंत्रक की रिपोर्ट की ओर ध्यान नहीं देती है, तो कुछ सम्मिश्रणों पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है अथवा वर्जित किया जाता है । न्यायालय स्थगन आदेश देते हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यापारी इन सम्मिश्रणों को बेच सकते हैं । क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसे मामलों की जानकारी है जहां न्यायालयों ने इन सम्मिश्रणों को प्रतिबन्धित करने के सरकारी आदेशों को स्थगित किया है और क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन स्वास्थ्य संबंधी मामलों

को न्यायालय के कार्यक्षेत्र से निकालने के लिए मामला विधि मंत्रालय के साथ उठाया है ताकि न्यायालय जनता के स्वास्थ के साथ खेलना छोड़ दे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह एक अत्यन्त कठिन तथा व्यापक प्रश्न है। यह सत्य है कि न्यायालय स्थगन आदेश देते हैं। यह भी सत्य है कि जब सरकार के निर्णय के विरुद्ध स्थगन आदेश दिया जाता है सरकार तेजी से वह सभी उपाय करती है कि यह आदेश रद्द किए जाएं। यह भी सत्य है कि कभी कभी आदेशों को रद्द नहीं किया जाता है। अन्त में यदि न्यायालय का निर्णय सरकार के विरुद्ध है, तो हमें न्यायालय के निर्णय को मानना पड़ता है।

आदिवासियों द्वारा रोगों के उपचार हेतु उपयोग में लाई जा रही जड़ी बूटियों की उपयोगिता के बारे में अनुसंधान

[हिन्दी]

*398. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया†** :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों द्वारा विभिन्न रोगों के उपचार के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जड़ी-बूटियों और पौधों के रस की उपयोगिता और प्रभावोत्पादकता के बारे में विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए अनुसंधान के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस बात के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ये जड़ी-बूटियां और पौधे अथवा उनसे बनी दवाइयां आम जनता को मिलें जिससे कि उनको राहत मिल सके ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) आदिवासी जड़ी-बूटियों की कोई अलग श्रेणी नही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में प्रयोग की जाने वाली बहुत सी जड़ी-बूटियां आदिवासियों द्वारा अपने क्षेत्रों में भी प्रयोग की जाती हैं। तथापि, कुछ ऐसी भी जड़ीबूटियां हैं जो आदिवासियां द्वारा प्रयोग की जाती है, लेकिन विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को उनकी ज्यादा जानकारी नहीं है। अखिल भारतीय आधार पर आदिवासियों द्वारा विशिष्ट रूप से प्रयोग की जाने वाली औषधियों पर कोई बड़े स्तर पर सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, आदिवासियो द्वारा प्रयोग की जा रही जड़ी बूटियों के विभिन्न पहलुओं पर कई एजेंसियां अध्ययन कर रही हैं।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : रामूवालिया जी आज बड़े सज रहे हो।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं बैठ जाऊं।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी सूचना सही नही दे रही हैं। इन्होंने जवाब दिया है।

[अनुवाद]

"अखिल भारतीय आधार पर आदिवासियों द्वारा विशिष्ट रूप से प्रयोग की जाने वाली औषधियों पर कोई बड़े स्तर पर सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

यह जवाब आपके सामने है। हकीकत यह है कि :

[अनुवाद]

एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम है जो अनुसंधान कर रहे हैं। जम्मू में उनकी एक प्रयोग शाला है।

[हिन्दी]

वह रिसर्च कर रही है और मुल्क में 15 सेन्टर्स मौजूद हैं। जम्मू में कोआरडिनेटर हैं। लखनऊ और बहुत सी जगहों में सेन्टर्स हैं। मध्यप्रदेश में सेन्टर खुला हुआ है। मैं असली बात बाद में करूंगा, पहले यही पूछता हूं कि मिनिस्टर ने ऐसा वेग आंसर क्यों दिया है? कितना कुछ तो हो रहा है ट्राइबल्स के बारे में फिर आपने यह आंसर क्यों दिया?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : पहले भी आप गुमराह हैं, आप को गुमराह बनाने का सवाल ही नहीं उठता। सवाल यह है कि—

[अनुवाद]

उत्तर में यह कहा गया है :

"अखिल भारतीय आधार पर आदिवासियों द्वारा विशिष्ट रूप से प्रयोग की जाने वाली औषधियों पर कोई बड़े स्तर पर सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यह निर्णायक वाक्य है। ऐसी स्थिति में अखिल भारतीय सर्वेक्षण करना असंभव है क्योंकि स्थानीय नाम अलग अलग हैं, स्थानीय जड़ी-बूटियां अलग अलग हैं, यहां तक कि इनकी किस्में भी अलग अलग हैं, जो उस भूमि पर निर्भर है जहां इनकी उपज होती है। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि श्री सैलम में ऐसी औषधिक जड़ी-बूटियां हैं जो भारत में अन्य कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। अतः अखिल भारतीय आधार पर इन औषधियों के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान करना व्यवहार्य नहीं है। क्षेत्रीय तथा स्थानीय आधार पर जो कुछ संभव है वह किया जा रहा है। हो सकता है किसी समय हमें यह सारा कुछ एकत्र करना हो और इस विषय पर एक पूरा अखिल भारतीय साहित्य तैयार करना हो। मानव-जातीय जैव-विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वयन अनुसंधान परियोजना द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत है। यह केवल औषधियों अथवा जड़ी-बूटियों के विषय में नहीं है, यह इनके स्वभाव, इनकी भाषा, इनके रोगों अथवा संभवतः इनके विचारों, सामाजिक अथवा आर्थिक तत्वों के संबंध में एक पूर्ण अनुसंधान कार्यक्रम है। यह एक अधिक विस्तृत विषय है जिसे वह हाथ में ले रहे हैं जिस में औषधियों और जड़ी-बूटियों का भी तत्व है किंतु विशेष रूप से औषधियों और जड़ी-बूटियों के संबंध में अभी तक अखिल भारतीय स्तर पर कुछ नहीं किया गया है। जिस बात का प्रयास किया गया है और जो कुछ सफलतापूर्वक होता रहा है वह यह है, कि जहां भी आप ऐसे क्षेत्र देखें जो कोई एजंसी वहां जाती है और वहां अनुसंधान करती है।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 396 में अभी आपने एलोपैथिक दवाओं के बारे में जवाब दिया है। दूसरे इस प्रश्न से मालूम होता है कि आप आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में रिसर्च करते हैं। आदिवासी लोगों के एरियाज में जो जड़ी-बूटियां मिलती हैं और उनसे दवाइयां बनती हैं उनसे हानि नहीं होती। अगर बीमार उनसे अच्छा नहीं होता तो उनसे बीमार को हानि भी नहीं होती। उनका कोई साईड इफेक्ट नहीं होता है। तथा आप ऐसी योजना बना रहे हैं कि ऐसी दवाइयां गांव वालों को आम जनता को, छोटे-छोटे गांवों में मिलें ? जो दवाइयां उनकी जड़ी-बूटियों से बनें वे उन्हें टाईम पर, जल्दी से जल्दी और अच्छी दवाइयां मिलें।

क्या यह सच है कि अध्यक्ष जी, लोग आपको तंग करते हैं, इसलिए मिनिस्टर लोग ऐसी गोली तैयार करवा रहे हैं जिससे कि हम गोली खा कर के घर पर ही रहें और आपको तंग न करें ? क्या यह सच है कि क्या ऐसी गोलियां तैयार हो रही हैं ? (**व्यवधान**)

गोली का जवाब नहीं तो पहले का तो जवाब दीजिए।

श्री भागवत झा आजाद : गोली का जवाब नहीं, तो बोली का जवाब तो दीजिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : बोली का जवाब बोला है।

[अनुवाद]

श्री पी० वी नरसिंह राव : महोदय, मैं सदन को यह सूचित करता हूं कि केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आरंभ किया है स्वभावतः यह विषय उनके क्षेत्र में आता है क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सी औषधियां ऐसी हैं जो जड़ी-बूटियों पर आधारित हैं। केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आठ जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयां हैं और मैं आप को उन स्थानों के नाम भी बता सकता हूं जहां यह इकाइयां स्थित हैं। यह उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले बहुत से रोगों में प्रभावकारी हैं जिनमें मलेरिया, जिसे "विषम ज्वर" कहते हैं, जो अन्य क्षेत्रों में भी होता है, जैसे मैंने सदन को सूचना दी, इस अनुसंधान परिषद ने मलेरिया के लिए एक विशेष औषधि तैयार की है जो बहुत सफल रही है। इसका नाम "आयुष-64" है। मैंने इसपर एक प्रश्न का उत्तर भी दिया है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह संस्था न केवल प्रयोगशाला में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, किन्तु प्रयोगशाला के परिणामों का उपयोग करके और इस क्षेत्र में प्रयोगशाला के निष्कर्षों को विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में उपयोग करके अच्छा कार्य कर रही है। अब, जैसा मैंने कहा, वह मलेरिया, कुष्ठ, कुपोषण जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है—चर्म रोग द्वारा एलर्जी यौन रोग आदि में अनुसंधान कर रहे हैं। वह "उदर क्रिमी" अर्थात पेट में होने वाले कीड़ों पर अनुसंधान कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहे हैं उनकी लम्बी सूची है और इसका संबंध जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जड़ी-बूटियों और औषधियों से है।

डा० कृपासिन्धु भोई : मुझे माननीय मंत्री द्वारा आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा में अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में दिए गए उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि भारतीय भूसर्वेक्षण के खान विभाग के अंतर्गत विभिन्न भू-वैज्ञानिक शैल-समूहों से परिचित हैं और इन्हें चार क्षेत्रों में श्रेणीबद्ध किया गया है। क्या वह

भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग द्वारा श्रेणीबद्ध क्षेत्रों को ध्यान में रखें क्योंकि विभिन्न भूवैज्ञानिक शैल-समूहों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों उगती हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां। यह संभव है। माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी मैंने नोट कर ली है और हम देखेंगे कि यह सारी जानकारी किस प्रकार समन्वित करें।

एम० डी० एम० एस० डाक्टरों की विशेषज्ञता का कम उपयोग

*399. **डा० प्रभात कुमार मिश्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत नियुक्त एम० डी० एम० एस० जैसी स्नातकोत्तर योग्यता वाले कुछ अत्यन्त योग्य डाक्टरों की विशेषज्ञता का अंतरंग सुविधाओं वाले अस्पतालों में उपयोग न करके उन्हें डिस्पेंसरियों अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त कर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो स्नातकोत्तर योग्यता वाले ऐसे विशेषज्ञ डाक्टरों की संख्या कितनी है जिन्हें छोटी डिस्पेंसरियों अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का इस स्थिति की समीक्षा करने का विचार है ताकि विशेषज्ञों की सेवाओं का पूरा और समुचित उपयोग किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्री धारक डाक्टरों सहित सभी डाक्टरों की विशेषताओं का केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी उप-काडरों में पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है। सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-काडर के 19 डाक्टर हैं जिनके पास एम० डी० या एम० एस० जैसी स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं और उन्हें अस्पतालों से बाहर तैनात किया गया है। सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-काडर के डाक्टरों, जिनके पास स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्री भी हो सकती है, के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक नीति तैयार की है कि उन्हें इस प्रकार तैनात किया जाए जिससे लोगों को संतुलित चिकित्सा परिचर्या सुनिश्चित हो सके। दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में एक नीति तैयार की है जिसके अनुसार स्नातकोत्तर अर्हताएं रखने वाले सभी सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में बारी-बारी से तैनात किया जाएगा।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : मुझे कृपया 'जी. डी. एम. ओ.' शब्दों और ''लोगों को संतुलित चिकित्सा परिचर्या' के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाये। ये तकनीकी शब्द हैं। दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में क्या संतुलित चिकित्सा परिचर्या की जाती है ?

कुमारी सरोज खापर्डे : जी. डी. एम. ओ. का अर्थ है सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी। जहां तक संतुलित चिकित्सा परिचर्या का संबंध है।

......**(व्यवधान)**

महोदय, चिकित्सा व्यवसाय से मेरा संबंध नहीं रहा है परन्तु फिर भी मैं उसका उत्तर दे सकती हूं। आप चिन्ता न करें। कृपया धैर्य रखें।

प्रो. मधुदंडवते : यहां तक कि रोगियों को भी धैर्य रखना चाहिए ।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, दिल्ली प्रशासन ने स्थानांतरण की कुछ नीतियां बनायी हैं । सचिव (चिकित्सा) के पास कार्यभार ग्रहण करने पर सभी सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को डी. एच. एस. में लगाया जाये । इस प्रकार कार्यभार ग्रहण करने से पहले अस्पतालों में नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार न किया जाये ।

पद ग्रहण करने के पश्चात ऐसे सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में नियुक्ति के लिए उनके जीवन वृत के साथ अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जाये । चिकित्सा विभाग में ऐसे सभी अभ्यावेदनों की एक सूची बनायी जानी चाहिए । जी. डी. एम. ओ. में सभी रिक्त स्थानों को विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में वहां पर पदों की संख्या के अनुपात में बांटा जाए ।

महोदय, यह एक लंबा विवरण है । अगर आप कहें तो मैं इसे सभा में प्रस्तुत कर सकता हूं ।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : हम एम. एस. अथवा एम. डी. जैसे स्नात्तकोत्तर डाक्टरों को छोटे औषधालयों और बाह्य चिकित्सालयों में नियुक्ति किये जाने का स्वागत करते हैं । परन्तु आम आदमी को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए क्या इनको सभी उपकरण दिये गये हैं ? जब तक इनको उपकरण और दूसरे यंत्र उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो तबतक ये सही जांच नहीं कर सकते और लोगों को अपनी सही सेवा प्रदान नहीं कर सकते । क्या उन्हें बाह्य चिकित्सालयों अथवा छोटे औषधालयों में ये उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० **नरसिंह राव**) : ऐसा लगता है कि प्रश्न में इस बात पर बल दिया गया है कि ऐसे बहुत अधिक योग्य डाक्टर हैं जिनकी प्रतिभा बाहरी अस्पतालों और क्लीनिकों में बेकार हो रही है । मेरा उत्तर यह है कि मुझे इस बात में कोई भी औचित्य नहीं लगता कि एक बहुत योग्य डाक्टर को बाहरी क्लीनिक में नहीं जाना चाहिए जिस बात पर प्रश्न में बल दिया गया है वह मुझे स्वीकार्य नहीं है । "लोगों के लिए संतुलित परिचर्या" से मेरा मतलब है कि एक तरफ तो चिकित्सा परिचर्या के बीच संतुलन होना चाहिए और दूसरी तरफ लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और स्वास्थ्य परिचर्या के बीच संतुलन होना चाहिए । इस प्रकार, सभी डाक्टरों को सभी स्थानों पर बारी-बारी भेजना बहुत अच्छी बात है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि अगर हमारे पास अधिक स्नात्तकोत्तर डॉक्टर हैं और इन्होंने इस पद के लिए इच्छा जाहिर की है जिसके लिए सिर्फ एम. बी. बी. एस. डॉक्टरों की आवश्यकता होती है तब ऐसी स्थिति में वे इस बात पर कैसे बल दे सकते हैं कि उनको हमेशा सिर्फ शहर के अस्पतालों में ही भेजा जाये ? ऐसा संभव नहीं है । ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यहां पर कुछ पद सिर्फ एम. बी. बी. एस. डाक्टरों के लिए ही हैं परन्तु यदि एक एम. एस. अथवा एक एम. डी. उस पद को संभालता है तो उसे वह कार्य करना पड़ता है । किसी स्थान पर एक एम डी. अथवा एम. एस. डाक्टर की नियुक्ति होने पर वहां पर एक आप्रेशन थियेटर नहीं बनाया जा सकता । यह एक अस्थायी मामला है । उस डॉक्टर को वापिस एक ऐसे अस्पताल में नियुक्त किया जा सकता है जहां उसकी योग्यता की अधिक आवश्यकता हो अथवा अधिक उपयुक्त ढंग से उसका इस्तेमाल किया जा सके । परन्तु इस बात पर जोर नहीं दिया जा सकता । यह बात पदों के उपलब्ध होने की तुलना

में डाक्टरों के उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर किसी स्थान पर इस समय अपेक्षा से अधिक योग्य डॉक्टर कार्यरत है तो प्रशासन इस पर गौर करेगा और देखेगा कि सही समय पर उसकी प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाये।

श्री अमल दत्त : जहां तक दिल्ली प्रशासन के नियमों के बारे में राज्य मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर का संबंध है, एक मंत्री से मुझे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी कि "दिल्ली प्रशासन ने ऐसे नियम अपनाये हैं और इसलिए हम ऐसे नियमों के प्रति बाध्य हैं।" इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या वास्तव मे ये नियम बुद्धिमतापूर्ण और तर्कसंगत नियम हैं। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि उन्होंने यह नियम बनाया है जिसके अनुसार सबसे पहले डॉक्टरों को बाहरी औषधालयों में नियुक्त किया जाना चाहिए और इस नियम का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस मामले में मुझे यह लगता है कि मंत्री जी अपने कर्तव्य से हट रहे हैं और अधिकारियों पर नियम बनाने के कार्य को छोड़ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों ने विशेष योग्यता हासिल की है उसका इस्तेमाल किया जाये। यह कोई उत्तर नहीं है कि दिल्ली प्रशासन ने कुछ ऐसे नियम बनाये हैं जिनके तहत इनको सबसे पहले अस्पतालों में नहीं बल्कि बाहरी स्थानों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार शुरू में आवेदनों की जाचें इस तरह होनी चाहिए ताकि जिन लोगों ने 3 अथवा 4 वर्ष लगाये हैं और पैसा खर्च किया है और त्याग किया है उनको उचित स्थान पर तैनात किया जाए जिससे लोगों को उनकी योग्यता और सेवा का लाभ मिल। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया जा रहा है?

जब केबिनेट मंत्री ने उत्तर दिया था तब भी इन्होंने इस पहलू को टाल दिया था। निस्संदेह लोगों को लाभ मिलना चाहिए। सिर्फ लोगों को ही नहीं परन्तु जो लोग अस्पतालों में जाते हैं उनको भी प्रतिभावान चिकित्सकों का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रतिभा का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक सिर्फ आप्रेशन के लिए ही नहीं बल्कि रोग निदान के लिए भी उन्हें उपयुक्त उपकरण और मन्त्र उपलब्ध नहीं कराये जाते। उन्हें ये अवश्य उपलब्ध कराए जाएं इस समय ये उपलब्ध नहीं हैं,। आप इस बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : तीन विभिन्न पहलुओं को एक में मिला दिया गया है। प्रथम डॉक्टरों की योग्यता का पहलू है। उदाहरण के तौर पर अगर एक गांव मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक एम. बी. बी. एस. डाक्टर का पद है तो यह हमारे लिए पर्याप्त है। उस अस्पताल में उपकरण दवाईयों और सभी उपलब्ध सुविधायें इस तरह की योग्यता के अनुसार होती हैं। परन्तु यदि एक बहुत योग्यता वाला व्यक्ति वहां पर जाता है तो हम वहां पर उपलब्ध सभी सुविधाओं में रातों रात परिवर्तन नहीं कर सकते और उनमें सुधार नहीं कर सकते क्योंकि एक वर्ष के बाद वह डाक्टर किसी और अस्पतालों में जा सकता है और दूसरा एम. बी. बी. एम. वहा उसके स्थान पर आ सकता है।

श्री अमल दत्त : आप औषधालयों में विशेषज्ञों को सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं कराते?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कृपया प्रतीक्षा करें। यह एक पहलू है। इस प्रकार अधिक योग्य डॉक्टरों अर्थात स्नातकोतर डॉक्टरों तथा एम. बी. बी. एस. डाक्टरों के लिए निर्धारित उपलब्ध पदों के बीच तालमेल ठीक नहीं है यहां यह तालमेल ठीक नहीं है। यदि सही तालमेल नहीं है तो प्रशासन उनकी बारी-बारी से नियुक्ति कर सकता है ताकि केवल कुछ लोग ही हमेशा बाहर स्थित

औषधालयों में नियुक्त न रहे जायें जबकि अन्य कुछ हमेशा शहर में स्थित औषधालयों में ही काम न करते रहें ।

राज्यमंत्री महोदय ने अभी जो उत्तर पढ़ा है वह ऐसा था कि जैसे दिल्ली प्रशासन ने डाक्टरों की बारी-बारी से नियुक्ति करने की पद्धति तैयार की है । यह व्यवस्था कभी-कभी असफल रहती है । किन्तु मुद्दा यह है कि जो किया जा सकता है वह काफी है ।

जहां तक अस्पतालों को और सुविधायें उपकरण आदि देने का संबंध है, यह एक बिल्कुल ही अलग प्रश्न है । यह योजना के अन्तर्गत आता है । योजना प्राथमिकताओं के अनुसार इनमें सुधार किया गया है न कि इस वजह से कि वहां पर कोई एम. एस. डाक्टर कार्यरत है । यह बिल्कुल संभव नहीं है । ये तीन विभिन्न मामले हैं । उपकरणों से अच्छी प्रकार सुसज्जित अस्पताल और एक बाहरी औषधालय के बीच एक प्रकार का संतुलन होना चाहिए । यदि हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं कि वहां पर एक अच्छा डाक्टर जा सके और वहां की स्थिति के अनुसार कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें तो वह कुल मिलाकर एक अलग-थलग व्यक्ति ही रहेगा । इस प्रकार दिल्ली प्रशासन द्वारा जो बारी बारी से नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है वह उचित लगती है । अगर इसमें कोई गलत बात है, अथवा इसकी वास्तविक कार्य प्रणाली में कोई गलती है तो हम निश्चित तौर पर इसकी जांच कर सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

परिवार कल्याण योजनाओं के कार्यकरण पर निगरानी के लिये समिति

*397. **श्री एच. बी. पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार अथवा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की वित्तीय सहायता से चल रही परिवार कल्याण योजनाओं के कार्यकरण पर निगरानी रखने हेतु विधायकों और संसद सदस्यों की एक आकलन एवं कार्यान्वयन समिति गठित करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

बेरोजगार डाक्टरों को रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव

*400. **श्री आर. एम. भोये** :

श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में अर्हताप्राप्त बेरोजगार डाक्टरों की संख्या कितनी थी

(ख) क्या सरकार ने उन्हें निकट भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 31 दिसम्बर, 1986 की स्थिति के अनुसार रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में स्नातकोत्तर छात्रों सहित चिकित्सा स्नातकों की कुल संख्या 28,966 है। नवीनतम आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किए गए हैं। यह भी बता दिया जाए कि यह जरूरी है नहीं कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में नौकरियां प्राप्त करने के लिए दर्ज व्यक्ति बेरोजगार ही हों। 31 दिसम्बर, 1986 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में स्नातकोत्तर छात्रों सहित चिकित्सा स्नातकों की संख्या का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य क्षेत्र के सामान्य विस्तार कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त बेरोजगार डाक्टरों को खपाने की सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

31.12.1986 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज चिकित्सा स्नातकों (स्नातकोत्तर छात्रों सहित) की संख्या।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चिकित्सा स्नातक (स्नातकों छात्रों सहित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2692
2.	अरूणाचल प्रदेश•	—
3.	असम	142
4.	बिहार	1688
5.	गोवा	145
6.	गुजरात	867
7.	हरियाण	495
8.	हिमाचल प्रदेश	114
9.	जम्मू व कश्मीर	10
10.	कर्नाटक	1162
11.	केरल	1562
12.	मध्य प्रदेश	1357
13.	महाराष्ट्र	4455
14.	मणिपुर	70
15.	मेघालय	5
16.	मिजोरम	5
17.	नागालैण्ड	—

18.	उड़ीसा	705
19.	पंजाब	772
20.	राजस्थान	768
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	2498
23.	त्रिपुरा	17
24.	उत्तर प्रदेश	1965
25.	पश्चिम बंगाल	226
संघ राज्य क्षेत्र		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
27.	चण्डीगढ़	694
28.	दादरा और नागर हवेली**	—
29.	दिल्ली	4265
30.	दमन और द्वीप@	—
31.	लक्ष्यद्वीप	7
32.	पांडिचेरी	239
	अखिल भारत योग	28,966

नोट: 1. *इन राज्यों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **इस संघ राज्य क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है लेकिन इससे आंकड़े प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

3. @आंकड़े गोवा राज्य में शामिल हैं।

4. यह जरूरी नहीं है कि रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टरों में दर्ज सभी चिकित्सा स्नातक (स्नातकोत्तर छात्रों सहित) बेरोजगार ही हों।

संस्कृत कालेज

*401. **श्री जी० भूपति :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संस्कृत कालेजों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं ; और

(ख) क्या संस्कृत के नए कालेजों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 282 संस्कृत कालेज/प्राच्य अध्ययन कालेज हैं जो संस्कृत में डिग्री अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम चलाते हैं जिन राज्यों तथा जिलों में ये स्थित हैं, उनके नाम संलग्न विवरण के रूप में दिए गए हैं।

(ख) कोई संस्कृत कालेज स्थापित करने के संबंध में केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय संस्कृत संसाधन के तत्वावधान में कुछ केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किये जा सकते हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों में संस्कृत कालेजों का स्थान

क्रम संख्या०	राज्य	जिला
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. पूर्वी गोदावरी
		2. गुन्टुर
		3. हैदराबाद
		4. करीमनगर
		5. कृष्णा
		6. नेल्लोर
		7. निजामबाद
		8. प्रकाशम
		9. विजयनगरम
		10. पश्चिमी गोदावरी
		11. वारांगल
2.	बिहार	1. भोजपुर
		2. बेगुमराय
		3. भागलपुर
		4. दरभंगा
		5. पूर्वी जम्पारन
		6. गया
		7. गोपालगंज
		8. हजारी बाग
		9. मुंगेर
		10· मुजफ्फरपुर
		11. मधुबनी
		12. पटना
		13. रांची
		14. रोहतास

क्रम संख्या	राज्य	जिला
		15. संथाल परगना
		16. सरन
		17. सिवान
		18. सिंहभूमि
		19. सीतामढ़ी
		20. समस्तीपुर
		21. सहरसा
		22. वैशाली
		23. पश्चिम चम्पारन
		24. कटिहार
3.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	1. दिल्ली
4.	गुजरात	1. बड़ोदा
		2. जामनगर
5.	केरल	1. एरीवलकुलम
		2. पालघाट
		3. त्रिवेन्द्रम
6.	मध्य प्रदेश	1. इन्दौर
		2. रायपुर
		3. सतना
7.	उड़ीसा	1. बालासोर
		2. बोलनगीर
		3. गन्जम
		4. पुरी
8.	पंजाब	1. लुधियाना
		2. पटियाला
9.	राजस्थान	1. अजमेर
		2. अलवर
		3. बीकानेर
		4. चुरू
		5. डून्गरपुर
		6. जयपुर

क्रम संख्या	राज्य	जिला
		7. झुनझुनु
		8. जोधपुर
		9. कोटा
		10. नागौर
		11. सीकर
		12. उदयपुर
10.	तमिलनाडु	1. चन्गलपटटु
		2. मद्रास
11.	उत्तर प्रदेश	1. आगरा
		2. इलाहाबाद
		3. आजमगढ़
		4. अलीगढ़
		5. बलिया
		6. बस्ती
		7. बान्दा
		8. बदायुं
		9. बहरैच
		10. बुलन्दशहर
		11. चमोली
		12. देहरादून
		13. देवरिया
		14. इटावा
		15. फतेहपुर
		16. फैजाबाद
		17. गाजियाबाद
		18. गाजीपुर
		19. गोरखपुर
		20. हरदोई
		21. झांसी
		22. जौनपुर
		23. कानपुर
		24. लखनऊ

क्रम संख्या	राज्य	जिला
		25. मेरठ
		26. मिर्जापुर
		27. मैनपुरी
		28. मथुरा
		29. मुरादाबाद
		30. पीलीभीत
		31. प्रतापगढ़
		32. रायबरेली
		33. शाहजहांपुर
		34. सहारनपुर
		35. सुलतानपुर
		36. उन्नाव
		37. वाराणसी
12.	पश्चिमी बंगाल	1. कलकत्ता

नवोदय विद्यालयों की प्रगति सम्बन्धी जानकारी

•402. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई शिक्षा नीति के अनुसरण में स्थापित किए गए नवोदय विद्यालयों की प्रगति पर किस एजेंसी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है; और

(ख) क्या छात्रों के दाखिले, छात्रों के पढ़ाई जारी रखने की दर, शिक्षकों की नियुक्ति, भवनों के निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रगति संतोषजनक है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नवोदय विद्यालयों के सम्बन्ध में पुनः निवेशन सम्बन्धी सूचना (i) मंत्रालय (ii) नवोदय विद्यालय समिति (नवोदय विद्यालयों की स्थापना, विकास रख-रखाव तथा प्रबन्ध करने के लिए एक स्वायत्त संगठन) (iii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (iv) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (v) राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों के अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों तथा नवोदय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से प्राप्त मासिक प्रगति विवरणों द्वारा उपलब्ध की जाती है।

(ख) जी हां।

रेल फाटकों के लिये नया उपकरण

403. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री एच.एन. नन्जे गौडा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने एक ऐसे अनोखे उपकरण का क्षेत्र-परीक्षण शुरू किया है जिससे देश भर में रेल फाटकों पर होने वाली अनेक दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस नये उपकरण का ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य कितना है;

(ग) किये गए क्षेत्र-परीक्षणों के क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस उपकरण को कब लगाये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सभी रेल फाटकों पर यह उपकरण लगाने की कोई योजना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) सड़क उपयोगकर्ताओं को समपार पार करने से पहले दृश्य-श्रव्य चेतावनी देने के लिए देश में विकसित किए गए सौर ऊर्जा से चालित गाड़ी चेतावनी यंत्र का उत्तर रेलवे पर परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) समपार से 2-3 कि. मी. की दूरी पर स्थित सौर ऊर्जा से परिचालित रेडियो ट्रांसमीटर गाड़ी आने का संदेश प्राप्त कर लेता है और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए दृश्य-श्रव्य चेतावनी प्रणाली वाले समपार पर लगे रिसीवर को तुरन्त सूचना भेज देता है। जिस प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है उसकी अनुमानित लागत प्रति समपार लगभग 2.5 लाख रुपये हैं।

(ग) और (घ) अभी इस प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद ही इस प्रणाली को स्थायी रूप से लागू करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

बम्बई से पणजी तक तेज रफ्तार यात्री नौका सेवा

*404. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्यगिरी नौवाहन कम्पनी द्वारा कोंकण तट के साथ-साथ बम्बई से पणजी तक तेज रफ्तार यात्री नौका सेवा चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कोंकण तट के साथ-साथ तेज रफ्तार नौका सेवा प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इसमें क्या रुकावट है;

(घ) इन रुकावटों को कब तक दूर कर दिया जाएगा ; और

(ङ) कोंकण तट के साथ-साथ प्रस्तावित तेज रफ्तार नौका सेवा के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) इस प्रयोजन के लिए दो जहाज खरीदने के कम्पनी के प्रस्ताव को सरकार ने क्लीयर कर दिया है जो उनके द्वारा कतिपय निर्धारित शर्तें पूरी करने पर निर्भर है।

(ख) से (ङ) अभी कम्पनी ने निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं की हैं। कम्पनी द्वारा सरकार की निर्दिष्ट शर्तों की पूर्णत: पूर्ति करने के लिए बाद ही प्रस्तावित सेवा पर प्रचालन शुरू किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बिहार में चलने वाली रेलगाड़ियों की हालत में सुधार लाना

•405. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में चलने वाली रेल गाड़ियों की हालत बहुत खराब है और इन रेल गाड़ियों में न तो यात्रियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त डिब्बे होते हैं और न ही उनकी ठीक प्रकार से सफाई की जाती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कई रेलगाड़ियों, विशेषकर दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली रेलगाड़ियों में पर्याप्त संख्या में वातानुकूल डिब्बे नहीं होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) बिहार में, तथा अन्य राज्यों में भी, कतिपय गाड़ियों में तथा मार्गों पर कुछ भीड़-भाड़ रहती है। भारतीय रेल गाड़ियों की हालत में सुधार करने तथा सवारी डिब्बों की सफाई सुनिश्चित करने का निरन्तर प्रयास करती हैं।

(ख) बिहार में चलने वाली 33 जोड़ी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूल सवारी डिब्बों की व्यवस्था है। इनमें से 11 जोड़ी गाड़ियां दक्षिण बिहार क्षेत्र में चलती हैं।

(ग) सवारी डिब्बों के निर्माण की क्षमता, जिसमें वातानुकूल सवारी डिब्बे भी शामिल हैं, बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम वाले विद्यालय

*406. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अधिक से अधिक विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों में कितने विद्यालयों में यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) सम्बन्धी कार्यक्रम की प्रायोजित परियोजना का चरण पूरा हो गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल प्रत्येक स्कूल के लिए परियोजना में दो सूक्ष्म संगणकों के प्रावधान की परिकल्पना की गयी है। मध्य प्रदेश से इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 23 स्कूलों को चुना गया है। प्रायोगिक परियोजना में प्राप्त अनुभव के आधार पर, सरकार कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने के लिए

योजनाओं को अन्तिम रूप दे रही है। सातवीं योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये जाने वाले स्कूलों की संख्या को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

समान पाठ्यक्रम

*407. **श्री सरफराज अहमद : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में समान शिक्षा व्यवस्था और पाठ्य-पुस्तकों का समान पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में सरकारी नीतियों के कार्यान्वियन में क्या-क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं ; और

(ख) इन कठिनाइयों के समाधान के लिए क्या उपाय करने का विचार है और इस संबंध में कब तक प्रभावी कार्यवाही की जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार की यह नीति नहीं है कि देश में सभी स्कूलों में शिक्षा नितान्त रूप से समान स्वरूप की हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संविधान में प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय पद्धति इस ओर संकेत करती है कि स्कूल-स्तर पर सभी छात्र तुलनीय कोटि की शिक्षा प्राप्त करें। यह पद्धति एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य ढांचे पर आधारित होगी जिसमें अन्य लचीले घटकों के साथ एक समान कोर शामिल होगी।

[अनुवाद]

वन्यजीव अभयारण्य

*408. **श्री दौलतसिंहजी जडेजा : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) और (ख) नए वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना पर संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा निर्णय लिया जाता है।

विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा

409. **डा० बी० वेंकटेश :**

श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश भर में विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा का स्तर सुधारने की कोई परियोजना शुरू करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार का स्कूलों में विज्ञान-शिक्षा में सुधार के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए विज्ञान-किटें प्रदान करने, विज्ञान-प्रयोगशालाओं को स्तरोन्नत करने तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय, विज्ञान शिक्षा के लिए तथा विज्ञान और गणित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक गहन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय-सहायता दी जाएगी।

(ग) विचाराधीन प्रस्ताव में 1987-1990 की अवधि के दौरान 161.18 करोड़ रुपये की परिकल्पना है।

[हिन्दी]

ग्वालियर और मथुरा के बीच शटल रेलगाड़ी चलाना

*410. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर और मथुरा के बीच शटल रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ग्वालियर और मथुरा के बीच पर्याप्त गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक-भुवनेश्वर खंड में चार लेन बनाना

*411. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर बढ़ते हुए यातायात की दृष्टि से इस मार्ग के कटक-भुवनेश्वर खंड में चार लेन बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : कटक और भुवनेश्वर नगरों के निकट इन सड़क खण्डों को, जहां-जहां तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है, अभिनिर्धारित कर लिया गया है और 185.82 लाख रुपये के अनुमानों की मंजूरी दी जा चुकी है। शेष खण्डों को चौहरी लेन में बदलने का प्रारंभिक कार्य हाथ में ले लिया गया है।

"धनेश पक्षी और मालाबार गन्धबिलाव प्रजातियों का लुप्त होना"

*412. **श्री माणिकराव होडल्य गावित : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन क्षेत्र के कम होते जाने के कारण मालाबार गन्धबिलाव और धनेश पक्षी की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं और अब इनकी प्रजातियां क्रमशः केवल केरल के उत्तरी भाग और पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्रों में ही रह गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) धनेश पक्षी भारत के अनेक भागों में पाया जाता है। मालाबार गन्धबिलाव को कोजीकोड के निकट पुनः खोज लिया गया है परन्तु यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह केरल के उत्तरी भाग में सीमित है।

(ख) प्रस्तावित कदमों में मलबार गन्धबिलाव के वर्तमान फैलाव का पता लगाने के लिए सम्भाव्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण और आगे के लिए आवश्यक उपायों पर निर्णय लेना शामिल है।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पाने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक परीक्षा

*413. **श्री विष्णु मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोनल रेलवे प्रशिक्षण कालेज, चन्दौसी (उत्तर रेलवे) में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में शामिल किये गये रेलवे कर्मचारियों की पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के पूरा हो जाने पर उनके अपने-अपने काम में परीक्षा ली जाती है ;

(ख) क्या पहले उक्त कालेज में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के पूरा हो जाने पर कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस व्यवस्था में परिवर्तन करने और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के पूरा हो जाने पर कर्मचारियों को व्यावसायिक परीक्षा लेने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर 1983 से पहिले, प्रशिक्षार्थियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए उन्हें केवल मौखिक और/या व्यावहारिक परीक्षा ही पास करनी होती थी।

(ग) यह अनुभव किया गया था कि मौखिक/व्यावहारिक परीक्षा से प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किये गये ज्ञान का वस्तुनिष्ठा मूल्यांकन पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं होता था। अतः गाड़ियों के सुरक्षित चालन की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया था कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिक्षार्थियों की लिखित परीक्षा ली जाये।

[अनुवाद]

वर्धा जिले में इस्पात परियोजना

3949. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्धा जिले में अनिवासी भारतीयों द्वारा आरम्भ की गई समेकित इस्पात परियोजना का निर्माण कार्य रोक दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) स्थगन आदेशों के जारी किए जाने के समय उक्त परियोजना का निर्माण कार्य किस-सीमा तक पूरा हो गया था ;

(घ) क्या सरकार को स्थगन आदेशों पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) इन मामले में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी हां, । बारबादी, वर्धा में परियोजना के स्थान निर्धारण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होने के कारण प्रारम्भिक निर्माण कार्य रोक दिया गया था ।

(ग) चूंकि परियोजना तब तक अनुमोदन की अवस्था में थी, इसलिए वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था ।

(घ) और (ङ) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अब पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परियोजना की जांच कर ली गयी है और इस शर्त पर मंजूरी दे दी गई है कि अनुबंधित शर्तों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए ।

क्लेम ट्रेसर्ज, असिस्टेंट कमर्शियल इंस्पेक्टर्स/कमर्शियल इंस्पेक्टर्स आदि की पदोन्नति

3950. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1984 से पहले पूर्वोत्तर रेलवे में क्लेम ट्रेसर्ज, असिस्टेंट कमर्शियल इंस्पेक्टरस कमर्शियल इंस्पेक्ट्रस की श्रेणी-बार कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या रेलवे विभाग द्वारा पहली जनवरी, 1984 से पहले से स्थिर कर्मचारियों की पदोन्नति करने का निर्णय लिया गया था;

(ग) क्या वर्ष 1984-85 में 28 कमर्शियल अप्रेंटीसिज को कमर्शियल इंस्पेक्ट्रस के पदों पर नियुक्त करने से क्लेम ट्रेसर्ज और अन्य कमर्शियल इंस्पेक्ट्रस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 1977 के पत्र पर किए गए निर्णय पर विचार नहीं किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो, इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) अगस्त, 1983 से पहले पूर्वोत्तर रेलवे पर क्लेम ट्रेसरों, सहायक वाणिज्य निरीक्षकों/वाणिज्य निरीक्षकों की ग्रेडवार कुल संख्या इस प्रकार थी :-

(1) क्लेम ट्रेसर वेतनमान	330-560 रुपये	— 41
(2) दावा/वाणिज्य निरीक्षक वेतनमान	840-1040 रु०	— 8

(3) दावा/वाणिज्य निरीक्षक वेतनमान	700-900 रुपये — 69
(4) दावा/वाणिज्य निरीक्षक वेतनमान	550-750 रुपये — 34
(5) दावा/वाणिज्य निरीक्षक वेतनमान	455-700 रुपये — 39
(6) सहायक दावा/वाणिज्य निरीक्षक वेतनमान	425-640 रुपये — 21

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हवड़ा-ताराकेश्वर रेलवे लाइन को दोहरा करना

3951. **डा. सुधीर राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हवड़ा-तारकेश्वर रेलवे लाइन को दोहरा करने और उसका आरामबाग तक विस्तार करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस परियोजना को प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) हवड़ा और कामारकुण्डू के बीच दोहरी रेल लाइन पहले से ही मौजूद है। सेवड़ाफुली-कामारकुण्डू-तारकेश्वर खंड पर लाइन क्षमता का विस्तार करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूरा होने तथा रिपोर्ट की जांच होने तक कोई विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। फिलहाल, संसाधनों की तंगी और दी गयी भारी वचनवद्धताओं को देखते हुए, आरामबाग तक रेल लाइन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा

3952. **श्री सी. सम्बु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों को रेलवे में 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें सेवा से हटाये जाने पर पेंशन सुविधाएं नहीं दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले पेंशन सुविधाएं देने के मामले पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सेवा से हटाये गये रेल कर्मचारियों के मामले में रेल मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्रिकेट के मैचों के आयोजन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया व्यय

3953. **डा० बी० एल० शैलेश :**

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई द्वारा हाल ही में आयोजित रिलायंस कप क्रिकेट मैचों के आयोजन में किये गये व्यय में से प्रायोजित कार्यक्रमों के प्रसारण से प्राप्त आय को घटाने के बाद लगभग कितना खर्च हुआ ;

(ख) टिकटों की बिक्री और खेल के मैदानों में लगाए गए विज्ञापनों से कितनी आय हुई; और

(ग) रिलायंस कप पर कितनी लागत आई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"आदिवासी क्षेत्रों में वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई"

3954. **श्रीमती सुमति उरांव :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों से वृक्षों की अन्धाधुन्ध कटाई करने वाले लोगों से वनों की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई के मामलों की सूचना मिली है । प्रकृति से संबंधित और ऐसी कटाई की गम्भीरता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों सहित अन्धाधुन्ध कटाई से वनों को बचाने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं :-

(1) वृक्षों की अवैध कटाई और वन उपज को हटाने पर रोक लगाना ।

(2) भारतीय वन अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन ।

(3) दोषी व्यक्तियों को कठोर सजा देने की व्यवस्था करना ।

(4) चारे के लिए परती भूमि विकास के लिए कार्यक्रम ।

(5) वन सुरक्षा बलों को मजबूत बनाना ।

(6) झूम खेती पर नियंत्रण ।

(7) आरा और मुलम्मा मिलों के कार्यकरण पर सख्त नियंत्रण ।

(8) वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्कों जैसे सुरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि करना !

(9) नाजुक वन क्षेत्रों को चराई के लिए बन्द करना ।

(10) ईंधन के लिए लकड़ी निकालने के कारण वनों पर दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना ;

(11) उद्योगों, रेलवे और अन्य उपयोगों में लकड़ी का प्रतिस्थापना ।

(12) ठेकेदारों का उन्मूलन ।

(13) राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को विशेष तौर से नाजुक क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कार्यकारी योजनाएं तैयार करने और वनों में वृक्षों की कटाई के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ।

(14) 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध लगाना ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने जैविक हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचे के विकास हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को वनों के गैर-कानूनी दोहन को रोकने के लिए अशंदान आधार पर निधियां दी जाती हैं ।

आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया से लोगों की मृत्यु

3955. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेष रूप से आदिवासी जिलों में, जहां मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों के समान मलेरिया ने महामारी का रूप ले लिया है, इस रोग से लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु होना जारी है ;

(ख) यदि हां, तो गत 12 महीनों में देश में मलेरिया से कितने लोगों की मृत्यु हुई ;

(ग) मलेरिया के उन्मूलन के लिए; क्या कदम उठाए गए है ;

(घ) क्या मलेरिया के रोगियों के घरों पर जाकर जांच के लिये खून के नमूने लेने के लिए कोई प्रबन्ध किए गए हैं ; और

(ङ) यदि नहीं तो, क्या सरकार का ऐसे प्रबन्ध करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) अब तक राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 1987 के दौरान आन्ध्र प्रदेश असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट, मिजोरम, उड़ीसा त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों से मलेरिया से 45 मौतें होने की सूचना मिली है। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में मलेरिया के कारण कोई भी मौत होने की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार अक्तूबर, 1986 से सितम्बर, 1987 तक 12 महीनों की अवधि के दौरान मलेरिया के कारण राज्य-वार हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :-

	राज्य का नाम	मौतों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	10
4.	बिहार	16
5.	गुजरात	1
6.	केरल	1
7.	मध्य प्रदेश	6
8.	महाराष्ट्र	6
9.	मिजोरम	7
10.	उड़ीसा	42
11.	त्रिपुरा	6
12.	पश्चिम बंगाल	2
13.	डी. एन. के. परियोजना	2
		101

(ग) देश में मलेरिया की रोक-थाम करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं :-

(1) जिन क्षेत्रों में वार्षिक परजीवी की घटनाएं दो या दो से ज्यादा हैं, उनमें समुचित प्रकार के कीटनाशकों जैसे डी.पी.टी.। बी.एच.सी. / मालाथियन का अवशेष कीटनाशकों का छिड़काव करवाना।

(2) ज्वर के रोगियों का पता लगाने रक्त स्मीयद एकत्र करने और संभावित उपचार के लिए देश के मलेरिया वाले सभी क्षेत्रों में पाक्षिक नियमित निगरानी करना।

(3) रक्त स्मीयर की शीघ्र जांच करने तथा कोई समय लगाये बिना मूल उपचार करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रयोगशाला सेवाएं।

(4) देश के दूर-दराज क्षेत्रों में कार्य कर रहे औषध वितरण केन्द्रों और ज्वर उपचार डिपुओं के माध्यम से ज्वर से पीड़ित रोगियों को मलेरिया-रोधी औषधियों का वितरण।

(5) देश के पी० फाल्सीपेरम के प्रकोप वाले क्षेत्रों में पी० फाल्सीपेरम नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(6) लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मलेरिया के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों को तेज करना।

(घ) और (ङ) बहूउद्देशीय कार्यकर्ताओं को अपनी पाक्षिक रूप से घर-घर किए जाने वाले दौरों के दौरान प्रत्येक ज्वर के रोगियों के रक्त नमूनों को एकत्र करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, गावों में स्थित ज्वर उपचार डिपो होल्डर्स और ग्राम स्वास्थ्य गाइड ज्वर से पीड़ित रोगियों की रक्त-सलाइडें भी लेते हैं।

"झूम खेती"

3956. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाखों आदिवासी झूम खेती कर रहे हैं जिसके कारण अच्छी किस्म की मिट्टी की बर्बादी हो रही है, बार-बार बाढ़ें आ रही हैं, नदियों में गाद जमा हो रही है और सिंचाई तथा बिजली उत्पादन क्षमता में गिरावट आ रही है ;

(ख) क्या सरकार का झूम खेती को हतोत्साहित करने और आदिवासियों के स्थायी पुनर्वास के लिए कोई योजना प्रायोजित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) झूम कृषि के नियंत्रण के लिए वर्ष 1987-88 में 15 करोड़ रुपये के विशेष केन्द्रीय अनुदान से असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इससे लगभग 25000 आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

बोलपुर में रेल संग्रहालय

3957. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलपुर (पश्चिम बंगाल) में एक रेल संग्रहालय स्थापित करने और वहां पर वह डिब्बा रखने, जिसमें रविन्द्र नाथ टैगोर ने अन्तिम बार यात्रा की थी, का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या इस प्रायोजन के लिए इस डिब्बे की हालत में सुधार तो कर लिया गया है किन्तु लेकिन रेलवे द्वारा इस का उद्घाटन नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। तथापि, बोलपुर में प्रदर्शन हेतु रखने के लिए केवल एक वह सवारी डिब्बा देने का विनिश्चय किया गया है जिसमें गुरुदेव ने अपनी अन्तिम रेल यात्रा की थी।

(ख) यह डिब्बा तैयार कर दिया गया है। इसके उद्घाटन की व्यवस्था विश्व भारती को करनी होगी जिन्हें मूल समझौते के अनुसार परामर्श दिया गया है कि प्रदर्शित वस्तु के अनुरक्षण तथा तथा उस के लिए चौकीदार रखने की जिम्मेदारी उनकी है।

(ग) प्रदर्शित वस्तु के अनुरक्षण, रख-रखाव और चौकीदारी की जिम्मेदारी विश्व भारती की होगी, यह सूचना विश्व भारती को प्रारम्भ में ही दे दी गयी थी।

दावों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए रेल न्यायाधिकरण

3958. **श्रीमती उषा चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दावों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए रेल न्यायाधिकरण का गठन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे 23.11.1987 को लोक सभा में पेश किये गए रेल दावा अधिकरण विधेयक, 1987 (1987 का विधेयक सं० 116) में अंतर्विष्ट हैं।

कन्याकुमारी जिले में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

3959. **श्री एन. डेनिस :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कन्याकुमारी जिले में जहां कोई व्यावसायिक कालेज नहीं है, एक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थापित करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी. नही।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

घटिया औषधियों की समस्याओं से निपटने के लिए कृत्तिक बल

3960. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घटिया और नकली औषधियों के उत्पादन, बिक्री और वितरण की समस्याओं से निपटने के लिए कोई कृत्तिक दल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो कृत्तिक दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां,

(ख) और (ग) टास्क फोर्स की सिफारिशें और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

टास्क फोर्स सिफारिशें और की गई कार्रवाई

1.	राज्यों में प्रत्येक 25 परिसरों के लिए एक औषध निरीक्षक और 100 बिक्री परिसरों के लिए एक औषध निरीक्षक के आधार पर औषध निरीक्षणालय स्टाफ को सुदृढ़ बनाना।	राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों और राज्य सरकारों से······आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है।
2.	नकली औषधों के निर्माण और बिक्री की जांच करने के लिए प्रत्येक राज्य में महाराष्ट्र में कार्य कर रहे कानूनी सह-आसूचना तत के सिद्धान्तों पर कानूनी-सह-आसूचना तंत्र की स्थापना करना।	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी स्वास्थ्य सचिवों से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
3.	महत्वपूर्ण राज्यों में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय बोलना जिसमें पर्याप्त निरीक्षणालय और अन्य स्टाफ दिया जाएगा।	सातवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त जोनल कार्यालय खोलने का एक प्रस्ताव शामिल किया गया था और उन्हें ईस्ट और नार्थ जोनों में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के दो कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई है।
4.	औषध योगों की जांच करने के लिए केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के मुख्यालय से एक सैल खोलना।	बाजार में सुरक्षा, प्रभावकारिता और संगतता की दृष्टि से योगों की लगातार जांच करने के लिए औषध परामर्शदात्री समिति की एक उप समिति गठित की गई है।
5.	आयातित औषधों की क्वालिटी को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार पत्तनों पर केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के कार्यालय में स्टाफ को सुदृढ़ बनाना।	पत्तन कार्यालयों में स्टाफ में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव सातवीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में शामिल किया गया था और कुछ पदों के लिए मंजूरी प्राप्त हो गई है।

6. उत्तम किस्म की निर्माण पद्धतियों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और उन्हें औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों में शामिल किया जाना चाहिए ।	प्रारूप नियम टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किए गए थे और प्राप्त हुई टिप्पणियों की जांच करने तथा औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के संशोधन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।
7. ऋण लाइसेंसिंग पद्धति को एक निश्चित अवधि में समाप्त किया जाना चाहिए ।	ऋण लाइसेंसिंग पद्धति के सम्बन्ध में औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों को हटाने करने के लिए अधिसूचना का प्रारूप टिप्पणियों के लिए प्रकाशित की जा रही है ।
8. आयातित औषधों की जांच करने के लिए बम्बई में एक प्रयोगशाला की स्थापना करना ।	बम्बई में एक प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव को व्यवहार्य नही पाया गया था । तथापि चिकित्सा सामग्री भंडार डिपू, महसूस की नैविकी प्रयोगशाला और पशु गृह को केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में स्थानान्तरित कर दिया गया है । बम्बई और मद्रास में आयातित औशधों को जांच करने के का को करने के लिए इसे पर्याप्त स्टाफ और उपकरण प्रदान करने होंगे ।

[हिन्दी]

गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा रेल लाइनों का निर्माण

3961. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई रेल लाइनों की आवश्यकता और तत्सम्बन्धी उनकी बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए गैर सरकारी संगठनों/कम्पनियों से रेल लाइनों के निर्माण करवाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) निजी संगठनों/कंपनियों द्वारा रेल लाइनों का निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, रेलें निजी ठेकेदारों की सेवाओं का उपभोग नयी रेल लाइनों के निर्माण कार्य की विभिन्न मदों का निष्पादन कराने के लिए करती हैं । ऐसी साइडिंगों जो विशिष्ट रूप से किसी एक उद्योग को सेवित करने के लिए अपेक्षित होती हैं, का निर्माण उपयोगकर्ता कम्पनी की लागत पर ही किया जाता है ।

[अनुवाद]

औषधि अनुसंधान

3962. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कुछ औषधियों के अनुसंधान कार्यों के मामले में पूर्णतः विकसित देशों के बराबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है: और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत की सामान्य स्वास्थ्य समास्याओं से सम्बन्धित क्लीनिकल. जानपदिकरोग विज्ञान तथा बुनियादी अनुसंधान से सम्बन्धित जीव चिकित्सा अनुसंधान के अधिकांश क्षेत्रों में देश स्वाबलम्बी है । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिपद जीव की योजना तैयार करने उसमें तालमेल बैठाने उसे बढ़ावा देने के लिए देश में एक शीर्षस्थ संस्था है, को छोड़, जीवचिकित्सा अनुसंधान के कार्य में लगी अन्य संस्थाएं हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जीव प्रौद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि/इसके अतिरिक्त, बंगलौर स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ सांइस जैसे प्रमुख-संस्थान हैं जो जीव चिरित्सा के अग्रज क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं ।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद वैज्ञामिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अन्य एजेन्सियों के अधीन कुछेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं को विकसित देशों में उपलब्ध सुविधाओं के समाज माना जा सकता है । इन प्रयोगशालाओं में से कुछ भारत-विदेश कार्यक्रमों के अधीन

विकसित देशों में ख्यातिप्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ मिल कर लाभदायक सहयोगी अनुसंधान भी कर रही हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के संस्थानों से संचारी रोगों के क्षेत्र में किए जा रहे उच्च कोटि के लक्ष्य प्रधान अ नुसंधान का उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनेक संस्थान गम्भीर रोगों की महामारियों के दौरान अनुसंधान परिक्षण करने के लिए पूर्णतया सुसजित हैं। कुपोषण, कैंसर, मानसिक विकारों दृष्टिहीनता आदि जैसे गैर संचारी रोगों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी न केवल रोग निदान और उपचार की सुविधाएं बल्कि ज्ञानवर्धन की सुविधाएं भी तैयार की गई हैं।

लेकिन भारत में मुख्य चुनौती है अत्यधिक सीमित संसाधनों के बावजूद अलग-अलग प्रतिस्पर्द्धा क्षेत्रों के बीच अनुसंधान प्रयासों की संतुलित करना, जो अधिकांश विकासशील देशों में हो रहे जीव चिकित्सीय अनुसंधान से जुड़ी हुई एक टेढ़ी समस्या है। ऐसा संतुलन प्राप्त करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कुछ वर्ष पूर्व आवश्यकता पर आधारित अनुसंधान की भावना को लेकर समय बद्ध, लक्ष्योन्मूखी "टास्क फोर्स" नीति तैयार की गई है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

"औद्योगिक एककों का बन्द होना"

3963. **श्री शांताराम नायक : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत औद्योगिक एककों को बन्द करने के नोटिस जारी किए हैं;

(ख) अन्ततः कितने औद्योगिक एकक बन्द किए गए हैं;

(ग) क्या अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक एकक अब भी इस अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रतिरोध कर रहे हैं; और

(च) औद्योगिक एककों द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपेक्षाओं का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत 64 औद्योगिक इकाईयों को बन्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

(ख) अभी तक किसी इकाई को बन्द नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के तहत, मानक निर्धारित किये हैं जिन्हें उद्योगों को अनुपालन करने की जरूरत है। दोषियों के मामलें में अधिनियम के उपबन्धों के मुताबिक कार्यवाही की जाती है।

प्रबन्ध विज्ञान विभाग की अनुसंधान परियोजनाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम

3964. **श्री मानिक रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के प्रबंध विज्ञान विभाग ने वर्ष 1985-86 के बाद से कोई अनुसंधान परियोजनाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं तो आरंभ किए गए अध्ययनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्या नाम हैं और अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों से प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक नोट विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन की आई० एन० डी०/एम० पी० एन/002 निधि की सहायता से भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वास्थ्य प्रबंध प्रशिक्षण की अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत 1985-86 से अब तक निम्नलिखित क्रियाकलाप चलाए गए :-

यह परियोजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1980 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान को दी गई थी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान प्रबंध विज्ञान, सांख्यिकीय और जनांककीय शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग के 5 संकाय सदस्यों और 3 अन्य संगठनों के नामत: भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद और बंगलौर, गांधी ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान का एक संघ गठित किया गया था। इस परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तथा उससे नीचे कार्य कर रहे स्वास्थ्य कार्मिकों की प्रबंध प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का निम्नलिखित चार विधियों से पता लगाया गया था :-

— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यकर्ताओं के विश्लेषण।

— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क स्वास्थ्य कार्मिकों के साथ साक्षात्कार।

— स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भागीदारी का अवलोकन।

— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की समस्याओं पर विचार-विमर्श तथा उनका हल ढूढ़ने के लिए सभी स्तरों पर स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए एक कार्यशाला।

प्रबंध प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लग जाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्य कर रहे चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य सहायकों (पुरुष और महिला), स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष और महिला), स्वास्थ्य गाइडों और प्रशिक्षित दाइयों के लिए प्रबंध प्रशिक्षण के अनेक मॉड्ल्यूस तैयार किए गए थे।

इन प्रशिक्षण मॉड्ल्यूस को तैयार करने का उद्देश्य उक्त स्वास्थ्य कार्मिकों के प्रबंध ज्ञान और कौशल में सुधार लाना था जिसके फलस्वरूप भारत प्राथमिक परिचर्या सुदृढ़ होगी।

परियोजना के अंतर्गत शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभिन्न मॉड्‌यूल्स के फील्ड परीक्षणों के लिए निम्नलिखित आजमाइशी पाठ्यक्रम चलाए गए।

आजमाइशी पाठ्यक्रमों की सूची

पाठ्यक्रम	स्थान	तारीख	भाग लेने वालों की संख्या
1. चिकित्सा अधिकारियों (प्रा० स्वा० केन्द्र) के प्रबंध प्रशिक्षण के लिए पहला आजमायशी पाठ्यक्रम	जनसंख्या केन्द्र लखनऊ	8-25 जनवरी, 85	31
2. चिकित्सा अधिकारियों (प्रा० स्वा० केन्द्र) के प्रबंध प्रशिक्षण के लिए दूसरा आजमायशी पाठ्यक्रम	गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण न्यास संस्थान	मार्च, 19 से 19 अप्रेल 1985	18
3. स्वास्थ्य सहायकों (पुरुष और महिला) के प्रबंध प्रशिक्षण के लिए पहला आजमायशी पाठ्यक्रम	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, शिमला	जून 10 से 22 जून, 85	27
4. स्वास्थ्य सहायकों (पुरुष और महिला) के प्रबंध प्रशिक्षण के लिए दूसरा आजमायशी पाठ्यक्रम	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र से बंगलौर	जुलाई 22 से 3 अगस्त, 85	24
5. स्वास्थ्य कार्मिक (पुरुष और महिला) के प्रबंध प्रशिक्षण के लिए पहला आजमायशी पाठ्यक्रम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा० के०) लेचारस, जिला ब्रोच गुजरात राज्य	28 अक्तूबर से 2 नव०, 85	20

1	2	3	4
6. स्वास्थ्य कार्मिक (पुरुष और महिला) के प्रबंध प्रशिक्षण के लिए दूसरा आजमायशी पाठ्यक्रम	बैंवेपुर ग्रामीण अस्पताल 24 परगना, पश्चिम बंगाल	14-16 नव०, 1985	25
7. स्वास्थ्य गाइडों और दाइयों के प्रबंध प्रशिक्षण के लिए पहला आजमायशी पाठ्यक्रम	प्रा०स्वा०केन्द्र, पाटन मध्य प्रदेश	25 फरवरी से 2 मार्च, 86	20 स्वा० गाइड 20 दाइयां
8. स्वास्थ्य गाइड़ों और दाइयों के प्रबंध प्रशिक्षण के लिए दूसरा आजमायशी पाठ्यक्रम	प्रा०स्वा० केन्द्र, टुण्डला उ०प्र०	14 अप्रैल से 19 अप्रैल, 86	20 स्वा० गाइड 20 दाइयां

प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त सहायक सामग्री के आधार पर/आजमाइयशी पाठ्यक्रम चलाने के बाद इन मॉड्ल्यूस को अन्तिम रूप दिया गया, इन्हें संपादित किया गया और छपवाया गया। चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य सहायकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रबंध प्रशिक्षण मॉड्ल्यूस छपवाए गए हैं। ये मॉड्ल्यूस देश के सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, मेडिकल कालेजों को भेजे गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से ये मॉड्ल्यूस एस०ई०ए०आर०ओ० देशों को भी भेजे गए थे। स्वास्थ्य गाइडों और दाइयों के प्रबंध प्रशिक्षण मॉड्ल्यूस को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

इन मॉड्ल्यूों के बनाए जाने की काफी प्रशंसा हुई है और इनकी अधिक मांग हो रही है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रबन्ध प्रशिक्षण माडयूल्स तैयार करना

चिकित्सा अधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य कर्मिकों के लिए मॉडयूल तैयार करने के अलावा यह महसूस करते हुए कि जिला तथा इसके ऊपर के स्तर पर कार्य कर रहे स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए ऐसे ही प्रशिक्षण माडयूल किए जाने की जरूरत है, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण माडयूल विकसित किए गए है।

अपेक्षित प्रबंध-प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को कार्य अवलोकन, सहयोगी विचार-विमर्श, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साक्षात्कार कार्यशाला तरीकों आदि जैसी चार विधियों से निर्धारित किया गया था। निर्धारित जरूरतों के आधार पर प्रबन्ध प्रशिक्षण माड़यूल विकसित किए गये थे।

जिला अधिकारियों के प्रबन्ध प्रशिक्षण के बारे में दो आजमायशी पाठ्यक्रम आयोजित किए गये थे।

• (क) पहला पाठ्यक्रम दिसम्बर, 29, 1986 से जनवरी 13, 1987 तक जन स्वास्थ्य संख्या, नागपुर में आयोजित किया गया था। इसमें 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(ख) दूसरा पाठ्यक्रम 14 फरवरी, 1987 से 28 फरवरी, 1987 तक जनसंख्या केन्द्र लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसमें 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

दो आजमायशी पाठ्यक्रमों के आयोजन में प्रशिक्षण और प्रशिक्षाणार्थियों से प्राप्त सहायक सामग्री के आधार पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के माडयूल को मुद्रण हेतु प्रेस को भेजने के वास्ते अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

परियोजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा आयोजित कर्मशाला

4. राज्य और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रबन्ध विकास एवं कार्य योजना कार्यशालाए

इन कार्यशालाओं का प्रमुख उद्देश्य वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को आवश्यक ज्ञान एवं विकास प्रबंध संबंधी विशेषज्ञताएं प्रदान करना था। इन कार्यशालाओं का उद्देश्यविभिन्न स्तरों पर प्रबंधकीय आवश्यकताओं के बारे में उन्हें विषय परिदायक जानकारी देना, जिले की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का मूल्यांकन करने में उनकी सहायता करना, समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक प्रवीणता प्राप्त करना है।

विभिन्न राज्यों के राज्य और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए निम्नलिखित कार्यशालाएं आयोजित की गई थी :-

	राज्य	स्थान	तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
1.	मध्य प्रदेश	भोपाल	20 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1985	26
2.	गुजरात	गांधीनगर	4-9 नवम्बर, 1985	26
3.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	9-14 दिसम्बर, 1985	30
4.	आन्ध्रप्रदेश	हैदराबाद	27 जनवरी, 1986 से फरवरी, 1, 1986	30
5.	उत्तर पूर्वी राज्य	इमफाल	17-21 जून, 1986	23
6.	बिहार	पटना	23-27 जून, 1986	10
7.	हिमाचल प्रदेश	मनाली	27-31 अक्तूबर, 1986	19
8.	राजस्थान	उदयपुर	2-6 जून, 1987	17
	राज्य और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए अनुवर्ती कार्यशालाएं			
9.	मध्य प्रदेश	भोपाल	4-7 मई, 1987	16
10.	बिहार	पटना	18-21 मई, 1987	8
11.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	25-28 मई, 1987	10

(ख) माडयूल प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यशालाएं आयोजित करना

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा इसके नीचे के स्तर पर कार्य कर रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करने के फलस्वरूप माडयूल प्रशिक्षण के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के की टूबरों को विषय संबंधी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई जिससे कि वे योजना बनाकर ब्लाक स्तर पर कर्मचारियों के लिए माडयूलर प्रशिक्षण का आयोजन कर सकें।

अब तक तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई :—

कार्यशाला	स्थान	तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
प्रथम कार्यशाला	गांधी ग्राम इंस्टूट्यूट आफ रूरल हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट	18-23 दिसम्बर, 1986	21
दूसरी कार्यशाला	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलौर	16-19 जून, 1987	28
तीसरी कार्यशाला	जनसंख्या केन्द्र, लखनऊ	21-25 सितम्बर, 1987	29

चौथी कार्यशाला 20 नवम्बर, 4 दिसम्बर, 1987 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर में आयोजित की जा रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं आर्गेनोग्राम के राज्य प्रोफाइल्स तैयार करना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य प्रोफाइल्स तैयार करने तथा राज्यों में मौजूद संगठनात्मक पैटर्न का अध्ययन करने के लिए यह अनुसंधान अध्ययन इस संस्थान को सौंपा है क्योंकि राज्यों का स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी संगठन का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग है। अपेक्षित सूचना एकत्र करने के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया गया था और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे इसे भरकर निर्धारित समय के भीतर भेज दें।

इक्कीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने : इन सब बावली और आर्गेनोग्राम को वापस किया उपलब्ध सामग्री को कम्प्यूटर में भरा गया जिससे जब भी आवश्यकता पड़े राज्य प्रोफाइल्स संबंधी सूचना उपलब्ध हो सकती है।

विभाग द्वारा आयोजित किये गये नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम

पाठ्यक्रम	तारीख	प्रतिभागियों की संख्या
1. अस्पताल में सामग्री प्रबन्ध पर 18 वां पाठ्यक्रम	जुलाई 16-26, 1987	20
2. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों से संबंधित संभार-तंत्र और सामग्री प्रबंध पर चौथा पाठ्यक्रम	फरवरी, 19 से मार्च, 1, 1986	14
3. अस्पतालों में सामग्री प्रबंध पर 19 वां पाठ्यक्रम	मई, 12-22, 1986	36
4. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों के लिए संभार तंत्र और सामग्री प्रबंध पर तीसरा पाठ्यक्रम	जनवरी 19-30, 1987	26
5. अस्पतालों में सामग्री प्रबंध संबंधी बीसवां पाठ्यक्रम	मई, 11-12, 1987	35
6. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों के बारे में संभार तंत्र और सामग्री प्रबंध पर चौथा पाठ्यक्रम	दिसम्बर 9 से 18 दिसम्बर, 1987 तक आयोजित किया जाने वाला है।	7

केन्द्रीय विद्यालय संगठन पदों का सृजन

3965. **श्री राज कुमार राय :**

चौधरी रहीम खां :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पदों का सृजन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पदों का ब्यौरा क्या है, जो चालू वित्तीय-सत्र में इन मानदंडों का उल्लंघन करके बनाए गए हैं; और

(घ) इनमें से प्रत्येक मामले में ऐसा करने का क्या औचित्य था ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नही ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालयों में पदों की मंजूरी के लिए पद्धति संलग्न विवरण में दी गई है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त को विद्यालयों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण कार्यक्रमों के लिए अध्यापन पदों की मंजूरी के लिए अधिकार दिया गया है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) में तथा इसके प्रादेशिक कार्यालयों में पदों का सृजन इस मामले में संबंधित भारत सरकार की नीति के अनुसार किया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय की स्टाफ संख्या को निर्धारित करने की पद्धति

क: शिक्षण स्टाफ

1. **प्राइमरी विभाग : बिना हैडमास्टर के**

(क) प्राइमरी शिक्षकों की संख्या (संगीत शिक्षक के एक पद सहित)

$$= \frac{(\text{कक्षा 1 से 5 में सेक्शनों की संख्या}) \times 48}{36} =$$

स्पष्टीकरण:

(1) यहां प्रति सप्ताह प्रति कक्षा पीरियडों की संख्या 48 है अर्थात् 8 पीरियड प्रतिदिन; और

(2) प्राइमरी शिक्षक प्रति सप्ताह 36 पीरियड लेता है ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्राइमरी शिक्षकों की संख्या (संगीत शिक्षक के एक पद सहित)

$$\frac{\text{हैडमास्टर सहित : (सेक्शनों की संख्या} \times 48(-16}{36}$$

एच०एम०
पी०आर०टी०
एम०टी०

(ग) **पर्यवेक्षक स्टाफ (हैडमास्टर)**

इनके विद्यालयों को हैडमास्टर का एक पद दिया जाना चाहिए जो निम्नलिखित शर्तों में से एक को पूरी करते हों :

1. जहां प्राइमरी तथा माध्यमिक दोनों विभाग हों तथा कुल दाखिला 700 रु० अधिक हो;

2. जहां प्राइमरी कक्षाएं मुख्य स्कूल से दूर एक अलग भवन में स्थित हो अथवा अलग पारी में कार्य कर रहा हो।

(हैडमास्टर पर्यवेक्षक के रूप में अपने कार्यों के अलावा एक सप्ताह में केवल 16 पीरियड लेगा)

(घ) **उदाहरण:**

(क) यदि एक केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा I से V में 10 सैक्शन है जो कि उपरलिखित शर्तों के आधार पर हैडमास्टर के पद के पात्र नहीं हैं, अतः एक संगीत शिक्षक सहित प्राइमरी शिक्षकों की संख्या 10 x 48/36=40/3=13 दिन 12 प्राइमरी शिक्षक तथा 01 संगीत शिक्षक।

(ख) उपरोक्त (क) और (ख) के अनुसार एक केन्द्रीय विद्यालय में यदि कक्षा I से V तक 10 सैंक्शन है तो एक हैडमास्टर तथा संगीत शिक्षक सहित पी०आर०टी० की संख्या निम्नलिखित प्रकार से निकाली जाएगी।

पीयिर्डो की कुल संख्या	: 10 x 48 x 480	पी०आर०टी० 12
हैडमास्टर के पीरियड (साप्ताहिक)	: (—) = 16	एस०एस० = 01
		संगीत शिक्षक = 01
		14

प्राइमरी शिक्षकों की
कुल संख्या : = 464-36=13

ii. मिडिल तथा माध्यमिक विभाग :

—कक्षाएं Vi से Viii —प्रति सप्ताह पीरियडों की संख्या (50) x सैकशनों की संख्या ———

—कक्षाएं ix से x —प्रति सप्ताह पीरियडों की संख्या (66) x सैकशनों कीं संख्या ———

कुल (II) :

iii. सीनियर माध्यमिक विभाग :

पीरियडों की कुल संख्या : पीरियड

—कक्षाएं xi से xii

विज्ञान	* ————	x सेकशनों की संख्या	————
मानवता	* ————	x सैकशनों की संख्या	————
वाणिज्य	* ————	x सैकशनों की संख्या	————
	कुल (iii)		"(x)"

*विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों के लिए विशिष्ट सम्बंधित विषय के संबंध में अपेक्षित पीरियडों की संख्या को दर्शाता है।

पीरियड निम्नलिखित तरीके से आंके जाएंगे :

(क) टाईप स्कूल (कक्षा xi अथवा xii में 20 से कम छात्र)

संयोजन (विज्ञान विषय)	पीरियड	
अंग्रेजी कोर	08	
गणित	09	
भौतिकी	09 (व्यावहारिक के लिए 4 पीरियडों सहित)	
रसायन शास्त्र	09 —वही—	
जीव विज्ञान	09 —वही—	
सी०सी०ए० आदि	12	54
हिन्दी कोर	06	
अंग्रेजी वैकल्पित	09	
हिन्दी वैकल्पित	09	24=78

(ख) टाईप II स्कूल (कक्षा xi अटया vii में 20 से अधिक छात्र)

संयोजन विज्ञान विषय	पीरियड
अंग्रेजी कोर	06
गणित	09
भौतिकी	13 (व्यावहारिक के लिए 4 अतिरिक्त पीरियडों सहित)
रसायन शास्त्र	13 —वही—

जीव विज्ञान	13	
सी०सी०ए० आदि	12	66
हिन्दी कोर	06	
अंग्रेजी वैकल्पिक	09	
हिन्दी वैकल्पिक	09	24=90

(ग) टाईप iii स्कूल (एक विषय में 20 छात्रों से कम)

(1/2 विज्ञान + 1/2 मानवता)

संयोजन (विज्ञान तथा मानवता विषय) पीरियड

अंग्रेजी कोर	06	
भौतिकी	09 (व्यावहारिक के लिए 4 पीरियडों सहित)	
रसायन शास्त्र	09	
जीव बिज्ञान	09	
हिन्दी कोर/गणित	15	48
अर्थ शास्त्र	09	
भूगोल	09	
इतिहास	09	
हिन्दी/अंग्रेजी वैकल्पिक	18	45 = 105
सी०सी०ए० आदि	12	12

(घ) टाईप iV स्कूल :

संयोजन (मानवता अथवा वाणिज्य अथवा दोनों) पीरियड

हिन्दी कोर/अंग्रेजी कोर	12	
अर्थ शास्त्र	09	
भूगोल	09	
इतिहास	09	
अंग्रेजी/हिन्दी वैकल्पिक	18	57
सी०सी०ए० आदि	12	12
		69

वाणिज्य विषय :

वाणिज्य के सिद्धान्त तथा व्यवहार्य	09	
उच्च लेखे के सिद्धान्त तथा व्यवहार्य	09	
अर्थशास्त्र	09	
गणित	09	
हिन्दी कोर	09	
सी.सी.ए. आदि	12	54

पीरियड़ों का आंवटन

प्राधानाचार्य	11 x 1 = 11
उप प्रधानाचार्य	22 x 1 = 22
पी. जी. टी. (भाषा)	30 x =
पी. जी. टी. (अन्य)	33 x =
पी. ईटी.	33 x =
एस. यू. पी. डब्ल्यू	33 x =
ड्राईंग शिक्षक	33 x =
ग्रह विज्ञान शिक्षक	33 x =
कुल योग	"(वाई)"

*उप प्रधानाचार्य-प्रभारी

प्रधानाचार्य केवल 11 पीरियड लेगा।
प्रिंसिपल के अलावा स्कूलों में कक्षा x में 1000
से अधिक दाखिले के लिए उप-प्रधानाचार्य का
एक पद दिया जाएगा।

अपेक्षित टी. जी. टी. की संख्या "एक्स — वाई" = $\frac{}{33}$

IV. योग शिक्षक :

केन्द्रीय विद्यालयों के लिए	योग शिक्षक
600 तक	01

601 से 1100	02
1101 और अधिक के दाखिले के लिए	03

x प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य

(प्रधानाचार्य, ग्रेड I. प्रधानाचार्य ग्रेड।। और पी. जी. टी. प्रभारी के पद को निम्नलिखित तरीके से संस्वीकृति किया जाता है :-

केन्द्रीय विद्यालय कक्षा	संस्वीकृत होने वाले पद
कक्षा IV तक	पी. जी. टी. प्रभारी
कक्षा VIII तक	प्रधानाचार्य ग्रेड II
कक्षा i x और उससे ऊपर तक	प्रधानाचार्य ग्रेड I

1. हैडमास्टर

प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य के पद के अलावा, उन केन्द्रीय विद्यालयों में हैडमास्टर के एक पद की व्यवस्था की जा सकती है जो अधोलिखित दो शर्तों में से किसी एक को पूरा करते हों :-

(क) उन केन्द्रीय विद्यालयों में जहां प्राइमरी और माध्यमिक विभाग दोनों हैं और जहां कुल दाखिले 700 से अधिक हैं ; अथवा

(ख) उन स्कूलों मे, जहां प्राइमरी कक्षाएं मुख्य स्कूल से दूर भवन में स्थित हैं अथवा एक भिन्न पाली में कार्यरतहैं।

x नोट: योग अध्यापकों के पद का सृजन/संस्वीकृति के लिए आवेदन ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों द्वार प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जिनके यहां योग अध्यापक के पद पहले संस्वीकृत नहीं हैं ।

Vii. शारीरिक शिक्षा अध्यापन के लिए मानदंड

	शा. शि. अ. की संख्या	x विशेष तौर पर से प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला
300 तक x	1	
301 से 600 तक	2	
601 से 900 तक और इससे आगे	3	

VIII. कक्षा-x तक के लिए स्नातकोत्तर अध्यापक

प्रत्येक स्कूल में कक्षा-x तक प्रदान किए जाने वाले स्नातकोत्तर शिक्षकों की संख्या की व्यवस्था निम्नलिखित तरीके से की जाती है ।

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में में कक्षा-1x तक — 01 स्नातकोत्तर भाषा-शिक्षक

(ख) केन्द्रीय विद्यालयो में कक्षा-x तक — 03 स्नातकोत्तर शिक्षक (भाषा, दो और गणित-एक)

(ख) अनुसचिवालीय और अन्य स्टाफ

1.x अनुसचिवालीय स्टाफ :

केद्रीय विद्यालयों में दाखिले सहित	अधीक्षक	हैड क्लर्क	प्रवर श्रेणी लिपिक	निम्न श्रेणी लिपिक
800 तक	—	—	4	1
801 से 1000 तक	—	—	1	2
1001 से 1600 तक	—	1	1	1
1601 से 2000 तक	—	1	2	2
2001 और इससे अधिक	1	—	3	3

x. पुस्तकाध्यक्ष :

कक्षा-VII और इसके ऊपर वाली कक्षाओं के स्कूलों में पुस्तकाध्यक्ष का एक पद है । शिक्षकों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं की परिकल्पना करते समय पुस्तकाध्यक्षों के पीरियडों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

xi. प्रयोगशाला सहायक परिचार :

प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए एक 1

xii वर्ग "घ" स्टाफ :

06 (पूर्ण स्कूल के लिए)

स्कूल के वास्तविक स्थान पर आधारित चौकीदार सफाई/कर्मचारियों के सम्बन्ध में अतिरिक्त अंशकालिक आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जा सकता है ।

तमिलनाडू के तटवर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण

3966. **श्री सी.के. कुप्पूस्वामी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय-भू-विज्ञान सर्वेक्षण ने तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज संसाधनों का कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उपर्युक्त क्षेत्र में उपलब्ध खनिज संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री **(श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क)** और (ख) जी हां । भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के खनिज स्रोतों का सर्वेक्षण करता रहा है । अब तक के सर्वेक्षणों के फलस्वरूप, 189.62 मिलियन टन चुनापत्थर (सभी ग्रेड), 3833 36 मिलियन टन लिग्नाइट, 0.68 मिलियन टन जस्ता-सीसा-तांबा अयस्क. 4.70 मिलियन टन इल्मेनाइट; रूटाइल-जिरकन और 1.02 मिलियन टन ग्रेफाइट (सभी ग्रेड) के भंडारों की पुष्टि हुई है ।

(ग) ज्ञात खनिज स्रोतों का विदोहन, उनकी प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता के आधार पर, विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा किया जाता है ।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए निर्धारित धनराशि

3967. **प्रो. के.बी. थामस :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल मे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशियां योजना वार आबंटित/रिलीज नहीं की जाती हैं, बल्कि प्रति वर्ष राज्यों द्वारा अनुमानित जरूरतों, उनकी स्वीकार्यता और वर्ष के लिए बजट में धनराशियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं । राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु धनराशियां पूरे राज्य के लिए दी जाती हैं । सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान केरल को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए दी गई धनराशियां नीचे दर्शाई गई हैं :-

	लाख रुपए
1985-86	856.23
1986-87	935.20
1987-88	1000.00 (आबंटन)

सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए विभिन्न उपशीर्षों के तहत रिलीज की गई धनराशियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(लाख रुपए)

	1985-86	1986-87	1987-88 (अब तक रिलीज)
साधारण मरम्मत	47.80	53.00	53.00

अवधिक मरम्मत	124.00	115.00	120.00
विशेष मरम्मत	17.38	11.96	10.00
बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत	62.14	**46.00**	**50.00**
शहरी सम्पर्क मार्ग	10.27	8.47	8.12

[हिन्दी]

सागर रेलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल

3968. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में सागर रेलवे स्टेशन के निकट रीगल लाज और अप्सरा टाकीज के बीच रेलवे लाइन के नीचे पहले से ही मौजूद निचले पुल के निकट एक ऊपरि पुल के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस ऊपरि पुल का अब तक निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस ऊपरि पुल का कब तक निर्माण किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) इस समय राज्य सरकार सागर में उपयुक्त स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने के प्रस्ताव की जांच कर रही है। रेलों को राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

धूम्र पान निषेध विधेयक

3969. **श्री के. रामचन्द्र रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धूम्र पान निषेध सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) यद्यपि धूम्रपान रोकने के लिए कानून बनाना संभव नहीं है फिर भी सरकार का धूम्रपान को बढ़ावा देने सम्बन्धी विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श करके एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता की जांच कराने का प्रस्ताव है।

फिलहाल धूम्रपान को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(क) सभी सिगरेट निर्माताओं को सिगरेट के प्रत्येक पैकेट/विज्ञापन तथा होर्डिंग पर एक सांविधिक चेतावनी लिखनी होती है कि "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।"

(2) यह निर्णय किया गया है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ऐसा कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं करेंगे जो धूम्रपान को बढ़ावा देता है।

(3) धूम्रपान की हानियों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य शिक्षण प्रचार जनप्रचार के सभी साधनों के माध्यम से किया जा रहा है।

(4) राज्य सरकारों ने सिनेमाघरों, बसों, शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों जैसे बन्द स्थानों पर धूम्रपान निषेध के लिए उपाय किए हैं।

कोरापुट-रायगडा रेल लाइन

3970. श्री हरिहर सोरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रायगडा-कोरापुट रेल लाइन का निर्माण पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उपरोक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) 18.12.1985 को कोरापुट-दामनजोड़ी खंड (20 कि० मी०) को साइडिंग के रूप में खोल दिया गया है। अक्तूबर, 1987 तक परियोजना के निर्माण की समग्र प्रगति 11 प्रतिशत है।

(ग) इस लाइन का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि लेखाओं का रख-रखाव

3971. चौधरी रहीम खां : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि लेखाओं के अनुचित रख-रखाव के बारे में भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के लेखों के वार्षिक विवरणों के देर से उपलब्ध होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विद्यालयों की संख्या बढ़ने, अंशदाताओं की संख्या बढ़ने और अंशदायी भविष्य निधि से सामान्य भविष्य निधि में व्यापक रूप से हुई अदला-बदली के कारण विलम्ब हुआ है।

(ग) बकाया कार्य को पूरा करने और कार्य को अद्यतन बनाने के लिए संगठन में एक सेल का गठन किया है।

मालाबार क्षेत्र में रेल सुविधायें

3972. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, विशेषकर मालाबार क्षेत्र के संसद सदस्यों ने मालाबार क्षेत्र में बेहतर और अधिक रेल सुविधायें प्रदान किये जाने के लिए एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी मांगें की गई हैं; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। उन्होंने हजरत निजामुद्दीन-मंगलोर मंगला एक्सप्रेस को पुनः चलाने, वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में बम्बई-मंगलोर स्लिप कोच पुनः लगाने, तिरूवनन्तपुरम-बंगलूर आईलैण्ड एक्सप्रेस को शोरूवण्णूर के रास्ते फिर से चलाने तथा वेनाड एक्सप्रेस में तिरूवनन्तपुरम-मंगलोर स्लिप कोच पुनः लगाने की मांग की है।

(ग) रेलों ने दिल्ली और दक्षिणी राज्यों की राजधानियों के बीच प्रतिदिन सुपरफास्ट गाड़ी चलाने की व्यवस्था करके तथा बम्बई/बिलासपुर और केरल के मालबार क्षेत्र के बीच बेहतर रेल सुविधाएं सुलभ कराकर गाड़ी सेवाओं का यौक्तिकीकरण किया है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग

3973. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) इस समय कितने रोगियों को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है;

(ग) तत्सम्बन्धी राज्य-वार प्रतिशत क्या है; और

(घ) चालू योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है और अब तक प्रदान की गई धनराशि में से प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि उपयोग की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 40 लाख।

(ख) और (ग) देश में अक्तूबर, 1987 के अन्त तक कुष्ठ रोगियों की संख्या 32.7 लाख दर्ज थी। कुष्ठ रोगियों, दर्ज कुष्ठ रोगियों तथा उपचार किए जा रहे कुष्ठ रोगियों की राज्यवार आंकलित संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 65.00 करोड़ रुपये नियत किये गए हैं। सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय तथा राज्यवार नियतन संलग्न **विवरण-II** में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन कुष्ठ रोगियों,
दर्ज रोगियों तथा उपचार किए जा रहे रोगियों की
राज्यवार अनुमानित संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित रोगी	दर्ज रोगियों की सं०	उपचार किए जा रहे रोगियों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	6.28	466652	465105
2. असम	0.15	19677	19316
3. अरूणाचल प्रदेश	0.01	1483	1483
4. बिहार	3.80	321598	284610
5. गोआ	0.05	5030	2413
6. गुजरात	1.00	71964	67649
7. हरियाणा	1.01	1187	1155
8. हिमाचल प्रदेश	0.07	4629	4619
9. जम्मू और कश्मीर	0.05	5362	4262
10. कर्नाटक	2 22	5822	5730
11. केरल	0.75	91482	76477
12. मध्य प्रदेश	1.20	161255	161247
13. महाराष्ट्र	4.00	333372	333372
14. मनीपुर	0.06	6152	3970
15. मेघालय	0.06	1573	1573
16. मिजोरम	0.01	549	516
17. नागालैंड	0.05	2312	2312
18. उड़ीसा	3.20	248974	246675
19. पंजाब	0.20	3257	3257
20. राजस्थान	0.10	17535	16111
21. सिक्किम	0.016	413	353
22. तमिलनाड	7.33	532590	460899
23. त्रिपुरा	0.10	3278	3069
24. उत्तर प्रदेश	4.20	478006	445814
25. पश्चिम बंगाल	4.30	318171	239866

1	2	3	4
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	1240	1207
27. चण्डीगढ़	—	541	447
28. दादरा और नगर हवेली	0.001	64	64
29. दिल्ली	0.01	10410	9226
30. लक्षद्वीव	0.01	343	343
31. पांडिचेरी	0.19	6711	4644
योग :	39.537	3277373	3017029

विवरण II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

बजट व्यवस्था और व्यय 1985-86

	संशोधित अनुमान 1985-86			भुगतान 1985-86			सूचित व्यय		
	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. आन्ध्र प्रदेश	132.00	80.00	212.00	180.44	80.00	260.44	214.31	80.00	294.31
2. असम	18.00	5.00	21.00	10.00	5.00	24.00	21.20	5.00	26.28
3. बिहार	26.00	38.00	64.00	17.00	38.00	55.00	23.12	38.00	61.12
4. गुजरात	43.00	21.00	64.31	38.00	21.31	59.31	28.27	21.31	49.58
5. हरियाणा	2.00	2.00	2.30	2.00	0.30	2.30	शून्य	0.30	0.30
6. हिमाचल प्रदेश	5.00	0.75	5.75	3.50	0.75	4.25	2.47	0.75	3.22
7. जम्मू व कश्मीर	2.50	1.00	3.50	2.00	1.00	3.00	अप्राप्त	1.00	1.00
8. कर्नाटक	40.00	30.00	70.00	40.00	36.00	70.00	91.11	30.00	121.11
9. केरल	11.00	8.00	19.00	17.25	8.00	25.25	17.711	8.00	25.71
10. मध्य प्रदेश	50.05	18.00	68.95	79.72	18.00	79.72	79.72	18.00	97.72
11. महाराष्ट्र	72.00	45.00	117.00	82.00	46.000	127.00	60.04	45.00	105.64
12. मणिपुर	5.00	0.50	5.50	10.09	0.50	10.59	1.02	0.50	1.52
13. मेघालय	2.50	0.50	3.00	1.50	0.50	2.00	1.34	0.50	1.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. नागालैण्ड	2.50	1.00	3.50	4.26	1.00	5.26	3.50	1.00	4.50
15. उड़ीसा	46.00	35.00	81.47	47.00	35.00	82.00	40.33	35.00	75.33
16. पंजाब	5.00	0.80	5.80	3.50	0.80	3.30	1.62	0.80	2.42
17. राजस्थान	27.00	6.00	33.00	27.00	6.00	33.00	32.60	6.00	38.60
18. सिक्किम	4.32	0.29	4.52	9.16	0.20	9.36	10.60	0.20	10.80
19. तमिलनाडु	77.00	70.00	147.00	58.00	70.00	128.00	75.67	70.00	145.67
20. त्रिपुरा	14.00	1.50	15.50	11.00	1.50	12.50	10.62	1.50	12.12
21. उत्तर प्रदेश	68.00	55.00	123.00	68.00	55.00	123.00	39.40	55.00	94.40
22. पश्चिम बंगाल	55.00	45.00	100.00	30.00	45.00	75.00	32.20	45.00	177.20
23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.20	0.32	4.52	7.90	0.32	8.22	9.70	0.32	8.22
24. अरुणाचल प्रदेश	5.00	0.40	5.40	2.50	0.40	2.90	5.10	0.40	5.50
25. चण्डीगढ़	शून्य	0.15	0.15	शून्य	0.15	0.15	शून्य	0.15	0.15
26. दादरा और नागर हवेली	शून्य	0.01	0.01	शून्य	0.01	0.01	शून्य	0.01	0.01
27. दिल्ली	12.45	0.45	12.45	2.73	0.45	3.18	2.73	0.45	3.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. गोवा	1.50	0.32	1.82	0.75	0.32	1.08	1.11	0.32	1.43
29. लक्षद्वीप	0.15	0.12	0.27	0.13	0.12	00.25	0.13	0.12	0.25
30. मिजोरम	0.90	0.45	1.35	0.44	0.45	0.89	0.83	0.45	1.28
31. पांडिचेरी	0.50	2·50	3.00	0.26	2.50	2.76	0.04	0.26	0.30
योग	731.02	469.28	1200.30	764.14	467·58	1231.72	805.37	467.58	1272.95
केन्द्रीय क्षेत्र	—	—	199.70	—	—	—	—	—	117.05
महायोग	—	—	1400.00	—	—	—	—	—	1390.00

विवरण II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

बजट व्यवस्था और व्यय 1986-87

	संशोधित अनुमान 1986-87			भुगतान 1986-87			सूचिय व्यय		
	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल	नकद	सामग्री	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. आन्ध्र प्रदेश	137.00	80.00	217.00	211.00	80.00	291.00	210.00	80.00	290.00
2. असम	18.00	5.00	23.00	18.00	5.00	23.00	31.11	5.00	36.11
3. बिहार	38.00	38.00	76.00	30.00	38.00	68.00	16.17	38.00	54.17
4. गुजरात	48.00	25.00	73.00	35.00	25.00	60.00	26.50	25.00	51.50
5. हरियाणा	2.00	81.00	3.00	1.50	81.00	82.50	—	1.00	81.00
6. हिमाचल प्रदेश	4.00	1.00	5.00	4.00	1.00	5.00	4.85	1.00	5.85
7. जम्मू और कश्मीर	2.50	0.50	3.00	1.20	0.50	1.70	एन०ए०	0.50	0.50
8. कर्नाटक	40.99	30.00	70.99	70.00	30.00	100.00	53.14	30.00	83.14
9. केरल	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	30.00	20.17	10.00	30.17
10. मध्य प्रदेश	40.26	10.00	50.29	40.00	10.00	50.00	26.73	10.00	36.73
11. महाराष्ट्र	73.00	50.00	123.00	50.00	50.00	100.00	40.39	50.00	90.39
12. मणिपुर	5.00	0.50	5.50	2.50	0.50	3.06	एन०ए०	0.50	0.50
13. मेघालय	2.50	1.00	3.50	1.26	1.00	2.26	0.23	1.00	1.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. नागालैण्ड	2.50	1.00	3.50	8.00	1.00	9.00	6.80	1.00	7.80
15. उड़ीसा	40.00	25.00	65.00	30.00	25.00	55.00	3.10	25·00	28.10
16. पंजाब	5.00	0.50	5.50	4.00	0.50	4.50	0.46	0.50	0.96
17. राजस्थान	18.00	5.00	23.00	18.00	5.00	23.00	44.44	5.00	49.44
18. सिक्किम	4.30	0.50	4.80	16.63	0.50	17.13	23.53	0.50	24.03
19. तमिलनाडु	81.00	65.00	146.00	86.00	65.00	151.00	60.18	65.00	125.18
20. त्रिपुरा	9.00	1.00	10.00	9.00	1.00	10.00	11.24	1·00	12.24
21. उत्तर प्रदेश	85.00	40.00	125.00	67.50	40.00	107.50	45.00	40.00	05.00
22. पश्चिमी बंगाल	43.00	30.00	73.00	40.00	30.00	70.00	75.73	30.00	105.90
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2.20	0.50	2.70	1.00	0.50	1.50	5.98	0.50	6.48
24. अरूणाचल प्रदेश	4.00	0.50	4.50	4.00	0.50	4.50	6.86	0.50	7 36
25. चण्डीगढ़	—	0.50	0.50	0.83	0.50	1.33	0.10	0.50	0.60
26. दादरा और नगर हवेली	—	0.50	0.50	निहल	0.50	0 50	0.01	0.50	0.51
27. दिल्ली	2.00	0.50	2.50	0 50	0.50	1 00	एन०ए०	0.50	0.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28. गोआ	1.50	0.50	2.00	0.87	0.50	1.37	1.13	0.50	1.63
29. लक्षद्वीप	0.15	3.00	3.15	0.15	3.00	3.15	एन०ए०	3.00	3.00
30. मिजोरम	0.50	1.00	1.90	2.00	1.00	3.00	5.14	1.00	6.14
31. पाण्डिचेरी	0.50	8.00	8.50	0.24	8.00	8.24	निल	8.00	8.00
कुल	720.33	435.00	1155.33	773.18	435.00	1208.18	118.99	435.00	1153.99
केन्द्रीय क्षेत्र	—	—	244.67	—	—	—	—	—	374.01
महायोग	—	—	1400.00	—	—	—	—	—	1528.00

[हिन्दी]

शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन

3974. **श्री लाला राम केन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने 5 सितम्बर, 1987 से कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के वेतनमान को 425-640 रु० से संशोधित करके 440-750 रु० कर दिया है;

(ख) क्या 5 सितम्बर, 1981 से पूर्व कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का सलेक्शन ग्रेड वेतनमान 600-750 रु० था ;

(ग) क्या कनिष्ठ शारीरिक अध्यापकों के सलेक्शन ग्रेड को भी 660-750 रु० से संशोधित करके 740-880 रु० कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो मंत्रालय ने 600-750 रु० के वेतनमान को संशोधित करके कौनसा वेतनमान दिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 5-9-1981 से पूर्व जूनियर शारीरिक शिक्षकों का प्रवरण ग्रेड का वेतनमान 600-750 रुपये था और सीनियर शारीरिक शिक्षकों का वेतनमान 740-880 रुपये था। जूनियर शारीरिक शिक्षकों के पदों का सीनियर शारीरिक शिक्षकों के पदो में स्तरोन्यन होने के परिणामस्वरूप जूनियर शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की वरीयता सामान्य नियमों के अनुसरण में एकीकृत संवर्ग में निर्धारित की गई थी। दो ग्रेडों को मिलाने के परिणामस्वरूप कुल संवर्ग के 20% पर निर्धारित प्रवरण ग्रेड की संख्या भी तदनुसार बढ़ गई। उन पी०ई०टी० को, जो संशोधित वरीयता के अनुसार इस 20% के कोटे में शामिल थे, उनको प्रवरण ग्रेड दिया गया था।

[अनुवाद]

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद में रिक्त पद

3975. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय, होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली में कर्मचारियों की पद-वार कुल मंजूर संख्या कितनी है ;

(ख) क्या परिषद में विभिन्न श्रेणियों में कई पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इतने लम्बे समय तक पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सभी रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) इस समय केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद में मंजूरशुदा कर्मचारियों की कुल संख्या 37 है। मंजूरशुदा पदों की एक सूची विवरण के रूप में दी गई है।

(ख) इस समय केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद में रिक्त पड़े हुए सूचित किए गए पदों की संख्या 10 है और वे इस प्रकार है :-

क्रम सं०	पद का नाम	पद (पदों) की संख्या
1.	मेडिकल निरीक्षक	1
2.	कार्यालय अधीक्षक	2
3.	हिन्दी अनुवादक	1
4.	अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक	1
5.	निम्न श्रेणी लिपिक	5
		योग: 10

(ग) और (घ) इस परिषद में इस समय रिक्त पड़े हुए 10 पदों के जो कारण सूचित किये गए हैं उनमें योग्य उम्मीदवार की अनुपलब्धता, भर्ती-नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए परिषद के कर्मचारियों की अपात्रता, पदधारी का अपने मूल कार्यालय में प्रत्यावर्तन, चयन किए गए उम्मीदवारों का कार्य-भार न संभालना रोजगार केन्द्रों द्वारा उम्मीदवारों को प्रायोजित करने में देरी, त्याग-पत्र और पदोन्नति शामिल हैं। बहरहाल व्यय में किफायत करने की दृष्टि से केवल अनिवार्य पदों को भरने के लिए इस परिषद द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद में रिक्त पदों के बारे में 3.12.1987 को दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3975 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित उपाबंध

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद में कर्मचारियों की मंजूरशुदा संख्या का पद-वार ब्यौरा इस प्रकार है :-

गैर-योजना

1.	सचिव एवं पंजीयक	1
2.	मेडिकल निरीक्षक	2
3.	सहायक सचिव	2 (एक प्रशासनिक और दूसरा तकनीकी)
4.	कार्यालय अधीक्षक	1
5.	अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक (वरिष्ठ आशुलिपिक)	1
6.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1

7.	वरिष्ठ लेखापाल	1
8.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1
9.	उच्च श्रेणी लिपिक	4
10.	निम्न श्रेणी लिपिक	7
11.	गेस्टेटनर आपरेटर	1
12.	दफ्तरी	1
13.	चपरासी	3
14.	चौकीदार	1
15.	सफाई वाला	1
	कुल	28

योजना :

1.	कार्यालय अधीक्षक	1
2.	उच्च श्रेणी लिपिक	2
3.	निम्न श्रेणी लिपिक	5
4.	चपरासी	1
	कुल	9

कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी द्वारा निर्यात किए गए लोहे अयस्क का मूल्य

3976. **श्री अरूण कुमार नेहरू :** क्या इस्पात और खान मंत्री कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी द्वारा लोह अयस्क के निर्यात के बारे में 12 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 801 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी ने वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के लोह अयस्क का निर्यात किया ;

(ख) किन देशों को लोह अयस्क का निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या कम्पनी के उत्पादों को दूसरे देशों को बेचने के लिए कोई एजेन्ट है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा सांद्रण तथा पेलेटों के रूप में निर्यातित लोह अयस्क की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	लोह अयस्क का रूप	निर्यातित मात्रा	निर्यात के मूल्य
		(लाख टन)	(करोड़ रुपये)
1984-85	सांद्रण	15.7	25.34
1985-86	सांद्रण	20.6	38.33
1986-87	(क) सांद्रण	33.6	57.37
	(ख) पैलेट	1.5	4.59

(ख) रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बहरीन, हालेण्ड, जापान, फ्रांस, चीन, यूगोस्लाविया तथा आस्ट्रेलिया को सांद्रण निर्यात किया गया था, जबकि हंगरी, पोलेण्ड और चीन को पेलेटों का निर्यात किया गया था।

(ग) एजेन्ट तीन देशों को लोह अयस्क सांद्रण/पेलेटों की बिक्री करने में ग्रस्त थे, जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	देश, जिसको निर्यात किया गया	एजेन्ट का नाम	एजेन्सी निविदा की अवधि
1.	जापान	मेसर्स खनिज तथा धातु व्यापार निगम, भारत	प्रत्येक वर्ष
2.	यूगोस्लाविया	—तदेव—	—तदेव—
3.	चीन	मेसर्स फिलिप ब्रदर्स हांगकांग	विशिष्ट निविदाओं के लिए

"औद्योगिक घरानों द्वारा परती भूमि का विकास"

3977. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ग्रामीण विकास फाउंडेशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि परती भूमि को, औद्योगिक घरानों की आवश्यकता वाले कच्चे माल को पैदा करने के लिए सुरक्षित रखा जाए ;

(ख) क्या सरकार ने सम्बद्ध सरकारों को दिये गये सुझाव में यह अनुरोध किया है कि कच्चा माल पैदा करने के प्रयोजन के लिए परती भूमि औद्योगिक घरानों को पट्टे पर दी जाये ;

(ग) राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों को सूचना दे दी गई है कि जहां तक वन क्षेत्रों का संबंध है, भारत सरकार. उद्योगों द्वारा स्वयं या संयुक्त क्षेत्र कार्यक्रम के रूप में पौधरोपण की कोई अनुमति नहीं देती है और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ऐसे किसी प्रयोजन हेतु किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा मंजूर नहीं किया जाएगा, जिसमें पट्टे पर अथवा संयुक्त क्षेत्र परियोजना के आधार पर स्वीकृति मांगी गई हो।

"पर्यावरण में प्रदूशण"

3978. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अब तक प्रत्येक राज्य में प्रदूषण फैलाने वाले कितने उद्योगों का पता लगाया गया है ;

(ख) इन उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) देश में औद्योगिक प्रदूषण के समाधान हेतु कौन से उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वर्ष 1984 के दौरान किए गए सर्वेक्षण में 4054 प्रदूषण औद्योगिक इकाइयों (बड़ी और मझोली) का पता लगाया गया था। इन इकाइयों का स्थान दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) की गई कार्यवाही में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) उद्योगों को निर्धारित बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों के पालन करने के लिए समयबद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित करने का निदेश दिया गया है।

(2) दोषी इकाइयों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है।

(ग) किये गये उपायो में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) नये उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त सूत्रबद्ध किए गए हैं ;

(2) आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूर करना अनिवार्य है।

(3) प्रदूषण उद्योगों हेतु न्यूनतम राष्ट्रीय मानक एवं उत्सर्जन सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इन मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए राज्य बोर्डों को सहायता देने के लिए कृत्यक बल स्थापित किए गए।

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपाए करने पर उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता था।

(5) पर्यावरणीय प्रदूषण के सभी पहलुओं को कवर करने वाला, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 जो एक व्यापक कानून है, को लागू किया गया है।

विवरण

केन्द्र और राज्य प्रदूषण बोर्डों द्वारा अभिनिर्धारित प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योग

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश	अभिनिर्धारित प्रदूषक उद्योगों की सं०
आन्ध्र प्रदेश	340
असम	20
बिहार	99
गुजरात	431
हरियाणा	297
हिमाचल प्रदेश	30
कर्नाटक	289
केरल	149
मध्य प्रदेश	195
महाराष्ट्र	810
उड़ीसा	115
पंजाब	136
राजस्थान	138
तमिलनाडु	306
उत्तर प्रदेश	253
पश्चिम बंगाल	333
केन्द्र शासित प्रदेश	
चंडीगढ़	14
दिल्ली	63
गोवा	20
पाण्डिचेरी	16
कुल	4054

मयूरभंज रेलवे स्टेशन पर सामान की लदाई/उतराई

3979. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मयूरभंज रेलवे स्टेशन पर सामान की लदाई/उतराई पर प्रतिबंध लगाया गया है,

(ख) क्या रेलवे को मयूरभंज रेलवे स्टेशन पर सामान की लदाई/उतराई पर लगाए गए प्रतिबंध संबंधी आदेशों में कुछ छूट देने के लिए मयूरभंज चेम्बर आफ कामर्स के सेक्रेटरी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) उड़ीसा में मयूरभंज नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर रेलवे के खानपान विभाग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3980. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के खानपान विभाग में दिल्ली/नई दिल्ली और संसद भवन की कैन्टीन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों की जांच हो गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी जांच में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या उनमें से सभी को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उत्तर रेलवे के खानपान विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पूरा आरक्षण कोटा भर दिया गया है और क्या उक्त विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी है ; और

(ङ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या में कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) उत्तर रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बुक स्टालों का आबंटन

3981. **श्री पी. कण्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में रेलवे स्टेशनों पर बेरोजगार स्नातकों को कितनी नई बुक स्टालें आवंटित की गई हैं ; और

(ख) सरकार इन रेलवे बुक स्टालों के संचालन हेतु सहकारी समितियां गठित करने के इच्छुक योग्य विक्रेताओं तथा पिछड़े वर्ग के विक्रेताओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) अठारह।

(ख) नीति के अनुसार, सभी नये बुक स्टाल ठेके बेरोजगार स्नातकों, उनकी साझेदारी एसोसिएशनों आदि और वास्तविक कामगारों तथा बेंडरों की सहकारी समितियों के लिए आरक्षित हैं।

"मध्य प्रदेश की प्ररियोजनाओं की पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति"

3982. **श्री पताप भानु शर्मा : क्या प्रर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रायसेन जिले की कुछ सिंचाई परियोजनाए पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति के लिए भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दी जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से पर्यावरणीय मंजूरी हेतु कोई सिंचाई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि को प्रयोग में लाने के लिए इस जिले के दो प्रस्ताव अर्थात उपरी पालकमति टैंक परियोजना एवं मोधा सिंचाई टैंक परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी हेतु इस मंत्रालय को क्रमशः जनवरी और मार्च, 1987 में प्राप्त हुए हैं। चुंकि प्ररियोजना प्रस्तावकों द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी, अतः इस मंत्रालय द्वारा मामलों को बंद कर दिया गया है।

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक तथा गैर-शिक्षक कर्मचारी और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

3983. **श्री गंगा राम : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक सहायता प्राप्त स्कूल में प्रशिक्षित स्नातक, प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों तथा अन्य गैर-शिक्षक कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन स्कूलों में प्रत्येक श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा भरा गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार इन स्कूलों को 95 प्रतिशत सहायता दे रही है; इन स्कूलों के प्रबन्ध पर कोई नियंत्रण रखा जा रहा है जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित पदों का कोटा भरा जा सके;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सरकारी आरक्षण नीति का कार्यान्वयन न करने वाले और आरक्षित कोटों को पूरा न भरने वाले

स्कूलों को 95 प्रतिशत सहायता देना बन्द करने का प्रस्ताव है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सोनीपत में सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकृत चिकित्सा परिचारियों की नियुक्ति

3984. **श्री सिद्ध लाल मुरमू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकृत चिकित्सा परिचारियों की नियुक्ति के बारे में 13 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2674 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनीपत में अधिकृत चिकित्सा परिचारियों की नियुक्ति के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) अधिकृत चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए सोनीपत स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ (पंजीकृत) द्वारा प्रस्तावित चिकित्सा व्यवसायियों के संबंध में चरित्र जांच संबंधी रिपोर्टों की संबंधित प्राधिकारियों से प्रतीक्षा की जा रही है ।

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) जिले में केन्द्रीय विद्यालय

3985. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने विद्यालयों में शिक्षकों के लिए सरकारी आवास हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक विद्यालय का अपना परिसर और भवन है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण करने संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में छः केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों के स्थान तथा इन स्कूलों में स्टाफ क्वार्टरों की संख्या नीचे दी गई है :

	स्थान का नाम	स्टाफ क्वार्टरों की संख्या
(I)	नं० 1 कलाई कुंडा	19
(II)	भ० प्रो० स० खड़गपुर	15
(III)	आई० ओ० सी० टाउनशिप हल्दिया	02

(IV)	नं० 2 कलाई कुंडा	07
(V)	रेलवे पुनर्वास खड़गपुर	01
(VI)	ए० एफ० एस० साल्वा	07

नं० 1 कलाई कुंडा, भा० प्रौ० स० खड़गपुर और आई० ओ० सी० टाउनशिप, हल्दिया स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के अपने परिसर और भवन हैं। बकाया स्कूलों के अपने भवन नहीं हैं। इन स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य कुछ समयावधि में चरणबद्ध तरीके में आरम्भ किया जाएगा। मिदनापुर जिले में इन तीनों स्कूलों का निर्माण कार्य यथा समय पर आरम्भ किया जाएगा, जो नीधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सीमेंट के निर्माण में कोक ब्रिज मिश्रित कोक आदि का प्रयोग

3986. **श्री दिनेश गोस्वामी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों में उपलब्ध कोक ब्रीज/मिश्रित कोक/अपशिष्ट/सामग्री के स्टाक की क्या स्थिति है ;

(ख) विभिन्न औद्योगिक प्रयोगों हेतु कोक ब्रीज/मिश्रित कोक के निपटान की क्या प्रक्रिया है ;

(ग) क्या उक्त अपशिष्ट सामग्री का व लघु संयंत्रों में सीमेंट के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ;

(घ) क्या इस्पात संयंत्रों को छोटे और अत्यन्त छोटे सीमेंट संयंत्रों की प्रमुख आवश्यकता को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है ताकि कोक ब्रीज/मिश्रित कोक न मिलने के कारण उन्हें बन्द होने/सीमेंट का उत्पादन बन्द होने से बचाया जा सके ;

(ङ) भविष्य में कोक ब्रीज/मिश्रित कोक की कितनी मात्रा उपलब्ध होने का अनुमान है ; और

(च) क्या भारी लागत को देखते हुए लघु सीमेंट संयंत्रों के कोक प्राप्त करने की स्थिति में न होने के कारण इस्ताप संयंत्रों को रेक द्वारा कोक मंगाने की सलाह दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) 1 नवम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार सेल के कारखानों में कोक ब्रीज/मिश्रित कोक का स्टाक 9.63 लाख टन था, जबकि दानेदार धातुमल (स्लेग) का स्टाक 0.4 लाख टन था।

(ख) विभिन्न औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु कोक ब्रीज/मिश्रित कोक की बिक्री के ढंग में कोई भिन्नता नहीं है। इस सामग्री की बिक्री या तो इस्पात कारखानों की मूल्यन समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्यों पर या पहले आओ, पहले पाओ आधार पर अथवा निविदाओं के आधार पर की जाती है ;

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं। इसकी बिक्री सभी इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए खुली है।

(ङ) अनुमान है कि वर्ष 1994-95 तक सेल के एकीकृत इस्पात कारखानों में लगभग 1.0 लाख टन तक कुल कोक ब्रीज का उत्पादन होगा और लगभग 14 लाख टन तक मिश्रित कोक का उत्पादन होने लगेगा।

(च) लघु सीमेंट कारखानों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और उन्हें सलाह दी गयी है कि वे सड़क अथवा रेल मार्ग से कोक ब्रीज की खरीद के लिए सेल से सम्पर्क करें।

निरक्षरता को समाप्त करने के लिए व्यय की गई धनराशि

3987. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :**
श्री उत्तमभाई ह० पटल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात द्वारा निरक्षरता को समाप्त करने पर कितनी धन-राशि व्यय की गई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु 500 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस राशि में से कितनी धनराशि गुजरात में खर्च करने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए गुजरात को 4.64 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों को 79.22 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र में गुजरात के लिए 2.73 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों के लिए 55.55 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा हाल ही में तैयार की गई राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत यह अनुमान लगाया गया है कि सातवी योजना के चालू और शेष दो वर्षों अर्थात 1987-1990 के लिए 550 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। केन्द्रीय क्षेत्र में 1987-88 के लिए योजनागत बजट में 75.50 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। अगले दो वर्षों के लिए किये जाने वाले आबंटन के सम्बन्ध में अभी निर्णय लिया जाना है।

भारतीय भाषाओं सम्बन्धी केन्द्रीय संस्थान द्वारा स्वीकृत पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए तेलगु पाठ्य-पुस्तक

3988. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्य-क्रम (प्रथम वर्ष) की तेलुगु पाठ्य-पुस्तक को भारतीय भाषाओं सम्बन्धी केन्द्रीय संस्थान द्वारा स्वीकृत किया गया था ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि "सती सुलोचन" पाठ में सती प्रथा का चित्रण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि ऐसी कहानियों को पाठ्य-पुस्तकों में शामिल न किया जाए जिनसे युवा-विचारों के दूषित होने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

राजस्थान के लिये पानी के टैंकर

3989. श्री **शान्ति धारीवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के उन गांवों तथा क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का संकट है, पीने के पानी की पूर्ति के लिए रेलवे टैंकरों का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो राज्य के कौन-कौन से स्थानों के लिए पीने के पानी की पूर्ति के लिए सरकार ने रेलवे के टैंकरों का प्रबन्ध किया है और इस कार्य के लिए रोज औसतन कितने टैंकर उपलब्ध कराये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि टैंकरों की संख्या अभी भी वास्तविक आवश्यकता से कम है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इनकी संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार के परामर्श से ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में चलते फिरते पुस्तकालय

3990. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने चलते फिरते पुस्तकालय हैं ।

(ख) क्या नार्थ और साउथ एवन्यू में यह पुस्तकालय नहीं जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में चलते फिरते पुस्तकालयों के आने का समय निर्धारित करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली (केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायक अनुदानों के माध्यम से पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन) द्वारा इस समय दो चलते-फिरते पुस्तकालय चलाए जा रहे हैं।

(ख) जी, हां। ये पुस्तकालय नार्थ और साउथ एवेन्यू में नहीं जाते हैं।

(ग) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को चलते-फिरते पुस्तकालयों के सम्बन्ध में इन क्षेत्रों के निवासियों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

"भारत के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट"

3991. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार भारत 1960-1984 के बीच सर्वाधिक विपदा प्रवण देशों में से एक था ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम ने अन्य कौन-कौन से मुद्दों पर रिपोर्ट दी है ;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने पर्यावरण की स्थिति पर अपनी रिपोर्टों में अन्य देशों के साथ-साथ भारत की पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि निम्नीकरण, मरूस्थलीकरण, वननाशन, जल के लिए बढ़ती हुई मांग, सूखा और बाढ़, जल गुणवत्ता का निम्नीकरण, खतरनाक रसायनों के काम में बचाव समस्याओं तथा जनसंख्या विस्फोट जो देश को विपदाग्रस्त बना देते हैं, का उल्लेख किया है।

2. भारत सरकार ने पर्यावरण को सुधारने और देश के विपदाग्रस्तता को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं :-

(1) सरकार ने प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद की स्थापना की है और बुद्धिसंगत भूमि उपयोग एवं संरक्षण के लिए एक नीति तैयार की है। नदी घाटी परियोजनाओं में भूमि संरक्षण और बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समन्वित जल संभर प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य भूमि और मिट्टी का प्रभावी संरक्षण करना है।

(2) अभिनिर्धारित क्षेत्रों में मरूस्थलीकरण के नियंत्रण के लिए सरकार के मरूभूमि विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(3) वननाशन को रोकने के लिए वनों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं और कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वनरोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश की परती भूमि पर वन लगाने के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

(4) भारत सरकार ने वारबन्दी पद्धति के जरिये सिंचित क्षेत्रों में जल सरक्षण स्कीमें और जल एकत्रण अवसरचना के जरिए विभिन्न नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में जल संरक्षण की स्कीमें आरम्भ की हैं।

(5) देश के विभिन्न क्षेत्रों में सूखे की प्रवणता को गहन भूमि और वनरोपण गतिविधियों एवं जल संरक्षण के द्वारा और सतही और भूमिगत जल के उपयोग के जरिए कम करने की मांग की गई है। बाढ़ों की बारम्बारता को इंजीनियरिंग अवसंरचनाओं जैसे बांध तथा भूमि संरक्षण और नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में संरक्षण और वनरोपण के जरिए रोका जाए।

(6) जल की गुणवत्ता को विभिन्न उद्योगों के बहिस्रावों के लिए मानकों को अधिसूचित करके तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत उनको लागू करके सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। गंगा कार्य योजना को भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी की सफाई के लिए 290 करोड़ रुपये की लागत से आरम्भ किया गया है।

(7) रसायनिक दुर्घटनाओं के निवारण एवं नियंत्रण के लिए एक प्रबन्ध अवसंरचना देश में आरम्भ की गई है।

(8) भारत की जनसंख्या समस्या को समग्र स्वास्थ्य देख-रेख पद्धति के एक भाग के रूप में सतत् परिवार कल्याण स्कीमों के जरिए हल किया जा रहा है।

3. ऊपर उल्लिखित उपायों के अतिरिक्त, सरकार ने देश की पर्यावरणीय समस्याओं के हल के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में सतत् विकास की धारणा समन्वित है। विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरणीय विषयों के समेकन का प्रभावमूल्यांकन और सभी विकास क्षेत्रों के लिए सुरक्षापायों के निर्धारण के जरिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

(2) पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य से समन्वित पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन 1985 में किया गया था। इसे विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों और पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के समन्वय का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सरकार को देश की समग्र पारिस्थिति की सन्तुलन से संबंधित विकास के बुरे प्रभावों को देखने के लिए पर्याप्त अधिकार है।

(3) वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण को देश में विभिन्न विशेषीकृत एजेंसियों, संकटापन्न प्रजातियों के अभिनिर्धारण, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना, जीवमंडल रिजर्वों आदि द्वारा सर्वेक्षणों की एक पद्धति के सृजन के जरिए किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय तौर पर कमजोर क्षेत्र जैसे कच्छ वनस्पतियां और नम भूमि का अध्ययन किया जा रहा है ताकि संरक्षण योजनाएं तैयार की जा सकें।

(4) वनों और वन्यजीवों के संरक्षण को विशेष रूप से सर्वेक्षण, उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों और सुरक्षित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की श्रृखला के जरिए देखा जाता है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए इस समय एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(5) देश में वनस्पति आवरण का, सामाजिक वानिकी के माध्यम से व्यापक वनरोपण कार्यक्रम द्वारा पुनरूद्धार किया जाता है। देश में निम्नीकृत क्षेत्रों के पारि-पुनर्जनन को गैर-सरकारी संगठनों, भूतपूर्व सैनिकों, युवाओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की भागीदारी के जरिए हाल में बढ़ावा दिया गया।

(6) पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की सुरक्षा को जल और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमों फैक्ट्री अधिनियम कीटनाशी (इन्सेक्टिसाइड) अधिनियमों और हाल ही में बनाए गए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 जैसे कानूनों के कार्यान्वयन के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है।

(7) पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए जन सहयोग, पर्यावरणीय जागरूकता और एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता अभियान के जरिए पर्यावरणीय निम्नीकरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना के प्रसार के जरिए जुटाया जाता है।

(8) पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास को देश में बढ़ावा दिया जाता है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तकनीकी जनशक्ति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

"तेलुगु गंगा परियोजना"

3992. श्री एच० ए० डोरा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलुगू गंगा परियोजना की स्वीकृति के लिए अपेक्षित सभी जानकारी भेज दी थी; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना को कब स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) बेदखलियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में सन्तोषजनक स्कीम को छोड़कर सभी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी गई है।

(ख) पर्यावरण/वानिकी दृष्टि से परियोजना की मंजूरी पुनर्वास की सन्तोषजनक स्कीम को तैयार करने पर निर्भर करती।

"मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति"

3993. **श्री मानकू राम सोढी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बस्तर जिले के लिए पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति देने के लिए हाल में प्रस्तुत की गई सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मध्य प्रदेश के बस्तर जिले से पर्यावरणीय अथवा वानिकी के दृष्टिकोण से मंजूरी हेतु फिलहाल कोई सिंचाई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है ।

[हिन्दी]

मास्को में भारत महोत्सव पर खर्च की गई धनराशि

3994. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) मास्को में आयोजित भारत महोत्सव पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) इस महोत्सव में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री से कुल कितनी आय हुई; और

(ग) इस महोत्सव की प्र मुख उपलब्धियां क्या हैं ?

शिक्षा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सोवियत संघ में भारत महोत्सव इस समय सोवियत संघ में आयोजित किया जा रहा है । सोवियत संघ में भारत महोत्सव पर 10-11-1987 तक लगभग 5.7 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है ।

(ख) सोवियत संघ में भारत महोत्सव के दौरात प्रकाशनों/वस्तुओं की बिक्री से लगभग 4.5 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है ।

(ग) सोवियत संघ में भारत महोत्सव से भारतीय सांस्कृतिक विरासत और इसके समकालीन विकास तथा उपलब्धियों के बारे में जागरूकता पैदा हुई है । यह भारत और सोवियत संघ के बीच विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक आदान-प्रदानों के लिए और स्थाई आधार पर अवसर प्रदान करने में सहायक होगा । यह औद्योगिक, आर्थिक विकास तथा औद्योगिक सहयोग के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा इससे विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा मिलेगा ।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में एड्स के मामले

3995. **श्री टी० बाल गौड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में एड्स के अनेक मामलों का पता लगा है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने पिछले छः महीनों के दौरान मामलों का पता लगाने के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का आन्ध्र प्रदेश में एड्स के मामलों का पता लगाये जाने की प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए एक दल भेजने का प्रस्ताव है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में अन्य कौन से बचाव उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश से अब तक मिली सूचना के अनुसार एड्स का एक पूर्ण विकसित रोगी है और आन्ध्र प्रदेश के 3 निगरानी केन्द्रों में 15-11-1987 तक एड्स संक्रमण की जांच करने के लिए अधिक खतरे वाले समूहों में 980 व्यक्तियों की जांच की गई थी। जिनमें से एक विदेशी छात्र में एड्स संक्रमण बताया गया है।

(ग) चुंकि राज्य में पहले ही आधारभूत ढांचा मौजूद है, इसलिए कोई दल भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं :-

(1) देश में एड्स नियंत्रण कार्यकलापों में तालमेल रखने के लिए स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय में एक सैल खोला गया है।

(2) इस रोग के अत्यधिक खतरे वाले वर्ग के लोगों की जांच करने के लिए देश में 36 निगरानी केन्द्र खोले गए हैं।

(3) इन सभी केन्द्रों में नैदानिक अभिकर्मक उपलब्ध किए गए हैं और इनमें से अधिकांश केन्द्रों में उपकरण पैकेज भी उपलब्ध किए गए हैं।

(4) एड्स क्लीयरेंस का प्रमाण-पत्र बिना रक्त और रक्त उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(5) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालों/एल०टी०डी० क्लीनिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दे दी गई है।

(6) सभी रक्त बैंकों को हिदायतें दी गई हैं कि वे पेशेवर रक्तदाताओं की जांच करें।

(7) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अस्पतालों और कलिनिकों में निर्जीवाणुकरण की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें और जहां तक संभव हो पूर्व निर्जीवाणुकरण डिस्पोनेबल सिरिंजों का इस्तेमाल करें।

(8) स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं।

(9) एड्स रोग, इसकी प्रकति, संचरण और और रोकथाम के बारे में लोंगो को जानकारी देने के लिए जनप्रचार के सभी माध्यमों को शामिल किया गया है।

10. **विदेशी**

(I) किसी भी भारतीय संस्थान में दाखिल किए जा रहे किसी भी नए विदेशी छात्र को एड्स का टैस्ट कराना आवश्यक है। यदि किसी भी छात्र में एड्स पाया जाता है तो उसे उसके देश वापिस भेज दिया जाता है।

(II) यह निर्णय किया गया है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए एड्स जांच की जाए। बहरहाल राजनयिक शिष्टामण्डल के सदस्यों और विदेशी पत्रकारो को इस समय एड्स टैस्ट की छूट होगी। जो भी एड्स से पीड़ित पाया जाएगा उसे उसके देश वापिस भेज दिया जाएगा।

रेलवे भूमि पर अनधिकृत कब्जा

3996. **श्री उत्तम भाई ह. पटेल :**
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं ने बालसर, राजकोट तथा गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, बम्बई के अन्य अनेक भागों में पश्चिम, मध्य और उत्तर रेलवे के अंतर्गत रेलवे भूमि तथा सम्पत्तियों को अनधिकृत रूप में कब्जा करके हथिया लिया है,

(ख) यदि हां, तो इन अनधिकृत कब्जों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां,। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और बम्बई में रेलवे भूमि पर बहुत अधिक संख्या में अतिक्रमण हुए हैं।

(ख) अतिक्रमणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

रेलवे	राज्य	अतिक्रमणों की संख्या
उत्तर	राजस्थान	89
	गुजरात	1
	दिल्ली	7125
मध्य	बम्बई	15586
पश्चिमी	गुजरात	74
	राजस्थान	116
	बम्बई	3903

(ग) अतिक्रमणों को हटाने के लिए सम्पदा अधिकारियों के न्यायालय में सरकारी स्थान) अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। ऐसे कुछ मामलों में, जिनमें विवाद का निपटान नहीं होता है, न्यायालय में आवेदन-पत्र दायर किये जाते हैं।

पोषक आहार योजना

3997. **श्री आर० अण्णानम्बी :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू में मुख्य मंत्री की "पोषक आहार योजना" की तरह पूरे देश में एक पोषक आहार योजना शुरू करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोलम्बियां, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देशों ने यह योजना अपनायी है ; और

(ग) यह योजना कब तक आरम्भ की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) विभिन्न देशो द्वारा ऐसे कार्यक्रम को अपनाए जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी"

3998. **श्री सी. माधव रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास आन्ध्र प्रदेश की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं को किन कारणों से मंजूरी नहीं दी गई है ; और

(ग) मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई सारी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् सामान्य रूप से परियोजना को कितने समय में मंजूरी दे दी जाती है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में **राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी)** : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश की तीन परियोजनाएं अर्थातः तेलगु गंगा, श्रीसेलम राइट बांच कैनाल और श्रीराम सागर चरण-1 पर्यावरणीय मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं क्योंकि मंत्रालय को अभी पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध कराये जाने हैं ।

(ग) प्रत्येक परियोजना को पूर्ण अपेक्षित ब्यौरों के प्राप्त होने के तीन माह की अधिकतम अवधि के भीतर मंजूर कर दिया जाता है ।

रेलवे लाइनों को जोड़ना

3999. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे लाइनों को जोड़ने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ख) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अति आवश्यक रेल लाइनें बिछाने के कार्य में तेजी लाने के लिये मिट्टी डालने का प्रारम्भिक कार्य सम्बन्धित राज्य सरकार को सौंपने और रेलवे लाइनों को जोड़ने सम्बन्धी कार्य का विभाजन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) नयी लाइनों को जोड़ने की गति संसाधनों के आवंटन के अनुरूप हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन

4000. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि** :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में देश में क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन का प्रचार करने और उन्हें बढ़ावा देने हेतु हाल ही में कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को दूसरे राज्यों में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार के लिए उपाय करने हेतु आवश्यक धनराशि प्रदान करती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में **शिक्षा** तथा **संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रादेशिक भाषाओं का विकास और उनको प्रोत्साहित करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का काम है । तथापि, भारत सरकार आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित मैसूर स्थित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान तथा पटियाला सोलन, भुवनेश्वर, मैसूर, पुणे और लखनऊ स्थित इसके छः क्षेत्रीय भाषा केन्द्र अध्यापकों का प्रशिक्षण, सामाजिक भाषायी सर्वेक्षण, साहित्य का निर्माण, प्रादेशिक भाषाओं के शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों आदि को चलाते हैं । संस्थान ने उन प्रौढ़ों के लिए चार दक्षिण भारतीय भाषाओं में पूरी लम्बाई के कैसेट-पाठ्यक्रम तैयार किये हैं । जो दूसरी अथवा तीसरी भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषा पढ़ रहे हैं । चालू वर्ष के दौरान बंगाली, असमी और उर्दू में भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे । भाषा शिक्षण में सुधार करने के लिए तमिल, मलयालम, बंगाली और असमी में पहली भाषा के अध्यापकों के लिए हस्त पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं ।

(ग) जी. नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कुष्ठ रोगियों की अधिकता वाले जिले

4001. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पता लगाए गए कुल रोगियों की अधिकता वाले जिलों का क्या नाम है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान केरल में क्विलोन जिले में पूर्वी घाटी के साथ वाले पहाड़ी आदिवासियों और वापनाड़ कुष्ठरोगियों की अधिक संख्या जो कि राज्य के औसत से कई गुना अधिक है, की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ग) क्या उन जिलों को पहले ही अधिक स्थापित रोग जिले के रूप में घोषित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन जिलों को अधिक स्थानिक रोग जिले के रूप में घोषित करने और उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) मार्च 1985 तक देश में कुष्ठ स्थानिकमारी वाले 201 जिलों का पता लगाया गया है। जिलों की सूची विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) केरल राज्य के 14 जिलों में से 10 जिलों में प्रति हजार जनसख्या के पीछे व्यापकता दर 5 से अधिक हैं और इन्हें स्थानिकमारी वाले जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन 10 जिलों में से 2 जिलों में व्यापकता दर प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 10 है और इन्हें उच्च स्थानिकमारी वाले जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब 8 जिले जिनमें व्यापकता दर प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 5 से 10 के बीच भिन्न-भिन्न है साधारण स्थानिकमारी वाले जिले हैं। कोल्लम जिला इस बाद वाली क्षेणी में आता है राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार नए बनाए गए वायनाड जिले में व्यापकता दर प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 3 है जो निम्न स्थानिकमारी वाले जिलों की श्रेणी में आता है। व्यापकता दर का हिसाब लगाने की इकाई एक जिला है और न कि उसका एक भाग। वायनाड और कोल्लम जिलों में पहाड़ी जनजातियों के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

इन जिलों में राष्ट्रीय कुष्ठ उनमूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाये गये आधारभूत ढांचे और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत उपलब्ध आधारभूत ढांचे के माध्यम से चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। इन जिलों को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से कुष्ठ रोगी औषधें उपलब्ध की जाती हैं।

विवरण

भारत में उच्च स्थानिकमारी वाले जिलों की राज्यवार सूची

क्र. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 10 और इससे अधिक व्यापकता दर वाले जिलों के नाम	प्रति हजार जनसंख्या के पीछे 5 से लेकर 9.9 तक की व्यापकता दर वाले जिलों के नाम
1.	2.	3.	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1· श्रीकाकुलम	1. एदिलावाद
		2. विजयनागर	2. हैदराबाद
		3. विशाखापटनम	3. खम्माम
		4. पुर्वी गोदावरी	4. कृष्णा

1	2	3	4
		5. पश्चिम गोदावरी	5. महबूबनगर
		6. नैलोर	6. निजामाबाद
		7. चित्तूर	7. प्रकाशम
		8. करीम नगर	8. रंगारेड्डी
		9. बारांगल	
		10. नालगोंडा	
		11. मेडक	
		12. कुरनूल	
		13. आनन्तपुर	
		14. गुंटूर	
		15. कुडप्पा	
2.	असम		1. कर्बी पंगलोंग
3.	बिहार	1. पटना	1. गया
		2. नवादा	2. औरंगाबाद
		3. पूर्णिया	3. गिरीदीह
		4. सिवान	4. भागलपुर
		5. सीसागढ़ी	5. मुंगेर
		6. दरभंगा	6. बेगुसराए
		7. मधुबनी	8. गोपाल गंज
		8. कटिहार	8. डूमका (संथालपी)
		9. मुजफ्फरपुर	9. नालंदा
		10. रोहतास	10. हजारीबाग
		11- सिंघभूम	11. पश्चिमी चम्पारण
4.	गुजरात		1. वलसाड
			2. सूरत
			3. डंगज
			4. बडोच
			5. वडोदरा
			6. पंच महल
5.	कर्नाटक	1. रायचूर	1. बेल्लारी
		2. बिदार	2. गुलबर्गा

1	2	3	4
			3. मैसूर
			4. बीजापुर
			5. धारवाड़
			6. बेलगाम
6.	केरल	1. केसरगोडे	1. त्रिवेन्द्रम
		2. पालघाट	2. एलेप्पी
			3. त्रिचूर
			4. मालाप्पुरम
			5. कोनीकोडे
			6, केन्नानोर
			7. क्योलोन
			8. एर्नाकुलम
7.	मध्य प्रदेश ,	1. रायगढ़	1. रायपुर
			2. रीवा
			3. दातिया
			4. विलासपुर
			5. बखानी
			6. दुर्ग
			7. धार
			8. बस्तर
			9. छत्तर पुर
			10. राजनन्द गांव
			11. ग्वालियर
			12. रतलाम
			13. छिन्दवाड़ा
			14. भिंड
			15. खण्डवा (पूर्वीनियार)
			16. शाहडोल
8-	महाराष्ट्र	1. ग्रेटर बंम्दई	1. थाणे
		2. बर्धा	2. रायगढ़
		3. लेटूर	3. सतारा
		4. गाडूची रोली	4. शोलापुर

1	2	3	4
		5. नंदेड़	5. प्रभानी
		6. उस्मानाबाद	6. बीड
		7. चन्द्रपुर	7. अकोला
			8. अमरावती
			9, यवतमालवा
			10. नागपुर
			11. भंडारा
			12. बुलढाना
9.	मणिपुर		1. बिशनपुर
			2. तमेंगलोंग
			3. टेंगानाउपल
10.	नागालैंड	1. मोन	1. तेनसांग
			2. रेगानाउपल
11.	उड़ीसा	1. गंजम	1. क्योंझर
		2. बलसौर	2. कोरापूत
		3. कट्टक	3. कालाहांडी
		4. धैंकान्ली	4. फूलबानी
		5. पुरी	5. सुन्दरगढ
		6. मयूरगंज	
		7. सम्बलपुर	
		8. बालांगीर	
12.	सिक्किम		1. पूर्वी जिला
			2. दक्षिणी जिला
			3. उत्तरी जिला
			4. पश्चिमी जिला
13.	तमिलनाडु	1. चिंग्रलापुट	1. कोयम्बटूर
		2. नार्थ आरकोट	2. तिरुनेलवेली
		3. साउथ आरकोट	3. कन्याकुमारी
		4. सालेम	
		5. धर्मपुरी	
		6. मदुरै	
		7. तंजावर	

1	2	3	4
		8. तिरूचिरापल्ली	
		9, रामनाथपुरम	
		10. पुडडूकोटाई	
		11. पेरियार	
		12. मद्रास	
14.	त्रिपुरा		1. नार्थ त्रिपुरा
			2. साउथ त्रिपुरा
15.	उत्तर प्रदेश	1. हारदोई	1. रामपुर
		2. पीलिभीत	2. उत्तरकाशी
		3. सीतापुर	3. आजमगढ़
		4. टिहरी	4. बस्ती
		5. फैजाबाद	5. बदायू
		6. कानपुर	6. बांदा
			7. बलिया
			8. बाराबंकी
			9. बहराइच
			10. बरेली
			11. इटावा
			12. फतेहपुर
			13. गाजीपुर
			14. गोंडा
			15. गोरखपुर
			16. हमीरपुर
			17. जलौन
			18. वाराणसी
			19. देवरिया
			20. रायबरेली
			21. शाहजहांपुर
			22. उन्नाव
			23. मिरजापुर
			24. लखनऊ
16.	पश्चिम बंगाल	1. पुरुलिया	1. हावड़ा

1	2	3	4
		2. बांकुरा	2. हुगली
		3. मिदनापुर	3. मालदा
		4. बीरभूम	4. कुच बिहार
		5. वर्दवान	5. मुरशीदाबाद
		6. जलपाईगुड़ी	6. नादिया
		7. वेस्ट दीनाजपुर	7. 24 परगना
			8. दार्जिलिंग
			9. कलकत्ता
17.	अरूणाचल		1. सियांग वैस्ट
			2. तिराप
			3. सियांग ईस्ट
18.	गोवा, दमन व दीव		1. गोवा
			2. दमण
			3. दीव
19.	लक्षद्वीप	1. लक्षद्वीप	
20.	पांडिचेरी		
20.	पांडिचेरी	1. पांडिचेरी	
		2. एनम	
		3. कैरेकल	

[हिन्दी]

रेल प्रौद्योगिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

4002. **श्री मदन पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1987 में रेल प्रौद्योगिकी विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन मामलों पर चर्चा की गई ; और

(ग) उपर्युक्त सम्मेलन में लिये गये निर्णयों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत में ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

श्रीनगर-लेह राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

4003. **श्री पी० नामग्याल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर लेह राजमार्ग के आर्थिक, पर्यटन और सामरिक महत्व को देखते हुए सरकार का इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) कतिपय प्राथमिकताओं के कारण जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर-लेह सड़क को इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर पाना संभव नहीं है ।

मद्रास में द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली

4004. **श्री पी० कुलनदईवेलू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली की स्थापना में पांच वर्ष का और विलम्ब किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं । यह सही नहीं है कि व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना में 5 वर्ष का विलम्ब किया जा रहा है । इसके विपरीत इस परियोजना पर धन की उपलब्धता के अनुरूप संतोषजनक ढंग से प्रगति हो रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अब तक 23.75 करोड़ रुपये आबंटित किये जा चुके हैं जिसमें 1987-88 के लिए 9 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

शिक्षकों की शिक्षा के लिए राज्यों को धन राशि प्रदान करना

4005. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षकों की शिक्षा के लिए वर्ष 1987-88 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही कितनी धनराशि वितरित की गई ; और

(ख) उड़ीसा को कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है तथा उसे कितनी धनराशि दी जा चुकी है और इस धनराशि का किस प्रकार व्यय किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) शिक्षक शिक्षा की पुनः संरचना और उसके पुनर्गठन की योजना के लिए वर्ष

1987-88 के लिए 49.90 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1987-88 के दौरान रा०शै०अनु०प्र०परि० के माध्यम से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अब तक 10,88,67,000/-रु० की राशि मुक्त की गई है।

(ख) स्कूल शिक्षकों के जन-अनुस्थापन की कार्य आरम्भ करने के लिए उड़ीसा सरकार को वर्ष 1987-88 के दौरान रा०शै०अनु०प्र०परि० के माध्यम से अब तक 50, 64,628/-रु० की राशि मुक्त की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य को और राशि मुक्त करना मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अनुसरण में परियोजना प्रस्तावों के प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

पंचारत्न-गुवाहाटी रेलवे लाइन

4006. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंचारतन से गुवाहाटी तक रेलवे लाइन के लिए स्वीकृति दी गई थी और गुवाहाटी की ओर से प्रारम्भिक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को अब तक प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल-एवं-सड़क पुल सहित पंचरत्न से गुवाहाटी तक (142 कि.मी.) नयी बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य 1983-84 में अनुमोदित कर दिया गया था। इसकी अनुमानित लागत 232.42 करोड़ रुपये है; जिसमें जल, भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा वहन किये जाने वाले 61.4 करोड़ रुपये शामिल हैं। मार्च, 1987 तक किया गया खर्च 2.43 करोड़ रुपये है तथा 1987-88 के लिए आबंटन की राशि 8 करोड़ रु० है जिसमें पूर्वोत्तर परिषद और जल, भूतल परिवहन मंत्रालय का अंशदान भी शामिल है। नयी लाइन के लिए अजरा-मिरज खंड में 10 कि.मी. के एक टुकड़े में मिट्टी सम्बन्धी काम शुरू कर दिया गया है तथा रेल-एवं-सड़क पुल का निर्माण शुरू करने के लिए प्रारम्भिक प्रबन्ध कर लिये गये हैं।

लौह अयस्क के भण्डार

4007. **श्री अमल दत्ता** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लोह अयस्क के कितने भण्डार हैं ;

(ख) इन भण्डारों में से वाणिज्यिक तौर पर कितनी मात्रा में लोह अयस्क निकाला जा सकता है ; और

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितना लौह अयस्क निकाला जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा तैयार की गयी खनिजों की सूची के अनुसार लोह अयस्क के कुल अनुमानित भंडार निम्नानुसार हैं :-

राज्य	लोह् अयस्क के अनुमानित भंडार
	(मिलियन टनों में)
आन्ध्र प्रदेश	256
बिहार	3,572
गोआ	884
कर्नाटक	6,337
मध्य प्रदेश	2,470
महाराष्ट्र	225
उड़ीसा	3,123
राजस्थान	15
असम	49
हरियाणा	8
केरल	88
नागालैण्ड	10
तमिलनाडु	531
कुल	17,568

लगभग 17-1/2 बिलियन टन

(ख) देश में अनुमानित भंडारों का लगभग 85 प्रतिशत भाग प्राप्ति योग्य समझा गया है। तथापि, वास्तविक प्राप्ति प्रत्येक खान की अलग-अलग होती है और यह संबंधित भंडारों के स्वरूप तथा खनिज विधि पर निर्भर करती है।

(ग) वर्ष 1984, 1985 तथा 1986 के दौरान देश में लोह् अयस्क का उत्पादन क्रमशः 42.3, 44.1 तथा 50.6 मिलियन टन था। वर्ष 1986 के दौरान राज्यवार उत्पादन निम्नानुसार था :-

राज्य	वर्ष 1986 में उत्पादित लोह् अयस्क
	(मात्रा हजार टनों में)
आन्ध्र प्रदेश	170
बिहार	7,425
कर्नाटक	8,860
गोआ	15.245

मध्य प्रदेश		9,779
महाराष्ट्र		1,336
उड़ीसा		7,770
राजस्थान		35
	कुल	50,620

50.6 मिलियन टन

नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति

4008. **श्री ए० चार्ल्स :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की राज्य सरकार के स्कूलों तथा गैर-सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति पर अथवा स्थायी आधार पर नियुक्ति की गई है और दोनों श्रेणियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए वेतनमान निर्धारित किया गया है ;

(ग) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए शिक्षकों को कितना प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाता है ; और

(घ) क्या कतिपय मामलों में इन शिक्षकों को नवोदय विद्यालय मे शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतनमान से भी कम वेतन दिया जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नवोदय विद्यालयों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति राज्य सरकार के स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों में से की जाती है, परन्तु यह नियुक्तियां स्थायी आधार पर नहीं की जातीं। 31 मई, 1987 की यथा-स्थिति के अनुसार दोनों वर्गों की संख्या 348 थी।

(ख) जी, हां।

(ग) (i) जब स्थानान्तरण उसी केन्द्र में होता है तो 5 प्रतिशत कर्मचारियों का मूल्य वेतन अधिकतम 250/- रुपये प्रति माह तक होता है।

(ii) अन्य सभी मामलों में 10 प्रतिशत कर्मचारियों का मूल वेतन अधिकतम 500/- रुपये प्रतिमाह तक होता है।

(घ) जी हां,। कुछ मामलों में एफ०आर० 35 के प्रावधानों को लागू किया जाता है और प्रति नियुक्ति पर पद पर काम करने वाले के वेतनमान में न्यूनतम पर वेतन निर्धारित किया जाता हैं।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा विदेश भेजे गए छात्र

4009. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विदेश भेजे गये छात्रों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनके अनुसंधान के हेतु प्रस्तावित विषयों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और प्रत्येक छात्र को विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

,,सिंचाई परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी"

4010. **श्री एस. जी. घोलप** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यदि वन विभाग को आरक्षित वन भूमि के बराबर बैकल्कि भूमि आवंटित करा दी जाये तो आरक्षित वन भूमि को सिंचाई परियोजना हेतु उपलब्ध कराया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वन भूमि के बराबर गैर-वन भूमि की व्यवस्था करना उन शर्तों में से एक है जिनको सामान्यतया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति दिए जाने से पूर्व पूरा करना होता है। अन्य पहलुओं पर भी विचार किया जाता है।

(ख) प्रतिपूरक वनरोपण के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं :

(i) जहां गैर-वन भूमि उपलब्ध हैं, वहां गैर वन भूमि के बराबर क्षेत्र पर वनरोपण किया जाए।

(ii) जहां गैर-वन भूमि उपलब्ध नहीं हैं, वहां वन-भूमि के गैर-वन उपयोग में लाए गए क्षेत्र के दुगुनी अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौधरोपण की जाए।

(iii) जहां गैर वन उपयोग में लाई गयी वन भूमि की तुलना में गैर वन भूमि कम उपलब्ध हो, वहां इस कमी को कमी वाले क्षेत्र के दुगुने क्षेत्र के बराबर अवक्रमित वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण करके पूरा किया जाए।

रेलवे कर्मचारियों को मकानों का आबंटन

4011. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों और उनके आश्रितो को मकानों के आबंटन सम्बन्धी नियम क्या है;

(ख) क्या इन नियमों में, सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मकान में उनके उन रिश्तेदारों के रहने का प्रावधान है जो रेलवे में कार्यरत हैं और उनके साथ वर्षो से रह रहे हैं तथा उन्होंने मकान किराया भत्ता नहीं लिया है, यदि हां, तो उनके लिए मकान आवंटित करने के मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि धनबाद में पूर्वो रेलवे में रेलवे कर्मचारियों के कई रिश्तेदारों को, जो इस समय रेलवे में कार्यरत हैं और सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ रह रहे थे, को इन नियमों/शर्तों का समान रूप से पालन किये बिना वही मकान आवंटित किया गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) निम्नलिखित को आवास आबंटित किया जाता है :-

(1) रेल कर्मचारियों को जो उनके द्वारा आवास के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्र के पंजीकरण की तारीख पर आधारित होता है; और

(2) मृत/सेवानिवृत्त/डाक्टरी आधार पर अक्षम, कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर तथा निर्धारित नियमों के अनुसार, बशर्ते कि उपयुक्त टाइप का आवास उपलब्ध हो ।

(ख) जी हां । जब कोई रेल कर्मचारी, जिसे आवास आबंटित किया गया है सेवानिवृत्त होता है, तो उसके पात्र आश्रित सम्बन्धी को बिना बारी के रेलवे आवास आबंटित किया जा सकता है बशर्ते कि उक्त सम्बन्धी रेलवे आवास के लिए पात्र रेल कर्मचारी हो और सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से कम से कम छः महीने पहले से उसके साथ रह रहा हो, आदि ।

(ग) कोई मामला नोटिस में नहीं आया है । तथापि, यदि कोई विशिष्ट मामला नोटिस में लाया जाये तो उसकी जांच की जायेगी ।

"तटवर्ती क्षेत्रों पर अवैध कब्जा"

4012. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, समुद्र तट के जल से 500 मीटर तक के क्षेत्र को स्वच्छ रखने संबंधी सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करके उड़ीसा में कोणार्क से गोपालपुर तक बंगाल की खाड़ी के समुद्र तटीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा किये जाने के मामलों के बारे में कोई जानकारी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का सांविधिक आधार पर इस प्रकार के निर्देश देने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि समुद्री तट पर अवैध अथवा वैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध काननी कार्यवाही की जा सके, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नागपुर जिले में पीलिया रोग का व्यापक रूप से फैलना

4013. **श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में पीलिया रोग के मामलों की संख्या हाल में बहुत बढ़ गई हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का नागपुर जिले में पीलिया रोग फैलने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए वहां एक केन्द्रीय दल भेजने का विचार है: और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का और क्या सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) महाराष्ट्र सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रिलायंस कप मैच में भारत की क्रिकेट टीम का प्रदर्शन

4014. **श्री डी॰ तुलसी राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिलायंस कप के सेमीफाइनल मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की पराजय के कारणों की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट देने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नही ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

"नदियों का प्रदूषण"

4015. **श्री पी.एम. सईद :** क्या **पर्यावरण और** वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की उन नदियों की संख्या कितनी है जिनको साफ करने की कार्यवाही योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई और इस कार्य के लिए अनुमानतः कुल कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) बड़ी नदियों का सफाई कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गंगा नदी की सफाई हेतु केन्द्रीय सरकार की कार्य योजना प्रगति पर है । मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नर्मदा नदी की सफाई के लिए एक स्कीम को स्वीकृति दी है ।

(ख) गंगा कार्य योजना के निष्पादक अभिकरणों को वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित 48.50 करोड़ रुपये और सातवीं योजना अवधि के लिए निर्धारित 240.00 करोड़ रुपये में से 31 अक्तूबर, 1987 तक मुक्त की गई राशि 17.03 करोड़ रुपये हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 427.93 लाख रुपये का प्रावधान किया है और चालू वर्ष के दौरान 35.77 लाख रुपये खर्च किए हैं।......

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रमों के प्रमुख कार्यों के सातवीं योजना के अन्त तक पूर्ण होने की उम्मीद है।

बस्तर (मध्य प्रदेश) के आदिवासी क्षेत्रों में पेचिश से लोगों की मृत्यु

4016. श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में पेचिश से अनेक लोग मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो हर वर्ष इस रोग के फैलने के क्या कारण हैं;

(ग) 1984 से अब तक बस्तर के इस आदिवासी क्षेत्र में इस रोग से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(घ) सरकार ने इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, बस्तर जिला, जगदाल ने सूचित किया है कि आदिवासियों के बीच रक्त पेचिश और खतरे तथा जठरान्त्रशोथ विकारों में हुई मौतों की सूचना मिली है जो इस प्रकार है :-

वर्ष	मौतों की संख्या
1985	25
1986	77
1987 (अक्तूबर तक)	178

ये रोग मुख्य रूप से कम निजी सफाई, पीने का साफ पानी उपलब्ध न होने, और मानव के मल के अव्यवस्थित निपटान के कारण फैलते हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारें मौतों को न होने देने के लिए तथा इन रोगों के नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय/कदम उठा रही हैं।

भारत सरकार ने देश में गंभीर अतिसार रोगों को रोकने के लिए ओ०आर०टी० कार्यक्रम चलाया है जिसका सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गंभीर पेचिश रोगों से होने वाली रूग्णता और मौतों को कम करने के लिए क्रमिक रूप से विस्तार किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों औषधालयों और अस्पतालों में विशिष्ट उपचार उपलब्ध हैं जो रोगों को पैदा करने वाले जीव के

अनुसार होता है। कहीं से भी औषधों की कमी होने की सूचना नहीं मिली है। इस समस्या से ग्रस्त गावों में सातवीं योजनावधि के अन्त तक पीने के साफ पानी की सप्लाई करने पर बल दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय की भागीदारी से साफ-सुथरे शौचालयों का निर्माण करने के कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी प्रयासों में वृद्धि की जा रही है। सभी तरह के प्रकोपों की राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है और असुरक्षित पीने के पानी की सप्लाई को क्लोरीनीकृत किया जा रहा है।

स्कूल जाने से पूर्व की आयु वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं आदि जैसे असुरक्षित वर्गों के लिए अनेक पूरक पौषण कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं जो इस प्रकार है :-

(1) विशेष पौषण कार्यक्रम।

(2) भारी खुराक विटामिन "ए" कार्यक्रम।

(3) अल्प रक्तता बचाव कार्यक्रम।

(4) एकीकृत बाल विकास सेवाएं।

[हिन्दी]

बस परमिट जारी करने सम्बन्धी नीति को उदार बनाना

4017. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण शहरों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में परिवहन की समस्या से कारगर ढंग से निपटाने के लिए बस परमिट जारी करने सम्बन्धी नीति को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो नई नीति को लागू करने में क्या कठिनाईयां हैं और सरकार का इसे कब तक लागू करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सभी पात्र आवेदकों को गैर-राष्ट्रीयकृत रूटों पर प्रचालन के लिए स्टेज कैरेज परमिट दिए जाने और इस प्रकार संख्या-सीमा हटा देने का प्रावधान मोटरवाहन विधेयक, 1987 में शामिल कर दिया गया है जिसे संसद में पेश किया जा चुका है।

[अनुवाद]

बाल-शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन

4018. **श्री सुभाष यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाल-शिक्षा परिषद द्वारा नवम्बर, 1987 के प्रथम सप्ताह में, नई दिल्ली में बाल-शिक्षा सम्बन्धी एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(घ) सरकार को की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) भारतीय बाल-शिक्षा परिषद ने 6 और 7 नवम्बर, 1987 को एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका उद्‌घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, बहुत बड़ी संख्या में अध्यापकों, स्वैच्छिक एजेंसियों से सम्बन्धित व्यक्तियों, शिक्षाविदों आदि ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस उपलक्ष्य में सरकार को कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई है।

भद्रावती इस्पात संयंत्र

4019. डा० पी० वल्लल पेरूमन : क्या ईस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में भद्रावती स्थित प्रमुख इस्पात संयंत्र का उत्पादन संतोषजनक नहीं रहा है और यह संयंत्र अर्थ-क्षम नहीं पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भद्रावती इस्पात संयंत्र का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

सुपरफास्ट रेल गाड़ियों में बेकार सवारी डिब्बों को जोड़ना

4020. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की परिरक्षित गति क्या है;

(ख) क्या बेकार डिब्बों अथवा इस गति पर चलने के लिए मंजूर नहीं किए गए सवारी-डिब्बों को सुपरफास्ट रेल गाड़ियों में प्रायः जोड़ दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) सुपरफास्ट गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार बड़ी लाइन पर 100/110 कि० मी० प्रति घंटा और मीटर लाइन पर 100 कि० मी० प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार 120 कि० मी० प्रति घंटा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्पोर्टस होस्टल

4021. श्री हरीश रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में एक स्पोर्टस होस्टल प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्पोर्ट्स होस्टल को उत्तर प्रदेश में पिथोरागढ़ जिले में प्रारम्भ करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन.एस.एन.आई.एस.) की अपने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ सम्बद्ध किए जाने वाले खेल छात्रावासों को स्थापित करने की एक योजना है। प्रत्येक छात्रावास में लगभग 75 खेल व्यक्तियों को ठहराने की क्षमता होगी जिन्हें निःशुल्क आवास तथा भोजन और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। खेल छात्रावास स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से खेल मैदान, इन्डोर हाल, गैर-खर्चीले प्रकारके उपस्कर और छात्रावास के लिए भवन के रूप में अपेक्षित अवस्थापना प्रदान करने की भी आशा की जाती है। एन.एस.एन.आई.एस. ने उत्तर प्रदेश सरकार से खेल छात्रावास खोलने के लिए सम्पर्क किया था और राज्य सरकार ने शुरू में प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में मान लिया था। लेकिन, सितम्बर, 1986 मे राज्य सरकार ने हमें सूचित किया था कि उपयुक्त स्थान की उपलब्धता न होने के कारण वे राज्य में खेल छात्रावास स्थापित करने की स्थिति में नही है।

[अनुवाद]

"परियोजना को स्वीकृत करने में विलम्ब"

4022. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले की नागार्जुनसागर लेफ्ट कैनाल व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ नहरों अर्थात् करकरला मेजर, बैलवदाम मेजर, रंगापुरम मेजर, मोरूसुमिली माइनर, चन्द्राला मेजर, चिवुतिम मेजर, जवकमपुड़ी मेजर आदि की खुदाई को स्वीकृति प्रदान करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) इसके अन्तर्गत कितना वन क्षेत्र आता है और इससे कितना हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नागार्जुनसागर लेफ्ट कैनाल सिस्टम के तहत नहरों के लिए वन भूमि के उपयोग पर राज्य सरकार से 2-7-1987 को मांगी गई प्रतिपूरक वनरोपण स्कीम तथा एक संकलित मानचित्र के अभाव में निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) नागार्जुनसागर लेफ्ट कैनाल सिस्टम में 13 नहर शामिल हैं जिसके अन्तर्गत 148.278 हेक्टेयर वन क्षेत्र आता है और 19939 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उपायुक्तों के पदों के लिए भर्ती नियम

4023. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

डा० सुधीर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उपायुक्तों के कितने पद हैं;

(ख) क्या इन सभी पदों के लिए भर्ती नियम एक समान हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक पद से सम्बन्धित भर्ती नियमों में अन्तर का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उपायुक्तों के 5 पद हैं।

(ख) निम्नलिखित उप-आयुक्तों के पदो के लिए भर्ती नियमावली एक-समान हैं।

(i) उप-आयुक्त (प्रशासन) और उप-आयुक्त (कार्मिक) ;

(ii) उप-आयुक्त (शैक्षिक) और उप-आयुक्त (प्रशिक्षण)।

उप-आयुक्त (वित्त) की भर्ती नियमावली अलग है।

(ग) उपायुक्त के विभिन्न पदों के लिए उनकी पात्रता- मानदंड, भर्ती की प्राविधि क्या यह पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति आदि से हो; इनसे सम्बन्धित भर्ती नियमों में भिन्नता है। पदों की कार्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन भिन्नताओं का भर्ती नियमों में समावेश कर दिया गया है।

केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए दी गई सहायता

4024. **श्री जुझार सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत राजस्थान के कोटा और झालबाड़ जिलों की सड़कों और उनके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की स्कीम की सड़कों को केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत पांचवी योजना अवधि के दौरान राजस्थान के कोटा जिले में 65.00 लाख रुपए की लागत से दो निर्माण कार्यों और छठी योजना के दौरान झालावाड़ जिले में 100.00 लाख रुपए की लागत से एक निर्माण कार्य की मंजूरी दी गई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में 8 सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की मंजूरी दी गई।

पांचवी योजना : 324.24 लाख रुपए की लागत से 7 निर्माण कार्य (4 सड़कों का निर्माण और 3 पुलों का निर्माण)

छठी योजना : 24.87 लाख रुपए की लागत से एक पुल का निर्माण कार्य।

दिल्ली परिवहन की बसों को किराये पर लेना

4025. **श्रीमती डी०के० भंडारी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली में कुछ स्कूलों को बस किराये पर देता है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से स्कूल हैं और किराये की दरें क्या हैं;

(ग) क्या निगम विवाद के अवसर पर बसें किराये पर देता है;

(घ) यदि हां, तो उसके किराये की दरें क्या हैं;

(ङ) क्या निगम कुछ अन्य मामलों में भी बसें किराये पर उपलब्ध कराता है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन बसों के लिए कितना किराया लिया जाता है;

(छ) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों को इस प्रकार के कार्यों पर लगाये जाने से नियमित मार्गों की बस सेवाएं प्रभावित होती हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) स्कूलों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। भाड़ा प्रभारों की मौजूदा दर 4.50 रु० प्रति कि०मी० है।

(ग) से (च) स्कूलों के अलावा दिल्ली परिवहन निगम विशेष अनुबंध पर विवाहों के लिए और सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संगठनों को विशेष अवसरों के लिए बसें सुलभ कराता है। पुलिस प्राधिकारियों को भी बसें सुलभ कराई जाती हैं। ऐसे विशेष भाड़े पर बसें सुलभ कराने के लिए लागू प्रभार निम्नलिखित हैं :-

(1)	भाड़ा प्रभार प्रति कि.मी.—	5.50 रु०
(2)	डिटेंशन प्रभार प्रति घंटा प्रति बस	40.00 रु०
(3)	प्रति बस बुकिंग के न्यूनतम प्रभार	120.00 रु०
(4)	रात्रि प्रभार प्रति बस	25.00 रु०
(5)	रद्द करने के प्रभार	10.00 रु०

(छ) और (ज) व्यस्त घंटों के दौरान विशेष भाड़े पर कोई बस नहीं दी जाती ताकि सामान्य रूट सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहें।

विवरण

क्रम संख्या	स्कूलों का नाम
1.	ए. पी. जे. स्कूल
2.	ए. पी. जे. नर्सरी
3.	एयर फोर्स सेंट्रल स्कूल
4.	एयर फोर्स बाल भारती
5.	आन्ध्र एजूकेशन
6.	बाल भारती पब्लिक स्कूल
7.	भाई जोगा सिंह स्कूल
8.	बिधान चन्द्र स्कूल
9.	भारतीय विद्या भवन
10.	बी.एम. गंग गर्ल्स स्कूल
11.	केम्ब्रिज स्कूल (श्रीनिवासपुरी)
12.	केम्ब्रिज स्कूल (न्यू फ्रेंडस कलोनी)
13.	कैम्ब्रिज स्कूल (दरियागंज)
14.	कैम्ब्रिज स्कूल (राजिन्दर नगर)
15.	कारमल कान्वेंट
16.	दिल्ली पब्लिक स्कूल (मथुरा रोड)
17.	दिल्ली पब्लिक स्कूल (आर०के० पुरम)
18.	दिल्ली पब्लिक स्कूल (ईस्ट आफ कैलाश)
19.	दया नन्द मॉडल स्कूल (विवेक विहार)
20.	ग्रीन फील्ड स्कूल (विवेक विहार)
21.	ग्रीन फील्ड स्कूल (एस०जे० इन्कलेव)
22.	जनरल राज स्कूल
23.	राजकीय मॉडल स्कूल (आई.पी. कालेज के पीछे)
24.	गुरु हरिकिशन स्कूल
25.	हैपी मॉडल स्कूल (जनकपुरी)
26.	हैपी मांटेसरी स्कूल (कीर्ति नगर)
27.	हैपी स्कूल (दरिया गंज)
28.	होली चाइल्ड स्कूल (आर०के० पुरम)
29.	जीसस एण्ड मैरी स्कूल
30.	जे०डी० टाइटलर स्कूल (मुनीरका)

31. जे०डी० टाइटलर स्कूल (करोलबाग)
32. केरल एजुकेशन
33. लेडी इरविन स्कूल सीनियर
34. लेडी इरविन स्कूल जूनियर
35. लोरोटो कान्वेंट स्कूल
36. मदर इंटरनेशन
37. माडर्न स्कूल बाराखम्बा रोड
38. माडर्न स्कूल, वसंत विहार
39. मीटर डी स्कूल
40. माडर्न पब्लिक स्कूल (शालीमार बाग)
41. महावीर सेन स्कूल
42. मानव स्थली स्कूल
43. न्यू एरा स्कूल
44. ओखला सेंट्रल
45. प्रेजेन्टेशन स्कूल
46. क्वीन मेरी स्कूल
47. लक्ष्मण पब्लिक स्कूल
48. आर०के० मिशन स्कूल
49. रामजस स्कूल (पूसा रोड)
50. रामजस स्कूल (आर०के० पुरम)
51. रायसीना बंगाली स्कूल
52. रोजरी स्कूल
53. सरदार पटेल विद्यालय
54. सालवान पब्लिक स्कूल
55. सालवान मांटेसरी
56. समर फील्ड स्कूल (कैलाश कालोनी)
57. स्कूल डेज स्कूल (एस जे इन्क्लेव)
58. सेंट मैरी स्कूल
59. सेंट जेवियर स्कूल
60. सेंट कोलम्बस स्कूल
61. सेंट एंथनी स्कूल
62. सेंट पाल स्कूल (हौज खास)

63. युनीवर्सल स्कूल

64. राजकीय मॉडल स्कूल (सिविल लाइन)

65. नवजीवन मॉडल स्कूल (जहांगीरपुरी)

66. क्राउन पब्लिक स्कूल

67. सेंट मैरी स्कूल (एम०जे० इन्क्लेव)

68. रघुबीर जूनियर स्कूल

69. एयर फोर्स गोल्डन जुबली

70. लेडी नेयी स्कूल

71. सेंट थामस स्कूल (मन्दिर मार्ग)

72. होली चाइल्ड स्कूल (टैगोर गार्डन)

73. लवली पब्लिक स्कूल (बैंक इन्क्लेव)

बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समिति को बुक-स्टालों का आबंटन

4026. **श्री सोमजीभाई डामर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार स्नातकों की वास्तविक सहकारी समिति को बुकस्टालों के आबंटन हेतु क्या मानदण्ड/नीति हैं ;

(ख) रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों से सम्बद्ध वास्तविक कर्मचारियों/फेरीवालों की सहकारी समिति को स्टेशनों पर बुक-स्टालों के आबंटन से पूर्व इसकी वास्तविकता का पता लगाने के लिए क्या/मानदण्ड नियम हैं ; और

(ग) उत्तर, पूर्व, उत्तर सीमांत और दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण रेलवे में ऐसी किन-किन सहकारी समितियों को बुक स्टाल अबंटित किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) नये बुक स्टाल ठेकों के आबंटन के लिए बेरोजगार स्नातकों, उनकी सहकारी समितियों, उनके एसोसियेशनों, भागीदारी उद्यमों और वास्तविक कामगारों/वेंडरों की पंजीकृत वास्तविक सहकारी समितियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(ग) एक सहकारी समिति की सदाशयता का सत्यापन करने के लिए कुछ मुद्दों पर विचार किया जाता है जैसे उसमें वास्तविक कामगार और वेंडर शामिल होने चाहिए, समिति के कार्य कलाप सहयोग की प्रक्रिया और सिद्धान्तों के अनुरूप चलते हों तथा समिति पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार न हो।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"महाराष्ट्र की परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति"

4027. **श्री डी. बी. पाटिल :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायगढ़ जिले की वन भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिये उपयोग करने के संबंध में सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने कितने प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) कितने प्रस्तावो में पांच एकड़ से कम वन क्षेत्र अपेक्षित हैं ;

(ग) कितने प्रस्ताव छह महीने की अधिक अवधि से स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं। और

(घ) इन सभी प्रस्तावों की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में वनभूमि के वन्येतर उपयोग में लाने की अनुमति देने हेतु 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार से मांगे गए आवश्यक ब्यौरे न मिलने के कारण ये सभी परियोजनाएं बन्द समझी जा रही हैं।

(ख) सात प्रस्तावों में शामिल वन भूमि 5 एकड़ से कम है।

(ग) शून्य।

(घ) राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के बाद ही इन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए विकसित किटनाशक औषधि

4028. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जननिक प्रणाली का प्रयोग कर मलेरिया रोगाणुओं का उन्मूलन करने के लिए एक कीटनाशक औषधि विकसित की गई है, जैसाकि दिनांक 18 अक्तूबर, 1987 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या इस प्रकार रोग प्रतिरोध की समस्या समाप्त हो जाएगी ;

(घ) क्या इस संबंध में निर्धारित अध्ययन किए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) जी, हां। मच्छरों को मारने के लिए जननिक अभियंत्रिकी का उपयोग करते हुए जीवनाशी (बायोसाइड) तैयार किया गया है। इस समय भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का मलेरिया अनुसंधान केन्द्र विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त हुए इन जीवनाशकों (बायोसाइड्स) का प्रयोगशाला परीक्षा कर रहा है। मच्छरों के नियंत्रण अथवा इनकी प्रतिरोधक शक्ति की समस्या को हल करने के लिए इन जीवनाशकों की प्रभावकारिता का अभी पता नहीं चला है।

(घ) और (ङ) यह अध्ययन केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित है और इसका कोई क्षेत्रीय मूल्यांकन नही किया गया है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक

4029. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों (शिक्षकों तथा अधिकारियों) को विशेष सेवा शर्तें और सुविधाए प्रदान की गई थीं और यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने नियमों के अनुसार इस क्षेत्र में दो-तीन वर्षों की सफल-सेवा पूरी कर ली है और वे अपनी पसंद के स्थानों पर अपने स्थानान्तरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र से स्थानांतरण के लिए कितने वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें सेवा शर्तों के अनुसार विभागीय पदोन्नतियों के साथ प्रशिक्षण तथा सेवा आदि के लिए विदेशों में और अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के संबंध में प्राथमिकता दी गई है और उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) उत्तरपूर्वी क्षेत्र में कार्यरत संगठन के कर्मचारियों को कुछ विशेष हिदायतें दी गई थी । केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस संबंध में जारी की गई हिदायतों की एक प्रति अनुबंध में संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी गयी/देखिए संख्या एल. टी. 5463/87]

(ख) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों से हर वर्ष उनके स्थानान्तरण के लिए उनकी मर्जी के स्टेशनों के बारे में बताने के लिए कहा जाता है । जहां तक सम्भव होता है उन्हें रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर इन स्टेशनों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है । क्योंकि स्थिति हर साल बदल जाती है अत: किसी प्रकार के आंकड़े रखना जरूरी नहीं समझा गया है (फिर भी यह सुविधा उन अध्यापकों के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्हें 1984 में विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विशिष्ट रूप से भर्ती किया गया था) ।

(ग) संगठन अपनी ओर से अन्य विभागों में अपने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति नहीं करता । फिर भी, जो कर्मचारी अन्य विभागों के लिए चुने जाते हैं उन्हें सामान्य प्रतिनियुक्ति लाभ दिए जाते हैं । जहां तक देश के अन्दर प्रशिक्षण का संबंध है सभी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को, इस बात का ध्यान किए बिना कि वे कौन से प्रदेश में तैनात हैं, उन्हें पांच वर्षों के चक्र के दौरान देश के अन्दर कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अपेक्षित होता है । तदनुसार, उत्तरपूर्वी प्रदेश में तैनात अध्यापकों को उपरोक्त नीति के अनुसार प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है । तथापि, विदेश में प्रशिक्षण के लिए किसी भी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापक को नहीं भेजा गया है जबसे उत्तरपूर्वी प्रदेश क्षेत्र में उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध करायी गई थी ।

[अनुवाद]

जाकिर हुसैन कालेज के काम्पलैक्स में से भूमि का अधिग्रहण

4030. श्री खुर्शीद आलम खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन नई दिल्ली स्थित जाकिर हुसैन कालेज के काम्पलैक्स में से कुछ भूमि अधिग्रहीत करने के लिये कोई कार्यवाही कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह सम्पूर्ण कापम्लैक्स एक न्यास की सम्पत्ति है ; और

(ग) क्या पहले भी कुछ भूमि अधिग्रहीत करने के लिये कार्यवाही की गई थी किन्तु यह देखते हुए कि यह काम्पलैक्स एक न्यास की एक सम्पत्ति है यह कार्यवाही छोड़नी पड़ी थी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिये शिक्षा

4031. श्री संतोष कुमार सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "महिलाओं के एकीकृत जीवन शिक्षा" कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं जिनके अन्तर्गत सरकार वर्ष 1987-88 का अंतिम तिमाही में एक लाख से अधिक कक्षाएं आयोजित करेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार युवकों के लिए भी ऐसी कोई योजना तैयार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) मौजूदा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में एक अतिरिक्त संघटक के रूप में "महिलाओं के लिए एकीकृत जीवन शिक्षा" नामक योजना के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। फिलहाल यह बताना संभव नहीं है कि योजना निश्चित रूप से कब तक शुरू की जायेगी।

(ख) यह योजना मुख्य रूप से 11-25 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है

विवरण

समेकित बाल विकास सेवा योजना के प्रस्तावित "महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा" संघटक का ब्यौरा

(क) उद्देश्य

(1) अनपढ़ लड़कियों और युवा महिलाओं को अक्षर ज्ञान कराना।

(2) लड़कियों और युवा महिलाओं में स्वास्थ्य, सफाई, पोषाहार और परिवार नियोजन के बारे में जागृति उत्पन्न करना।

(3) गृह प्रबंध और बाल देखभाल कार्य में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।

(4) युवा महिलाओं में नागरिक चेतना उत्पन्न करना जिससे कि वे देश में एक नागरिक की भूमिका निभा सकें; और

(5) नव-अर्जित अक्षर-ज्ञान को बनाए रखने के लिए स्थानीय भाषाओं में पुस्तकों के छोटे-छोटे पुस्तकालय स्थापित करना।

(ख) लक्ष्य समूह

इस लक्ष्य समूह के अन्तर्गत 11 से 25 वर्ष तक की आयु की महिलाओं/लड़कियों को रखा गया है यद्यपि निरक्षर युवतियों और वृद्धा महिलाएं भी "महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा" कक्षाओं में आ सकेंगी।

(ग) सेवाएं

इस संघटक के अन्तर्गत प्राथमिक अक्षर ज्ञान और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जायेगी, जिन में निम्नलिखित विषय आते हैं :—

(1) स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के तत्व,
(2) खाद्य पदार्थ और पोषाहार,
(3) परिवार नियोजन,
(4) गृह प्रबन्ध और गृह शिल्प,
(5) बाल देखभाल,
(6) नागरिक शिक्षा, और
(7) घरेलू व्यवसाय

(घ) "महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा" का यंक्रम का वित्त पोषण और कार्यान्वयन समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के एक समेकित संघटक के रूप में किया जायेगा। गांव में "महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा" कक्षा एक प्राथमिक यूनिट होंगी जिनमें 15 लड़कियां/महिलाएं होंगी। यह कक्षा महिलाओं/लड़कियों को कम संख्या होने पर भी शुरू की जायेगी, परन्तु यह संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः समेकित बाल विकास सेवा योजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता "महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा" कक्षाओं की प्रभारी होंगी। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमास 50/ रुपए का अतिरिक्त मानदेय दिया जायेगा। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत दी गई आधारभूत सुविधाओं और देखरेख करने वाली मशीनरी का "महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा" के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जायेगा।

(ङ) वित्तीय व्यवस्था

"महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा" के शिक्षकों के प्रशिक्षण का सम्पूर्ण खर्च जिसमें उनका अतिरिक्त मानदेय, यात्रा भत्ता और वृत्तिका (स्टाइपेंड) भी शामिल है, भारत सरकार वहन करेगी।

(च) यह प्रस्ताव है कि समेकित बाल विकास सेवा का संघटक 'महिलाओं के लिए समेकित जीवन शिक्षा" एक बार शुरू हो जाता है और पर्याप्त धनराशि दे दी जाती है तो पहले 3 वर्षों में लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या इस प्रकार हो सकती है :—

	केन्द्रों की संख्या	लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या
पहले वर्ष के अन्त तक	1.00 लाख	15.00 लाख
दूसरे वर्ष के अन्त तक	1.50 लाख	22.50 लाख
तीसरे वर्ष के अन्त तक	2.00 लाख	30 00 लाख

[अनुवाद]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिये निर्धारित धनराशि

4032. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 की तुलना में वर्ष 1987-88 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : गुजरात के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए 1986-87 और 1987-88 के दौरान आबंटित/रिलीज की गई कुल धनराशि नीचे दर्शाई गई है ?

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण	लाख रुपए राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण
	आबंटन	
1986-87	2652.00	530.53
1987-88	2900.00	462.70 (अब तक)

आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्री

4033. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अनधिकृत यात्री मध्यवर्ती स्टेशनों से दूसरे दर्जे के स्लीपर सवारी डिब्बों के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या स्लीपर सवारी डिब्बों के कन्डक्टर साठगांठ से अनुपस्थित रहते हैं अथवा वे रेलगाड़ियों के स्लीपर सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोकने में असमर्थ रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) कुछ मामले नोटिस में आये हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं. शयनयानों को सम्हालने के लिए ड्यूटी पर लगाये जाने वाले कर्मचारियों को गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन पर गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और मार्गवर्ती स्टेशनों पर 15 मिनट पहले उन सवारी डिब्बों के सामने उपलब्ध होना होता है जिनमें उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। नियमित रूप से जांच की जाती है और जो कर्मचारी बिना अनुमती के अनुपस्थित रहते हैं या ड्यूटी पर विलम्ब से पहुंचते हैं उनके विरूद्ध उपर्युक्त कारवाई की जाती है।

आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश की समस्या पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) मासिक सीजन टिकट धारियों सहित कम दूरी के यात्रियों पर आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने पर पाबंधी लगा दी गई है;

(2) आरक्षित सवारी डिब्बों को सम्हालने वाले कंडकटरों/चल टिकट परीक्षकों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि वे कम दूरी के यात्रियों को गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशनों तथा मार्गवर्ती स्टेशनों पर लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रवेश न करने दें।

(3) सबसे अधिक प्रभावित खण्डों पर, जहां मासिक सीजन टिकट धारियों के लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रवेश करने से समस्या गम्भीर हो गई है, टिकट जांच गहन कर दी गई है। वैध आरक्षणों के बिना आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्तियों को भारतीय रेल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जाता है।

(4) इस सम्बन्ध में अपनी ड्यूटियों का ठीक से निर्वाह न करने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भी उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

"एक नील गाय का मारा जाना"

4034. **श्री प्रताप राव बी. भोसले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट एक जंगली नील गाय के मारे जाने की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) नील गाय को जिन्दा पकड़ने के बजाय मारे जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एप्रन कंट्रोल अधिकारी द्वारा दिनांक 5.11.87 को 15.00 बजे एक नील गाय देखी गयी थी। हवाई पट्टी (रनवे) 27 के उत्तरी क्षेत्र को व्यापक रूप से छान डाला गया था और पशु को मार दिया गया था।

(ग) चूंकि पशु को जीवित पकड़ने के प्रयास में सफलता नहीं मिली, अतः सुरक्षित हवाई जहाज उड़ान के लिए अंतिम उपाय के रूप में पशु को मार डाला गया।

गिरिडीह से रांची के लिये बड़ी रेलवे लाइन

4035. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिरिडीह से रांची तक बरास्ता कोडरमा और हजारीबाग प्रस्तावित बड़ी रेलवे लाइन लम्बे अर्से से लम्बित पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का संथाल परगना डिवीजन के छोटानागपुर के जनजातीय क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण रेलवे लाइन का अगले वर्ष निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) इस लाइन का सर्वेक्षण 1986 में पूरा हो गया था। यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद पायी गयी थी। संसाधनों की तंगी और चालू परियोजनाओं की भारी वचनबद्धताओं के कारण इस लाइन को शुरू करने के बारे में विचार नहीं किया जा सकता है।

रेलवे कुली

4036. **श्री एन. वेंकट रत्नम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे के लाइसेंसशुदा कुलियों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में मानने के लिये कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ; और

(ग) क्या सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है तो इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा और यदि नहीं तो इसे अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अनुरोधों पर विचार किया गया था लेकिन इन पर सहमत नहीं हुआ जा सका। लाइसेंसशुदा भारिक रेलों के लाइसेंसधारी हैं। उनकी सेवाओं का उपयोग निर्धारित प्रभारों पर, जिसे वे सीधे यात्रियों से वसूल करते हैं, रेल परिसरों के भीतर यात्रियों का सामान ढोने के लिए किया जाता है। मौजूदा प्रणाली सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

अलाभकारी रेलवे लाइनें

4037. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अलाभकारी रेलवे लाइनें चलाने पर वर्ष 1986-87 के दौरान सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई तथा इन रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं और वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान हुई हानियों में वृद्धि की तुलनात्मक प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान (आज तक) यदि कोई आलाभकारी रेलवे लाइनें बन्द की गई हैं तो वे कौन-कौन सी हैं तथा उन्हें बन्द करने के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी बचत हुई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1986-87 के दौरान विभिन्न लाइनों पर हुई हानियों का विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है। पिछले 2 वर्षों में हुई हानियों के समग्र आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

वर्ष	घाटा	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1984-85	67.40 करोड़ रुपये	—
1985-86	77.78 करोड़ रुपये	15.4 प्रतिशत

(ख) 1986-87 में कोई अलाभप्रद लाइन बन्द नहीं की गयी थी।

हवाई अड्डों में एड्स का पता लगाने के उपाय

4038. **श्री मुरलीधर माने** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एड्स से प्रभावित देशों के भारी संख्या में लोग बम्बई का नियमित रूप से भ्रमण करते हैं ;

(ख) विभिन्न हवाई अड्डों तथा पत्तनों पर एड्स रोगियों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) क्या बहुसंख्यक रक्त बैंकों तथा क्लिनिकों पर जो एड्स संक्रमण के स्रोत हो सकते हैं ; कोई नियंत्रण रखा जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार को यह बात मालूम है कि एड्स के संक्रमण से ग्रसित देशों मे बहुत बड़ी संख्या में विदेशी बम्बई समेत भारत में आते हैं।

(ख) एड्स रोग के ऊंचे खतरे वाले ग्रुप के व्यक्तियों की जांच के लिए बड़े-बड़े शहरों और महानगरों में निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में दाखिल किए जा रहे विदेशी छात्रों को आगमन के एक माह के भीतर किसी भी निगरानी केन्द्र में एड्स की जांच करवाना आवश्यक होता हैं। सरकार ने भी मिशनों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर एक वर्ष से अधिक ठहरने वाले विदेशियों की एड्स की जांच करने का फैसला किया है।

(ग) सभी रक्त-बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे व्यावसायिक रूप से रक्त-दाताओं की जांच करें।

बिना एड्स क्लीएरेंस प्रमाण-पत्र के रक्त और रक्त-उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं।

गोविन्द वल्लभ पन्त और पूसा पोलिटेक्नीक के विद्यार्थियों की मांगे

4039. डा० गौरीशंकर राजहंस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री गोविन्द वल्लभ पंत और पूसा पोलिटेक्नीक के विद्यार्थियों की मांगों के बारे में 19 नवम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1929 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक किन विशिष्ट उपयुक्त मांगों को स्वीकार और कार्यान्वित कर दिया है ; और

(ख) कौन-कौन सी मांगे सरकार को स्वीकार्य नहीं हैं और उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार स्वीकार की गयी मांगे और उनका कार्यान्वयन निम्न प्रकार से है :-

	मांग	स्थिति
1.	"प्रथम वर्ष के छात्र के लिए तीन वर्षों का अवरोध हटाया जाना चाहिए तथा छात्र को डिप्लोमा पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए छह वर्षों की पूरी अवधि दी जानी चाहिएं। पुराने छात्रों के लिए कोई अवरोध तथा समय-सीमा नहीं होनी चाहिए।"	तकनीकी शिक्षा बोर्ड, दिल्ली ने पुराने छात्रों के लिए प्रथम वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन वर्षों का अवरोध हटा लिया है ; बोर्ड ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम वर्ष के छात्र को डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए छह वर्षों की पूरी अवधि प्रदान की जाएगी।
2.	"यदि छात्र भौतिक तथा अंग्रेजी के सत्रों में 20 अंकों से कम अंक प्राप्त करता है तो उसके बोर्ड में शून्य अंक लगाए जाएंगे। यह प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए।"	इस मांग को तकनीकी शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के नियमों में पहले ही पूरा किया गया है इस स्थिति को बोर्ड के एक प्रवक्ता द्वारा छात्रों को स्पष्ट कर दी गई है।
3.	"प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 40 प्रतिशत माने जाते हैं इसे अप्रैल, 87 से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।"	डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सत्र में प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत के उत्तीर्ण अंकों की अपेक्षा को अप्रैल, 87 से कार्यान्वित किया गया मान लिया गया था।
4.	"परिणामों की दुबारा जांच करना।"	इसके लिए पहले ही नियम हैं।
5.	"परिणामों को समय से घोषित किया जाना चाहिए।"	बोर्ड, द्वारा यह मान लिया गया है कि बोर्ड के परिणामों की घोषणा करना तत्काल से लागू किया जाएगा।

6.	"प्रत्येक पालिटेकनिक में मेडिकल कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं ।"	मेडिकल कक्ष की सुविधाएं पहले ही प्रत्येक पालिटेकनिक में उपलब्ध है ।
7.	"लाइनों-मोनो आपरेटरों, प्रदर्शकों तथा लैक्चरर की रिक्तियों को शीघ्र भरा जाना चाहिए ताकि छात्रों को उनके अध्ययन में नुकसान न हों ।"	यह मांग मान ली गई है तथा इन रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ।
8.	"सभी पालिटेक्निकों की वार्षिक पत्रिका उसी समय प्रकाशित की जानी चाहिए ।"	यह मांग मान ली गई है तथा पालिटेक्निक को दिल्ली प्रशासन द्वारा सलाह दी जा रही है कि सभी पालिटेकनिकों की वार्षिक पत्रिकाओं के प्रकाशन एक ही समय किया जाना चाहिएं ।
9.	"सभी पालिटेक्निकों में अधिकारी मैसे तथा सुसज्जित कैन्टीन की व्यवस्था होनी चाहिए ।"	सरकार ने छात्रावास में सहकारी मैस चलाना स्वीकार कर लिया है । सभी पालिटेक्निकों में सुसज्जित कैन्टीने पहले से ही हैं ।
10.	"पूसा पालिटेक्निक में प्रिन्टिग शाप का रख-रखाव ।"	इस मांग को मान लिया गया है तथा पूसा पालिटेक्निक में प्रिन्टिग शाप का रख-रखाव का कार्य दिल्ली प्रशासन के ध्यान में लाया जा रहा है ।
11.	"शौचालयों में ठीक से निकासी प्रणाली होनी चाहिएं ।"	इस मांग को मान लिया गया है तथा मामला दिल्ली प्रशासन के ध्यान में लाया जा रहा है ।
12.	"महिला छात्रों के लिए अलग से कामन रूम ।"	यह सुविधा पहले से ही विद्यमान है ।
13.	"बैठके की व्यवस्था (बैन्च) सहित सभी पालिटेक्निकों में पार्कों का रख-रखाव ।"	इस मांग को मान लिया गया है तथा दिल्ली प्रशासन के बागवानी विभाग में रख-रखाव के कार्य को प्रारम्भ करने के लिए अनुरोध किया गया है ।
14.	"सभी पालिटेक्निकों में ठीक से लाईट के प्रबंध यथाशीघ्र किए जाने चाहिए	यह मांग मान ली गई है तथा जहां कहीं भी यह कमी है उसे दूर किया

मांग	स्थिति
क्योंकि ड्राइंग रूमों में ठीक से प्रबंध नही है ।"	जा रहा है ।
15. "छात्रावास में अतिथि कक्ष प्रदान किया जाना चाहिए ।"	छात्रावास में अतिथि-कक्ष की सुविधाएं पहले ही विद्यमान है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार जो मांगे सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है तथा उसके कारण नीचे बताया गए हैं :-

मांग	स्थिति
1. "पहले, और तीसरे तथा पांचवें सत्र मे रोके रखने के पश्चात् दोनों सत्रों को एक साथ करने के लिए दूसरे, चौथे तथा छट्ठे सत्र में मौका दिया जाना चाहिए ताकि छात्र अपना एक वर्ष बचा लें ।	इस मांग पर तकनीकी शिक्षा बोर्ड, दिल्ली की दिनांक 28 अक्तूबर, 1987 को हुई अपनी बैठक पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था तथा उसे छात्रों के लिए असहनीय शैक्षिक कार्य होने के नाते उसे स्वीकार नहीं किया गया । इस मांग को मान लेने से शैक्षिक स्तर का दर्जा गिर जाएगा ।
2. "आर. एल. ओ. प्रणाली को खत्म करना चाहिए तथा छात्रों का परिणाम उसी समय फैल अथवा पास घोषित किया जाना चाहिए ।"	तकनीकी शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा काफी विचार करने के पश्चात् इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि इससे परीक्षा प्रणाली की पवित्रता और विश्वसनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।
3. "प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् शाखा का अन्तर-परिवर्तन (अर्थात एक विषय से दूसरे विषय मे) का प्रावधान होना चाहिए ।"	इस मांग को तकनीकी शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा स्वीकार नही किया जा सका क्योंकि विषय-वार पाठ्यक्रमों में परिवर्तन पहले सत्र के प्रारम्भ से ही होता है । अगर इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो छात्र को पहले सत्र का भार भी उठाना पड़ेगा ।
4. "दिल्ली पालिटेक्निक में अंश कालिक डिग्री पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाने चाहिए ताकि डिप्लोमाधारी इंजीनियरी में डिग्री लेकर अपना अच्छा भविष्य बना सकें ।"	इस मांग को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि केवल डिप्लोमा/पूर्व-डिप्लोमा स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए पालिटेक्निक में अंशकालिक आधार पर डिग्री पाठ्यक्रम नहीं चलाए जा सकते ।

5.	"दिल्ली इंजीनियरी कालेज में डिप्लोमाधारियों के लिए पर्याप्त स्थान आवश्यक रूप से आरक्षित किए जाने चाहिएं ।"	मांग को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसमें दिल्ली इंजीनियरी कालेज, दिल्ली तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के परामर्श से ध्यानपूर्वक अध्ययन करना अपेक्षित है ।
6.	"ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए पर्याप्त स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए ।"	इस मांग को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसे स्वीकार करने से काफी भेद-भाव उत्पन्न हो जाएगा ।
7.	"छात्रों के शैक्षिक दोरों तथा यात्राओं के लिए प्रत्येक पालिटेकनिक में ड्राईवर सहित नियमित बस होनी चाहिए ।"	इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जब कभी जरूरत हो तो बस किराए पर लेना अधिक उपयुक्त होगा न कि प्रत्येक पालिटेकनिक में नियमित आधार पर एक बस खरीदना ।
8.	"फोरथ वायस" पालिटेकनिक सहित सभी पालिटेकनिकों का एक ही जैसा समय होना चाहिए ।"	इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि जिसे पूसा पालिटेकनिक में फोर्थ ब्याज पालिटेकनिक के रूप में शुरू किया गया था वह अतिथित्य संस्थान के साथ प्रयोगशालाओं तथा स्टाफ के से सहभागिता करता है । इस प्रकार से इसके समय अलग हैं ।
9.	"छात्रावास के सभी कमरों को छात्रों की मांगों के अनुसार उपलब्ध कराए जाने चाहिए ।"	इस मांग को स्वीकार नहीं किया जा सका । सभी लेने वालों को छात्रावास के कमरे नहीं दिए जा सकते क्योंकि छात्रावास कमरों की संख्या सीमित है ।

दावों को नियंत्रित रखना और मालडिब्बों को गलत स्थानों पर भेजना/रोके रखना

4040. **श्री रामेश्वर नीखरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने सभी जोनल रेलवे कार्यालयों को निर्देश दिये हैं कि वे **परिचालन/** वाणिजियक विभागों में रेलवे पर किये गये दावों को कम करने के लिये उनके सम्बन्ध में **कुछ** नियंत्रण लागू करें ;

(क) क्या यह सच है कि भरे हुए मालडिब्बों को गलत स्थानों पर भेजने के कारण होने वाली हानि को रोकने के लिये परिचालन विभाग और वाणिज्यिक विभाग के बीच तालमेल नहीं है जिसके कारण मालडिब्बों में महीनों तक माल लदा रहने के कारण प्रतिदिन होने वाली आय में घाटा होता है ; और

(ग) परिचालन विभाग ने मालडिब्बों को गलत स्थानों पर भेजने और विभिन्न यार्डों में मालडिब्बों को रोके रखने के मामलों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) गलत प्रेषणों के लिए जब कभी कर्मचारी जिम्मेदार पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध कारंवाई की जाती है ।

"सोहन चिड़िया"

4041. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अभयारण्य-वार सोहन चिड़ियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) देश में सोहन चिड़ियों की अनुमानित संख्या 1000 है । अभयारण्य-वार गणना नहीं की गई है । तथापि, इन पक्षियों का बार-बार दिखाई पड़ना, इनकी संख्या में वृद्धि को सूचित करता है ।

विदेशी पर्वतारोहियों द्वारा भारत में विभिन्न चोटियों पर चढ़ना

4042. **श्री आर०एम० भोये** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार और देश वार कितने विदेशियों (पर्वतारोही दल) नें भारत में विभिन्न पर्वत चोटियों पर चढ़ने का प्रयास किया ;

(ख) क्या ऐसी कोई घटनायें हुई हैं जिनमें हिमस्खलन आदि में ये पर्वतारोही मारे गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अथवा अन्य सुविधाओं के रूप में दिये गये सहयोग तथा विदेशियों सहित भारतीयों के लिये भारतीय क्षेत्र में पर्वत चोटियों पर चढ़ने के लिये अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) एक **विवरण** संलग्न है ।

(ख) जी, हां

(ग) एक **विवरण** संलग्न है ।

(घ) भारत सरकार द्वारा विदेशी अभियानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी **जाती,** युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिए गए अनुदान में से भारतीय पर्वतारोहण संघ द्वारा **भारतीय** अभियानों के लिए वित्तीय सहायता मुक्त की जाती है ।

विवरण

राष्ट्रीयता	1985	1986	1987
1. अमेरिकन	3	3 (1 संयुक्त)	3 (1 महिलाएं)
2. आस्ट्रेलियन	3	2 (1 संयुक्त)	1
3. आस्ट्रियन	3	—	4
4. ब्रिटिश	11 (2 संयुक्त)	9 (1 संयुक्त)	12 (2 संयुक्त)
5. बेलजियन	—	1	—
6. चेकोस्लोवाकियन	—	—	1
7. डच	—	—	1
8. फ्रेंच	11 (1 संयुक्त)	4 (1 संयुक्त)	9 (1 संयुक्त)
9. जर्मन	8	4	3
10. इंडोनेशियन	—	—	1
11. आयरिश	—	1	—
12. इटालियन	3	3	5
13. जैपनीज़	16 (1 संयुक्त)	13 (1 संयुक्त महिलाएं)	9 (1 संयुक्त और महिलाओं) का **अभियान**
14. न्यूजीलैण्ड	—	—	1
15. नार्वेजियन	—	—	1
16. पोलिश	1	5	5
17. स्पेनिश	2	4	8 (1 महिलाएं)
18. स्वीडिश	1	1	—
19. स्विस	—	2	2
20. यूगोस्लावियन	—	—	2
कुल	62	52	68

जैपनीज	बर्फ में 3 फंस गये थे और वे बचाव टीम द्वारा बचाए गये थे।	1 गिरने से मरा	—
जैपनीज	1 गिरने से मरा था 1 बचाया गया था 1 बर्फ में मरा था	3 सदस्य बर्फ में मरे थे	
चेकोस्लोवाकियन	1 लकवे से मरा था		
ब्रिटिस	—	1 गम्भीर बीमार हो गया था और उसे हैलीकैप्टर द्वारा उठाया गया था	
पोलिश	—	1 गिरने से मरा था	
फ्रेंच	—	—	1 हृदय गति रुकने से मरा था।
जर्मन	—		1 घायल हो गया था और उसे हवाई जहाज से उठाया गया था।
आस्ट्रियन	—	—	1 गिरने से मरा था। 5 सदस्य बर्फ में मरे थे।

"निखिल भारतवर्षीय-आयुर्वेद-विद्यापीठम, दिल्ली और" आयुर्वेदाचार्य-उपाधिपात्रम, डिप्लोमाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता न देना

4043. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठम, दिल्ली, "आयुर्वेदाचार्य उपाधिमात्रम, डिप्लोमा छात्रों को उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिल रही है जबकि दिल्ली में अन्य राज्यों से डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को ऐसी नौकरियां मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उतर सरकार के उपरोक्त डिप्लोमाधारी छात्रों को नौकरी देने की सलाह देने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिवद् अधिनियम, 1970 की धारा 14(1) में निहित उपबन्धों के अनुसार

अधिनियम की दूसरी सूची में शामिल किसी भी विश्व विद्यालय, बोर्ड या किसी अन्य भारतीय चिकित्सा संस्था द्वारा दिया गया डिप्लोमा/डिग्री, अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी। निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठम, दिल्ली द्वारा दिया गया डिप्लोमा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत परिकल्पित अधिकार और विशेषाधिकार के लिए यह एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता है। 1982 में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार अपने राज्य अधिनियमों में संशोधन कर लें। उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अपने राज्य में इस डिप्लोमा के धारकों को नौकरी न देने के बारे में सूचना भेजें। उनके उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है।

जिला मुख्यालयों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलना

4044. **श्री एन० डेनिस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी जिला मुख्यालयों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अपकार गार्डन, आसनसोल में बी.एन.आर. पुल

4045. **डा० सुधीर राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रांड ट्रंक रोड के एक खण्ड पर अपकार गार्डन, आसनसोल स्थित बी०एन०आर० पुल, जो दक्षिण-पूर्व रेलवे (आसनसोल-आद्रा सेक्शन) की लाइन के ऊपर है, खतरनाक हालत में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि डी०एस./डी०आर०एम०, आद्रा को इस पुल के सम्बन्ध में आवश्यक रखरखाव और विकास कार्य आरम्भ करने के लिए कई अभ्यावेदन दिए गए थे।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी हां। पुल को चौड़ा करने और इसके दोनों तरफ पैदल पथों की व्यवस्था करने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) वर्तमान परम्परा के अनुसार, रेलवे ने पुल के सुधार की लागत में हिस्सेदारी की सहमति देने और यदि आवश्यक हो तो मौजूदा पुल के बदले नये पुल का सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकार को पहले ही लिख दिया है। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

"बिहार में बाघों की संख्या"

4046. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के वनों में बाघों की संख्या इनकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है; और

(ख) बिहार के वनों में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वर्ष 1984 में बाघों की की गई गणना के अनुसार, बिहार के वनों में 138 बाघ थे जो देश के कुल 4005 बाघों का 3 प्रतिशत है।

(ख) केन्द्रीय सरकार बिहार के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के बेहतर संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता देती है। बिहार का पालामू बाघ रिजर्व देश के 16 बाघ रिजर्वों में से एक है और बाघ परियोजना के तहत इसे केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

फील्ड वर्कर्स के लिए परिवार नियोजन का निर्धारण लक्ष्य

4047. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक फील्ड वर्कर्स के लिए प्रतिमाह परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फील्ड वर्कर्स के लिए परिवार नियोजन के निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राज्यों के लिए परिवार नियोजन के लक्ष्य फील्ड कार्यकर्ताओं के आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते। दम्पती सुरक्षा दर के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों, उनके लिए निर्धारित दीर्घकालिक लक्ष्य, पिछले कुछ वर्षों में कार्य निष्पादन की प्रवृत्तियों और कार्य निष्पादन के मौजूदा मिले-जुले तरीकों जैसे घटकों को देखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तरीकेवार राष्ट्रीय लक्ष्य आबंटित किए जाते हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए परिवार नियोजन के लक्ष्य राज्यों को वर्ष के आरम्भ में ही सूचित कर दिए गए थे और उनमें वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों को हड़ताल की अवधि का वेतन

4048. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके कालेजों के शिक्षकों को हड़ताल की अवधि का वेतन देने के लिए कोई निर्णय किया है/कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो कब निर्णय किया गया है तथा इन शिक्षकों को कब तक वेतन का, विशेष रूप से जबकि अधिकांश राज्यों में इस अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया जा चुका है, भुगतान किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 13 नवम्बर, 1987 को हुई अपनी बैठक में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर बल देते हुए निर्णय किया कि जो अध्यापक हड़ताल पर रहे और जिन्हें उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया, उन्हें लगभग दो महीने का वेतन या इससे कम राशि का लेखागत भुगतान किया जाए। यह भुगतान इस शर्त पर होगा कि इसे अध्यापकों द्वारा किए गए अतिरिक्त अध्यापन कार्य के साथ बाद में समायोजित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में मंदिरों और मठों का संरक्षण

4049. **प्रो० नारायन चन्द परासर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश में मंदिरों, मठों तथा अन्य संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और मरम्मत के लिये कोई आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन से शुरू की गई योजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन स्मारकों के संरक्षण के लिए छज्जे को जलरोधी बनाना, शिखर के अवयवों को पुनः ठीक करना, खुदरा दीवार का पुनः निर्माण, पटिया वाले फर्श की व्यवस्था इत्यादि के रूप में विशेष मरम्मत कार्यों को आरम्भ किया गया था जो कि नीचे दिये गये हैं :—

क्रम सं०	स्मारक का नाम	स्थान	जिला
1.	त्रिलोकीनाथ मंदिर	मण्डी	मण्डी

2.	अर्धनारीश्वर मंदिर	मण्डी	मण्डी
3.	बौद्ध मठ	तावो	लाहौल स्पीति
4.	हिडुम्बादेवी मंदिर	मनाली	कुल्लू
5.	श्री चामुंडा देवी मंदिर	चम्बा	चम्बा
6.	लखना देवी मंदिर	भरमौर	चम्बा

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के सर्किल कार्यालय का स्थानान्तरण

4050. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने अपने हिमाचल प्रदेश के सर्किल कार्यालय को शिमला या राज्य में किसी अन्य स्थान में स्थानान्तरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सर्किल कार्यालय को किस तारीख को स्थानान्तरित किया गया और अब वह किस स्थान पर है और वहां पर नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका किस तारीख तक स्थानान्तरण किये जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भूमि/स्थान के आबंटन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से बात चलाई है और स्थानान्तरण की तिथि अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धि में लगने वाले समय पर निर्भर करेगी ।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से संबंधित पांडुलिपियों पर पुरस्कार

4051. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से संबंधित पांडुलिपियों पर एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता में कई लाख रुपये के पुरस्कार दिये गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतियोगिता पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और पुरस्कारों पर, विज्ञापनों पर और निर्णायकों को किए गए भुगतान आदि पर खर्च की गई राशि संबंधी पृथक पृथक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) निर्णायकों को चुने जाने की कसौटी क्या थी, प्रत्येक मामले में उनके भाषा ज्ञान और विद्वता और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के क्षेत्र में उनकी प्रकाशित रचनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह रद्द कर दिया गया था और प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पांडुलिपियां अब तक प्रकाशित नहीं की गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। दिल्ली प्रशासन द्वारा।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा कुल 12,76,641.30 रुपये की राशि खर्च की गई थी जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(i)	पांडुलिपियों का मूल्यांकन करने वालों को मानदेय	4,62,500.00 रु०
(ii)	पुरस्कार	6,50,000.00 रु०
(iii)	न्यायाधीश	1,50,000.00 रु०
(iv)	विविध खर्चे	14,141.30 रु०

(ग) मुख्य कार्यकारी पार्षद (अध्यक्ष), मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन (सदस्य) शिक्षा सचिव, दिल्ली प्रशासन (सदस्य) और सतर्कता निदेशक, दिल्ली प्रशासन (सदस्य) वाली प्रवरण समिति ने जूरी के सदस्यों का चयन किया। जूरी के सदस्यों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) पुरस्कार प्रदान करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था क्योंकि समस्याभाव के कारण इसका प्रबंध नहीं किया जा सका। फिर भी, पुरस्कार जीतने का कार्य प्रकाशन संबंधी प्रक्रिया के अधीन है।

विवरण

अंग्रेजी

1. प्रोफेसर रविन्दर कुमार
   सी-11, 38 मोती बाग, नई दिल्ली-110022

2. डा० एस०एन० प्रसाद,
   79, रविन्द्रा नगर, नई दिल्ली-110003

3. श्री के० शेषाद्री,
   65, जे.एन.यू. न्यू केम्पस, नई दिल्ली-110067

4. श्री शाम लाल,
   ए-28, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049

5. प्रो० सत्य भूषण,
   निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना और प्रशिक्षण संस्थान,
   टाइप-v, नं० 4, स्टाफ क्वाटर, नीपा कैम्पस,
   अरविंद मार्ग, नई दिल्ली।

हिन्दी

1. डा० सन्तोष चद्रा,
165, जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली-110067

2. श्री अक्षय कुमार जैन,
सी-47, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049

3. प्रो० अर्जुन देव,
सी-145, सर्वोदय इन्क्लेव, नई दिल्ली-110017

4. प्रो० अम्बा प्रसाद,
एम-11, ग्रीन पार्क (मेन), नई दिल्ली-110016

5. डा० डी०एन० पाणिग्रही,
डी-1/9, सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

मारमागाओ पत्तन में नये पोत घाट बनाने का प्रस्ताव

4052. श्री शांताराम नायक : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारमागाओ पत्तन पर प्रस्तावित पोत घाट के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो पोत घाट के किस तारीख तक पूरा हो जाने की आशा है;

(ग) नई पोत घाट को सामान उतारने- चढ़ाने तथा भंडारण क्षमता सहित मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इस पर कुल कितनी अनुमानित लागत आयेगी ; और

(ङ) अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) यह अनुमान है कि यह प्रश्न बर्थ सं. 10 अर्थात् बहुउद्देश्यीय सामान्य कार्गो बर्थ से संबंधित है। इस बर्थ का कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह बर्थ 250 मीटर लंबी है तथा इसके एप्रन की चौड़ाई 35 मीटर है और 7700 बर्ग मीटर क्षेत्र के ट्रांजिट रोड सहित इसका डुबाव 10.5 मीटर है, इसके 16,300 वर्ग मीटर वाले खुले स्टोरेज क्षमता 15,000 टन है। बर्थ की वार्षिक क्षमता 2.5 लाख टन सामान्य कार्गो की है।

(घ) और (ङ) अनुमानित लागत 1235.00 लाख रु0 थी और अब तक 1237.67 लाख रु० की राशि खर्च हो चुकी है।

[हिन्दी]

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त स्थान

4053. श्री सरफराज अहमद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों और सीनियर सैकेण्डारी स्कूलों में शिक्षकों के कितने स्थान रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये स्थान किस तारीख से रिक्त हैं और इन स्थानों को न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने से छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार शिक्षकों की कमी शीघ्र दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के कर्मचारियों की मांग

4054. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के कर्मचारी संघ से, उनकी संवर्ग समीक्षा और गृह निर्माण ऋण आदि की मांगों के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार ने इन मांगों के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

बंगलौर गुन्तकल रेल लाइन

4055. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-गुन्तकल रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा करके बंगलौर को वरास्ता गुन्तकल बम्बई और दिल्ली से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त रेल मार्गों को यातायात के लिए कब खोला जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) गुन्तकल के रास्ते बेंगलूरू और दिल्ली/बम्बई/हैदराबाद/अहमदाबाद के बीच सीधी गाड़ी सेवायें पहले से ही उपलब्ध हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे के लिए रक्षित बिजली संयत्र

4056. **श्री एच०बी० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिए रक्षित बिजली संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नही ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

802 डाउन मूरी एक्सप्रेस का देर से चलना

4057. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालका से चलकर हटिया (रांची) में समाप्त होने वाली 802 डाउन मूरी एक्सप्रेस के प्रतिदिन कम से कम 2-3 घण्टे देर से चलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसका समय पर चलना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस गाड़ी के द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में प्रकाश और जल की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) अक्तूबर और 23 नवम्बर तक की अवधि के दौरान, मुरी एक्सप्रेस हटिया में 13 दिन विलम्ब से पहुंची ।

(ख) इसके समय पालन में सुधार लाने के लिए निरंतर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

(ग) इन गाड़ियों में रोशनी और पानी की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है ।

बिहार के छोटानगर क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा की उपलब्धि

4058. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के छोटानगर क्षेत्र में अशिक्षित आदिवासियों को शिक्षित करने में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही; और

(ख) सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इस संस्थान के कार्यकरण की क्या पद्धति है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और सस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहीं) : (क) बिहार राज्य से प्राप्त अद्यतन अनुश्रवण रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र मे प्रौढ़ निरक्षर आदिवासियों (अ०ज०जा०) की संख्या, जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में भाग ले रहे थे, 31-3-86 को 3307 थी ।

(ख) जिन एजेन्सियों के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं वे ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं और स्वैच्छिक एजेन्सियां हैं । प्रौढ निरक्षर जनता के लाभ के लिए इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के दूरस्थ भागों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित किए जाते हैं ।

बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र में नई रेलेवे लाइनें

4059. श्रीमती सुमत उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चालू पंच-वर्षीय योजना के दौरान बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र में नई रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया): तलगाड़िया और तपकाडीह (33 कि. मी०) के बीच नयी बड़ी लाइन का निर्माण हो गया है और यह 31.3.1987 को माल यातायात के लिए खोल दी गयी है। इस लाइन पर कतिपय अवशिष्ट निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

"औद्योगिक अपशिष्टों का उपचार"

4060. डा० बी. एल. शैलेश : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की संख्या में, विशेष रूप से वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में अधिकारियों की कल्पना से परे तीव्र गति से वृद्धि हो रही है जिसके कारण यमुना नदी में छोड़े जा रहे विषैले औद्योगिक पानी की समस्या बढ़ती जा रही है ;

(क) क्या अनेक छोटे और मझौले एकक तुलनात्मक रूप से बड़े और छोटे एककों से सहयोग न मिलने के कारण सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र स्थापित करने की योजना में कोई प्रगति नहीं कर पाये हैं तथा इनमें से अधिकांश एकक सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु अपने हिस्से की राशि जमा नहीं कराते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जीवन-स्तर में सुधार करने एवं यमुना में और आगे प्रदूषण को रोकने के लिए वजीरपुर तथा शहर के विभिन्न भागों में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण रोधी उपायों को कार्यान्वित करने के लिए क्या सांविधिक तथा अन्य उपाय करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली में वजीरपुर एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों और यमुना में प्रदूषण रोधी उपायों के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) उद्योगों को बहिस्राव उपचार संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ;

(2) उद्योगों को समूह में साझा बहिस्राव संयंत्र लगाने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ;

(3) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के तहत दिल्ली के दोषी उद्योगों के खिलाफ 167 मामले दायर किए गए हैं, जिसमें से 113 मामले वजीरपुर की यूनिटों के खिलाफ हैं ;

(4) दिल्ली नगर पालिका ने घरेलू और औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले 1500 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल को यमुना में छोड़ने से पूर्व उपचार करने की एक योजना तैयार की है।

बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों का संचालन

4061. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर चलती रेलगाड़ियों और बसों की दुर्घटनाओं में हाल ही में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, रेल विभाग इन रेल फाटकों पर, विशेषकर जो नाजुक स्थानों पर स्थित हैं, चौकीदार रखने की कोई दीर्घकालीन योजना तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जहां पर यातायात की मात्रा अथवा अन्य विशेष कारणों की वजह से चौकीदार नियुक्त करने का औचित्य बनता है, वहां रेलें बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने से सम्बन्धित नीति का अभी तक अनुपालन करती आ रही हैं। जहा यातायात विशेष रूप से अधिक होता है अथवा आने वाली गाड़ी को देख पाना मुश्किल होता है, वहां सिगनलों, अन्तर्पाशित फाटकों अथवा अवरोधकों द्वारा चौकीदार वाले समपारों की सुरक्षा की जाती है।

अन्य उन्नत देशों-प्रचलित में पद्धति के आधार पर इस समय भारतीय रेलें आ रही गाड़ी की सूचना देने के लिए सौर ऊर्जायुक्त, रेडियो चालित स्वचल श्रव्य-दृश्य चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था करने पर विचार कर रही हैं ताकि आ रही गाड़ी के बारे में सड़क उपयोगकर्त्ताओं को काफी पहले से चेतावनी दी जा सके। अभी इस प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है और यदि इसे सफल पाया गया तो इससे बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने तथा मौजूदा चौकीदार वाले समपारों को सिगनलों से अन्तर्पाशित करने की जरूरत न्यूनतम हो जायेगी।

प्रस्तावित पहुंच चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था करने में प्रति समपार लगभग 2.5 से 3.0 लाख रुपए की लागत आयेगी जबकि सिगनल लगे चौकीदार वाले एक समपार पर 3.0 लाख रुपये से 6 लाख रुपये और बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने के लिए पूंजीगत लागत के रूप में लगभग 2 लाख रुपये जमा आवर्ती खर्च के रूप में प्रति वर्ष 25,000 रुपये की लागत आयेगी।

"वनस्पति और जीव जगत की लुप्त हो रही किस्मों की रक्षा के प्रयास"

4062. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनस्पति और जीव जगत की लुप्त हो रही किस्मों की रक्षा करने के लिये वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण विभाग और प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण विभाग दोनों ने 2000 ईसवी तक के लिए एक कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई कार्य योजना की रूपरेखा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण द्वारा सन् 2000 के लिए तैयार की गई कार्यवाही कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं :-

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

— 1998 तक सारे देश का वनस्पति सम्बन्धी सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

— कुछ प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया गया है जैसे उत्तरी पूर्वी भारत, अण्डमान और निकोबार दीप समूह, सिक्किम, दक्षिण पश्चिम घाट और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल हिमालय के शीत मरूस्थल क्षेत्र। 1994 तक सर्वेक्षण और वर्गीकरण-विज्ञान का अध्ययन पूरा कर लिया जाएगा।

— सम्पूर्ण देश की राष्ट्रीय वनस्पति 25 खण्डों में सन् 2000 तक प्रकाशित की जायेंगी।

— संकटापन प्रजातियों की सूची 1992 तक तैयार कर ली जाएगी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अपने प्रायोगिक गार्डनों और लतामण्डपों में संकटापन्न प्रजातियों की संख्या बढ़ायेगी।

भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण

— भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण ने अब तक देश के एक तिहाई भाग में प्राणिजात सम्बन्धी सर्वेक्षण किया है। 2000 ई० तक शेष भोगोलिक क्षेत्र का तीन चौथाई भाग पूरा कर लिया जाएगा।

— कुछ प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया गया है जैसे हिमालयी पारि-पद्धति, मरू-पारिपद्धति, अण्डमान निकोबार और लक्ष दीप के समुद्री द्वीप की पारी-पद्धति, और उष्णकटिबन्धी वर्षा वन (पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र) इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और अध्ययन 1995 तक पूरा कर लिया जायेगा।

— भारत के प्राणिजातों पर अब तक 115 खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। 2000 ई० तक अन्य 62 खण्ड प्रकाशित हो जाएंगे।

— संकटापन्न प्रजातियों का स्थिति सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाएगा और 1995 तक रेड डाटा बुक्स प्रकाशित करली जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालय, मास्को में प्रारम्भ की गई कक्षाएं

4063. **श्री सी० जंगारेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन आदेशों में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी, उनमें यह भी बताया गया था कि इन में कौन-सी कक्षा तक शिक्षा दी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो जिस स्वीकृति आदेशों में मास्को में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, उनमें इस बात का उल्लेख न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) मास्को स्थित केन्द्रीय विद्यालय में इस वर्ष कौन-सी कक्षा तक शिक्षा देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) मास्को में केन्द्रीय विद्यालय को खोलने के लिए संस्वीकृति आदेश में खोली जाने वाली कक्षाओं की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि इस संबंध में निर्णय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी द्वारा मौके पर उसकी सम्भाव्यता का अध्ययन करने के पश्चात् लिया गया था। केन्द्रीय विद्यालय, मास्को के मामले में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन का अधिकारी सितम्बर, 1987 के प्रथम सप्ताह में मास्को गया था जब खोली जाने वाली कक्षाओं के संबंध में निर्णय लिया गया था।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान मास्को स्थित केन्द्रीय विद्यालय में कक्षाएं I से IX तथा XI चल रही हैं।

"उड़ीसा के आदिवासियों को वन भूमि का आबंटन"

4064. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की उन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, जो अपनी परती भूमि का विकास नहीं कर पाये हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या उड़ीसा में काफी संख्या में आदिवासी आरक्षित वन क्षेत्रों में रह रहे हैं और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत उन्हें वन भूमि नहीं दी जा सकती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वन भूमि के उन भागों को आदिवासियों को बसाने के लिए आरक्षित किया जाये जो गैर-वन प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

(ग) उड़ीसा राज्य सरकार से इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

शैक्षणिक प्रकाशनों के लिए प्रकाशकों को राजसहायता प्राप्त मूल्य पर कागज

4065. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशकों को शैक्षणिक प्रकाशनों के लिए राजसहायता प्राप्त मूल्य पर सस्ता छपाई का कागज उपलब्ध कराया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कागज का आवंटन करने हेतु क्या मानदण्ड हैं ; और

(घ) इस प्रकार के छपाई के कागज का जिन प्रकाशनों को आवंटन किया गया है उनका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शिक्षा के क्षेत्र के लिए रियायती सफेद मुद्रण कागज के आबंटन की योजना के अन्तर्गत शैक्षिक प्रकाशन निकालने के लिए निजी और वाणिज्यिक प्रकाशकों को कागज आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न हीं नहीं उठते।

मलेरिया के रोगी

4066. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में मलेरिया के कितने रोगियों का पता लगाया है ; और

(ख) देश में कितने मलेरिया नियंत्रण यूनिट कार्य कर रहे हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं तथा उनके कार्यकलाप क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान पता लगाए गए मलेरिया रोगियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मलेरिया संबंधी संशोधन कार्रवाई योजना जो अप्रैल 1977 से चलाई जा रही है, के अधीन एक पूरा जिला एक मलेरिया यूनिट के रूप में मान लिया जाता है। देश में 424 जिले, कोयला क्षेत्रों में स्थित 8 यूनिटें तथा दण्डकारण्य परियोजना की दो यूनिटें मलेरियारोधी कार्य कर रही हैं जो इस प्रकार हैं।

(1) जिन क्षेत्रों में वार्षिक परजीवी प्रकोप (ए०वी०आई०) 2 और उससे ज्यादा हैं उनमें डी०डी०टी०/बी०एच०सी०/ मेलेथियन जैसे उपयुक्त कीटनाशकों के साथ अवशिष्ट कीटनाशी छिड़काव।

(2) देश के सभी मलेरियाई क्षेत्रों में नियमित रूप से पाक्षिक निगरानी।

(3) रक्त लेपों की तुरन्त जांच करने और कोई समय गंवाए बगैर मेडिकल उपचार शुरू करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशाला सेवन।

(4) देश के दूरदराज क्षेत्रों में कार्य कर रहे औषध वितरण केन्द्रों और बुखार उपचार डिपो के माध्यम से मलेरिया रोधी औषधियो का वितरण।

(5) देश के पी-फाल्सीपरम प्रजाति वाले क्षेत्रों में पी-फाल्सीफरम रोकथाम कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(6) लोगों में जानकारी पैदा करने के लिए मलेरिया संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा को गहन करना ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा पता लगाए गए मलेरिया रोगी

क्रम०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1985	1986	1987 (25.11.87 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	36814	28836	18396
2.	अरूणाचल प्रदेश	24896	21810	7789
3.	असम	61978	113135	40972
4.	बिहार	48960	42463	8817
5.	गोआ, दमन और द्वीव	341	827	3311
6.	गुजरात	139207	153562*	139246
7.	हरियाणा	104020	62575	17233
8.	हिमाचल प्रदेश	36478	42136	20310
9.	जम्मू और कश्मीर	34026	41815	9472
10.	कर्नाटक	39237	58119	40611
11.	केरल	3854	3382	2731
12.	मध्य प्रदेश	111631	165592	88844
13.	महाराष्ट्र	61825	47998	26753
14.	मनीपुर	1166	1778	856
15.	मेघालय	12560	14687	2599
16.	मिजोरम	16217	19116	13663
17.	नागालैंड	5163	6317	2564
18.	उड़ीसा	246223	316139	119639
19.	पंजाब	223756	174012	89586
20.	राजस्थान	67040	54618	29548
21.	सिक्किम	57	45	22
22.	तमिलनाडु	71347	58741	27392
23.	त्रिपुरा	8334	9318	4713
24.	उत्तर प्रदेश	373000	228244	68509
25.	वेस्ट बंगाल	46814	53620	15432

1	2	3	4	5
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3647	3246	2296
2.	चंड़ीगढ़	37546	30723	17908
3.	दादरा और नगर हवेली	2400	4150	3775
4.	दिल्ली	1556	26613	5960
5.	लक्षद्वीप	1	2	4
6.	पांडिचेरी	274	224	157
	अन्य			
1.	कोयला क्षेत्र	558	548	97
2.	दण्डकारण्य परियोजना	12451	7746	3779
	योग	1864380	1792167	832904 x

x ये आंकडें पूर्णत: अनन्तिम हैं ।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में नवोदय विद्यालय खोलना

4067. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालय उन जिलों में खोले जाते हैं जहां इन विद्यालयों के लिए भूमि और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर जिले में इसी प्रकार सुविधाओं की पेशकश की गयी है । तथापि, शाहजहांपुर, जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव से भूमि सम्बंधी न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं होती अत: उस पर विचार करना सम्भव नहीं था । उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से वैकल्पिक स्थान की

पेशकश करने के लिए अनुरोध किया गया है जहां पर्याप्त उपर्युक्त स्थान उपलब्ध हो। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में टंगस्टन के भंडारों का पाया जाना

4068. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के पाली जिले में टंगस्टन के बड़े भंडार पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस खनिज का किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा**) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में जिला पाली (राजस्थान) के पडराला-बीजापुर क्षेत्र में छोटे टंगस्टन अयस्क स्थल का गवेषण किया है, जिसमें 65 टन टंगस्टन ट्राइ-आक्साइड होने का अनुमान है। भारतीय भू-सर्वेक्षण, पाली जिले के अन्य क्षेत्रों में भी स्कार्न्स होस्टिंग टंगस्टन खनिजीकरण की खोज कर रहा है।

(ग) टंगस्टन मुख्यतः आयुध उद्योग, कटाई औजार निर्माण और इलेक्ट्रोनिक उद्योग में प्रयोग किया जाता है।

पश्चिम जर्मनी से पुराने "स्पंज आयरन" संयंत्र की खरीद

4069. **डा० चिन्ता मोहन** :
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम जर्मनी से पुराना स्पंज आयरन संयंत्र खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(ग) इस पुराने संयंत्र को खरीदने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस संयंत्र का वास्तविक मूल्य कितना है ; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नये संयंत्र का मूल्य कितना है ?

इस्पात और खान मंत्री (**श्री माखन लाल फोतेदार**) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

माध्यमिक स्कूलों में साइंसकिट

4071. **प्रो. सेफुद्दीन सोज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में साइंस किट उपलब्ध हैं और प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) रा. शे. अनु. तथा प्र. परिषद ने प्राइमरी कक्षाओं और अपर प्राइमरी कक्षाओं के लिए एक मिश्रित विज्ञान किट तैयार की है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए कोई विज्ञान किट तैयार नहीं की गयी है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रत्येक स्कूल में यह आशा की जाती है कि वहां पर सम्बंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट उपस्करों के साथ एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। विभिन्न विज्ञान विषयों और मिश्रित प्रयोगशालाओं के सम्बन्ध में प्रयोगशाला सुविधाओं से सम्बंधित सूचना 31. 12. 1973 की यथा स्थिति के अनुसार तीसरे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के दौरान मांगी गयी थी। देश के सभी भागों से स्थित स्कूलों से छोटे नमूने लेकर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान प्रयोगशालाओं की कारगर उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए रा. शे. अनु. तथा प्र. परिषद द्वारा एक परियजोना कार्यान्वित की जा रही है।

"कुटलिहार वन का अधिग्रहण"

4072. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या पर्यावरण और वन यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्वामित्व वाले कुटलिहार जागीर के सरकारी वन क्षेत्र, जिसका प्रबन्ध एक गैर सरकारी व्यक्ति के पास है, को नष्ट किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वनों की कटाई को रोकने के लिये इस वन का प्रबंध राज्य सरकार से अपने हाथ में लेने की भारी मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकार को यह मन्त्रणा देने का है कि केन्द्र की पर्यावरण संबंधी नीति के कार्यान्वयन के हित को ध्यान में रखते हुए इस वन का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की संभावना पर विचार किया जाये ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी (क) : और (ख) ब्यौरे राज्य सरकार से प्राप्त किए जायेंगे एवं सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

(ग) राज्य सरकार से मामले पर पूर्ण तथ्यों के प्राप्त होने पर ही निर्णय लिया जा सकता है।

दक्षिण-मध्य और मध्य रेलवे में कमीशन पर काम करने वाले बैरों को नियमित किया जाना

4073. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय द्वारा कमीशन पर काम करने वाले बैरों को नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के बारे में पहले लिए गये सामान्य निर्णय के बावजूद दक्षिण-मध्य और मध्य रेलवे में खानपान सेवा में कमीशन पर काम करने वाले अनेक बैरों को अभी तक सेवा में नियमित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण-मध्य और मध्य रेलवे में इस नीति को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन दोनो जोनल रेलवे में कमीशन पर काम कर रहे बैरों को नियमित कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना

4074. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध; प्राकृतिक चिकित्सा और योग जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए और उनमें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये विद्यमान संस्थानों का विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिये कौन से कदम उठाये हैं; और

(ख) इन पद्धतियों में उपचार की सुविधाएं प्रदान करने और वर्तमान सुविधाओं का का विस्तार करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कितने संस्थान, अस्पताल, औषधालय और क्लीनिक स्थापित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय चिकित्सा परिषद तथा केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के जरिये इन पद्धतियों के संस्थानों में शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के विकास के लिए छठी योजना में किए गये 85. 9 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले सातवीं योजना में बढ़ाकर 129.05 करोड़ रुपये कर दिए गये हैं।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के औषधालय व यूनिटें भी हैं। इस योजना के अन्तर्गत निकट भविष्य में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की एक-एक यूनिट खोलने का प्रस्ताव है।

जोनल रेलवे मैनेजरों का सम्मेलन

4075. **डा० वी० वेंकटेश** :
श्री भद्रेश्वर तांती :
श्री बालासाहिब बिखे पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सितम्बर, 1987 में जोनल रेलवे मैनेजरों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में जिन मामलों पर चर्चा की गई तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ था वे हैं : सूखे की स्थिति, माल गाड़ी परिचालन, संरक्षा, समय पालन, खर्च पर नियंत्रण, रेलपथ का नवीनकरण, रेलवे स्कूलों का कार्य-संचालन और जन शिकायत निवारण तंत्र ।

(ग) इन बैठकों का आयोजन एक सतत प्रक्रिया है और इनका बहुत से क्षेत्रों में रेलों पर अब तक के सर्वाधिक उत्पादकता सूचकांकों में योगदान रहा है ।

विज्ञान की उच्चतर शिक्षा के लिए बजट

4076. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवी योजना में विज्ञान की उच्चतर शिक्षा के लिए कितना बजट रखा गया है ; **और**

(ख) उन प्रमुख योजनाओं के नाम क्या हैं, जिन पर इसे व्यय किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत सातवीं योजना में उच्च शिक्षा के लिए कुल परिव्यय क्रमशः 420.00 करोड़ रुपये और 593.85 करोड़ रुपये है । इन्हें विज्ञान, मानविकी, समाज-विज्ञान आदि जैसे विभिन्न विषय वर्गों में अलग-अलग से आवंटित नहीं किया जाता है । तथापि, विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेष रूप से विकासशील विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए कार्यान्वित कार्यक्रमों के वास्ते 54.80 करोड़ रुपये का परिव्यय है । इन कार्यक्रमों में उन्नत अध्ययन केन्द्र, विशेष सहायता विभाग, विभागीय अनुसंधान सहयोग, लघु और प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं, समान अनुसंधान सुविधाएं, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए अवस्थापना को सुदृढ़ करना, आदि शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के संस्थागत विकास के वास्ते प्रदत्त परिव्यय का एक भाग भी उपयोग किया जाना है ।

"वन सम्पदा का संरक्षण"

4077. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दाह-संस्कार के लिए आग जलाने की लकड़ी का उपयोग करने के बजाय विद्युत शवदाहगृहों का उपयोग करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करके वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानूनी उपबंध बनाने की संभावना पर विचार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में सौर ऊर्जा से संचालित शवदाहगृह स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस मामले में सरकार कानून बनाना आवश्यक नहीं मानती है ।

(ख) और (ग) देश में सौर ऊर्जा चालित शवदाहगृह का विकास नहीं किया गया है ।

केन्द्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर ग्रेड के अध्यापकों और उप-प्रधानाचार्यों की भर्ती/पद-स्थापना

4078. डा० वी० वेंकटेश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्नातकोत्तर ग्रेड के अध्यापकों और उप-प्रधानाचार्यों को भर्ती/पदोन्नति के बाद पांच वर्ष के लिए दूसरे भाषायी क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लिया गया था और बोर्ड आफ गवर्नर्स की किस बैठक में लिया गया था ;

(ग) चालू शैक्षिक सत्र के दौरान भर्ती किए गए प्रधानाचार्यों का उनकी पदस्थापना के स्थानों सहित ब्यौरा क्या है ; और

(घ) किन मामलों में स्थानान्तरण संबंधी निर्देशों का पालन नही किया गया और इनका पालन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहो) : (क) जी, हाँ ।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी बोर्ड की 23/24.4.1987 को हुई 49 वीं बैठक में निर्णय लिया गया था ।

(ग) वर्ष 1987-88 के लिए प्रवरण पैनल के अनुसार पदोन्नति पर नियुक्त प्रधानाचार्यों की एक सूची, उनके तैनाती के स्थान विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

चालू शैक्षिक सत्र के दौरान पदोन्नति पर नियुक्त प्रधानाचार्यों की उनके तैनाती के स्थानों के साथ सूची

क्र० सं०	प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत उप प्रधानाचार्य का नाम	केन्द्रीय विद्यालय जहां कार्यरत है	केन्द्रीय विद्यालय जहां प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हैं
1.	श्रीमती एस० मल्होत्रा	नं० 2, कोलाबा	श्योल केन्ट
2.	श्री आर० बी० प्रसाद	नं० 2, हरिद्वार	बोंगाय गांव
3.	श्री एस०के०वाई० झा	नासिक रोड़	सरनी
4.	श्री एम० प्रसाद	शिमला	आई०एन०एस० मंडोवी
5.	श्री ए०बी० पाठक	तेजू	पुलगांव कैम्प
6.	श्री एम०ए० कृष्णन	आई०आई०टी० पोवाई	राजौरी

1	2	3	4
7.	*श्री के०पी० रविन्द्रन	एस०पी० बालेहोनूर	किश्तवर
8.	श्रीमती सारदा लाल	रामगढ़ कैन्ट	अद्रा
9.	श्री जे०एन० सरन	नं० 2 जयपुर	सी०आर०पी०एफ० दुर्गापुर
10.	श्री बी०एस० श्री कांतेश्वरन	येलहंका	गिल नगर
11.	श्री जी०आर० सिंह	झुनझुनु	नं० 3, जालंधर
12.	श्री जे०के० शर्मा	भोपाल	मीनाम्बकम
13.	श्री के० वासुदेवन	नं० 2 कासरगोड़	आकाश नगर बाचेली

*(एन.बी.एस. में प्रतिनियुक्ति पर)

जोनल प्रशिक्षण कालेज, चन्दोसी में प्रशिक्षणार्थियों के लिए भोजनालय सुविधायें

4079. **श्री विष्णु मोदी :**
श्री शांति धारीवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के चन्दौसी स्थित जोनल प्रशिक्षण कालेज में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण ले रहे रेल कर्मचारियों को भोजनालय की सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सुविधा के लिए कर्मचारियों से कितनी धनराशि ली जा रही है;

(ग) क्या भोजनालय की सुविधा गैर-सरकारी ठेकेदार प्रदान करता है और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं और ठेकेदार को प्रति कर्मचारी कितनी धनराशि दी जाती है;

(घ) प्रत्येक कर्मचारी को यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है और इन कर्मचारियों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों से भोजनालय प्रभार के रूप में अधिक धनराशि वसूल की जा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) प्रशिक्षणार्थियों को प्रदत्त भोजन सुविधाओं के लिए कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाता है।

(ग) जी हां। वर्तमान ठेके के अनुसार, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के लिए दिये गये मेनू के अनुसार भोजन की व्यवस्था करने के लिए भोजनालय ठेकेदार को 12.25 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। ठेके के नियम और शर्तों में प्रशिक्षणार्थियों को सप्लाई किया जाने वाला भोजन आदि शामिल है।

(घ) और (ङ) प्रशिक्षण अवधि के दौरान कर्मचारियों को कोई यात्रा-भता दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है क्योंकि कर्मचारियों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है और इसके अलावा जेब खर्च के रूप में वे दैनिक भत्ते के 20 प्रतिशत के बराबर की राशि पाने के पात्र हैं।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण कालेज, चन्दौसी के अध्यापकों के विरुद्ध कथित आरोप

4080. **श्री विष्णु मोदी :**
श्री शांति धारीवाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेल क्षेत्रीय प्रशिक्षण कालेज, चन्दौसी के अध्यापकों के विरुद्ध प्रशिक्षणार्थियों को, जिन्हें विभिन्नों ट्रेडों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए भेजा गया था, पास करने में अनियमितता बरतने के बारे में कोई शिकायत उनके ध्यान में लाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कथित शिकायत की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या उन लोगों को, जो इन अनियमितताओं को अधिकारियों के ध्यान में लाए हैं, उन अध्यापकों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है और उन प्रशिक्षणार्थियों को अपने सम्बन्धित ट्रेड परीक्षाओं में सफल घोषित नहीं किया गया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन लोगों को इस प्रकार परेशान किये जाने से सुरक्षा प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) रेलवे बोर्ड कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षणार्थियों को उत्तीर्ण करने के लिए उनसे अवैध रूप से पैसा इकट्ठा करने तथा पर्चे आउट करने के आरोप लगाये गये थे।

(ख) जी हां। जांच करने पर प्रशिक्षणार्थियों से अवैध रूप से पैसा इकट्ठा करने तथा पर्चे आउट करने से सम्बन्धित आरोप साबित नहीं हुए थे। तथापि, प्रधानाचार्य, एक प्रशिक्षक तथा एक प्रधान लिपिक की ओर से की गयी अन्य अनियमितताएं/चूकें ध्यान में आयी थीं ;

(ग) जांच के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को परेशान करने का कोई मामला नोटिस में नहीं आया था। फिर भी, उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित प्रधानाचार्य, प्रशिक्षक तथा प्रधान लिपिक को स्थानान्तरित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जा रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केन्द्रीय सरकार
स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाना

4081. **श्री उत्तमभाई ह० पटेल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कुछ उपनिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी 1 जनवरी, 1986 से 31 अक्तूबर, 1987 के दौरान सेवा निवृत्त हुए थे;

(ख) इनमें से कितने अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया और प्रत्येक मामले में, सेवाकाल बढ़ाये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के सामान्य नियम और नीति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी. हां।

(ख) और (ग) आमतौर पर सेवाकाल में वृद्धि के लिए किसी प्रस्ताव पर असाधारण और आपवादिक परिस्थियों अथवा जन हित को छोड़कर साधारणतया विचार नहीं किया जाता है और उपर्युक्त आधार पर 1.11.86 से 31.10.87 की अवधि के दौरान तीन अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया।

क्षय रोग अस्पतालों का दर्जा बढ़ाना

4082. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के क्षय रोग अस्पतालों का चरणबद्ध रूप में विकास करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अन्तिम रूप से किन-किन अस्पतालों को विकास के लिए चुना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जो केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 हिस्से के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, राज्य सरकारों को सामग्री, उपकरण और क्षयरोग-रोधी औषधें सप्लाई की जाती हैं। क्षयरोग पलंगों की व्यवस्था करना और क्षयरोग अस्पतालों का दर्जा बढ़ाना राज्य योजना क्षेत्र में शामिल है। इस समय देश में लगभग 46,000 क्षय रोग पलंग हैं।

राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार

4083. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-कलकत्ता रेल मार्ग पर लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर सीमेंट के स्लीपरों को लगाया गया है और इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस अधिक रफ्तार से चलती है;

(ख) कलकत्ता जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार लकड़ी के स्लीपरों को बदलने से पहले क्या थी और इस समय इस रेलगाड़ी की क्या रफ्तार है;

(ग) वे कौन-कौन से कारण हैं जिनके कारण कलकत्ता जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाना सम्भव हो सका है; और

(घ) बम्बई-कलकत्ता रेल मार्ग को बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए तैयार होने के बाद कितने समय की बचत होगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां नयी दिल्ली-कलकत्ता और नयी दिल्ली-बम्बई मार्गों पर चलती हैं। इन मार्गों पर लकड़ी के स्लीपर हैं जिनका आयु एवं हालत के आधार पर कंक्रीट तथा अन्य किस्म के स्लीपरों में बदलाव किया जा रहा है। लकड़ी के स्लीपरों का कंक्रीट स्लीपरों से बदलाव के कारण कलकत्ता जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की चालन गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) रफ्तार में वृद्धि रेलपथ संरचना, चल स्टाक, अनुरक्षण और प्रबोधन प्रणालियों में सुधार के कारण संभव हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बम्बई-कलकत्ता मार्ग पर कोई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलती है।

दिल्ली-बम्बई रेल लाइन का विद्युतीकरण

4084. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-बम्बई रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य इस समय किस चरण में है;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या इस मार्ग पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने के पश्चात रेलगाड़ियों के आने-जाने में लगने वाले समय में कमी आयेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक कमी आयेगी ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) दिल्ली छोर से दिल्ली-कोटा खंड और बम्बई छोर से बम्बई-रामगंज मंडी खंड पहले ही ऊर्जित किये जा चुके हैं। कोटा-रामगंज मंडी के बीच के शेष खंड के विद्युतीकरण का काम अग्रवर्ती चरण में है और 87-88 इसके पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

(ग) और (घ) हालांकि यात्रा समय में अन्तर बहुत मामूली होगा, लेकिन मुख्य लाभ प्रति गाड़ी यूनिट भार के सम्बन्ध में रहेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

4085. **श्री राम भगत पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में उपचारात्मक, निवारात्मक और संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया ; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्येक राज्य में बजट में स्वास्थ्य पर कुल कितने परिव्यय का उपबंध किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गये प्रतिव्यक्ति व्यय का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य के लिए योजना में रखे गए परि-व्यय का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर किया गया प्रति व्यक्ति व्यय

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1981-82 (रु०)	1982-83 (रु०)	1983-84 (रु०)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22.51	25.38	31.32
2.	अरूणाचल प्रदेश	158.05	170.05	157.01
3.	असम	19.38	24.69	30.04
4.	बिहार	14.49	15.60	15.22
5.	गोआ (दमण व द्वीव सहित)	122.94	144.16	176.71
6.	गुजरात	26.71	31.58	35.26
7.	हरियाणा	37.10	40.12	46.70
8.	हिमाचल प्रदेश	101.29	103.47	94 90
9.	जम्मू व कश्मीर	94.72	105.74	130.55
10.	कर्नाटक	21.00	26.71	24.90
11.	केरल	35.61	36.81	49.65
12.	मध्य प्रदेश	23.05	27.21	30.10
13.	महाराष्ट्र	33.26	39.39	45.04
14.	मणीपुर	83.04	95.39	98.07
15.	मेघालय	131.65	148.22	187.96
16.	मिजोरम	138.88	178.06	194.30
17.	नागालैंड	208.38	313.86	281.70
18.	उड़ीसा	22.18	28.12	32.47
19.	पंजाब	32.55	32.66	41.77
20.	राजस्थान	37.22	51.44	50.22
21.	सिक्किम	84.08	95.10	110.90

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	30.10	37.18	50.76
23.	त्रिपुरा	39.04	43.33	35.99
24.	उत्तर प्रदेश	14.38	17.38	21.47
25.	पश्चिम बंगाल	27.78	31.08	32.40
	संघ राज्य क्षेत्र			
26.	पांडिचेरी	94.11	106.28	104.99
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—		—
28.	चंडीगढ़		—	—
29.	दादरा व नागर हवेली	—	—	—
30.	दिल्ली	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—	—
	भारत	27.86	32.85	37.28

विवरण-II

वर्ष 1986-87 के दौरान स्वास्थ्य बजट में रखे गए राज्यवार कुल योजना परिव्यय का विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(रु० करोड़ में) प्रतिव्यय
1.	आंध्र प्रदेश	24.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.70
3.	असम	19.20
4.	बिहार	41.00
5.	गोआ (दमण व द्वीव सहित)	4.15
6.	गुजरात	15.69
7.	हरियाणा	12.28
8.	हिमाचल प्रदेश	5.75
9.	जम्मू व कश्मीर	14.00
10.	कर्नाटक	25.96
11.	केरल	12.00
12.	मध्य प्रदेश	35.50

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	65.20
14.	मणिपुर	2.60
15.	मेघालय	3.00
16.	मिजोरम	2.90
17.	नागालैण्ड	3.20
18.	उड़ीसा	12.65
19	पंजाब	14.84
20.	राजस्थान	18.39
21.	सिक्किम	1.32
22.	तमिलनाडु	26.76
23.	त्रिपुरा	3.20
24.	उत्तर प्रदेश	63.50
25.	पश्चिम बंगाल	25.80
26.	पांडिचेरी	1.50
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.65
28.	चंडीगढ़	1.87
29.	दादरा व नागर हवेली	0.27
30.	दिल्ली	34.00
31.	लक्षद्वीप	0.20
	भारत योग	**494.24**

रेल इंजनों की कमी

4086. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :**

श्री एस. एम. गुरड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे को कुल कितने रेल इंजनों की जरूरत है ;

(ख) क्या रबी की फसल का बुआई मौसम होने के कारण यातायात की अधिकता के कारण इनकी मांग बढ़ गई है।

(ग) यदि हां, तो कितनी ;

(घ) रेल इंजनों की कमी के कारण रेलवे को यातायात की कितनी हानि हो रही है; और

(ङ) स्वदेश में विनिर्माण के लिये आदिरूपों के रूप में कुछ शक्तिशाली रेल इंजनों का आयात करने से संबंधित पूर्ववर्ती प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलें इस समय लगभग 9550 रेल इंजनों का उपयोग कर रही हैं।

(ख) जी हां, उर्वरक, डीजल आदि जैसी कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में।

(ग) लगभग 10 से 15 प्रतिशत।

(घ) लक्ष्य की तुलना में कोई हानि नहीं है परन्तु जब मांग लक्ष्य से अधिक होती है तो आवश्यकता और रेल इंजनों की उपलब्धता के बीच मामूली बे-मेल हो जाता है।

(ङ) प्रोटो टाइप उच्च अश्व शक्ति वाले रेल इंजनों का आयात करने की योजना है, चालू वर्ष में चार रेल इंजनों के प्राप्त होने की संभावना है।

कान, नाक और गले की बीमारियों के उपचार हेतु कदम

4087. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कान, नाक और गले की बीमारियां अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) नई दिल्ली में हाल ही में हुई अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में इस पहलू पर क्या सिफारिशें की गई थीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) अन्य देशों की तुलना में भारत में कान, नाक, गले की बीमारियों के प्रभाव के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हाल ही में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बधिरता निवारण एजेंसी की गोष्ठी में जो एक मुख्य सिफारिश की गई है वह है श्रवण विकार की रोकथाम।

मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

(1) लोक स्वास्थ्य, कर्ण परिचर्या के डाक्टरों को प्रशिक्षण देना और प्रान्तीय अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था करना।

(2) तकनीकी, आडियोलोजिकल (श्रवण विज्ञान संबंधी) प्रशिक्षण और सेवा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना तथा ;

(3) तम्बाकू और तम्बाकू से बने उत्पादों की खपत को कम करने के लिए तम्बाकू रोधी उपाय करना।

महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार

4088. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने **की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के अंतर्गत महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के प्रति अधिक जोर और विशेष ध्यान दिया जाना था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के प्रसूति तथा स्त्री रोग विभागों में अनुभवी चिकित्सक उपलब्ध कराये जाते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान प्रसवोत्तर केन्द्र खोलकर उप-जिला स्तर के अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं की व्यवस्था की जा रही है उप-जिलास्तर पर अपेक्षित स्त्रीरोग विशेषज्ञों के 377 पदों में से 235 पद भरे हुए हैं। इन केन्द्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

4089. **श्री कमला प्रसाद** सिंह : क्या **स्वास्थ्य और** परिवार **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मातृ और बाल कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी डॉक्टर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रोग निवारक तत्व के रूप में मुख्यतः लोहयुक्त दवाये ही देते हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये औषधों की सूची के अंतर्गत लोहयुक्त दवाओं की मूल्य नियंत्रण के लिये सिफारिश नहीं की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार **कल्याण मंत्रालय में** राज्य मंत्री (**कुमारी सरोज खापर्डे**) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोगनिरोधन के रूप में आयरन और फालिक एसिड सम्पाक दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) फालिक एसिड औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की श्रेणी-II में शामिल है। फैरस सल्फेट जैसे आयरन कम्पाउंड जिनका प्रयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है को श्रेणी-I औषधों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

अंधेपन के कारण

4090. श्री राज कुमार राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंधेपन के क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार ने अंधेपन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) देश में इस समय कितने प्रतिशत व्यक्ति अंधेपन के शिकार हैं ; और

(घ) इसकी रोकथाम के लिए कौन-कौन सी विशिष्ट औषधियों अपेक्षित हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) निम्नलिखित परिस्थितियों द्वारा दृष्टिहीनता हो सकती है :- मौतिया बिन्द, रोहे और इससे संबंधित संक्रमण, पौष्टिक तत्वों की कमी, चोट, ग्लौकोमा, जन्मजात, उपापचय विकार और अन्य दैनिक बीमारियां ।

(ख) दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें लोगों की आँखों की परिचर्या के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करना शामिल है जिसमें विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विशेपज्ञ हों तथा स्वास्थ्य शिक्षा उपायों के साथ विस्तृत नेत्र शिविर प्रणाली को अपना कर जरूरतमन्द रोगियों को तेज राहत पंहुचाने की व्यवस्था शामिल है ।

(ग) 1971-73 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया कि देश में 90 लाख व्यक्ति अन्धे हैं । ये व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से भी ठीक से नहीं देख सकते । 1982 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित अन्य सर्वेक्षण में अनुमानतः 34.7 लाख व्यक्ति अन्धे थे जो 3 मीटर की दूरी से भी ठीक से नहीं देख सकते ।

(घ) दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए विशिष्ट औषधियां अपेक्षित हैं :-

1.	टैट्रामाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड	-आई ड्राप्स और आयन्टमेंट
2.	सोडियम सल्फामीटामाइड	-तदैव-
3.	पारलोकार्पिन	आई ड्राप्स
4.	हाइड्रोकॉर्टीसोन	आई ड्राप्स और आयन्टमेंट
5.	आयोडोक्सीयूटिडीन	आई ड्राप्स
6.	टिमालॉल	आई ड्राप्स
7.	एसीटाजोलामाइड	गोलियां
8.	एट्रोपीन	आई ड्राप्स और आयन्टमेंट
9.	होमाट्रोपिन	आई ड्राप्स
10.	विटामिन "ए" सोलयूशन	

[हिन्दी]

सारनाथ एक्सप्रेस के प्रस्थान के समय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

4091. **श्री राजकुमार राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 159 डाउन/160 अप सारनाथ एक्सप्रेस की गति दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है और यह ठीक समय पर वाराणसी नही पहुंच रही है ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यह गाड़ी दुर्ग से ऐसे समय पर चलती है जबकि यात्री इस गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाते ;

(ग) यदि हां, तो क्या दुर्ग और वाराणसी के यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्ग से इसके प्रस्थान के समय में परिवर्तन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। यात्रा समय में वास्तव में कमी कर दी गयी है।

(ख) से (घ) दोनों दिशाओं में गाड़ी के प्रस्थान/पहुंच का समय सुविधाजनक है और वर्तमान अनुसूची को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने में कार्यरत स्वयंसेवी संगठन

4092. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने में कितने संगठन कार्यरत हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुष्ठ रोग के उन्मूलन में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ग) इन स्वयसेवी संगठनों के अन्तर्गत कितने कुष्ठरोगी चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में लगभग 150 स्वैच्छिक संगठन कुष्ठ-रोधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनमें से 120 स्वैच्छिक संगठन अपनी निष्पादन रिपोर्ट केन्द्र को प्रस्तुत कर रहे हैं।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ स्वैच्छिक संगठनों को सर्वेक्षण, शिक्षा और इलाज (एस०ई०टी०) कार्यकलापों के लिए सहायक अनुदान के रूप में आंशिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सगठनों को दिया गया सहायक अनुदान नीचे दिया गया है :-

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राशि
1985-86	58.29
1986-87	74.39
1987-88 (नवम्बर, 1987 तक)	49.67

(ग) स्वैच्छिक संगठनों के पास 8.20 लाख कुष्ठ रोगियों का रिकार्ड है और इनमें से 7.26 लाख नियमित उपचार लेते हैं।

बसों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण को परमिट जारी करना

4093. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न मार्गों पर मार्ग-वार बसों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिट जारी करने का कोटा कितना है ;

(ख) मार्ग-वार कितनी बसों को यह परमिट जारी किये गये हैं जो इस समय अपने मार्गों पर चल रही हैं ;

(ग) क्या सरकार का किसी मार्ग पर राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिटों की संख्या बढ़ाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 47 के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा आमतौर पर सकल परिवहन जरूरतों और जनसाधारण के हित को ध्यान में रखते हुए स्टेज कैरेज परमिट जारी किए जाते हैं। यद्यपि परमिट जारी करने का कोई नियत कोटा नहीं है, फिर भी राज्य परिवहन प्राधिकरण जारी किए जाने वाले ऐसे परमिटों की संख्या सीमित कर सकता है।

दिल्ली में स्टेज कैरेज परमिट मुख्यतः दिल्ली परिवहन निगम को जारी किए जाते हैं। तथापि दिल्ली प्रशासन ने बेरोजगार स्नातक स्कीम, भूतपूर्व सैनिक, माइक्रो मिनी बसों, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों आदि के उत्थान के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम जैसी विशिष्ट स्कीमों के तहत विभिन्न रूटों पर 437 बसों के लिए परमिट जारी किए हैं।

एड्स रोगियों के उपचार के लिए वायरोलोजी संस्थान पुणे द्वारा मार्गनिर्देश

4094. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास में एड्स रोग से पूरी तरह ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए वायरोलोजी संस्थान, पुणे के विशेषज्ञों को कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एड्स रोगियों के उपचार के लिए कोई नई पद्धति विकसित की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राष्ट्रीय वायरोलोजी संस्थान, पुणे के परामर्श से मद्रास के फिजीशियन एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को समयानुवर्ती संक्रमण के उपचार सहित अपेक्षित सहायक चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

[हिन्दी]

बीच समुन्द्र में जहाजों से कम्प्यूटरों द्वारा सम्पर्क स्थापित करना

4095. **श्री मदन पांडेय :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब बीच समुन्द्र में भारतीय जहाजों से कम्प्यूटरों द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बीच समुद्र में भारतीय जहाजों से कम्प्यूटरों के माध्यम से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है बशर्ते कि उन जहाजों में अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम सेटेलाइट सिस्टम (आई. एन. एम. ए. आर. एस. ए. टी) के साथ काम करने के लिए उपकरण लगे हों। इस समय यह सुविधा अन्य देशों जैसे जापान, यू. के., नार्वे इत्यादि में स्थापित तटीय भू-स्टेशन के माध्यम से उपलब्ध है।

(ख) और (ग) पुणे के समीप अरवी में भारतीय तटीय भू-स्टेशन स्थापित करने के लिए संचार मंत्रालय के अधीन विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्कीम को अब अनुमोदित कर दिया गया है। स्कीम पर 14 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है और 1989 के अंत तक भू-स्टेशन स्थापित हो जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों पर तरल पदार्थ के भंडारण तथा व्यापार हेतु भूमि का आबंटन

4096. **श्रीमती पटेल रमाबेन राम जी भाई मावणि** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख पत्तनों पर तरल पदार्थ के भंडारण एवं व्यापार हेतु कम्पनियों को भूमि के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) वर्तमान नीति कब से लागू की गई है ;

(ग) विभिन्न अवधियों अर्थात एक वर्ष, 30 वर्ष तथा 30 वर्ष से अधिक वर्षों के लिए भूमि-आबंटन के लिए क्या मापदण्ड मार्गनिर्देश अपनाये जाते हैं ;

(घ) क्या अपनाये जाने वाले माप-दण्ड से, विशेष परिस्थितियों में, हटकर कोई आबंटन किया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) महापत्तनों पर तरल कार्गो की हैंडलिंग तथा स्टोरेज के लिए पार्टियों को भूमि आबंटित करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई भी विशेष मानदण्ड/नीति निर्धारित नहीं की गई है। सामान्यतः आवेदकों को भूमि पट्टे के आधार पर दी जाती है। जिनमें भूमि की उपलब्धता, अल्प अथवा दीर्घ काल में

पत्तन की भूमि-संबंधी जरूरतों की संभावना, पत्तन के जरिए यातायात को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। यदि 30 वर्ष से अधिक के समय के लिए लीज की आवश्यकता होती है तो केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है।

राजकोट-अहमदाबाद अन्तरनगरीय एक्सप्रेस को बडोदरा तक बढाना

4097. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजकोट अहमदाबाद अन्तरनगरीय एक्सप्रेस को बडोदरा तक बढ़ाने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गुजरात एक्सप्रेस अहमदाबाद और बम्बई के बीच की दूरी नौ घंटे से भी कम समय में तय कर लेती है जबकि सौराष्ट्र एक्सप्रेस हजरत से अहमदाबाद पहुंचने के बाद बम्बई पहुंचने में तेरह घण्टे से भी अधिक का समय लगाती है ;

(घ) क्या रेलवे को सौराष्ट्र एक्सप्रेस के लम्बी दूरी के यात्रियों से अहमदाबाद बम्बई मार्ग पर कम दूरी के यात्रियों के कारण होने वाली कठिनाइयों के संबंध में शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। इस आशय के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया है लेकिन इसे अतिरिक्त लाइन क्षमता और अन्य सुविधाओं के अभाव के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) पोरबन्दर की ओर से/को आने/जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त मार्गवर्ती ठहरावों के कारण अहमदाबाद और बम्बई के बीच सौराष्ट्र एक्सप्रेस का यात्रा समय गुजरात एक्सप्रेस की अपेक्षा 2 घंटे 25 मिनट अधिक है।

(घ) और (ङ) जी हां। भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित डिब्बों में कम दूरी के यात्रियों और मासिक सीजन टिकट धारियों द्वारा यात्रा करना अपराध है। ऐसे अनधिकृत यात्रियों को पकड़ने और उन्हें दण्ड देने के लिए बार-बार अभियान चलाये जाते हैं।

सूरत और उड़ीसा के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने हेतु प्रस्ताव

4098. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में सूरत से उड़ीसा में बृहमपुर तक के लिए नवजीवन एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सीधे जाने वाले सवारी डिब्बे लगाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सूरत और उड़ीसा के बीच इस समय कोई सीधा रेल सम्पर्क है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सूरत और उड़ीसा के बीच सीधा रेल सम्पर्क स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा वासी रेलवे पैसेंजर एसोसियेशन, सूरत से इस आशय का अनुरोध प्राप्त हुआ है तथापि, चूंकि नवजीवन एक्सप्रेस अपने अधिकतम अनुमेय भार के साथ चल रही है इसलिए इसमें अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना व्यवहारिक नहीं है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। इच्छुक यात्री नवजीवन एक्सप्रेस/अहमदाबाद-हवड़ा एक्सप्रेस और विजयवाड़ा/खड़गपुर में एक बार गाड़ी बदलकर उनकी मेल दिलाने वाली गाड़ियों से यात्रा कर सकते हैं। मार्गवर्ती खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता का अभाव होने तथा अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के कारण एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

इंडियन एसोसिएशन आफ मेडिकल माइक्रो बायोलोजिस्ट का दसवां राष्ट्रीय अधिवेशन

4099. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एसोसिएशन आफ मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट का दसवां अधिवेशन अक्तूबर, 1986 में माइक्रोबायोलोजी की विभिन्न शाखाओं, विशेष रूप से एड्स रोग से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में देश में अनुसंधान करने पर विचारविमर्श किया गया था ;

(ख) क्या इस कांग्रेस ने इस बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारत-अमरीका वैक्सीन कार्यवाही कार्यक्रम में एड्स रोग के संबंध में अध्ययन/अनुसंधान की व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट के दसवें अधिवेशन में एड्स रोग के बारे में कुछ कागजात प्रस्तुत किए गए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नही उठता।

रेल लाइनों को बदलना

4100. **श्री पी० कुल्लनदईवेलू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर लाइन मार्गों को बड़ी लाइन मार्गों में बदलने के लिए कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या वर्ष 1987-88 में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कोई राशि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां चालू आमान परिवर्तन निर्माण कार्यों के ब्यौरे तथा प्रत्येक के सामने 1987-88 में आबंटित धन-राशि पिंक बुक जो कि 1987-88 के बजट प्रलेखों का भाग है, में दिये गये हैं।

तरल पदार्थ के भंडारण हेतु पत्तन भूमि का आबंटन

4101. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन न्यास के नियन्त्रणाधीन भूमि तरल पदार्थ के भंडारण हेतु केवल एकाधिकार प्राप्त कम्पनियों को आबंटित की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न पत्तनों में 92 प्रतिशत भूमि तरल पदार्थ रखने के लिए केवल एक कम्पनी तथा इसकी सहयोगी कम्पनियों को दे दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न कम्पनियों को भूमि का आबंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं .

(ख) यह सही नहीं है कि विभिन्न पत्तनों में 92 प्रतिशत भूमि तरल पदार्थ रखने के लिए केवल एक कम्पनी और उसके सहयोगियों को आबंटित की गई है।

(ग) प्रश्न ही नही उठता ।

ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीधोपा के पास नरनारायण सेतु

4102. **श्री अब्दुल हमीद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में जोगीधोपा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर "नरनारायण रेल एवं सड़क पुल" नामक तीसरे पुल का 1983 में शिलान्यास करते समय स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह अश्वासन दिया था कि यह पुल वर्ष 1990 तक पूरा हो जाएगा किन्तु इसका निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1983 में नींव रखते समय पुल के किसी निश्चित समय-सीमा में पूरा करने का वचन नहीं दिया गया था। विगत में संसाधनों की तंगी के कारण पुल का निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया जा सका। तथापि 1987-88 के दौरान 8 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं तथा उत्तरी छोर पर परम्परागत हिस्से की उपसंरचना का कार्य

शुरू करने का प्रस्ताव है। दक्षिण छोर पर पुल के केबुल टिकान वाले हिस्से के अभिकल्प के लिए एक परामर्श-ठेका भी दिया जा चुका है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता के घाटों का उपयोग

4103. श्री अमल दत्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री कलकत्ता के घाटों के उपयोग के बारे में 24 जुलाई, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1089 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे और राज्य सरकार द्वारा कलकत्ता घाट क्षेत्र के उपयोग सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने तथा कार्यान्वित करने में यदि कोई और प्रगति हुई है, तो कितनी हुई है;

(ख) उक्त मामले के निपटान में विलम्ब के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं;

(ग) क्या किसी वाणिज्यिक/व्यवसायिक परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) पूर्वी रेलवे और राज्य सरकार द्वारा कलकत्ता जेटी क्षेत्र के उपयोग के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिए जाने में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण से किसी वाणिज्यिक व्यावसायिक परिसर के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ?

हुगली नदी के नौवहन चेनल का उपयोग करने के लिए उस में से मिट्टी-रेत निकालना

4104. श्री अमल दत्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री हुगली नदी के नौवहन चैनल से मिट्टी-रेत निकालने के बारे में 31 जुलाई, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2073 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुगली नदी के नौवहन चैनल से गाद/मिट्टी रेत निकाल कर कुल कितनी टन भार क्षमता के जहाजों के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा;

(ख) नौवहन चैनल का उपयोग करने वाले जहाजों की अधिकतम टन भार क्षमता के संदर्भ में इस नौवहन चैनल का कुल कितना उपयोग किया गया और इस नौवहन चैनल की कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया; और

(ग) नदी के किन भागों का निकर्षण किए जाने की आवश्यकता है और कितनी-कितनी अवधि के पश्चात् निकर्षण की आवश्यकता होती है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) हुगली नौवहन चैनल में निकर्षण और नदी सुधार कार्यों के माध्यम से यह प्रस्ताव है कि पूरे लदे हुए 14,000 डी० डब्ल्यू०टी० के जहाज (7.9 मी० तक डुबाव) कलकत्ता पत्तन पर पहुंच सके और 40,000 डी० डब्ल्यू०टी० के जहाज (10.67 मी० तक डुबाव) हल्दिया गोदी परिसर पहुंच सकें।

(ख) जहाजों के टनेज के संदर्भ में नौवहन चैनल के उपयोग का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

(ग) जिन नदी खण्डों में इस समय निकर्षण की आवश्यकता है वे हैं -मोयापुर, फाल्टा, नूरपुर, बालारी, जेलिंघम, आकलैंड और मिडिल्टन, ये कलकत्ता से डाउनस्ट्रीम पर क्रमश: 18, 26, 50, 62, 72 और 88 समुद्री मील पर हैं। इन खण्डों पर सामान्यत: प्रतिवर्ष निकर्षण कार्य किया जाता है जो ड्रेजरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

कोककारी कोयले का आयात

4105. **श्री अमल दत्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री कोककारी कोयले के आयात के बारे में 2 मई, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 833 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोक भट्टी के लिए आयातित कोककारी कोयले से सम्बन्धित विशिष्ट विवरण क्या है।

(ख) इसका आयात किन देशों से किया गया; और

(ग) देश में उपलब्ध कोककारी कोयले की सर्वाधिक उपयुक्त क्वालिटी का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी ठोस परियोजनाएं शुरू की गई हैं और ऐसी प्रत्येक परियोजना पर आज तक कितना व्यय हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) इस्पात उद्योग में कोक भट्टियों में इस्तेमाल के लिए 10 प्रतिशत राख (अधिकतम) वाले धातुकर्मी कोककर कोयले का आयात किया जा रहा है;

(ख) अभी तक कोककर कोयले का आयात आस्ट्रेलिया, पोलेंड, अमरीका और कनाडा से किया गया है।

(ग) देश में उपयुक्त क्वालिटी के देशीय कोककर कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं :-

परियोजना का नाम	उत्पादन क्षमता का लक्ष्य (प्रतिवर्ष लाख टनों में)	सितम्बर: 1987 तक किया गया व्यय (अनन्तिम) (करोड़ रुपये)
मूनीडीह भूमिगत खान	21.0	14 12
पुटकी बुलियारी भूमिगत खान	30.0	50.00
भालगोरा भूमिगत खान	12.0	17.94
ब्लाक-II ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	25.0	95.47
दामोदर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट	10.0	27.52

उपर्युक्त के अलावा, मधुबन्द तथा पुटकी की धोवनशालाओं को क्रमश: 71.90 करोड़ रुपये तथा 92.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्थापित किया जा रहा है तथा पाथरडीह धोवनशाला का 27.27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में खनिजों के लिए सर्वेक्षण

4106. **श्री अमल दत्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में खनिज भंडारों की खोज के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है और यह सर्वेक्षण किन-किन खनिजों के लिए किया गया और यह कब कियां गया था; और

(ग) सर्वेक्षण के परिणाम क्या रहे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल में खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए गहन और विस्तृत सर्वेक्षण किए गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जिन प्रमुख खनिजों का सर्वेक्षण किया गया है, उनकी स्थिति और अवधि इस प्रकार है :-

1. सीसा-जस्ता, गोरूबाथन क्षेत्र (1972-84), जिला-दार्जिलिंग ।
2. तांबा, तमखुन क्षेत्र (1970-74), जिला-पुरूलिया ।
3. एपेटाइट, बेल्दिया-कुथी-चिरूगोरा क्षेत्र, जिला-पुरूलिया ।
4. चुनापत्थर, झाल्दा क्षेत्र (1958-59) और (1973-80) जिला-पुरूलिया ।
5. डोलोमाइट, जयन्ती क्षेत्र (1965-67, 1977-80) जिला-जलपाईगुड़ी ।
6. टंगस्टन, छेन्दा पठार और पोरापहाड़ क्षेत्र (1964-67, 1977-79) जिला-बांकुरा ।
7. मिट्टी, बोरभूम, बांकुरा, बर्दवान, मिदनापुर और पुरूलिया जिले (1960-69) ।

कोयला, जो प्रमुख स्रोत है, का सर्वेक्षण, गवेषण और दोहन आजादी के पहले से किया जा रहा है। मुख्य क्षेत्र हैं : बर्दमान जिले में रानीगंज कोलफील्ड, बीरभूम कोलफील्ड, दार्जिलिंग कोलफील्ड, बरजोरा कोलफील्ड आदि। रानीगंज कोलफील्ड और बीरभूम कोलफील्ड के कुछ भागों में कोयले का गवेषण चल रहा है।

(ग) अब तक आकलित भंडार/स्रोत : हैं :-

3.25 मिलियन टन सीसा-जस्ता अयस्क,
0.11 मिलियन टन तांबा अयस्क,
23.35 मिलियन टन चूनापत्थर,
252.47 मिलियन टन डोलोमाइट,
0.38 मिलियन टन टंगस्टन अयस्क और
28154.16 मिलियन टन कोयला भंडार (विभिन्न ग्रेड) ।

अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा स्थापित परिवहन व्यापार

4107. **श्री मानिक रेड्डी :**
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री धर्मपाल सिंह मल्लिक :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अविह् एण्ड हेंडर्स सहित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत में 15 बड़े शहरों में स्थित बड़ी कम्पनियों को अपनी कारें किराया के आधार पर देकर देश में अपना परिवहन व्यापार स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो उन अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की संख्या और उनके नाम क्या हैं जिन्होंने यह व्यापार स्थापित किया है;

(ग) क्या ये कम्पनियां भारत में 25 और बड़े शहरों में अपने व्यापार का विस्तार करने की योजना बना रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) तीन भारतीय कम्पनियों ने तीन विदेशी "रेन्ट-ए-कार" कम्पनियों अर्थात् मेसर्स हर्ट्ज इंटरनेशन लिमिटेड, यू०एस०ए०, बजट "रेन्ट-ए-कार इंक," यू०एस०ए० और मेसर्स यूरोपकार इन्टरनेशनल फ्रांस के साथ सहयोग करार किए हैं।

देश में "रेन्ट-ए-कार" स्कीम अभी प्रचलन में नहीं है क्योंकि मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं है।

मालाबार क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों से नई दिल्ली के लिए आरक्षण कोटा

4108. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालाबार क्षेत्र में, विशेष रूप से तिरूर स्टेशन (पालघाट डिविजन) पर रेलवे स्टेशनों से नई दिल्ली के लिए आरक्षण कोटा दैनिक सेवा शुरू किए जाने के परिणामस्वरूप कम किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

माल-भाड़ा संचालन सूचना प्रणाली

4109. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलों में माल-भाड़ा संचालन सूचना प्रणाली को कार्यान्वित करने में कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : 520 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कम्प्यूटरीकृत माल गाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली 1982 में स्वीकृत की गयी थी। संशोधित लागत अनुमानों की, जिनकी इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा दिए गए सुझावों के आलोक में आगे पुनरीक्षा की गयी थी, फिलहाल संवीक्षा की जा रही है।

कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्य में संलग्न स्वयं सेवी संगठनों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव

4110. **श्रीमती बासवराजेश्वरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वयंसेवी संगठनों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) सरकार ने भारत में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिए कुल कितनी सहायता प्रदान की है;

(ग) क्या कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्य में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों का अक्तूबर, 1987 में एक सम्मेलन हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सुझाव दिए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम सभी भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक शतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। सातवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए शुरू में 66 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1985-86 और 1986-87 में कुल खर्च 29.18 करोड़ रुपये हुआ था और वर्ष 1987-88 के लिए परिव्यय 17.00 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) जी, हां, सम्मेलन में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं :

(1) कुष्ठ रोग स्वयंसेवी संगठनों के लिए धन के वर्तमान आवंटन में वृद्धि की जाए।

(2) सरकारी क्षेत्र में अप्रशिक्षित कुष्ठ रोग स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए स्वयंसेवी प्रशिक्षण केन्द्रों में मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं का भी उपयोग किया जाए।

(3) भारत सरकार द्वारा तैयार की जा रही और राज्य सरकारों को भेजी जा रही स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री को स्वयंसेवी संगठनों को भी सीधे भेजा जाए।

(4) स्वयंसेवी संगठनों को चाहिए कि वे ठीक हुए कुष्ठ रोगियों की पुनर्वास सम्बन्धी सेवाओं में सक्रिय रूप से जुट जाएं।

(5) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यकलापों में तालमेल रखने और जरूरत के क्षेत्र निश्चित करने, स्वयंसेवी संगठनों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करने और एक काम को दो बार किए जाने से बचने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक समिति गठित की जाए जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, आर०एल०ई०पी० के सदस्य शामिल हों।

कर्नाटक में अन्तर-राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए सहायता

4112. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** :
श्री एस०बी० सिदनाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वर्ष 1987-88 के दौरान कर्नाटक में अन्तर-राज्यीय आर्थिक महत्व की कुछ चुनिंदा राज्य-सड़कों के विकास के लिए ऋण के रूप में सहायता देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सहायता राशि की मांग सहित राज्य सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंजूर किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उनके लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

4113. **डा० सुधीर राय** : क्या **मानव** संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान शीघ्र दिए जाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1987 में राज्य स्तरीय आयोजना, उच्च शिक्षा के समन्वय तथा स्तरों पर निगरानी रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ समन्वयकारी पद्धतियों के विकास के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। यह आशा की जाती है कि जब ये परिषदें स्थापित हो जाएंगी तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों से अधिक कारगर होंगी।

टैलकम पाउडर का दुष्प्रभाव

4114. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री एस०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य** और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैलकम पाउडर से जिसका देश में अत्याधिक प्रयोग होता है, चर्म रोग और फेफड़े की अनेक बीमारियां हो सकती हैं,

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान कराया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में यह अनुसंधान कराने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार आमतौर पर टैलकम पाउडर इस्तेमाल करने से अनेक त्वचा और वक्ष

रोग नहीं होते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति पर इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है जिसे टैलकम पाउडर के किसी विशेषब्रांड के एक घटक अथवा अनेक घटकों से एलर्जी हो। इस विषय पर सरकार द्वारा कोई विशिष्ट अनुसंधान नहीं किया गया है और सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के असंतुलन को दूर करना

4115. **श्रीमती उषा चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञों के छठे एशियाई महासागरीय सम्मेलन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं के बीच असंतुलन को दूर करने का सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने गावों में रहने वाले लोगों को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम तैयार किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) नाक-कान-गला रोग के विशेषज्ञों का छठा एशिया ओशनिया सम्मेलन 9-13 नवम्बर, 1987 को नई दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन के वैज्ञानिक, सत्र में कान-नाक और गले से सम्बन्धित रोगों विभिन्न नैदानिक तथा रोगहर पहलुओं में नवीनतम प्रगति पर विचार-विमर्श हुआ और इसमें चिकित्सा सुविधाओं के बीच असंतुलन दूर करने का सुझाव नहीं दिया गया।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य गाइडों और प्रशिक्षित दाइयों के तंत्र के माध्यम से उपलब्ध की जाती हैं। इन सुविधाओं में और वृद्धि की जा रही है ताकि सातवीं योजना के अन्त तक प्रत्येक गांव में कम से कम एक ग्राम स्वास्थ्य गाइड ओर प्रशिक्षित दाई उपलब्ध हो जाए। नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस उद्देश्य के साथ खोले जाते हैं कि सामान्य क्षेत्रों में 30,000 आबादी पर तथा आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध हो जाए। सामान्य क्षेत्रों में 5000 ग्रामीण आबादी पर और आदिवासी क्षेत्रों में 3000 आबादी पर एक के हिसाब से उप-केन्द्र खोले जा रहे हैं जिनमें एक पुरुष और एक महिला बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता की व्यवस्था होगी।

विदर्भ क्षेत्र में रेल सुविधाओं में सुधार करना

4116. **श्रीमती उषा चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विदर्भ से बंगलौर, मद्रास आदि शहरों को जाने वाले यात्रियों को प्राप्त रेल सुविधायें अपर्याप्त हैं और इन क्षेत्रों के लिए कोई भी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) क्या बम्बई, नागपुर, वर्धा और चन्द्रपुर के लिए अपर्याप्त रेल सेवाओं के होने के कारण लोगों में असंतोष और निराशा व्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों पर रेल सुविधाओं में सुधार करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं। उत्तर-दक्षिण मार्ग की सभी सुपरफास्ट और एक्सप्रेस गाड़ियां तथा अहमदाबाद/बिलासपुर की ओर से चलने वाली गाड़ियां विदर्भ क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करती हैं।

(ख) और (ग) बल्लाहरशाह और दादर के बीच 39/40 एक्सप्रेस गाड़ी में दिसम्बर, 1987 से दो थ्रू सवारी डिब्बे लगाये जायेंगे। 1988 में एक नयी नागपुर-बम्बई गाड़ी शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

डाक्टरों द्वारा फिर से आन्दोलन छेड़ने की धमकी

4117. **श्री बी० तुलसी राम :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की संयुक्त संघर्ष परिषद और डाक्टरों के अन्य संगठनो ने पुन: आन्दोलन छेड़ने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) हड़ताल को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) डाक्टरों की मांगों के कब तक पूर्ण रूप से पूरा होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सेवा डाक्टरों के संयुक्त कार्यवाही संघ से हड़ताल का कोई नया नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नही उठते।

(घ) सरकार ने डाक्टरो को लाभों का एक पैकेज मंजूर किया है। वैसे ये लाभ पूर्णरूप से कब लागू होंगे इस बारे में कोई सीमा निर्धारित कर पाना कठिन है। हड़ताल कर रहे डाक्टरों को पेश किए गए पैकेज के उपबन्धों को लागू करने के लिए जो कार्रवाई की गई है वह इस प्रकार है :-

(1) प्रेक्टिस बन्दी भत्ता और वाहन भत्ता देने सम्बन्धी आदेश जारी कर दिए गये हैं।

(2) कार्मिक भत्ता देने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने की कार्रवाई जारी है और ये आदेश शीघ्र जारी कर दिए जाने की आशा है।

(3) उन चिकित्सा अधिकारियों को जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नत करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गये हैं।

(4) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, रेलवे चिकित्सा सेवा और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अधीन चिकित्सा पदों का संदर्भ बनाने की छानबीन करने के लिए एक अन्तरविभागीय समिति गठित की जा चुकी है। इस समिति ने पहले ही अपना कार्य शुरू कर दिया है।

(5) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के जिन पदों का दर्जा बढ़ाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद बनाया जाना था उनका पता लगाया जा चुका है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली 1982 के वर्तमान उपबन्धों को शिथिल करने की कार्रवाई अधिकतर पूरी

हो चुकी है जिससे कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बताया जा सके।

(6) 16 सहायक प्रोफेसरों, जिन्होंने सहायक प्रोफेसर के पद पर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, को सहप्रोफेसरों के पद पर पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है। 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाले शेष सहायक प्रोफेसरों को उस समय पदोन्नत कर दिया जाएगा। अब सहायक प्रोफेसर और सहप्रोफेसर के बीच 1:1 के अनुपात के वर्तमान उपबन्धों को शिथिल कर दिया जाएगा। इस दिशा में काफी हद तक काम पूरा हो चुका है।

(7) सुपरटाइम ग्रेड में 35 पद बनाए जा चुके हैं। (पैकेज लाभों के परिणाम स्वरूप 25 तथा चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 10)।

(8) विशेषज्ञों (3000-5000 रु०) को 5 साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद 3700-5000 रु० के नये वेतनमान और 9 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद विशेषज्ञ ग्रेड-2 में 4500-5700 रु० का वेतनमान देने की कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है। इस कार्य के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य नियमावली 1982 के वर्तमान उपबन्धों में संशोधन करने की जरूरत है। इस सम्बन्ध में की जाने वाली काफी कार्रवाई पूरी हो चुकी है।

(9) सह प्रोफेसरों को वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर 4500-5700 रु० का वेतन-मान देने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली 1982 के वर्तमान उपबन्धों को संशोधित करने की कार्रवाई की जा रही है।

(10) उच्चवेतन और 3 समयबद्ध पदोन्नतियां देने सम्बन्धी मांगे मंत्रियों के एक दल के पास विचारार्थ भेज दी गई हैं।

"उद्योगों के विकास से हुई वन क्षेत्र की हानि"

4118. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उद्योगों की स्थापना के कारण राज्यवार कितने वन क्षेत्र की कटाई हुई है; और

(ख) उद्योगों ने पर्यावरण पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिसकी वजह से सूखा पड़ा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने उद्योगों को स्थापित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद निम्नलिखित वन क्षेत्रों में वन-कटाई की अनुमति दी है :-

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	क्षेत्र (हे० में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	204.6
2.	असम	6.93
3.	बिहार	100.91

4.	कर्नाटक	0.80
5.	केरल	32.00
6.	मध्य प्रदेश	1061.892
7.	महाराष्ट्र	120.283
8.	उड़ीसा	3655.23
9.	राजस्थान	123.00
10.	तमिलनाडु	17.00
11.	उत्तर प्रदेश	210.00
	कुल :	5532.645हे०

उद्योगों की स्थापना के कारण हुए वननाशन और उद्योगों द्वारा सूखे की स्थिति पैदा किए जाने से पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

"पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अपेक्षित वन क्षेत्र"

4119. **श्री पी. एम. सईद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिये अपेक्षित वन-क्षेत्र का न्यूनतम अनुपात निर्धारित करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय इस अनुपात को बनाने रखा जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ताकि भविष्य में सूखे और अन्य गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीजियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय वन नीति में यह निर्धारित है कि देश का एक तिहाई क्षेत्र बनाच्छादित/वृक्षों से ढका होना चाहिए। लैण्डसैट डाटा की व्याख्या पर आधारित अध्ययनों से यह प्रदर्शित होता है कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 19.52 प्रतिशत भाग हरित वनस्पति से आच्छादित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार ने पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए निम्नलिखि उपाए किये हैं :-

1. प्रतिवर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ईंधन की लकड़ी और चारा पौधरोपण के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से 1985 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना।
2. हिमालय में मिट्टी, जल और वृक्ष संरक्षण और अन्य वनरोपण कार्यक्रम शुरू करना।
3. राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं :-

(1) प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां ऐसी कटाई फसलों को पुनः उगाने और अन्य वनवर्धन उपयोग के लिए अनिवार्य हो तो इसे पहाड़ियों में 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर क्षेत्रों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

(2) कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ियों में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई में पेड़ों को काटने पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार करना।

(3) पहाड़ियों और पर्वतों में नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना जहां वनों की कटाई से सुरक्षा की अपेक्षा है और तत्काल वनरोपण की आवश्यकता है।

(4) भौगोलिक क्षेत्र के 4 प्रतिशत को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडल रिजर्व आदि जैसे सुरक्षित क्षेत्र के रूप मे अलग रखना।

4. अवसंरचना का विकाश और वन की सुरक्षा के लिए कानूनी उपबन्धों का प्रवर्तन।

5. वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाने से रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्रवर्तन।

6. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के प्रतिस्थापन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास।

7. पैकेजिंग, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण में वैकल्पिक सामग्रियों द्वारा लकड़ी का प्रतिस्थापन।

8. वन उत्पादों के लिए उदारीकृत आयात नीति।

9. उद्योगों को लकड़ी के प्रतिस्थापन हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन देना।

10. परिरक्षण उपचार के प्रयोग पर जोर दिया गया है ताकि इमारती लकड़ी की मियाद को अधिक लम्बी अवधि तक रखा जा सके, इससे मांग में कमी होगी।

11. झूम खेती पर नियंत्रण।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रयोगशाला सुविधा युक्त औषधालय

4120. **श्री पी०एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उन औषधालयों का ब्यौरा क्या है जिनमें रक्त और मूत्र परीक्षण आदि के प्रयोगशाला परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या नई दिल्ली में नार्थ एवेन्यू और साऊथ एवेन्यू क्षेत्र में स्थित औषधालयों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापडे) :

(क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। नार्थ और साऊथ एवेन्यू क्षेत्रों में स्थित औषधालय डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नजदीक हैं और इस बजह से ये प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए उस अस्पताल के साथ संलग्न कर दिये गए हैं। यद्यपि, ये औषधालय मुख्यत: संसद सदस्यों को ही सेवा प्रदान करते हैं और वे अपने रोगात्मक परीक्षणों को पार्लियामेन्ट हाऊस एनेक्सी में स्थित चिकित्सा केन्द्र से भी करा सकते हैं।

विवरण

प्रयोगशाला सुविधाओं वाले औषधालयों के नाम

1. कस्तूरबा नगर-I (पोलीक्लीनिक)
2. लाजपत नगर
3. लक्ष्मीबाई नगर
4. मोती बाग
5. आर. के. पुरम सैक्टर-III
6. सरोजनी नगर मार्केट
7. श्री निवासपुरी
8. दक्षिणपुरी
9. वेल्लेसैली रोड़
10. चित्र गुप्ता रोड़
11. प्राथमिक चिकित्सा उपचार (केन्द्रीय-सचिवालय)
12. संसदीय सौध (पार्लियामेन्ट हाऊस एनेक्सी)
13. गाजियाबाद
14. गुडगांव
15. फरीदाबाद
16. अशोक बिहार
17. दरियागंज
18. देव नगर
19. किग्जवे कैंप
20. पूसा रोड
21. राजौरी गार्डन
22. राजपुर रोड
23. शाहदरा
24. शकूरबस्ती
25. सब्जीमण्डी
26. तिलक नगर
27. पश्चिम बिहार

जहाजों में दुर्घटना रिकार्ड करने के लिये इलैक्ट्रोनिकी उपकरण लगाना

4121. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मालवाही और यात्री जहाजों में दुर्घटना रिकार्ड करने के लिए इलैक्ट्रोनिक उपकरण लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) वाणिज्यिक जहाजों में इलैक्ट्रानिक दुर्घटना रेकार्डिंग उपकरण लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कर्मचारियों की कमी को दूर करने के उपाय

4122. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का एक ओर चिकित्सकों की भरमार किये जाने तथा दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की निरन्तर कमी से उत्पन्न स्थिति से किस प्रकार निपटाने का प्रस्ताव है; और

(ख) फालतू चिकित्सकों को रोजगार पर लगाने और स्थिति को हल करने के लिये लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल डाक्टरों को कार्य करने हेतु आकर्षित करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इनकी कमी को पूरा करने के लिए आठवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल पर राज्यों को निम्नलिखित सहायता दी है :-

(I) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य कर रहे डाक्टरों को 250/- रुपए ग्रामीण भत्ते के लिए धन।

(II) जहां डॉक्टरों को रिहायशी मकान उपलब्ध नहीं हैं वहां उनको 150/- रुपए प्रतिमाह की दर पर मकान किराया भत्ता देने के लिए धन।

(III) रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण हेतु अनुदान।

(IV) केन्द्र सरकार ने फार्मासिस्टों तथा प्रयोगशाला तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करने के लिए एक स्कीम भी बनाई है।

"गंगा सफाई योजना के लिए विदेशी सहायता"

4123. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक सहायता और अन्य विदेशी सहायता से गंगा नदी को साफ करने की योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) कुल प्राप्त सहायता में से अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के तीन राज्यों में 30 नवम्बर, 1987 तक 180.15 करोड़ रुपए के परिव्यय

की 183 स्कीमों को मंजूरी दी जा चुकी है। 24 नगरों में कार्य शुरू हो गया है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 30 नवम्बर, 1987 तक 49.76 करोड़ रुपये की धनराशि दी जा चुकी है। 1986-87 के अंत तक 2.25 करोड़ रूपए लागत पर पांच स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं और चालू वित्त वर्ष के अंत तक 19.38 करोड़ रूपए की लागत पर 42 स्कीमें पूरी हो जाने की आशा है।

भारत सरकार और विश्व बैंक में एक समझोता हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश शहरी विकास परियोजना, जिसका गंगा कार्य योजना एक घटक है, को विश्व बैंक की सहायता दिए जाने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश शहरी विकास परियोजना पर आकस्मिक व्यय समेत 283.27 करोड़ रूपए की कुल लागत आने का अनुमान है। इसमें से गंगा कार्य योजना घटक पर 57.77 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत निम्नलिखित मदों पर आएगी :

(1) तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण।

(2) कुछ स्थानों पर सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण

(3) सीवरों की यांत्रिक सफाई के लिए साज-सामान की प्राप्ति और नदी जल गुणवत्ता की स्वचालित निगरानी। विश्व बैंक आयातों, यदि कोई हो, की पूरी लागत और प्राप्त की जाने वाली स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं की लागत का 52 प्रतिशत भाग वहन करेगा। अनुमान है कि सहायता की कुल राशि लगभग 32 करोड़ रूपये की होगी।

नीदरलैंड :

नीदरलैंड सरकार ने गंगा कार्य योजना के अंतर्गत कानपुर और मिर्जापुर के लिए एकीकृत स्वच्छता परियोजना हेतु 6.4 करोड़ डच गिल्डरों की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्टें अभी प्रस्तुत करनी हैं।

यू० के० (यूनाइटिड किंगडम)

यू० के० की एक सार्वजनिक निकाय टेम्स जल प्राधिकरण द्वारा गंगा परियोजना निदेशालय को निम्नलिखित मदों के बारे में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(1) जल गुणवत्ता मॉडलिंग।

(2) जलगुणवत्ता निगरानी केंद्रों और उनके कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए चुने हुए पंपिंग स्टेशनों का स्वचालन।

(3) सीवर स्थिति का मूल्यांकन और उसकी बहाली का कार्यक्रम।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत टेम्स जल प्राधिकरण के विशेषज्ञों ने विभिन्न संगठनों के साथ विचार-विनिमय किया है ताकि इस संदर्भ में अपेक्षित सहायता दी जा सके। सलाहकार सेवाओं की लागत यू० के० सरकार द्वारा वहन की जाती है।

अमरीका :

गंगा कार्य योजना से संबंधित विषयों के बारे में चार द्विपक्षीय कार्यशालाओं और एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन अमरीकी सरकार की सहायता से किया जा चुका है इस सहायता में कार्यशालाओं के आयोजन और अमरीका से भाग लेने वालों से संबंधित व्यय भी सम्मिलित है।

(ख) इन स्कीमों के कार्यान्वयन के कारण अभी तक विश्व बैंक और नीदरलैंड सरकार को प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि विभिन्न परियोजना प्रस्ताव निर्माणाधीन हैं, और साज-सामान और उपचार संयंत्रों के निर्माण के टेंडरों का मूल्यांकन-कार्य विभिन्न चरणों में है। कार्यशालाओं के आयोजन के लिए 8.27 लाख रुपए की धनराशि यूनाइटिड स्टेट्स एजेंसी फार इंटरनेशनल डिवेल्पमेंट की निधि से ली गई है। टेम्स जल प्राधिकरण के कार्मिकों की सेवाओं की लागत यू० के० सरकार द्वारा सीधे वहन की गई है।

क्विलोन के निकट रेल फाटक पर दुर्घटना

4124. **श्री सुभाष यादव :**
श्री एस०एम० गुरड्डी :
श्री जी०एस० बसवराजू :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से कन्याकुमारी जाने वाली जे०जे० एक्सप्रेस 8 नवम्बर, 1987 को क्विलोन के निकट चौकीदार वाले रेल फाटक पर केरल राज्य सड़क परिवहन की एक बस से टकरा गई;

(ख) यदि हां, तो इसमें मृत और घायल व्यक्तियों की संख्या सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी हां। इस तारीख को लगभग 10.50 बजे जब कन्याकुमारी जाने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ी दक्षिण रेलवे के एर्णाकुलम-कोल्लम खंड पर ओचिरा और करूनागपल्ली स्टेशनों के बीच चल रही थी तब केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस रेल-पथ की पूर्वी दिशा में बन्द समपार फाटक को तोड़ते हुए सामने से आ रही रेलगाड़ी से टकराकर रेल-पथ के दूसरी ओर जा गिरी थी। रेलगाड़ी और बस में टक्कर हो जाने के परिणामस्वरूप, 8 बस यात्रियों की मृत्यु हुई थी और 8 बस यात्री घायल हुए थे।

(ग) और (घ) जी हां। जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार; यह दुर्घटना बस-चालक द्वारा बन्द समपार फाटक से पहले कुछ दूरी पर बस न रोक सकने के कारण हुई थी। बस चालक मृत व्यक्तियों में शामिल था।

सस्ती सुगन्धों के प्रयोग पर रोक लगाने का ठोस तरीका

4125. **डा० डी०एल० शैलेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अथवा किसी एजेंसी ने गैर-अल्कोहल वाले पेयों में ही नहीं बल्कि अनेक खाद्य वस्तुओं में कृत्रिम/सिंथेटिक सुगन्धों और रंगों के सामान्य प्रयोग की उपयोगिता और उनके पोषक तत्वों का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निर्माताओं द्वारा ऐसे उत्पादों में हानिकारक प्रभाव वाले सस्ते सुगन्धों के प्रयोग पर रोक लगाने का इस समय कोई सुस्पष्ट तरीका नहीं है, और ऐसे रंगों/सुगन्धों का मानव स्वास्थ्य पर अन्ततः हानिकारक प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन यौगिकों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जिससे उन वस्तुओं की लागत भी कम होगी जिनमें इनका प्रयोग किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) :(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोई ऐसे अध्ययन नहीं किए हैं और सरकार को अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए किसी ऐसे अध्ययन की जानकारी भी नहीं है।

(ख) और (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत कृत्रिम सुगंधों और रंजकों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। खाद्य पदार्थों में कृत्रिम सुगंधों और रंजकों का इस्तेमाल करने के प्रत्येक प्रस्ताव की विशेषज्ञों द्वारा उन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने से पहले जांच की जाती है। विशिष्ट खाद्य वस्तुओं में केवल सीमित संख्या में कृत्रिम खाद्य रंजकों की निर्धारित मात्राओं में अनुमति दी जाती है।

(घ) सरकार अनुमत कृत्रिम रंजकों की संख्या में नियमों के अन्तर्गत कमी करके, कृत्रिम रंजकों की मात्रा को कम करके, प्रतिबन्धित सुगंधों की सूची का विस्तार करके और इसी प्रकार के विभिन्न उपाय करके खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंजकों और सुगंधों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करके उपयुक्त कार्रवाइ कर रही है।

रेल गाड़ियों के निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से चलने के कारण दुर्घटनायें होना

4126. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंजनों में ऐसा कोई उपकरण लगा होता है जिससे गति सीमा का पता लग सके;

(ख) यदि हां, तो क्या ड्राइवर गति सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाते पाये गये हैं; और

(ग) क्या गति सीमा के अधिक गति से रेलगाड़ी चलाने के कारण कई दुर्घटनायें हुई हैं ?

रेल मंत्रालल के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां। नीति के अनुसार, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में लगे रेल इंजनों में गति रिकार्डरों की व्यवस्था की जाती है। पैसेंजर गाड़ियों में लगे रेल इंजनों में केवल गति संकेतकों की व्यवस्था होती है। माल गाड़ियों में लगे कुछ रेल इंजनों में गति सकेतकों की व्यवस्था होती है।

(ख) जी हां। कभी-कभी।

(ग) 1986-87 में भारतीय रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं के 20 मामले सीमा से अधिक गति होने के कारण हुए थे। 1987-88 के पहले 7 महीनों के दौरान, 4 मामले हुए हैं।

[हिन्दी]

नागपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर पुलियाओं का पुर्ननिर्माण और उन्हें चौड़ा करना

4127. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 में नई, 1987 से आज तक की अवधि में कितनी पुलियाओं को फिर से बनाया गया है अथवा चौड़ा किया गया है और अगले वर्ष कितनी पुलियाओं को फिर से बनाने अथवा चौड़ा किये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या चालू निर्माण-कार्य की प्रगति संतोषजनक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मई, 1987 से आज की तारीख तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 के नागपुर-राययुर खण्ड पर चार पुलियों का पुन-निर्माण/उन्हें चौड़ा किया गया है और अगले वर्ष के दौरान 12 पुलियों का पुर्ननिर्माण/उन्हें चौड़ा किए जाने की संभावना है।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति संतोषप्रद है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तालगुप्पा-होन्नावर रेल लाइन

4128. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करवाड़ तक रेल सुविधाएं प्रदान कराने की दृष्टि से तालगुप्पा तक बिछी मौजूदा रेलवे लाइन का होन्नावर तक विस्तार करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय, मास्को के लिए शिक्षकों की नियुक्ति

4129. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय, मास्को के लिए विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों के कितने पद मंजूर/सृजित किए गए हैं ; और

(ख) इन पदों पर की गई नियुक्तियों का श्रेणीवार और तारीखवार ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय मास्को के लिए प्रधानाचार्य के पद सहित 21 शिक्षण पद संस्वीकृत किये गये हैं; जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

वर्ग	पदों की संख्या
(i) प्रधानाचार्य	1
(ii) पी. जी. टी.	9
(iii) डी. जी. टी.	2
(iv) पी. आर. टी.	6
(v) एस. यू. पी. डब्ल्यू. अध्यापक	1
(vi) संगीत अध्यापक	1
(vii) पुस्तकाध्यक्ष	1

इसके लिए पहले से ही 15 व्यक्ति चुन लिये गये हैं, जिनमें से 14 व्यक्ति कार्यरत हैं। प्रधानाचार्य और 13 अन्य व्यक्तियों ने अगस्त-सितम्बर, 1987 के दौरान ही कार्यभार सम्भाल लिया था ।

कर्नाटक में कैंसर रोग पर नियंत्रण के लिये धनराशि जारी करने का अनुरोध

4130. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि जारी करके उसे उपलब्ध कराने का निवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था ; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त राशि स्वीकृत कर दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने अपने 17 जुलाई, 1987 के पत्र के साथ यह प्रस्ताव भेजा था ।

(ग) जी, नहीं ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय

4131. **श्री हरीश रावत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ नए नवोदय विद्यालय खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थानों के चयन करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पिथोरागढ़ जिले में वहां नवोदय विद्यालय खोलने के लिए सर्वेक्षण किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई स्थान उपयुक्त पाया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या आगामी वर्ष के दौरान वहां विद्यालय खोला जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) जी नहीं । नवोदय विद्यालय की योजना में सर्व प्रथम राज्य सरकारों द्वारा भूमि/भवन की पेशकश करने के आधार पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना है । उत्तर प्रदेश सरकार से पिथौड़ा गढ़ के संबंध में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, योजना में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक विद्यालय स्थापित किये जाने की परिकल्पना की गयी है ।

"परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी"

4132. श्री **हरीश रावत** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पूर्व मंजूर किए गए कई कार्य पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण रूके हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन निर्माण कार्यों की पूरी सूची का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की स्वीकृत कोई भी परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण नहीं रुकी हुई है ।

"उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं को पर्यावरणीय संबंधी मंजूरी"

4133. श्री **हरीश रावत** : क्या **पर्यावरण और** वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कई निर्माण कार्य जिन्हें सरकार के विशेष आदेश के अन्तर्गत मंजूरी दी गई थी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सरकार द्वारा परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी न दिये जाने के कारण बीच में ही रुके पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निर्माण कार्यो की जिला-वार सूची क्या है ;

(ग) क्या इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए इन्हें आवश्यक मजूरी प्रदान करने हेतु कोई विशेष प्रबन्ध किये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इन निर्माण कार्यों के पूरा न हो सकने से जनता में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त 6 प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी हेतु भारत सरकार के पास लम्बित हैं। इन प्रस्तावों के जिले वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

ऐसे अन्य 61 प्रस्तावों को बन्द समझा जा रहा है और राज्य सरकार से 29.9.87 से पूर्व मांगी गई अनिवार्य सूचना के अभाव में ये प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लम्बित पड़े हैं।

यह ज्ञात नहीं है कि क्या इन 67 परियोजनाओं को राज्य सरकार के एक विशेष आदेश के तहत स्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ) जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकार से अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त होने पर लम्बित और बंद किए गए मामलों पर निर्णय लिया जा सकता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त उन प्रस्तावों की जिलेवार सूची जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निर्णय हेतु लम्बित हैं, के संबंध में विवरण

जिला	क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्र (हे०)	टिप्पणी
चमोली	1.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के गोदाम का निर्माण	2.20	30.11.87 को राज्य सरकार से अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए।
	2.	प्राणमति नदी पर लोहे के पुल का निर्माण	0.272	26.11.87 को राज्य सरकार से अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए।
	3.	बासबारा-विजयवारा मोटर सड़क का निर्माण	0.64	21.11.87 को राज्य सरकार से अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए।
	4.	घनियालधार (त्रिकट) नहर का निर्माण	0.44	20.11.87 को राज्य सरकार से अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए।

पिथौरागढ़	1.	धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना चरण-1 का निर्माण	102.583	12.11.87 को राज्य सरकार से अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए ।
उत्तर काशी	1.	अर्कोट गांव तक पहुंच मार्ग का निर्माण	0.30	18.11.87 को राज्य सरकार से अपेक्षित ब्यौरे मांगे गए ।

[अनुवाद]

मलेरिया होने की अधिक संभावना वाले क्षेत्र

4134. **श्री एन० डेनिस :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने देश में उन क्षेत्रों का पता लगाया है जहां मलेरिया होने की अधिक संभावना रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन क्षेत्रों से विशेष रूप से और देश में सामान्य रूप से इस रोग के उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) समुद्र-तल से 5000 फुट ऊंचे क्षेत्रों को छोड़कर सारे देश में मलेरिया हो सकता है ।

(ख) देश में मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं :-

(1) जिन क्षेत्रों में वार्षिक परजीवी प्रकोप (ए० पी० आई०) 2 और उससे ज्यादा है उनमें डी०डी०टी०/बी०एच०सी०) मैलेथियन जैसे उपयुक्त कीटनाशकों के साथ अवशिष्ट कीटनाशी छिड़काव ।

(2) देश के सभी मलेरियाई क्षेत्रों में नियमित रूप से पाक्षिक निगरानी ।

(3) रक्त लेपों की तुरन्त जांच करने और कोई समय गवाए बगैर मेडिकल उपचार शुरू करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रयोगशाला सेवन ।

(4) देश के दूरदराज क्षेत्रों में कार्य कर रहे औषध वितरण केन्द्रों और बुखार उपचार डिपों के माध्यम से मलेरिया रोधी औषधियों का वितरण ।

(5) देश के पी-फाल्सीपरम प्रजाति वाले क्षेत्रों में पी-फाल्सीपरम रोकथाम कार्यक्रम का कार्यान्वयन ।

(6) लोगों में जानकारी पैदा करने के लिए मलेरिया संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा को गहन करना ।

शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पदों पर योग अध्यापकों की नियुक्ति

4135. **डा० सुधीर राय :**

श्री राज कुमार राय :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत कुछ योग अध्यापकों को हाल ही में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पदों पर पदोन्नत किया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या पदोन्नति और भर्ती-नियम, 1971 में इस प्रकार की पदोन्नति की व्यवस्था है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ये पदोन्नतियां और नियुक्तियां पदोन्नति पैटर्न पर कैसे की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) योग शिक्षा की योजना को शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में एकीकृत करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड के निर्णय के परिणामस्वरूप अपेक्षित, अर्हताधारी योग शिक्षकों को नियमित पद में और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के ग्रेड में लगा दिया गया है ।

शिक्षित बेरोजगारों को बुकस्टालों का आबंटन

4136. **श्री सोमजी भाई डामर :** क्या रेल मंत्री शिक्षित बेरोजगारों को बुकस्टालों के आबंटन के बारे में 25 फरवरी, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 956 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जिन पर शिक्षित बेरोजगारों को बुकस्टाल आबंटित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन रेलवे स्टेशनों पर कितने शिक्षित बेरोजगारों को बुकस्टाल आबंटित किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) नये ठेके का आबंटन रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और इस प्रकार बेरोजगार स्नातकों और इस प्रयोजन के लिए अन्य पात्र उम्मीदवारों को बुकस्टालों का आबंटन करने हेतु स्टेशनों की सूची तैयार करना सम्भव नहीं है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टालों का आबंटन

4137. **श्री सोमजी भाई डामर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कारण सरकार को, दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजन के स्टेशनों पर स्थित उन बुकस्टालों के आबंटन के लिए, जो पहले मैसर्स गुलाब सिंह एंड

संघ के पास थी, अनेक बेरोजगार स्नातकों द्वारा जमा की गई सभी धरोहर-राशि वापस करने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) आवेदकों को बयाने की राशि वापस करने का विनिश्चय किया गया है।

[हिन्दी]

शाहगंज, आजमगढ और मऊ सहित बड़े शहरों को रेलवे लाइनों से जोड़ना

4138. **श्री संतोष कुमार सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक बड़े शहर को रेलवे लाइन से जोड़ने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो अब तक इसके लिए क्या मानदंड अपनाया गया है ; और

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत शाहगंज, आजमगढ़, और मऊ (उत्तर प्रदेश) को भी रेलवे लाइन से जोड़ने का विचार है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : जी नहीं। देश के अधिकांश बड़े शहर पहले ही रेल लाइनों से जुड़े हुए हैं।

(ख) शाहगंज, आजमगढ़ और मऊ पहले ही मीटर लाइन से जुड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

"जीव-मंडल भण्डार"

4139. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ नये जीव-मंडल भण्डार स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में 13 संभावित स्थलों को जीवमंडल रिजर्वों की स्थापना के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व नामक एक जीवमंडल रिजर्व की पहले ही स्थापना की जा चुकी है।

[हिन्दी]

बम्बई के रेलवे स्टेशनों पर टिकटों की कालाबाजारी

4140. **श्री राज कुमार राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और 15 नवम्बर, 1987 तक बम्बई मध्य, बम्बई वी. टी. और कल्याण रेलवे स्टेशनों पर रेलवे टिकटों और रेलवे आरक्षण टिकटों की कालाबाजारी के लिए कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कितनों को सजा दी गई ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति रेल कर्मचारी थे और उनमें से प्रत्येक को किस प्रकार की सजा दी गई ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान इन तीनों स्टेशनों पर रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने के लिए गिरफ्तार किये गये और दंडित किए गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गयी है।—

	1985	1986	1987 (15.11.87 तक)
व्यक्ति गिरफ्तार किये गये	864	748	459
व्यक्ति दंडित किये गये	544	428	249

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान न तो कोई रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार किया गया और न ही किसी को दंडित किया गया।

[अनुवाद]

नागपुर में राष्ट्रीय मातृ और शिशु स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना

4141. **श्री प्रताप राव बी. भोंसले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नागपुर में राष्ट्रीय मातृ और शिशु स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या मंत्रालय के किसी विशेषज्ञ समूह ने नागपुर में मौके पर सभी आधारभूत सुविधाओं का मूल्यांकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित संस्थान कब तक स्थापित किया जायेगा तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सरकार ने एक राष्ट्रीय जच्चा बच्चा स्वास्थ्य संस्थान खोलने का निर्णय किया है। उपयुक्त स्थान का पता लगाने के लिए गठित किए गए ग्रुप ने नागपुर सहित देश के विभिन्न स्थानों का दौरा किया है। इस ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा। इस संस्थान की स्थापना के लिए सातवीं योजना में 100,00 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया है।

सातवीं योजना के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के राज्यवार लक्ष्यों की प्राप्ति

4142. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा अब तक प्राप्त उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख यद्यपि सातवीं योजना के जनसंख्या नियंत्रण संबंधी लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं, परन्तु परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के राज्यवार लक्ष्य हर वर्ष निर्धारित किए जाते हैं, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 (सितम्बर, 87/अक्तूबर, 87 तक) के दौरान परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के संबंध में राज्यवार लक्ष्य तथा लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि उपाबंध में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 5464/87]

मलेरिया के लिये जड़ी बूटी से निर्मित औषध (आयुष 64) का मौके पर जाकर परीक्षण

4143. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया के उपचार के लिए जड़ी बूटियों से निर्मित औषध (आयुष 64) तैयार की गई है और उसका मौके पर जाकर परीक्षण किया गया है और उसकी बिक्री की जाने लगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मौके पर जाकर परीक्षण करने के बाद जड़ी-बूटी से निर्मित इसी प्रकार की कोई और औषध प्रभावकारी पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां । केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद ने जड़ी-बूटी का एक मिश्रण आयुष-640 तैयार किया है जो प्लास मोडियम वाईवैक्स के कारण होने वाले मलेरिया के उपचार के लिए लाभकारी पाया गया है । इस औषध को परिषद ने पेटेंट कराया है और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के माध्यम से इसे लगभग 15 फर्मों को वाणिज्यिक बिक्री के लिए जारी किया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) लागू नहीं होता ।

हिजड़ों से "एड्स" रोग का फैलना

4144. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिजड़ों से "एड्स रोग फैलने का खतरा है जैसा कि "सन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमरीका में पता चला है, जहां, "एड्स" रोग से पीड़ित 70 प्रतिशत व्यक्ति समलैंगी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में भारत में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) हिजड़ों और समलैंगिकों में "एड्स" रोग होने का सबसे अधिक खतरा है। एड्स रोग के सबसे अधिक खतरे वाले वर्गों की निगरानी केन्द्र जांच कर रहे हैं कई केन्द्रों ने हिजड़ों की जांच की है किन्तु उनमें से कोई भी एड्स के लिए पॉजिटिव नहीं पाया गया है। केवल एक समलैंगिक में एड्स रोग विकसित हुआ पाया गया है।

"नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी"

4145. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना और मध्य प्रदेश की नर्मदा सागर परियोजना के लिये पुनर्स्थापना मास्टर प्लान और क्षतिपूरक वनरोपण योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निर्धारित समय में नर्मदा सागर और सरदार सरोवर बहुउददेश्यीय परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पुनर्वास और क्षतिपूरक वनरोपण के लिए विस्तृत कार्यवाही योजनाएं अभी प्राप्त होनी हैं।

(ख) और (ग) सभी चार संबंधित राज्यों के साथ वचनबद्धता में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि निर्माण कार्यों से संबंधित प्रगति पर्यावरणीत कार्यवाही योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुरूप होगी।

"गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित हुये लोगों का पुनर्वास"

4146. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिये कितने क्षेत्र की आवश्यकता है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने ऐसी सारी भूमि का पता लगा लिया है जिस पर वन नहीं लगने हैं ;

(ग) क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एक दल ने संयुक्त रूप से इस भूमि की जांच की और इसे अपर्याप्त अथवा अनुपलब्ध पाया ;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने पूर्ण पुनर्वास योजना प्रस्तुत की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के बेदखलियों के पुनर्वास के लिए 27,500 हेक्टेयर क्षेत्र की आवश्यकता है ।

(ख) गुजरात कृषि भूमि सिलिंग अधिनियम के कार्यान्वयन होने पर गैर-वन क्षेत्र और अधिशेष भूमि उपलब्ध होने की सम्भावना का पता लगा लिया है ।

(ग) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अलग-अलग अधिकारियों के दल ने सम्भावित पुनर्वास स्थानों का निरीक्षण किया है ।

(घ) और (ङ) गुजरात के बेदखलियों के पुनर्वास के प्रथम चरण के लिए वर्षवार योजना हाल ही में तैयार की गई है ।

विदेशी आगन्तुकों से स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र मांगने के बारे में नीति

4147. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विदेशी आगन्तुकों से "एड्स" रोग के विशेष संदर्भ में उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रमाण पत्र मांगने के संबंध में नीति तैयार करने में हिचकिचाहट होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमरीका जाने वाले भारतीयों से टीका लगने के प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रमाणपत्र मांगे जाते हैं ; और

(ग) किन कारणों से देश में इसी तरह के सुरक्षोपाय नहीं किये जा रहे हैं ताकि "एड्स" के रोगियों को हमारे देश में आने से रोका जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) कुछ देशों में एड्स रोग के प्रयोगशाला परीक्षण की सुविधाएं मौजूद नहीं हैं और परीक्षण करने की गुणवत्ता भी विश्वभर में एक जैसी नहीं हैं । अतः ऐसे परीक्षणों पर भरोसा करना झूठी सुरक्षता ही है । इसलिए भारत आने पर ही एड्स की जांच की जाती है । वैसे, विश्व के विभिन्न भागों की विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहयोग करने वाली प्रयोगशालाओं द्वारा एड्स के लिए जारी किए जाने वाले एच०आई०वी० मुक्त प्रमाण-पत्र सरकार स्वीकार करने के लिए भी सहमत हो गई है ।

(ख) भारत से सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए किसी वैक्सीनेशन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है । विश्व स्वास्थ्य संगठनों के स्रोतों से उपलब्ध सूचना के अनुसार यूरोपीय देशों में भी यही स्थिति है । वैसे, आप्रवास उद्देश्यों के लिए अधिकतर देशों में स्वास्थ्य की जांच करवाना आवश्यक है ।

(ग) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय में दाखिल किए जा रहे विदेशी छात्रों को भारत आने के एक माह के भीतर किसी भी निगरानी केन्द्र में एड्स की जांच करवाना आवश्यक होता है।

सरकार ने मिशनों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को छोड़ने वाले व्यक्तियों को छोड़कर एक वर्ष से अधिक ठहरने वाले विदेशियों के लिए एड्स की जांच करवाने का भी फैसला किया है।

कार्मशियल क्लर्कों के पदों का पुनर्गठन

4148. चौधरी रहीम खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मशियल क्लर्कों के पदों का जनवरी, 1979 में पुनर्गठन किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) वाणिज्य लिपिकों के संवर्ग की पुनर्संरचना ग्रुप सी और डी के अन्य संवर्गों के साथ-साथ 1.1.1979 से की गयी थी। पुनर्संरचना प्रक्रिया में उच्चतर वेतनमानों में पदों का प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप ग्रेडोन्नयन होता है। इन आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित किये गये प्रतिशत नीचे दिये गये हैं :-

वेतनमान रुपयों में (संशोधित वेतनमान)	1.1.1979 को और से लागू संशोधित प्रतिशत
260-430	45.0
330-560	40.0
425-640	6.0
455-700	4.0
550-750	4.0
700-900	1.0

दिल्ली में एकीकृत बाल विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बच्चों की संख्या

4149. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एकीकृत बाल विकास योजना का लाभ कितने बच्चों को प्राप्त हो रहा है और यह योजना किस प्रकार लागू की जा रही है ;

(ख) 1987 के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि की तुलना में यह राशि कितनी है और यह राशि किस प्रकार खर्च की गई ; और

(ग) पोषक आहार पर कितनी धनराशि खर्च हुई और पोषक आहारों की खरीद कहां से की गई तथा क्या जरूरत की वस्तुओं को उत्पादकों से खरीदने का विचार है ताकि आबंटित धनराशि में इस प्रकार हुई बचत का उपयोग बच्चों के लिये किसी अन्य कार्य पर किया जा सके ?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 23 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में 6 वर्ष की आयु के 3.46 लाख बच्चे दर्ज किए गए हैं। इनमें से 3.05 लाख बच्चों (6-72 मास) को पूरक पोषाहार मिलता है और 1.08 लाख बच्चों (3-6 वर्ष) को पूर्व स्कूल शिक्षा प्राप्त होती है। इन्हें समेकित बाल विकास सेवाएं 2695 आंगनबाड़ियों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) पोषाहार संघटक के लिए 1987-88 के एरिया ग्रांट में 5.40 करोड़ रुपए, योजना के अन्तर्गत 3.38 करोड़ रुपए और गैर-योजना के अन्तर्गत 2.02 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। अन्य संघटकों पर व्यय महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में समेकित प्रावधान से किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में खर्च की तुलना में 1987-88 के प्रावधान इस प्रकार हैं :—

मद	वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
			(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)
पोषाहार	1984-85	162.25	—	162.25
	1985-86	164.35	100.28	264.63
	1986-87	225.75	111.41	337.16
	1987-88	x338.00	x202.00	540.00
अन्य संघटक	1984-85	116.28		116.28
	1985-86	150.30	—	150.30
	1986-87	184.29	—	184.29
	1987-88	246.87		xx246.87

x बजट प्रावधान

xx अनुमानित आवश्यकता

दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि पूरक पोषाहार के रूप में वे निम्नलिखित खाद्य पदार्थ देता है।

मद	प्राप्ति श्रोत	प्रति सप्ताह सप्लाई दिनों की संख्या
सोया फार्टि-फाइड फुटी ब्रेड	मै० मार्डन फूड इंडस्ट्री (इंडिया) लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)	2

सोया फार्टि-फाइड	सुपर बाजार	2
बेकमेन्स विस्किट		
खाने के लिए तैयार (मोंगरा)	मै० हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन लि० (भारत सरकार का उपक्रम)	1
भुने हुए चने और चावल मुरमरे का मिश्रण	दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन	1

(1/2 वर्ष—1-1/2 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सप्ताह में तीन बार फ्रुटी ब्रेड और बेकमेन्स बिस्किट दिए जाते हैं)

यह खाद्य पदार्थ निर्माताओं/सरकार/अर्ध सरकारी संगठनों से खरीद किए जा रहे हैं।

"राष्ट्रीय उद्यान"

4150. **श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उद्यान राज्यवार किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और वे कितने क्षेत्र में फैले हैं ; और

(ख) क्या सातवीं योजना के दौरान और अधिक राष्ट्रीय उद्यान विकसित करने का कोई विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री **जियाउर्रहमान अन्सारी**) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) राज्य सरकारों या केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं और उनकी संख्या पहले से निर्धारित नहीं की जाती है। भारत सरकार स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों के विकास में सहायता देती है।

विवरण

भारत में राष्ट्रीय उद्यान

क्रम सं०	नाम	स्थान जिला (ले)	क्षेत्र वर्ग कि०मी० में
1	2	3	4
		अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	
1.	मेरिन नेशनल पार्क	अण्डमान	281.50

1	2	3	4
2.	मिडिल बटन नेशनल पार्क	अण्डमान	0.44
3	माउन्ट हेरियट ,, ,,	,,	46.62
4.	उत्तरी बटन ,, ,,	,,	0.44
5.	सैडल पीक ,, ,,	,,	2.54
6.	दक्षिणी बटन ,, ,,	,,	0.03
		कुल	361.57
		आन्ध्र प्रदेश	
	—	शून्य	—
		अरूणाचल प्रदेश	
1.	मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान	सियांग	500.00
2.	नामदफा ,, ,,	तिराप	1807.82
		कुल :	2307.82
		असम	
1.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	जोरहाट	430.00
		कुल :	430.00
		बिहार	
1.	बेतला राष्ट्रीय उद्यान	पलामू	979.27
		कुल	979.27
		चण्डीगढ़	
	—	शून्य	—

1	2	3	4
		दमन और द्वीप	
	—	शून्य	—
		दिल्ली	
	—	शून्य	—
		गोवा	
1.	भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान	गोवा	107.00
		कुल :	107.00
		गुजरात	
1.	गिर राष्ट्रीय उद्यान	जूनागढ़	359.48
2.	मेरिन ,, ,,	जामनगर	162.89
3.	वान्सडा ,, ,,	बुलसर	24.00
4.	वेलावादर ,, ,,	भावनगर	34.08
		कुल :	580.45
		हरियाणा	
	—	शून्य	—
		हिमाचल प्रदेश	
1.	ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान	कुल्लू	1736.00
2.	पिल वैली ,, ,,	लाहौल-स्पीति	675.00
		कुल :	2411.00

1	2	3	4
		जम्मू और काश्मीर	
1.	डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान	श्रीनगर	141.00
2.	हेमिस हाई आल्टीच्यूट राष्ट्रीय उद्यान	लेह	3350.00
3.	किस्तवार राष्ट्रीय उद्यान	किस्तवार	310.00
		कुल :	3801.00
		कर्नाटक	
1.	आंशी राष्ट्रीय पार्क	उत्तर कनदा	250.00
2.	बांदीपुर ,, ,,	मैसूर	874.20
3.	बानरघट्टा ,, ,,	बंगलोर	104.34
4.	कुदरेमुख ,, ,,	दक्षिण कनारा तथा चिकमंगलूर	600.33
5.	नगरहोल ,, ,,	मैसूर, कोडागू	571.55
		कुल :	2400.38
		केरल	
1.	इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान	इदुक्की	97.00
2.	पेरियार ,, ,,	,,	777.00
3.	शान्त घाटी ,,	पालघाट	89.51
		कुल :	963.51
		मध्य प्रदेश	
1.	बान्धवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	शहडोल	448.84
2.	फोसिल ,, ,,	मांडला	0.27

1	2	3	4
3.	इन्द्रावती राष्ट्रीय ईद्यान	बस्तर	1258.00
4.	कांगर ,, ,,		200.00
5.	कान्हा ,, ,,	माडला, बालाघाट	940.00
6.	माधव ,, ,,	शिवपुरी	156.15
7.	पन्ना ,, ,,	पन्ना, छत्तरपुर	543.00
8.	पेंच ,, ,,	सियोनी	292.85
9.	संजय ,, ,,	सिधी/सरगुजा	1938.00
10.	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	होशंगाबाद	524.37
11.	वन विहार ,, ,,	भोपाल	4.45
		कुल :	6283.56

महाराष्ट्र

1.	नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान	भण्डारा	133.83
2.	पेंच ,,	नागपुर	257.26
3.	संजय गांधी ,, ,,	बम्बई, थाणे	94.69
4.	तडोबा	चन्द्रपुर	116.55
		कुल :	602.33

मणिपुर

1.	केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान	इम्फाल, विष्णुपुर	40.00
2.	सिरोही राष्ड्रीय उद्यान	पूर्वी जिला	41.30
		कुल :	81.30

मेघालय

1.	बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिम गारो हिल्स	220.00

1	2	3	4
2.	नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान	पश्चिम गारो हिल्स	168.0
		कुल :	288.01

मिजोरम

	—	शून्य	—

नागालैण्ड

	—	शून्य	—

उड़ीसा

1.	उत्तरी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान	मयूरभंज	303.00
		कुल :	303.00

पंजाब

	—	शून्य	—

राजस्थान

1.	मरू राष्ट्रीय उद्यान	जैसलमेर	3162.00
2.	केवलदेव घाना राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73
3.	रणथम्भौर ,,	सवाई माधोपुर	392.00
4.	सरिस्का ,, ,,	अलवर	273.80
		कुल :	3856.53

सिक्किम

1.	कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान	उत्तरी सिक्किम	850.00
		कुल :	850.00

1	2	3	4
		तमिलनाडु	
1.	गुइन्डी राष्ट्रीय उद्यान	मद्रास	2.71
2.	मेरिन ,, ,,	मन्नार की खाड़ी	—
		कुल :	2.71
		त्रिपुरा	
	—	शून्य	—
		उत्तर प्रदेश	
1.	कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान	गढ़वाल, नैनीताल	520.82
2.	दुधवा ,, ,,	लखीमपुर खीरी	490.29
3.	नन्दा देवी ,, ,,	चमोली	630.33
4.	फूलों की घाटी ,, ,,	चमोली	87.50
5.	राजाजी ,, ,,	देहरादून, सहारनपुर, पौड़ी-गढ़वाल	831.53
		कुल :	2560.47
		पश्चिम बंगाल	
1.	नियोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान	दार्जिलिंग	88.00
2.	सिंगलिला ,, ,,	,,	78.60
3.	सुन्दरवन ,, ,,	24-परगना	2585.00
		कुल :	2751.60

राष्ट्रीय उद्यान=63

[हिन्दी]

बीना जंक्शन के निकट झांसी में ऊपरिपुल का निर्माण

4151. **श्री नन्दलाल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से मध्य रेलवे में बीना जंक्शन के निकट झांसी रेल फाटक पर एक ऊपरिपुल के निर्माण के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (म०प्र०) को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना

4152. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से डा० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की कोई मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उक्त विश्वविद्यालय को कब तक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार, एक नीति के तौर पर राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये अग्रिम राशि का भुगतान

4153. **चौधरी रहीम खां** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए ऋण दिये जाने की व्यवस्था है ;

(ख) ऋण दिये जाने संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान गृह निर्माण अग्रिम के रूप में कर्मचारियों को दी गई धनराशि का श्रेणीवार ब्योरा क्या है ; .

(च) क्या सरकार का केन्द्रीय विद्यालय संगठन को गृह निर्माण अग्रिम के लिए दिये जाने वाले अनुदान की राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार के कर्मचारियों को लागू मकान निर्माण के लिए अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए नियम और मानदण्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आवश्यक परिवर्तनों सहित अपना लिए गए हैं ।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वर्गवार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को मकान निर्माण करने के लिए संस्वीकृत अग्रिम राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है । को

(घ) और (ङ) वर्ष 1987-88 के दौरान मकान निर्माण के लिए अग्रिम राशि के प्रयोजनार्थ बजट में 30.00 लाख रु० की राशि अनुमोदित की गई थी । वर्ष 1988-89 में इस राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को मकान निर्माण के लिए संस्वीकृत ऋण

श्रेणी	1984-85		1985-86		1986-87	
	कर्मचारियों की संख्या	संस्वीकृत की गई राशि	कर्मचारियों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि	कर्मचारियों की संख्या	स्वीकृत की गई राशि
ग्रुप क	03	1,05,960/=रु०	08	3,66,116/=रु०	04	1,44,260/=रु०
ग्रुप ख	06	3,39,552/=रु०	15	9,07,950/=रु०	24	12,06,795/=रु०
ग्रुप ग	14	6,49,800/=रु०	49	21,72,270/=रु०	55	25,52,440/=रु०
ग्रुप घ	01	19,320/=रु०	—	—	—	—
कुल योग	24	11,14,632/=रु०	72	34,46,3 6/=रु०	83	39,03,495 रु०

"गंगा सफाई योजना तथा कानपुर में पानी की कमी"

4154. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गंगा सफाई योजना, को तैयार करते समय कानपुर में विद्यमान पीने के पानी की कमी को ध्यान में रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो गंगा सफाई योजना में शामिल की गई उन योजनाओं एवं परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनसे इस शहर की पानी की समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी ;

(ग) क्या प्रधानमंत्री को इस विषय में कानपुर की स्वयंसेवी एजेंसियों से कोई अभ्यावेदन मिलें हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गंगा कार्य योजना का केंद्रबिन्दु नदी के प्रदूषण में कमी लाना है। इससे कानपुर में इस नदी का सतत प्रयोग पेय जल की आपूर्ति के स्रोत के रूप में किया जा सकेगा।

(ख) कानपुर में जाजमऊ क्षेत्र के लिए एकीकृत स्वच्छता परियोजना गंगा कार्य योजना के अंतर्गत अभिनिर्धारित स्कीमों में से एक है। समग्र पर्यावरणीय सुधार लाने के लिए इस स्कीम का एक सीमित घटक पेयजल की वृद्धि करना भी है।

(ग) जी, हां।

(घ) कानपुर में नदी के दाए किनारे की तरफ जलप्रवाह को बढ़ाने की संभावना के बारे मे उत्तर प्रदेश सरकार से विचार-विमर्श किया गया है। दाए किनारे के साथ-साथ जल-प्रवाह में सुधार लाने के लिए एक मार्गदर्शी चैनल का रास्ता निर्धारित करने के बारे में की जाने वाली कार्रवाई के लिए आवश्यक अध्ययन किए जा रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा "नो टोबेको डे" का आहवान

4155. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू से होने वाले रोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो सरकार का लोगों को तम्बाकू पीने तथा इसे अन्य रूप में प्रयोग करने में किस प्रकार हतोत्साहित करने तथा इसकी आदत छुटाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 अप्रैल, 1988 को "नो टोबेको डे" के रूप में मनाने का आहवान किया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सहायता और सहयोग दिये जाने की संभावना है। पेशकश की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां। निरोधात्मक उपायों में सिनेमा स्लाइड्स, जन-प्रचार के साधनों और छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा सबंधी अभियान, सिगरेट के पैकेटों विज्ञापनों और तख्तों पर सांविधिक चेतावनी "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है," का प्रदर्शन करना, सिनेमा, बसों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि जैसे भीड़-भाड़ वाले बन्द क्षेत्रों में धूम्रपान की मनाही के लिए राज्य सरकारों द्वारा कानूनों की घोषणा करना शामिल है।

(ख) और (ग) 40वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प में सदस्य राज्यों पर विश्वमारी धूम्रपान को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए सदस्य राज्यों पर जोर दिया।

(1) 7 अप्रैल, 1988 का विश्व में धूम्रपान न करने के दिन के रूप में मनाना;

(2) इस दिन सभी समुचित उपाय करके सभी अन्य रूपों में तम्बाकू का उपयोग करने और धूम्रपान से दूर रहने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना ;

(3) सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इस अवसर को मौजूदा धुम्रपान रोधी अभियान और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले उपक्रमणों की शुरूआत और उन्हें सुदृढ़ करना,

(4) इस दिन सभी प्रकार के तम्बाकू को स्वेच्छा से न बेचने के लिए विक्रेताओं को प्रोत्साहित करना।

(5) तम्बाकू के सभी निर्माताओं जो इसके उपयोग को भी प्रोत्साहन देते हैं, सभी देशों विशेषतौर से विकासशील देशों में सभी जन-प्रचार संबंधी कार्यकलापों से उन्हें स्वेच्छा से रोकने के लिए राजी करना और प्रेस और प्रत्येक देश के अन्य जन-प्रचार के साधनों को स्वेच्छा से ऐसा करने के लिए जोर देना।

सरकार तम्बाकू के उत्पादों के उपयोग को कम करने के लिए समुचित कदम उठायेगी।

वाहनान्तरण मजदूरों को मजदूरी की दरें

4156. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1987 को प्रत्येक रेलवे जोन में वाहनान्तरण (ट्रांशिपमेंट) मजदूरों की संख्या कितनी थी ;

(ख) प्रत्येक रेलवे जोन में उन्हें अपने कार्य के लिए कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ;

(ग) क्या विभिन्न जोनों में दी जाने वाली मजदूरी की दरों में काफी असमानता है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या खड़गपुर डिवीजन के अन्तर्गत सपसा रेलवे जंक्शन के वाहनान्तरण मजदूरों ने मजदूरी की दर बढ़ाए जाने के लिए अभ्यावेदन दिया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलों पर यानान्तरण कार्य ग्रुप "घ" के नियमित कर्मचारियों, रेलों द्वारा सीधे नियोजित किये गए श्रमिकों और ठेकेदारों द्वारा नियोजित किये गए श्रमिकों के माध्यम से किया जाता है। नियोजित कामगारों की कुल संख्या दिन-प्रतिदिन भिन्न-भिन्न होती है जो यानान्तरण कार्य में कमीवेशी पर निर्भर करती है।

(ख) से (घ) ग्रुप "घ" कर्मचारियों से इतर कर्मचारियों का पारिश्रमिक अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रचलित मजूरी दर पर निर्भर करता है। रेलों पर यानान्तरण श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत कोई न्यूनतम मजूरी निर्धारित नहीं की गयी है।

(ङ) जी हां।

(च) रूपसा में अंशकालिक तौर पर यानान्तरण कार्य करने वाले, जो प्रतिदिन उपलब्ध कार्य की मात्रा पर निर्भर करता है और जिन्हें अंशकालिक दर के आधार पर भुगतान किया जाता है, स्थानीय श्रमिकों के एक समूह ने मजूरी में संशोधन करने के लिए अभ्यावेदन दिया था। अभ्यावेदन की जांच की गई थी और 1.4.87 से अंशकालिक दरों में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया था।

वाणिज्यिक लिपिकों के वेतन

4157. **चौधरी रहीम खां** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1979 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ वर्ष 1980 में 700-900 रुपए के ग्रेड में वाणिज्यिक लिपिकों के पदों का पुनर्गठन किए जाने के कारण कनिष्ठ व्यक्तियों को उनसे वरिष्ठ उन व्यक्तियों से अधिक वेतन दिया गया है जो वर्ष 1980 में सेवानिवृत हो जाने के कारण उस वर्ष अपने चयन का विकल्प नहीं दे सके थे, और उन्हें नियमों का उल्लंघन करके 1 जनवरी, 1979 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों से कम वेतन दिया गया था ;

(ख) क्या इन वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिकों को पदों के पुनर्गठन के लाभार्थियों के वेतन के समकक्ष लाने के लिए उनके सेवा काल की अवधि के वेतन की बकाया धनराशि का भुगतान किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया धनराशि का कब तक भुगतान करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय द्वारा 1979 में वाणिज्य लिपिकों की कोटि की पुनर्संरचना की गयी थी। पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप 1.1.1979 से 700-900 (सं०वे०) के वेतनमान में अधिक पद रखे गये थे 700-900 रु० (स०वे०) के वेतनमान में इस पद पर नियुक्ति "प्रवरण" द्वारा की जाती है। सामान्य नियमों के अन्तर्गत, किसी पद का ग्रेडोन्नयन होने पर उस पर नियुक्त कर्मचारी को लाभ केवल उसी तारीख

से मिलता है जिस तारीख से वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त घोषित किये जाने के बाद वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करता है। अतः ग्रेडोन्नत पदों पर उन कर्मचारियों की पदोन्नति करने का प्रश्न नहीं उठता जो प्रवरण के लिए उपस्थित नहीं हो सके थे क्योंकि उन्होंने सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र देने आदि के कारण नौकरी छोड़ दी थी।

"सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति"

4158. **प्रताप भानु शर्मा** : क्या **पर्यावरण** और **वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन सभी सिंचाई परियोजनाओं को, जो पूरा होने के अन्तिम चरण में हैं, पर्यावरण दृष्टि से स्वीकृति देने पर सक्रिय रूप में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित किए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) : जी. नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

किशनगंज (पूर्णिया) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर ऊपरी रेल का निर्माण

4159. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशनगंज, पूर्णिया में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर ऊपरी रेल पुल के निर्माण का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है;

(ख) क्या इसकी लागत के प्रवकलनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) क्या बिहार सरकार निर्माण की लागत में हिस्सा बटाने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) क्या इस के लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है और प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) राज्य सरकार ने अभी तक तकनीकी आंकड़े, नक्शा और अनुमान सहित पूरा प्रस्ताव रेलवे को नहीं भेजा है।

(ख) से (घ) जी नहीं।

(ङ) नक्शों और अनुमानों सहित तकनीकी ब्यौरों को संयुक्त रूप से अन्तिम रूप दिए जाने के बाद तथा राज्य सरकार द्वारा हिस्से की लागत वहन करने के लिए सहमत होने पर रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जायेगी।

"सामाजिक वानिकी कार्यक्रम"

4160. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत तथा राज्य क्षेत्र में सामाजिक वानिकी के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त कार्यक्रम आरंभ किए जाने के समय से बिहार राज्य में सामाजिक वानिकि के लिए किए गए संचयी आबंटन का जिलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में अब तक कितने वृक्ष लगाए गए हैं और तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार लगाए गए वृक्षों में से कितने वृक्षों के सेवन के पनपने का अनुमान है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं तथा राज्य क्षेत्र परियोजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण के लिए 1987-88 के दौरान धनराशि का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) बिहार में केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान व सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में कुल 67.62 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है । राष्ट्रीय स्तर पर जिलावार सूचना नहीं रखी जाती है ।

(ग) बिहार में वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान लगाये गये वृक्षों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	लगाये गये वृक्षों की संख्या (लाखों में)
1980-81	371.23
1981-82	553.60
1982-83	901.00
1983-84	1069.58
1984-85	1373.79
1985-86	1523.00
1986-87	2711.00

(घ) वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाये गये वृक्षों के जीवित बचने की दर का अनुमान लगाने के लिए कोई विधिवत अथवा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है ।

विवरण

वर्ष 1987-88 के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण के लिए धनराशि का आबंटन।

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन* 1987-88
1.	आंध्र प्रदेश	3022.70
2.	असम	1784.50
3.	बिहार	3281.00
4.	गुजरात	2859.25
5.	हरियाणा	1460.80
6.	हिमाचल प्रदेश	1919.50
7.	जम्मू एवं कश्मीर	790.25
8.	कर्नाटक	2085.00
9.	केरल	1812.75
10.	मध्य प्रदेश	4238.25
11.	महाराष्ट्र	3663.55
12.	मणिपुर	306.50
13.	मेघालय	670.75
14.	नागालैण्ड	519.00
15.	उड़ीसा	2416.45
16.	पंजाब	851.00
17.	राजस्थान	2741.75
18.	सिक्किम	228.25
19	तमिलनाडु	3143.25
20.	त्रिपुरा	434.50
21.	उत्तर प्रदेश	6191.00
22.	पश्चिम बंगाल	2228.25

1	2	3
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	143.50
24.	अरुणाचल प्रदेश	438.00
25.	चंडीगढ़	24.35
26.	दादरा एवं नागर हवेली	68.25
27.	दिल्ली	113.80
28.	गोआ, दमण एवं द्वीव	139.65
29.	लक्षद्वीप	4.75
30.	मिजोरम	527.50
31.	पांडिचेरी	38.50
	योग	48326.55

टिप्पणी : राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं और राज्य क्षेत्र परियोजनाओं के अन्तर्गत आबंटित धनराशि शामिल है।

दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

4161. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अधिकांश ऐतिहासिक स्मारक, जिनका 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सर्वेक्षण किया गया था, हाल ही के वर्षों में लोप हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछली बार रिकार्ड किए गए पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ऐसे स्मारकों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या दिल्ली में विद्यमान किसी ऐतिहासिक स्मारक को संरक्षित श्रेणी में नहीं रखा गया है;

(घ) क्या उन स्मारकों के संरक्षण के लिए दिल्ली प्रशासन के नियम हैं जिनका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पालन नहीं किया जाता है; और

(ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित अंतर-विभागीय संरक्षण समिति के गठन, कार्यों और शक्तियों का ब्यौरा क्या है और संरक्षण कार्यों तथा स्मारकों के संरक्षण हेतु बजट में क्या प्रावधान किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) हाल ही के वर्षों में कोई भी ऐतिहासिक स्मारक लुप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उन स्मारकों, जो कि केन्द्रीय संरक्षणाधीन नहीं है के परिरक्षण हेतु दिल्ली प्रशासन द्वारा अपना अधिनियम बनाया जा रहा है।

(ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई भी संरक्षण समिति नहीं बनाई गई है। वर्ष 87-88 के लिए उन स्मारकों, जो केन्द्रीय संरक्षणाधीन नहीं हैं के परिरक्षण हेतु दस लाख रुपये की राशि रखी गई है।

दक्षिण भारत के टतवर्ती क्षेत्र में समुद्र-तल में खनिज निक्षेप

4162. **श्री ए० जयमोहन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटवर्ती सेलों में गहरे समुद्र में खनिज निक्षेपों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की है;

(ख) यदि हां, तो वहां किन-किन खनिजों के प्राप्त होने और कितनी मात्रा में प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को कोंकण, कोरोमंडल और तमिलनाडु में तटवर्ती क्षेत्र में समुद्र-तल में खोज करने के लिए गहरे समुद्र में खनन कार्य करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां।

(ख) इल्मेनाइट, मोनाजाइट, रूटाइल, जिरकन, सिलिमेनाइट, गारनेट और लोहा तथा टिटेनियम के ओपक आक्साइड खनिज मिलने की संभावना है। केरल में त्रिवलोन वरकला और मुत्तम क्षेत्रों में भारत की समुद्री सीमा के तलछाटन के अन्दर 700 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में ऐसे भारी खनिजों का चार प्रतिशत से अधिक जमाव है। तमिलनाडु समुद्र तट के नमूनों में इल्मेनाइट, जिरकन, लोहा तथा टिटेनियम के ओपक आक्साइड का क्षीण जमाव और यथा-स्थल अच्छी किस्म की जिरकन का निक्षेपण पाया गया है। इन क्षेत्रों के समृद्ध चुनींदा इलाकों में समुद्रतल का सघन ग्रिड सैम्पिलिंग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, महाद्वीपीय पट्टी में और कोंकण, कोरामंडल और तमिलनाडु की तटीय पट्टी के पूर्ण आर्थिक क्षेत्र समुद्र में खनिजों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इन सर्वेक्षणों से अब तक ज्ञात बजरी निक्षेप का विस्तृत गवेषण करने के लिए अध्ययन जारी है।

[हिन्दी]

"स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना" का लागू किया जाना

4163. **श्री शांति धारीवाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नगरपालिकाओं के माध्यम से "स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना प्रारम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह योजना सुचारू रूप से चल रही है;

(ग) क्या राज्य-सरकारों ने सरकार को यह बताया है कि वे नगरपालिकाओं के माध्यम से इस योजना को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ है।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ उपाय करने पर विचार किया है: और

(ग) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

औषधों के असंगत मिश्रण का विपणन

4164. श्री भद्रेश्वर तांती :
डा० वी० वेंकटेश :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय औषध कम्पनियों द्वारा मुनाफाखोरी के उद्देश्य से बाजार में औषधों के असंगत मिश्रण बेचे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन औषधों के निर्माण की अनुमति देने के लिए राज्य औषध नियंत्रक लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं।

औषध परामर्शदात्री समिति ने, जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय है, देश में बेचे जा रहे योगों की निरापदता, प्रभावकारिता और उपयुक्तता की दृष्टि से जांच कराने के लिए एक उपसमिति का गठन किया है। औषध योगों की जाँच करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार को औषध और प्रसाधन सामग्री (1982) संशोधन अधिनियम की धारा 10 ए

और 26 ए के अधीन हानिकारक/असंगत पाए गए औषध योगों के आयात और निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए और विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए अनुसार सरकार ने अब तक अधिसूचनाएं जारी करके औषधों की 26 श्रेणियों पर प्रतिबन्ध लगाया है जिनमें सम्मिश्रण भी शामिल हैं।

कीटनाशक दवाइयों की विषाक्तता के कारण व्यावसायिक बीमारियां

4165. **डा० बी०एल० शैलेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयों जैसे रासायनिक उत्पादों के बढ़ते हुए प्रयोग के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में निरंतर अनेक व्यावसायिक बीमारियां फैल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कीटनाशक दवाइयों के अधिक विषैले प्रभाव से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) कीटनाशक विषाक्तता के कारण होने वाली व्यावसायिक बीमारियों की व्यापकता के बारे में राष्ट्रवार या राज्यवार प्रमाणिक आंकड़े भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

"इंडियन मेडीसिन्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड" मोहान, अल्मोड़ा के कर्मचारियों के वेतनमान

4166. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्मोड़ा जिले में इंडियन मेडीसिन्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मोहान के कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमानों में पुनरीक्षा हेतु निदेशक मंडल की इस सम्बन्ध में सिफारिश सहित कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नये वेतनमानों के लिए प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार द्वारा कब तक मंजूरी दे दिये जाने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) इंडियन मेडीसिन्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने इंडियन मेडीसिन्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के उन कर्मचारियों के कुछ वेतनमान और पदनाम अनुमोदित किए हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश राज्य न्यूनतम मजदूरी नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रस्ताव इस मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इस प्रस्ताव से सम्बन्धित वित्तीय तथा अन्य निहितार्थों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

———

12.00 मध्याह्न

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : हमने नियम 193 के तहत सूचना दी है·········(**व्यवधान**) अजिताभ बच्चन सम्पत्ति के मालिक हैं, अर्थात स्विटजर लैंड में उनके पास पांच कमरों का मकान है··· ····················(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : बिना मेरी अनुमति के आपने बोलना शुरू कर दिया है मैं यही कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

यह आप क्या कर रहे हैं, यह क्या हो रहा है, क्या आप को ऐसा करते हुए अच्छा लगता है।

आपको शोभा नहीं देता जब आप ऐसा करते हो। आप जानते हैं कि उसी हाउस में 27 नवम्बर को एक प्रश्न का उत्तर दिया गया था।···

(**व्यवधान**)**

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : 27 नवम्बर को···

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?······27 नवम्बर को हमने इसी प्रश्न का उत्तर दिया था और इसमें बताया गया था :

> "सतर्कता निदेशालय ने श्री अजिताभ बच्चन द्वारा स्विटजरलैंड में एक फ्लैट खरीदने के संबंध में तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उलंघन में उनके अन्य हितों के संबंध में जांच आरम्भ कर दी है। जांच अभी चल रही है। जांच परिणाम के आधार पर यदि कानून के अनुसार कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता हुई तो कार्यवाही की जाएगी।"

इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कह सकता हूं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : कितने समय तक आप इसको अनदेखा कर सकते हैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । हम पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे ·· ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

भाई, आप शोर क्यों करते हो, जोर से आप लोग क्यों बोलते हो । मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, आप से बात कर सकता हूं । यदि आपका कोई मोशन है तो वह भी एडमिट कर सकता हूं बशर्ते कि वह अण्डर रूल हो, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है । आप मुझसे बात कर लीजिए । मैं देख लूंगा ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : हम यही चाहते हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस में पेपर जो दिखा रहे हैं, वह अच्छा नहीं लगता और न आपको शोभा ही देता है । आप ही ने रूल बनाये हैं । ऐसा करना अच्छा नहीं लगता । इसके बजाए अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं भी देख लूंगा । मगर ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता । इस तरीके से अगर सारे लोग एक साथ खड़े होंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है । आप लोगों ने जो कुछ कल किया और आज भी कर रहे हैं, वह आप को शोभा नही देता । मुझे कोई ऐतराज नहीं है । यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो करिए, मैं हाउस फिर एडजोर्न कर दूंगा । मैं अपनी बात को बार-बार यहां दोहराना चाहता हूं कि यदि आप कोई डिस्कशन चाहते हैं, और कोई बात चाहते हैं, यदि वह नियमों के अधीन है तो मैं उसे हर वक्त करने के लिए तैयार हूं । लेकिन उसके बाद भी यदि आप हाउस को नहीं चलने देना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है । मैं कोई अड़चन नहीं डालने वाला हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को यकीन दिला देना चाहता हूं कि नियमों के अधीन ही सब कुछ होगा ।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : एप्रोच की बात नहीं है। कल भी आपने जो कुछ किया, उसे आज फिर मत दोहराइये। आप मुझसे कहिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं हर वक्त। यदि आप 50 आदमी एक साथ खड़े हो जाएंगे तो कैसे होगा।

[अनुवाद]

और यह आपके परमहित में है, यह इस संस्थान के परमहित में है। और यह देश के परमहित में है।

[हिन्दी]

यह मेरी आपसे अपील है।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी पर भी चर्चा कर सकता हूं।

[हिन्दी]

आप मुझसे बताइये कि यह मामला डिस्कस होना चाहिए, मैं आपका सारा डिस्कशन करवा दूंगा। मैं मना नहीं करने वाला हूं मगर वह नियमों के अधीन होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा फिर क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए मैं देख लूंगा। अगर डिस्कशन के योग्य होगा तो मैं डिस्कशन भी करवा दूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : हम भी यही कह रहे हैं। नियम 193 के तहत क्या आप अनुमति दे रहे हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या हम यह समझें कि नियम 193 के तहत इसे स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एक आश्वासन दिया है, और वह यह है कि यदि वह नियम के तहत अनुयज्ञे हुआ तो मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक सप्ताह के अन्दर सत्र समाप्त हो जाएगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बढ़वा दीजिए। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : कोई जांच नहीं चल रही है। (व्यवधान) यह तो सिर्फ ढाढस देना है। (व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यहां बैठा हूं, जब तक आप हाउस चलाते रहेंगे, मैं यहां बैठा रहूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी तरह की चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

प्रो. मधु दण्डवते : हमने आपको पहले से ही एक सूचना दे रखी है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कृपा कर इसे नियम 193 के तहत स्वीकृत कीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं बगैर देखे कैसे बना सकता हूं। मैं देखकर बताऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखकर बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सैशन खत्म हो जाएगा। वह इन्क्वायरी पेंडिंग रहेगी। उसका कुछ नहीं होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिसका मुझे पता नहीं है, उसको मैं कैसे बता सकता हूं। जैसे भगत जी के खिलाफ प्रिवलेज का मोशन दिया था, मैंने उसको भी भेजा। अब उसका जवाब आ गया है। मैं इसका भी कुछ करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं संतुष्ट हूं कि ऐसा किया जा सकता है तो मैं इसे करूंगा।

(व्यवधान)

श्री सी. माधव रेड्डी (अदिलाबाद) : मैंने एक सूचना दी है······(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे दिया है। आप क्यों ऐसा करते हैं। भगवन एक मिनट रुकिए। आपने मुझे सेंसर का नोटिस दिया है।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

मुझे कानूनी तरह से कार्यवाही करनी होगी।

[हिन्दी]

मुझे आपने दे दिया है, आज मेरे पास आ गया है।

[अनुवाद]

मैं तुरन्त ही कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

अब जो कानून है, उसके अनुसार मैं करूंगा। एक मिनट में तो मैं कोई जजमेंट दे नहीं सकता हूं। मैं उसे देखूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई नई बात नहीं कही है, यह वही है जो आप उनसे देख सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : क्या वह श्री बूटा सिंह के खिलाफ लगाये गये निन्दा प्रस्ताव की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

(व्यवधान)

श्री एम. रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आप कृपा कर हमें जल्दी करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई मशीन नहीं है। कानून में जो है उसके अनुसार करूंगा।

[अनुवाद]

मैं पता करूंगा क्या हमें अनुमति दी जा सकती है या नहीं। क्या यह नियमों के तहत आता है। मैं इसे पूरी तरह से देखूंगा और उसके बाद ही आपको आश्वासन दे सकता हूं। मैं उसी के अनुसार करूंगा।

(व्यवधान)

श्री भद्रेश्वर तांती (कलिमाबोर) : पिछले दो सप्ताह से मैं अपने नोटिस पर आपके निर्णय का इन्तजार कर रहा हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज मेरे पास मधु दण्डवते जी का जवाब आया है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : आप को अपना निर्णय देना है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कहा, आप भी दे दीजिए । मधु दण्डवते जी का आया है ।

[अनुवाद]

मुझे वह मिल गया है । यदि अन्य सदस्य भी देना चाहते हैं तो वे भी दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : दिल्ली में दवाईयों की काफी कमी है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए । वह भी करवा दूंगा ।

[अनुवाद]

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पावर्तीपुरम) : वास्तव में जांच कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कोई जांच नहीं चल रही है ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप यह पहले ही कह चुके हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कमाल है । आप भले आदमी हैं । आप खुद समझदार हैं । मैं, तो अकेला आदमी हूं । मेरे से आप कितनी दफा कहलवाना चाहते हैं । मैं कितनी दफा कहूं कि मैं बगैर देखे कैसे कह सकता हूं । आप तो इतने पुराने मैम्बर हैं ।

[अनुवाद]

मैं इसका पता करूंगा । और यदि यह नियम के अंतर्गत हुआ तो मैं इसकी अनुमति दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नियमानुसार इसकी अनुमति है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आज आया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखकर, आपको कल बता दूंगा ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पूरा देश इस पर नाराज है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गुप्ताजो, आप भी कमाल करते हैं, आप इतने पुराने मैम्बर हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : इसका दस्तावेजी सबूत है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जितनी शक्ति आप यहां लगा रहे हैं, इतनी शक्ति अगर आप अच्छे काम में लगाएं, तो कितना अच्छा हो।

12.08 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इन्डिया) लिमिटेड रांची के वर्ष 1986-87 तथा नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1986-87 की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

[अनुवाद]

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इन्डिया) लिमिटेड, रांची के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्टस (इन्डिया) लिमिटेड, रांची का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल०टी० 5161/87]

(ख) (एक) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर की वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल०टी० 5162/87]

डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम; महापतन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, मद्रास डॉक श्रमिक बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की समीक्षा तथा प्रतिवेदन एवं अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :-

(1) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8क के अन्तर्गत कांडला अपंजीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) प्रतिसंहरण योजना, 1987, जो 11 सितम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 820 (अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल०टी० 5163/87]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा० का० नि० 608 (अ), जो 29 जून, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना के साथ संलग्न कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) विनियम; 1987 अनुमोदित किए गए हैं।

(दो) सा० का० नि० 679(अ), जो 28 जुलाई, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना के साथ संलग्न कांडला पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनियम, 1987 अनुमोदित किए गए हैं।

(3) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० 5164/87]

(4) (एक) मद्रास डॉक श्रमिक बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मद्रास डॉक श्रमिक बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० 5165/87]

भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे तथा उन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण तथा क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० 5166/87]

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला (उड़ीसा) के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 5167/87]

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :-

(एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 5168/87]

अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 5169/87]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 13 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 852(अ) में प्रकाशित

हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धि-पत्र, जो 15 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1149(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 5170/87]

सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एज्यूकेशन (नेहरू फाउन्डेशन फॉर डिवलपमेंट), अहमदाबाद का वर्ष 1986-87 का तथा केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) सेंटर फॉर इन्वायरनमेंट एज्यूकेशन (नेहरू फाउंडेशन फॉर डिवलपमेंट), अहमदाबाद के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) सेंटर फॉर इन्वायरनमेंट एज्यूकेशन (नेहरू फाउन्डेशन फॉर डिवेलपमेंट), अहमदाबाद के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए. देखिए संख्या एल० टी० 5171/87]

(2) (एक) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण।

(दो) केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 5172/87]

12.10 बजे म०प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 1 दिसम्बर, 1987 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 12 नवम्बर, 1987 को

हुई उसकी बैठक में पारित किए गए, औरोविल (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक, 1987 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 1 दिसम्बर, 1987 को हुई अपनी बैठक में पारित सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1987 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

———

सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन संशोधन विधेयक) राज्य सभा द्वारा यथापारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1987 सभा पटल पर रखता हूं ।

———

12.11 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) श्री निवास कॉटन मिल्स, बम्बई के राष्ट्रीयकरण तथा मालिकों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को अग्रिम योजना सहायता दिए जाने के बारे में प्रस्ताव मंजूर करना

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : श्री निवास कॉटन टैक्साइल मिल, बम्बई को, जिसमें लगभग 4558 कर्मचारी काम करते हैं, 23 मार्च 1984 को प्रबन्धक साझीदारों के बीच मतभेद पैदा हो जाने के कारण बंद कर दिया गया था । बाद में इस कम्पनी का परिसमापन कर दिया गया । और कम्पनी की सम्पति बम्बई उच्च न्यायालय से संबद्ध सरकारी परिसमापक के कब्जे में है ।

कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और मिल को पुनः चलाकर इसकी बेकार पड़ी कार्य-क्षमता को उपयोग में लाने की दृष्टि से महाराष्ट्र सरकार ने इस मिल के राष्ट्रीकरण करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । इस मिल के संबंध में एक अध्यादेश 12 अगस्त, 1987 को पेश किया गया । योजना आयोग को भी 23 मार्च, 1987 को यह अनुरोध किया गया था वह 32.54 करोड़ रुपए का अग्रिम योजना सहायता दे ताकि राज्य सरकार मिल मालिकों को मुआवजा दे सकें तथा श्रमिकों को देय राशि, छंटनी का मुआवजा तथा उपदान दे सके तथा वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को देय राशि का भुगतान किया जा सके तथा प्रारंभिक व्यय तथा चालन लागत आदि को पूरा किया जा सके ।

इस मिल का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी तथा इसे अग्रिम योजना सहायता देने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी दी जाए ।

(दो) आठवीं पचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सहजवा और उतरोला के बीच रेल लाइन के लिए मांग

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसी पूर्वी भाग में वस्ती जनपद स्थित है।

इस जनपद वस्ती में विश्व प्रसिद्ध वस्तुओं का उत्पादन होता है, किन्तु आवागमन के साधन के अभाव में इन वस्तुओं को यहां से बाहर भेजना बड़ा ही कठिन कार्य है। उत्पादित वस्तुओं के बाहर न जाने के कारण इनकी मांग पर असर पड़ना स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर अमरडोभा में पावरलूम के वस्त्रों का उत्पादन होता है, बखिरा में फूल और कांसे के वर्तन अद्वितीय ढंग से बनाये जाते हैं, बांसी में काला नमक नामक चावल का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है। यदि यहा आवागमन का साधन होता तो निश्चित रूप से इन वस्तुओं को दूर-दराज तक भेजा जाता और इसकी मांग दिनोंदिन बढ़ती जाती।

इन्ही कारणों से आजादी के बाद से ही इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, जन-प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय सम्मानित लोग सहजनवा से उतरौला तक रेलवे लाइन बनाने की मांग उठाते रहे हैं, किन्तु आज तक वहां के लोगों की यह मांग अनसुनी की जाती रही है और उनका परिणाम यह है कि यह क्षेत्र आज भी हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है।

अत: मैं माननीय रेल राज्य मंत्री से मांग करता हूं कि क्षेत्र तथा उत्पादित वस्तुओं के विकास के लिए राहजनवां से उतरौला तक नई रेल लाइन बनाने की योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की कृपा करे जिससे उक्त क्षेत्र के निवासी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाहर भेजकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और अपना जीवन-निर्वाह भली प्रकार कर सकें, साथ ही उक्त उपेक्षित पिछड़े क्षेत्र का विकास भी हो सके।

(तीन) पंजाब के किसानों को पानी की अवैध आपूर्ति रोकने के लिए सरहिन्द फीडर नहर से स्थापित पंपों को हटाने और इस तरह राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी पुन: उपलब्ध करने की मांग

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, भाखड़ा नहर का पानी पंजाब के क्षेत्र में सरहिन्द फीडर में इंजन पाइप लगाकर जगह-जगह राजस्थान का प्रतिशत पानी कम कर के राजस्थान को हानि पहुंचाई जा रही है।

सरहिन्द फीडर से पंजाब क्षेत्र में हो कर राजस्थान को भाखड़ा नहर में पानी दिया जाता है। काफी समय से सरहिन्द फीडर में जगह-जगह नहर में लोहे के पाइप डालकर इंजनों द्वारा जमींदारों को पानी दिया जा रहा है। इस प्रकार करीब 400 क्यूसेक पानी बिना किसी सरकारी रिकार्ड के पंजाब के जमीदारों को दिया जा रहा है, जब कि सरहिन्द फीडर में राजस्थान के हिस्से के पानी के एग्रीमैंट में यह कहीं भी नहीं लिखा है। इस पानी की चोरी के कारण राजस्थान को कम पानी मिल रहा है, जिससे भाखड़ा के सिंचाई क्षेत्र में वर्ष भर में लाखों रुपया व कृषि उपज का नुकसान राजस्थान सरकार व जमींदार दोनों को हो रहा है।

अत: इन जगह-जगह लगे इंजन व पाइपों को तुरन्त हटाया जाये या इस पूरे पानी के बदले राजस्थान के हिस्से की प्रतिशत मात्रा बढ़ाई जाये।

(चार) विटामिन बल्क औषधियों की कीमतों पर लगा नियंत्रण हटाने का निर्णय लेने, जिससे विटामिन फार्मूलेशनों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने की मांग

अनुवाद

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : विटामिन 'बल्क ड्रग्स' अधिकांशत: एक या दो दवा कंपनियां ही बनाती हैं। इन बल्क ड्रग्स के मुल्यों प्रर से नियंत्रण हटा लिया गया है। 'सिंगल' इनग्रिडियन्टर विटामिन फार्मूलेशन्स, के मूल्यों पर से भी नियंत्रण हटा लिया गया है जबकि इनकी वार्षिक बिक्री सैंकड़ों करोड़ों रुपए में होती है। अन्य 'बल्क' ड्रग्स, के उत्पादन और 'सिंगल' ड्रग ब्रांडिड फार्मुलेशनस के संबंध में यह मानदंड नहीं अपनाया गया है। इस तरह का पक्षपात पूर्ण रवैया न्यायोचित नहीं है 'बल्क विटामिन, रवैया' की कीमतों से नियंत्रण हटाकर 'मल्टी विटामिन' फार्मुलेशन' की फैक्टरी लागत पर एम. ए. पी. ई. में 40 प्रतिशत वृद्धि कर के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी। इन सबसे 'मल्टी विटामिन फार्मुलेशन' के मूल्यों में बहुत वृद्धि होगी जिससे दवा कम्पनियाँ भारी मुनाफा कमायेंगीं तथा उन निर्धन रोगियों को, जो तपेदिक और कुपोषण के शिकार हैं, बहुत कठिनाइयां होंगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले की पूरी जांच कराएं और इसके लिए जिम्मेदा लोगों का पता लगाए।

(पांच) सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना को उचित समय के भीतर पूरा करने के लिए उसका निर्माण कार्य किसी केन्द्रीय अभिकरण को सौंपने की मांग

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी): सतलुज यमुना लिंक नहर का जो भाग हरियाणा में आता था उसे 10 वर्ष पूर्व ही पूरा कर दिया गया था लेकिन दुर्भाग्य से पंजाब सरकार को इस राज्य में पड़ने वाली नहर का निर्माण कार्य अभी पूरा करना है, यद्यपि बारबार यह कहा गया है कि नहर का कार्य मार्च, 1987 में पूरा कर लिया जाएगा। अब यह कहा जा रहा है कि यह कार्य मार्च, 1988 तक पूरा हो पाएगा। यह कार्य इस तारीख तक भी पूरा होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। चहल इंजीनियरिंग कम्पनी ने, जिसे सिरसा नदी के ऊपर जलसेतु का निर्माण करने का काम सौंपा गया है, अब कहा है कि यह काम मार्च, 1989 तक भी पूरा नहीं हो सकता। जब तक सरकार नहर का कार्य पूरा कराने के बारे में गभीरता से नहीं सोचती, इसके शीघ्र पूरा होने की कोई आशा नहीं है और हरियाणा राज्य उसे मिलने वाले जल से वंचित रहेगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बात पर विचार करते हुए कि सतलुज यमुना लिंक नहर हरियाणा राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा सूखे का स्थायी उपाय है, इसका कार्य केन्द्रीय एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए तथा इस परियोजना का कार्य समय पर पूरा करने के लिए इसके काम में तेजी लाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।

जोधर शहपुर को पानी की सप्लाई करने की परियोजना को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार को निदेश देने भी मांग

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जोधपूर शहर की 6 लाख की जनसंख्या इस वक्त अप्रत्याशित पानी के संकट का सामना कर रही है जिससे लोगों में भयंकर भय व चिन्ता

व्याप्त है। नये निर्माण कार्यों के अभाव में बेरोजगारी फैल रही है। छोटे व कुटीर उद्योग-धंधे बंद होते जा रहे हैं। जोधपुर में दो-तीन दिन में एक बार सिर्फ दो घंटे पानी देने की घोषणा की जा रही है जबकि सिर्फ आधे घंटे से एक घंटे तक ही मुश्किल से पानी धीमी गति से आता है। पूरे शहर में पानी सप्लाई व्यवस्था चरमरा गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15-20 दिन के बाद यह संकट और अधिक गहरा हो जायेगा।

आपातकालीन योजना बना कर रणसीगांव, रामपुरा मार्ग से पानी लाने की योजनाओं को गम्भीरता से नहीं लेने से आम जनता में बहुत रोष एवं आक्रोश है। समय पर यह योजनायें पूरी नहीं की गई तो स्थिति बेकाबू हो सकती है।

राज्य सरकार को निर्देश दिये जाने चाहिए कि शीघ्र ही आपातकालीन पानी लाने की योजनाओं पर युद्ध स्तार पर कार्य करके जोधपुर के लोगों को पानी मुहैया कराया जाये अन्यथा पानी के अभाव में स्थिति भयावह बन सकती है।

(सात) पुरी स्थित प्राचीन मंदिरों के रखरखाव और संरक्षण का कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की मांग

[अनुवाद]

*श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : पुरी, भगवान जगन्नाथ का धाम देश के चार प्रमुख धामों में से एक है। वहां विभिन्न मन्दिरों की देखरेख का काम पुरातत्व विभाग करता है। परन्तु उस विभाग का कार्य ठीक तरह से नहीं चल रहा है। स्थानीय लोगों की यह धारणा है कि सरकार संरक्षण कार्य की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देती। यदि मन्दिरों के रखरखाव का कार्य समय पर नहीं किया जाता है तो उसकी दशा और भी खराब हो जायेगी और उसकी अनुरक्षण लागत में बहुत वृद्धि हो जायेगी। यदि लागत में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो सरकार आगे रखरखाव को सीमित संसाधनों के कारण बन्द कर सकती है।

इसे ध्यान में रखते हुए मैं यह मांग करता हूं कि पुरी में स्थित प्राचीन मन्दिरों के अनुरक्षण और संरक्षण के कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए -

(आठ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए ए संसदीय समिति का गठन करने की मांग

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसड़ा) : डी०डी०ए० द्वारा आम जनता और किसानों की सम्पत्ति कौड़ी के दामों में से ली जाती है और उसी का आबंटन जनता को करोड़ों में किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों तथा दलालों की सांठगांठ से जनता का शोषण हो रहा है तथा भ्रष्टाचार चरम उत्कर्ष पर है। डी०डी०ए० के नियम कानून मनमाने ढंग से लागू किये जा रहे हैं। घटिया किस्म का 25 हजार रुपये की लागत से बना मकान लाखों में बेचा जा रहा है।

अतः मैं मांग करता हूं कि डी०डी०ए० के उच्चाधिकारियों की सम्पत्ति की जांच की जाय तथा संसदीय समिति बनाकर यह देखा जाय कि क्या डी०डी०ए० जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उसमें

*मूलतः उड़ीया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सफल रही है या नहीं यदि डी०डी०ए० सफल नहीं। रही है तो उस संस्था को भंग कर दिया जाय।

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष में कोई मंत्री उपस्थित नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय सभा को स्थगित कर देना चाहिए। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभा, पहली बार बिना किसी मंत्री के चल रही है (**व्यवधान**) महोदय इस बात का रिकार्ड किया जाना चाहिए आपको यह बताया गया है कि एक भी मंत्री उपस्थित नहीं है और सभा की कार्यवाही सत्ता पक्ष में विना किसी मंत्री की उपस्थिती के चल रही है सभा की कार्यवाही में यह एक शर्म की बात है। (**व्यवधान**)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : पांच मिनट तक सभा में कोई मंत्री नही था। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय यहां उपस्थित है और वे लगातार यहां उपस्थित रहेंगे।

(**व्यवधान**)

प्रो. मधु दण्डवते : मंत्रियों के लिए एक 'रोस्टर' होना चाहिए ताकि वे सदन में उपस्थित रह सकें। (**व्यवधान**)

श्री. एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है...(**व्यवधान**)

श्री राज कुमार राय (घोसी) : महोदय, ऐसा करने से स्थिति का समाधान नहीं होगा।

प्रो. मधु दण्डवते : क्या समंदीय कार्य मंत्री इस सदन को यह बतायेंगे कि सभा में एक भी मंत्री उपस्थित क्यों नहीं था। (**व्यवधान**)

श्री एम. रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, हम इस बारे में आपका विनिर्णय चाहते हैं। (**व्यवधान**)

श्री राजकुमार राय : महोदय, क्या यह पर्याप्त है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यह स्वीकार कर चुका हूं कि एक मंत्री को सदन में अवश्य ही उपस्थित होना चाहिए।

(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं माफी चाहतीहूं ...।

(व्यवधान)

डा० चिन्ता मोहन : मैं मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप क्या चाहते हैं ? माननीय मंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं सभी सदस्यों से माफी चाहती हूं कि ऐसी बात हुई । प्रो. मधु दण्डवते ने कुछ प्रश्नों को उठाया है । मैं उनके संबंध में बताना चाहूंगी और फिर आपकी बात पर आऊंगी......(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

श्रीमती शीला दीक्षित : इसके लिए मैंने अपनी सरकार की ओर से माननीय सदस्यों से माफी मांग ली है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बस, यही काफी है ।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से माफी चाहती हूं कि ऐसी घटना हुई है । प्रो० मधु दण्डवते ने कुछ प्रश्नों को उठाया है मैं उनकी जांच करना चाहूंगी । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप क्या चाहते हैं उन्होंने पहले ही खेद व्यक्त कर दिया है ।

(व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं सरकार की ओर से सभी माननीय सदस्यों से माफी मांगती हूं ।

(व्यवधान)

(नौ) राज्य क्षेत्र में बकरेश्वर ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने की मांग

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : महोदय 6.30 मेगावाट क्षमता वाली बकरेश्वर ताप परियोजना को सी. ई. ए. द्वारा 1985 में तकनीकी-आर्थिक आधार पर मंजूरी दे दी गयी थी और केन्द्रीय सरकार के समक्ष दो प्रस्ताव रखे गए थे । प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 1986 में कलकता में आश्वासन दिया था कि दो महीनों में परियोजना को मंजूरी दे दी जायेगी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । इस दौरान केन्द्रीय सरकार के सोवियत संघ से चर्चा के कई दौरे चले जिनके परिणाम स्वरूप मार्च, 1987 में केन्द्रीय सरकार को अन्तिम प्रस्ताव भेजा गया । सोवियत संघ से परियोजना के लिए दोनों देशों के बीच ऋण के साथ यह पूर्व शर्त जोड़ दी गयी है कि इस परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाए जिसका अर्थ यह होगा कि पश्चिमी बंगाल की

विद्युत प्रणाली को बकेरेश्वर में होने वाले विद्युत उत्पादन के 2/3 भाग से वंचित होना पड़ेगा। उत्तम मूल भूत ढाचे विद्युत निष्क्रमण सुविधाओं और सन्तोषजनक रेल और कोयला सम्पर्क सुविधाओ सहित परियोजना स्थल का पता लगा लिया गया है। राज्य-सरकार ने सातवीं योजना के दौरान पहले ही सौ करोड़ रुपये दे दिए हैं और 1987-88 के दौरान 35 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की है। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में निर्माण के लिए बकाया परियोजना लागत के लिए 210 करोड़ रुपये भी देने के लिए तैयार है यह मानते हुए कि सोवियत संघ 70 प्रतिशत परियोजना लागत का भुगतान करेगा।

इन परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आगे लागत और समय सीमा के मे अतिक्रमण से बचने के लिए और सातवी और आठवीं योजना में क्रमशः 457 मेगावाट तथा 866 मेगावाट की मांग को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध करके परियोजना को राज्य क्षेत्र में पूरा करने के लिए शीघ्र मजूंरी दी जाये।

12.29 म. प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1987-88—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1987-88 के सामान्य बजट की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेगी और 2 दिसम्बर, 1987 को प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर भी आगे चर्चा करेगी।

अब मैं श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति से अपना भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूं। श्री श्रीराम मूर्ति आप पहले ही 14 मिनट का समय ले चुके हैं। अतः अपने भाषण को संक्षिप्त रखने का प्रयास कीजिए।

श्री भट्टम श्री राम मूर्ति (विशाखापटनम) : महोदय मैंने कल सरकार को व्यय के बारे में अधिक जागरूक और सतर्क रहने की सलाह दी थी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई इस चेतावनी को स्मरण कराया था कि हमारे ऊपर ऋणों का बोझ बढ़ता जा रहा है जिसके गम्भीर रिणाम हो सकते हैं। 1981 और 1987 के दौरान वास्तव में बाह्य ऋण बढ़कर 18,500 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले छः वर्षों में यह वृद्धि पहले 30 वर्षों में दी गई उधार राशि के लगभग समान है।

अब अतिरिक्त बजट के बारे में वर्ष 1986-87 में ही 8,570 करोड़ रुपये उधार लिए गए हैं सरकारी उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र की इकाइयों ने भी सार्वजनिक उधार का आश्रय लिया है। लगभग 23,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाने वाली है। अतः ऋण के बारे में रिजर्व बैंक की चेतावनी का विशेष महत्व है।

महोदय घटता विदेशी मुद्रा कोष, बढ़ते हुए ऋण दायित्व और वार्षिक व्यापार असन्तुलन, वास्तव में खतरे के संकेत हैं।

घाटे की वित्त व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उसकी भयानक तस्वीर सामने आ रही है। सातवी योजना के बारे में मैंने पहले एक उल्लेख किया था। परन्तु मैं पुन यह दोहराना चाहूंगा

कि सांतवी योजना लगभग विफल रही है। इसके लक्ष्य, इसके संसाधन और संसाधन गणना सभी विफल रहे हैं। प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय मंत्रालय का बजट परिव्यय इस वर्ष के बजट परिव्यय के स्तर पर रोक दिया जाएगा इस वर्ष राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि नहीं होगी। वास्तव में राष्ट्रीय आय में कमी होगी।

मुझे पहले केन्द्रीय व्यय का उल्लेख करने दीजिए। वर्ष 1950-51 में व्यय 530 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर 57867 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात जी.एन.पी. में लगभग 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है। खर्च को व्यय करने के लिए सरकार भी कुछ उपायों का सहारा ले रही है। मेरा भी एक ऐसा अनुभव है। जब मैं सुरक्षा तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मकान के सामने वाले शीशे के दरवाजे की जगह लकड़ी का दरवाजा लगवाना चाहता था तो शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि सूखे की स्थिति के कारण आर्थिक उपायों को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं किया जा सकता और वे कोई भी सुधार करने में असमर्थ होंगे। यह बहुत अच्छी बात है परन्तु साथ ही मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय की हाल की विदेशी यात्रा की लागत 5 करोड़ रुपये आई है। उन्होंने विश्व के विशालतम जेट 747 में यात्रा की थी। इसे यात्रा के लिए एक महीने पहले से सेवा से हटा लिया गया था।

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण मध्य) : यह एक गलत बात है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : ठीक है या गलत इस बात से वे इन्कार कर सकते हैं आप इन्कार नही कर सकते।

> "यहां तक की राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन भी 747 में यात्रा नही करते। और ब्रूनी के सुलतान एक छोटे वायुयान का प्रयोग करते हैं।"

इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं। केवल यही नहीं, एक और रिर्पोट है कि प्रधान मंत्री की दो घन्टे की उड़ीसा की यात्रा पर दो करोड़ रुपये खर्ज हुए हैं उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय बाल फिल्म उत्सव के अवसर पर यह यात्रा की गई थी। यहां मैं एक और उल्लेख करता हूं। 1984 से 1987 तक विज्ञापन लागत 400 करोड़ रुपये से बढ़ कर 600 करोड़ रुपये हो गई है। इस प्रकार गैर-योजना व्यय में वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर जहां तक ससंद सदस्यों का सम्बन्ध है उनके दरवाजों को भी बदलना संभव नहीं है क्यों कि सूखे की स्थिति और अर्थव्यवस्था की हालत के कारण धन की कमी है।

इस सन्दर्भ में मैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी की जरूरतों का उल्लेख करता हूं इस बात को भी रिकार्ड किया गया था। उन्हें एक निजी सचिव भी नहीं दिया गया। वे एक बंगले में रहना चाहते थे। परन्तु वह भी उन्हें नहीं दिया गया। अतः सरकार इस प्रकार के बचत के उपाय कर रही है। हमारे गैर-योजना व्यय में वृद्धि हो रही है जब कि जहां तक भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री संजीव रेड्डी का सम्बन्ध सरकार उनके मामले में बहुत कजूंसी बरत रही है।

अब सरकार विकास विरोधी वित्तीय नीतियों का अनुसरण कर रही है।

यह बात है जो मैं कहना चाहता हूं पूंजीगत खाते में अतिरिक्त धनराशि का प्रयोग बढ़ते हुये राजस्व घाटे के लिए अर्थ प्रबन्ध करने हेतु किया गया है। परिसम्पत्ति निर्माण संसाधनों का

[श्री भट्टम श्रीराममूर्ति] —जारी

प्रयोग गैर-योजना खर्च के वित्तीय पोषण के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1985-86 में राजस्व खाते में 5565 करोड़ रुपये है। पूंजी गत खाता 628 करोड़ रुपये हैं। कुल घाटा 4937 करोड़ रुपये है।

पूंजीगत खातों में भी 1052 करोड़ रूपए है तथा कुल घाटा 8428 करोड़ रूपये रहा।

वर्ष 1987-88 में राजस्व खातों में 6742 करोड़ रूपये है और पूंजीगत खाता 1054 करोड़ रूपये रहा। वर्ष 1986-87 में राजस्व 233 करोड़ रुपेये है

इसलिए पिछले तीन वर्षो के दौरान वार्षिक घाटा सातवीं योजना अवधि के दौरान निर्धारित घाटों की कुल राशि, जो 14000 करोड़ रूपये रखी गई है. से भी अधिक हो गया है और अब यह 18,000 करोड़ रूपये तक पहुंच, गया है।

वर्तमान आर्थिक संकट के प्रवाह को रोकने के लिए घाटे की वित्तव्यवस्था कोई तरीका नहीं है। आन्तरिक तथा बाहरी भारी ऋणों की शरण लेने वाले पहलू की भी मैं सिफारिश नहीं करता। धनराशियों के संग्रहण की दृष्टि से आप अन्धाधुन्ध अतिरिक्त कर नहीं लगा सकते हैं।

सबसे बेहतर तरीका जो मैं बता सकता हूं दूसरे देशों में जाने वाली पूंजी को रोकना हैं। इससे हमारी पूंजी बाहर जाती है। यह हो रहा है। आपको इस पहलू को ध्यान में रखना होगा।

कुछ समय पहले प्रधान मंत्री ने कहा था "प्रमाण दीजिए। मैं जांच कराऊंगा।" हाल ही में, माननीय मंत्री, श्री बी. के. गढ़वी ने कहा है कि "बैंक खातों की जांच का कोई आदेश नहीं दिया गया है क्योंकि उनके बारे में हमारे पास कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है। कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है। इसलिए हम जांच नहीं कर पायेंगे।" माननीय मंत्री जी ने यह बात कही है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि हमारे देश की लगभग 3,000 करोड़ रूपये विदेशी मुद्रा स्विस बैंक के खातों में चली जाती हैं। यह राशि 15 प्रतिशत वार्षिक दर के हिसाब से बढ़ रही है जबकि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर केवल 2.5 प्रतिशत है। माननीय मंत्री यह क्यों कहते हैं कि विदेशी बैंकों में किसी भी बैंक खाते को जब्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बिलकुल स्पष्ट रूप से कहा है कि 1000 करोड़ रूपये की धनराशि पहले से ही विदेशी बैंकों में है? सभी नम्बर तथा आंकड़े जब्त कर लिए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि भारतीय निवासियों द्वारा स्विस बैंक के खातों में गैर-कानूनी ढंग से प्रतिवर्ष 1,800 करोड़ रूपये से भी अधिक राशि जमा कराई जाती है। यह रिपोर्ट है।

जहां तक अमरीकी सरकार का सम्बन्ध है वे भारतीय धनराशि की मात्रा, जो अन्य देशों में जा चुकी हैं। के परिणाम पर पहले ही दो अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके है इसी प्रकार भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये हैं।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं जिसका नाम कालाधन है। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रतिवर्ष एक लाख करोड़ रूपये बिक्री तथा क्रय में लगाये जाते हैं। उदाहरण स्वरूप

प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग विदेशों में कच्चा तेल बेचता है। सम्बन्धित मंत्रालय के अधिकारियों को छोड़कर और कौन प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग द्वारा बेचे गये कच्चे तेल की कीमत निर्धारित करता है ? इसी प्रकार उर्वरकों के सम्बन्ध में ठेके स्नैम प्रोगेती को दिये जा रहे हैं। निर्णय टाटा और बिड़लाओं द्वारा नहीं किये जाते हैं परन्तु दिल्ली में नौकरशाहों द्वारा लिए जाते हैं। और शायद अन्य शीर्षस्थ लोगों के कहने पर लिया जाता है। यदि आप ऐसे सभी ठेकों को जोड़ देते हैं तो आपको विक्रय और क्रय में प्रतिवर्ष लगभग एक लाख करोड़ रूपये की बड़ी धनराशि मिलेगी और फिर यदि 1 प्रतिशत भुगतान भी दिया जाता है तो यह प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रूपये होता है यानी लगभग 3 करोड़ रुपये प्रतिदिन है।

इसी प्रकार प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रूपये का आयात होता है इसका 10 प्रतिशत भुगतान भी लगभग 2000 करोड़ रूपये होता है।

विश्व बैंक ने ऊंची कीमतों, जिन पर हम विदेशों से विद्युत और उर्वरक उपकरण खरीद रहे हैं पर टिप्पणी की है। यह अनुमान लगाया गया है कि जिन कीमतों पर हम खरीदते हैं वे यूरोप के बाजार में प्रचलित कीमतों की अपेक्षा 20 से 30 प्रतिशत अधिक हैं। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि यदि भारत की विदेशी व्यापार में लगी 5 प्रतिशत धनराशि यानी 30,000 करोड़ रूपये भी बाहर जाती है तो 15 वर्षों में 15000 करोड़ रूपये हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा पैसा अन्य देशों में जा रहा है। इसलिए, जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, कुछ करने की आवश्यकता है। अतः इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि विदेशों में किसी भी बैंक खाते को तत्काल जब्त करने के लिए सरकार को आवश्यक उपयुक्त कदम उठाने चाहियें। मेरा तात्पर्य यह है कि स्विज बैंक के अधिकारियों को किसी भी बैंक खाते को जब्त करने के लिए कहने संबंधी भारत सरकार के प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता। उस प्रस्ताव को सरकार को छोड़ना होगा तथा स्विस बैंक के खातों की सामान्य रूप से जांच का आदेश देना होगा ताकि धनराशि अन्य देशों में न जा सके।

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। अपनी टिप्पणियां करने से पहले मैं अपने माननीय साथी का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री के वैंकूवर के दौरे के बारे में और वह भी एक छोटे विमान द्वारा दौरे के बारे में कहा भारत से वैंकूवर तक पहुंचने में लगभग 35 घंटे लगते हैं। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि वे केवल 747 एस० विमान द्वारा ही यात्रा कर सकते हैं। वह 707 एम; 737 एस० अथवा छोटे विमानों द्वारा भी यात्रा नहीं कर सकते उनका आन्ध्र प्रदेश या बम्बई में प्रयोग किया जाता है। अतः सरकार तथा प्रधानमंत्री की यात्राओं की आलोचना केवल इसलिए करना उचित नहीं है क्योंकि किसी समाचार पत्र ने कुछ लिख दिया है। प्रमाणिक रिपोर्ट होनी चाहियें और केवल तब ही यह कहने योग्य होगी ...(व्यवधान)जो कुछ हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है उसका अर्थ यह नहीं है कि यह सब सच है। हमने आपके तथा आपके मुख्यमंत्री के बारे में जो कुछ पढ़ा है हो सकता वह भी सच न हो। प्रधानमंत्री के बारे में समाचार पत्रों में यह लिखा है मात्र इसीलिए आप नहीं कह सकते कि वह सब सच है।

श्री भट्टम श्री राम मूर्ति : पहले आप अपने प्रधान मंत्री के बारे में बोलिए।

श्री मुरली देवरा : हम केवल प्रधानमंत्री के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। बेशक, आप प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोल सकते हैं। आप प्रधानमंत्री के बारे में बोलने लायक कभी नहीं होंगे। चिंता मत कीजिए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान बजट प्रस्तुत करते समय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं। यह पृष्ठ 12, पैरा 51 में है और मैं इसे उद्धत करता हूं

"घाटा बहुत अधिक है। मुझे पसंद नहीं। मैंने यह निर्णय लिया है कि 1987-88 के लिए बजट अनुमानों में घाटा इससे अधिक नहीं......"

जब बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय सरकार का यह वायदा था और मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन ना चाहता हूं कि जब बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय सदन तथा देश के लोगों ने सोचा था कि कोई अनुपूरक मांग नहीं होगी; यदि अनुपूरक मांग हुई तो राजस्व भी उतना ही होना चाहिए। बजट मे 5688 करोड़ रुपये के घाटे की घोषणा की गई थी। प्रथम अनुपूरक मांग को, श्री गढ़वी ने स्वयं प्रस्तुत किया था। अनुपूरक मांग 687 करोड़ रुपये की थी। दूसरी अनुपूरक मांग जो आज सदन के समक्ष है, 1780 करोड़ रुपये की हैं। इसका अभिप्राय यह है कि शायद कुल घाटा मैं कहता हूं 'शायद'; क्योंकि मैं आपके कुछ राजस्व उपायों के बारे में भी जानता हूं--8155 रुपये तक बढ़ सकता है। यह भारत सरकार या देश के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे अधिक घाटों में से एक होगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान तीन मूल बातों की ओर दिलाना चाहता हूं-- जो हमारे बजट मे घाटा पैदा कर रहे हैं और ये तीन बातें हैं : (i) ब्याज प्रभार; (ii) रक्षा व्यय और (iii) राज सहायता।

पहले मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल राजसहायता की ओर दिलाना चाहता हू। अनुदानों की दूसरी अनुपूरक मांग में गढ़वी जी, उर्वरकों के लिए 156 करोड़ रुपये की तथा 1910 करोड़ रुपये की मूल राजसहायता के अलावा 300 करोड़ रुपये की राजसहायता की व्यवस्था है। मुझे आश्चर्य होता है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हू' कि इस सभा में वाद-विवाद का उत्तर देते समय वे इस बात का उत्तर दें। क्या यह सही है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा भारी मात्रा में उर्वरकों का आयात इन मैं मंत्रालयों में समन्वय की कमी के कारण किया गया था। भारी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया था। इसके कारण हमारे उर्वरक संयन्त्रों में उर्वरकों का भारी मात्रा में जमाव हो गया था। स्वदेशी उर्वरक संयंत्र अपने उत्पादन को नहीं बेच सके। और यही कारण है कि आप यह 156 करोड़ रुपयेकी राशि दे रहे हैं। आप स्वदेशी संयंत्रों को बजट में नियत की गई 1910 करोड़ रूपये की राशि के अलावा 300 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजसहायता दे रहे हैं।

अत: मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इसे सही करें यदि मेरी यह बात सही है तो।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है राजसहायता के पश्चात् भारत सरकार को घाटे में जो वृद्धि हो रही है उसका कारण है ब्याज की दरें। कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है जब हम ऋण मे बुरी तरह फंस जायेंगे। इस समय भारत सरकार 10,650 करोड़ रूपए की राशि केवल ब्याज में दे रही है जबकि केन्द्र सरकार का निवल कर राजस्व 27,711 करोड़ रूपए है। इसका अर्थ है केन्द्र सरकार के राजस्व का एक तिहाई ब्याज में चला जाता है। कुछ ऐसी भी जानकारियां हैं कि हमारे ब्याज की दरें काफी ज्यादा है; मैंने विदेशी पत्रिकाओं में कुछ इश्तिहार देखे हैं जो कि

सिटी बैंकों, ग्रिन्डले बैंक, सिटी बैंक ने दिए हैं उसमें कहा गया है कि भारत की ब्याज दरें सबसे अधिक हैं। जब ब्याज की दरें इतनी अधिक हों तो उद्योगों के लिए चालू रहना, बहुत ही संकटपूर्ण हो जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि बचत को बढ़ावा देने के लिए ब्याज की दरें अधिक होनी चाहिए लेकिन ये इतनी अधिक भी न हों कि इससे पूंजी निवेश करने तथा उद्यम लगाने का कार्य हतोत्साहित हो। आजकल लोग सोचते हैं कि उद्योग में पैसा लगाने से क्या फायदा है इससे तो अच्छा है बैंकों में पैसा रखें और कर-मुक्त ब्याज प्राप्त करें। यद्यपि सरकार ने कुछ हद तक इसमें सुधार किया है, पिछले बजट में सरकार ने इससे एक प्रतिशत की कमी की है इससे मदद मिली हैं, अभी भी ब्याज की दरों को कम करने की काफी गुंजाइश है।

हम अप्रवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा को बाहर निकलवा रहे हैं। अप्रवासी भारतीयों के विदेशी खातों -एफ०सी०एन०आर० तथा एन०आर०ई०आर० इन दो योजनाओं के तहत भारत सरकार के पास लगभग 7,000 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। लेकिन इन अप्रवासी भारतीयों को दी जाने वाली ब्याज दर लगभग 3—3-1/2 प्रतिशत अधिक है। मालूम नहीं उन्हें ब्याज की इतनी अधिक दर का भुगतान करने से क्या फायदा है। कुछ मामले हैं जो पूरे विश्व-भर में देखने में आये हैं कि कुछ अप्रवासी भारतीय कम ब्याज दर पर पैसा उधार लेते हैं कहींये कि 6 या 6-1/2 प्रतिशत की दर से उसके बाद वह इस राशि को 7 अथवा 7-1/2 प्रतिशत की दर से भारत सरकार की कम्पनियों में जमा करा देते हैं। इस में से 55 प्रतिशत राशि एन०आर०ई०आर० की होती है जिसमें कि आप इसे वापिस डालर या पाउण्ड में नहीं बदल सकते। 45 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अप्रवासी खातों में है। मैं श्री गढ़वी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात की ओर ध्यान दें। जब हम उन्हें 10-1/2 अथवा 11 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं; तो हम उन्हें न सिर्फ ब्याज ही दे रहे हैं अपितु हम भारतीय मुद्रा के प्रभावी अवल्यलन का भी भुगतान कर रहे हैं। डालर उधार लेने समय इसका मूल्य (12 रूपये का और इसकी वापसी के समय यह 13.5 रूपये का है इसका अर्थ हुआ कि हमने 1-1/2 रूपया प्रति डालर ज्यादा दिया है। अर्थात् ब्याज के अतिरिक्त लगभग 11 से 12 प्रतिशत अधिक राशि। इसलिए, इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि अप्रवासी भारतीयों के पास बैंकों में जमा करने के लिए काफी पैसा हैं। यहां 7,200 करोड़ रूपये जमा करवाये गए हैं। अच्छा होगा कि बैंकों में जमा करने के बजाय इस पैसे को उत्पादन कार्य में लगाया जाए। अब सीमा निर्धारित कर दी गई है, किसी भी लिमिटेड कम्पनी में अप्रवासी भारतीय पांच प्रतिशत तक पूंजी निवेश कर सकता है।

सरकार को अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 या 15 प्रतिशत कर देनी चाहिए जिससे अनिवासी भारतीयों को हमारे देश के विकास में भली पूर्वक निवेश करने का अवसर मिलेगा।

भीषण सूखे के कारण इस वर्ष हमारे देश के खाद्यान्न उत्पादन में 10 से 15 मिलियन टन की कमी आयी है और यह आशा की जाती है कि इस वर्ष अनुमानित उत्पादन 135 से 140 मिलियन टन होगा। किन्तु सौभाग्यवश औद्योगिक उत्पादन की स्थिति इतनी खराब नहीं है; इस वर्ष यह भविष्यवाणी की गई है कि इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष के 8.7 या 8.8 प्रतिशत की तुलना में 7 या 7.2 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। जहां तक औद्योगिक उत्पादन में विकास या गति का सम्बन्ध है मैं मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अब वास्तव में जरूरत इस बात की है यदि सरकार पूंजी बाजार का समर्थन करती है, यदि सरकार देश में पूंजी उत्पादन का समर्थन

[श्री मुरली देवरा] —जारी

करती है, तो इससे निवेश को अपने आप बढ़ावा मिलेगा, इससे और अधिक उद्योग लगाए जाने में अपने आप बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के और अधिक अवसर पैदा होंगे तथा सरकार को भी अधिक राजस्व मिलेगा। जहां तक पूंजी बाजार का सम्बन्ध है 1986-87 में पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा 5,800 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई किन्तु इस वर्ष अभी तक 3600 करोड़ रुपए की मंजूरी भी नहीं दी गई है। आम तौर पर मन्दी है। मैं स्टाक बाजारों या शेयर बाजारों की मन्दी या तेजी की बात नहीं कर रहा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपको परवाह है।

श्री मुरली देवरा : आप एक शेयरधारक हो सकते हैं। किन्तु मैं आपको बताता हूं आपको शायद मालूम न हो। किसी भी कम्पनी का शेयर धारक दोनों में कोई बुराई नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाल ही मे निवेशकों का विश्वास डोला है। सौभाग्यवश सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड का गठन किया है। आपने दवे समिति का गठन किया है और एक अन्य आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया है। वास्तव में दो चीजों से पूंजी बाजार को बढ़ावा मिलेगा जिससे अधिक उत्पादन और अधिक रोजगार होगा। मैं चाहता हूं कि जब मन्त्री महोदय जवाब दें तो वह इन दो बातों का उत्तर दें। पहला प्रश्न निवेश भत्ते के बारे में है। जब कोई कम्पनी उद्योग स्थापित करती हैं, उपस्कर लगाती है तो उन्हें कुल उपस्करों पर तीन वर्ष, चार वर्ष या पांच वर्ष के लिए 15 या 20 प्रतिशत निवेश भत्ता मिलता है। उसे हानि या लाभ प्रतिसंतुलित करने की अनुमति होती है। इस प्रकार उसे आयकर नहीं देना पड़ता। इससे हमारे देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दुर्भाग्य से यह निवेश भत्ता वापिस ले लिया गया है और इसके स्थान पर कोई दूसरी योजना आरम्भ कर दी गई है जो ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। इस योजना के द्वारा आप भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि मे बिना ब्याज के धन जमा करा सकते हैं। यह उच्च लाभ कमाने वाली कम्पनियो पर लागू होती है, न कि नई कम्पनियों पर। इसे हतोत्साहित किया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह निदेश भत्ता योजना पुनः आरम्भ करने के बारे में विचार करें जो इस देश मे कई वर्षों तक सफलता पूर्वक चलती रही है।

दूसरी बात यह है कि यदि आप पूंजी बाजार और निवेश वातावरण को बढ़ावा देना चाहते हैं तो दोहरा कर नहीं होना चाहिए। इस समय एक शेयर होल्डर या एक डिबेंचर धारक को भी कर अदा करना पड़ता है और कम्पनी को भी कर की अदायगी करनी पड़ती है। ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों मे ऐसे कई लोग है जो भूमि, सोने या अन्य चीजों की अपेक्षा उत्पादन एककों में निवेश करना चाहते हैं। उन्हें बढ़ावा देने तथा उनकी बचत को जुटाने के लिए सरकार को लाभांशों पर कर समाप्त करना चाहिए। इसके बराबर कम्पनी से लाभांश वितरित करते समय कर एकत्र किया जा सकता है न कि लाभांश बांटते समय भी किया जाए और प्राप्ति के समय भी किया जाए। मैं उस पर कर कम करने की बात नहीं कर रहा हूं। किन्तु कर की वही राशि होनी चाहिए और उतनी ही एकत्र की जानी चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि यदि इसे सरल बना दिया जाता है तो ग्रामों में रहने वाले लोगों को इससे मदद मिलेगी। वे कर के जाल में नहीं फंसना चाहते; वह अपने क्षेत्र के आयकर कार्यालय में जा कर अपना बही खाता नही भरना चाहते। (व्यवधान) मैं उनके द्वारा किए गए निवेश पर मिलने वाले लाभांश पर लगने वाले कर की बात कर रहा हूं। इसीलिए

वह कम्पनियों के डिबेन्चरों और शेयरों में निवेश नहीं करते। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि सीमेंट के मामले में क्या हुआ ? (**व्यवधान**)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : किन्तु, यदि किसी वर्ष विशेष में लाभांश घोषित नहीं किए जाते तो क्या होता है ? कम्पनी को कर अदा करना पड़ता है क्योंकि कम्पनी ने लाभ कमाया है। अब एक बार जब लाभ पर कर अदा कर दिया गया तो लाभांश पर कर अदा नहीं किया जाना चाहिए। यदि कम्पनी कर अदा नहीं करती तो क्या होगा ?

श्री मुरली देवरा : इस समय कम्पनी भी लाभांश कर का भुगतान करती है और जो व्यक्ति लाभांश प्राप्त करता है उसे भी कर का भुगतान करना होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कर बकाया है, यदि लाभ कमाया जाता है, जब तक आप लाभ प्राप्त नहीं करते आयकर नहीं लगाया, जा सकता; यह कम्पनी स्तर पर भारित होता हैं। मैं इस विषय पर आपको एक नोट दूंगा। मैंने मंत्री महोदय को भी एक नोट दिया है। इसमें बाताया गया है कि ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों को अपनी बचत उत्पादक प्रयोजनों के लिए निवेश करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है। इसे निवेश में मदद मिलेगी, इससे उत्पादन बढ़ेगा, इससे नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अन्यथा वे लोग सोना, भूमि तथा इन सभी सट्टे वाली मदों मे निवेश करते रहेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी : हम यह चाहते हैं कि लाभांश को अन्य आयों में शामिल करके इस पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

श्री मुरली देवरा : बिल्कुल ठीक। उचित कर प्रोत्साहन वाली एक उदार लाइसेंसिंग नीति मे किस प्रकार सहायता मिलती हैं। श्री मधु दण्डवते को याद होगा कि 1975, 1978 और 1979 के दौरान भारत में सीमेंट की क्या स्थिति थी। सीमेंट की कितनी कमी थी। 16 रुपए, 17 रुपए या 19 रुपए के सरकारी मूल्य की तुलना में सीमेंट का बाजार मूल्य 60 से 70 रुपए के बीच था। तीस से चालीस रुपए के बीच ब्लैक थी। सरकार की उदार औद्योगिकरण नीति तथा उचित वित्तिय प्रोत्साहनों की बदौलत हम 40 मिलियन टन से 40-43 मिलियन टन उत्पादन कर रहे हैं। इसकी अब कोई कमी नहीं है क्योंकि कुछ निर्माताओं को 60 से 65 रुपए या जो भी मूल्य है वसूल करने की अनुमति दी गई है। अन्यथा, बिचौलिए या अन्य लोग बीच में धन कमा रहे थे। इससे आपको राजस्व प्राप्त हुआ हैं।

1981 में सरकार 137 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर रही थी। आज वे 820 करोड़ रुपए एकत्र कर रहे हैं। आप 6 गुणा अधिक उत्पादन शुल्क वसूल कर रहे हैं। सरकार को और अधिक उधार लाइसेंसिंग नीति का पालन करना चाहिए।

लोगों को वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति दी जानी चाहिए बजाए इसके कि उन्हें फेरा, नान-फेरा एक्स-फेरा आदि नाम दिए जांए जैसा कि मेरे कम्यूनिस्ट मित्र बातें करते हैं। किन्तु जब कोई फेरा कम्पनी या बहुराष्ट्रीय कम्पनी पश्चिम बंगाल जाती है, श्री ज्योति वसु इसका स्वागत करते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। यहां वह आदशों और सिद्धान्तों की बात करते हैं। किन्तु जब कठिनाई होती है, तो वह पश्चिम बंगाल में ही इसका पालन नहीं करते।

एक सीमेंट संयंत्र पर 630 करोड़ रुपए की लागत आती है। सीमेंट संयंत्र कौन लगाएगा ? केवल बड़ी कम्पनियां। यदि आप कहते हैं कि बड़ी कम्पनियों को छूट नहीं मिलेगी, तो सीमेंट नहीं

[श्री मुरली देवरा]—जारी

मिलेगा, इसकी फिर से कालाबाजारी हो जाएगी और फिर से आयात करना पड़ेगा। फिर से वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सरकार को ऐसे वित्तीय प्रोत्साहन देने चाहिए ताकि सीमेंट की ही भांति अन्य कमियां भी दूर हो सकें।

हम सूखे की बात कर रहे हैं; पिछले चार-पांच दिन सदन ने उन उपायों के बारे में चर्चा की है जिनकी सूखे पर काबू पाने के लिए आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय को इसका एक सरल उपाय बताता हूं। पिछले वर्ष तक एक व्यवस्था थी कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी उद्योग-सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी, लिमिटेड कम्पनियां ग्रामीण विकास कार्य कर सकती हैं।

प्रो० मधुदण्डवते : कृपया भोजनावकाश तक बोलें। मैं उसके पश्चात बोलना चाहता हूं।

श्री मुरली देवरा : ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो मैं रात के भोजन के समय तक भी बोल सकता हूं। (व्यवधान) प्रो० मधुदण्डवते आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको पिछले 2-1/2 वर्ष से सुन रहा हूं।

प्रो० मधुदण्डवते : मैं आपको पिछले तीन वर्ष से सुन रहा हूं।

श्री मुरली देवरा : इसीलिए आप इतने ताजा दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

एक धारा 80-ज है जिसके अन्तर्गत इन कम्पनियों को अपने निवेश प्रतिसंतुलित करने की अनुमति दी गई थी। अभी हाल ही में न सूखे की स्थिति पर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। हमारे 30 प्रतिशत नलकूल खराब हैं। आवश्यकता इस बात की है कि 80-ज के अन्तर्गत नामित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्य केवल एक ही प्रयोजन अर्थात भूमिगत जल निकालने के लिए किया जाए। गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश में जहां कहीं भी सूखा है इन गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों और सरकारी लिमिटेड कम्पनियों ने सरकार के समक्ष अपनी योजना रखी है। वह नलकूपों के लिए खुदाई करने को तैयार हैं। राज्य सरकार तथा कलैक्टरों द्वारा प्रमाणित किए जाने पर, विशेष क्षेत्र बताए जाने पर भूमिगत जल की खोज के कार्य को काफी बढ़ावा मिलेगा।

मुझे पहले बताया गया था कि जब यह योजना चालू थी तो कुछ लोगों ने इसका लाभ उठाया और अपने खर्चों का प्रतिसंतुलित किया। दो या तीन वर्ष केवल सूखे की अवधि के लिए यदि यह 80-ज छूट पुन: आरम्भ की जाती है, तो इससे काफी लाभ होगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मेरा अनुरोध है कि हम भोजनावकाश न करें ताकि चर्चा जारी रखी जा सके। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य हैं, उन्हें बोलने दीजिए। जो लोग भोजन करना चाहते हैं वह जा कर वापिस आ सकते है। मुझे आशा है कि सदन को यह स्वीकार होगा।

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की कई बातें विशेष रूप से स्वागत योग्य हैं। ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम और कृषिश्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा पर अतिरिक्त व्यय सरकार की दिशा दर्शाते हैं। सरकार संसाधनों का उपयोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों की दशा बेहतर बनाने के लिए करना चाहती है। इसलिए, मैं इसका स्वागत करता हूं।

1.00 म० प०

महोदय, "अप्रत्यक्ष कराधान" शीर्ष के अन्तर्गत एक मद है जो कतिपय अदालती निर्णयों के अनुपालन के बारे में है। मैं संसद में आने से पूर्व भी कई वर्षों से शोर मचा रहा हूं कि न्यायालयों को निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं से एकत्र किए गए कर की राशि पर डिक्री करने से रोका जाए। होता यह है कि उपभोक्ता से बिक्री कर वसूल करने वाला व्यापारी सरकार को यह कह कर इसकी अदायगी नहीं करता कि यह गैर-कानूनी कर है और इसे अपने ही पास रखता है इसी प्रकार निर्माता उपभोक्ताओं से उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क वसूल करते हैं और इसे सरकार को अदा करते हैं और बाद में सरकार से इसे वापस करने के लिए कहते हैं। अदालत निर्माता के हक में राशि की डिक्री दे देता है जबकि राशि उपभोक्ता से एकत्र की जा चुकी होती हैं। यह राशि निर्माता भी जेब से नहीं आती बल्कि अदालती डिक्री के बाद राशि उत्पादक के पास जाती है, वास्तविक उपभोक्ता के पास नहीं जाती जिसने यह अदा की होती है। गुजरात उच्चन्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि इस प्रकार के मामलों में राशि निर्माता या कर दाता को अदा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वास्तविक व्यक्ति जिसने कर दिया है यह उपभोक्ता है न कि निर्माता। इसलिए अप्रत्यक्ष कराधाना के मामले में निर्माताओं के पक्ष में डिक्री क्यों हो।

परन्तु हमारी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बन कर ही रह गई है लगता है। कि नौकरशाही या किसी ने भी इस समस्या पर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है अर्थात निर्माताओं के पक्ष में उस धन राशि को वापस करने से इन्कार करने में जबकि यह धन राशि अप्रत्यक्ष कर राशि होती है जोकि पहले ही उपभोक्ताओं से एकत्र कर ली जाती है। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इस प्रश्न पर गौर करें ताकि सरकार को अप्रत्यक्ष करों के मामले में डिगरी का सामना न करना पड़े। हमें मालूम है कि डिगरी की संतुष्टी का प्रश्न उन मदों के अन्दर आता है जो भारत की संचित निधि में से ली जाती हैं, इस प्रकार संसद का इस पर मतदान का अधिकार नहीं है लेकिन टिप्पणी द्वारा मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

दूसरा मुद्दा यह है कि आयात को खत्म करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अनावश्यक मदों के आयात पर काफी सारी धन राशि खर्च की गई लगती है। जब हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है तो जहां तक आयात का संबंध है क्या हम एक सीमा रेखा निर्धारित नहीं कर सकते हैं ताकि अनावश्यक वस्तुयें आयात न की जायें। कभी-कभी खेलों के नाम पर काफी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है। मुझे बताया गया है कि रिलायन्स कप की व्यवस्था करने में सरकार द्वारा 11 लाख पौंड मूल्य की विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई है। इसी तरह भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट श्रंखला के लिए कुछ विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई है जब हम सूखा और वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं तो खेल के नाम पर हमें अपनी विदेशी मुद्रा अपव्यय नहीं करनी चाहिए। रिलायन्स कप या किसी भी मैच का आयोजन करने में विदेशी मुद्रा का

[श्री हरू भाई मेहता] जारी

अपव्यय क्यों आखिरकार हमारा देश गरीब है। खेलों के नाम पर विदेशी मुद्रा खर्च करने के लिए हम निश्चित रूप से इन्कार कर सकते हैं।

महोदय, जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है कपड़ा उद्योग बहुत गंभीर संकट का सामना कर रहा है। आज गुजरात में 28 कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं इनमें सबसे अंत में बन्द होनी वाली मिल का नाम अजित मिल है इन मिलों के बन्द होने के कई कारण हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह मुनिश्चित करने के लिए कि कपड़ा उद्योग को संकट का सामना न करने पड़े नई कपड़ा नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि 52 प्रतिशत मिलों का बन्द होना मिल मलिकों के कुप्रबन्ध के कारण हुआ है। यहां तक कि कामगारों का अनुभव भी यही है। इसी तरह अहमदाबाद में की गई एक अदालती जांच में पाया गया है कि कपड़े के धनीमानी व्यक्तियों के द्वारा कुप्रबन्ध, मिलों के बन्द होने में मुख्य सहायक कारक है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ धागों या रेशों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एक सहायक कारक है। हाल ही में उत्पाद शुल्क के ढांचे में किए गये कुछ सुधारों से कपड़ा उद्योग को क्षति पहुंची है। मैं कहना चाहता हूं कि इन सुधारों से आम आदमी द्वारा पहने जाने वाले सस्ते कपड़े पर धनी लोगों द्वारा पहने जाने वाले परिष्कृत कपड़े की तुलना में अधिक उत्पाद शुल्क लगेगा। चाहे कुछ भी कारण हो इन मामले को दुरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो केवल उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जहां कामगारों का प्रभुत्व है। मैं अर्थशास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं इन कारणों का पता लगाना कामगारों का काम नहीं है। उद्योग को बचाया जाना चाहिए और कामगारों को उनका रोजगार वापस दिलाना चाहिए। उन्हें अपने रोजगार की समस्या की चिन्ता है।

अहमदाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले अधिक गंभीर समस्या है। लगभग 50,000 कामगार आज बेरोजगार हैं। तो यदि सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने सफल न ही हुई। तो एक समय ऐसा आयेगा जब लोग बेरोजगारी भत्ते की मांग करने सचिवालय में आ जायेंगे, यह सरकार की जिम्मेदारी है। क्या हम उनके लिए कार्य करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? निसंदेह काम करने का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अध्याय में दिया गया है। इससे इसका महत्व कम नहीं होता। सरकार का संविधानिक उत्तरदायित्व है कि यह सुनिश्चित करे कि लोगों के रोजगार प्राप्त करने के अधिकार को साकार रूप दिया जा सके। अतः मैं विशेष रूप से सरकार का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कपड़ा उद्योग के प्रश्न पर और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कपड़ा उद्योग अपने पुराने रूप में आ जाये अपने दिमाग का इस्तेमाल करे ताकि रोजगार और उत्पादन संबंधी समस्यायें अधिक गंभीर न बनें।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं। जब सरकार से कोई वित्तीय मांग की जाती है तो वह सूखे के नाम पर नकार दी जाती है। इस बात पर आश्चर्य होता है कि सूखे के बावजूद न्यायाधीशों को आवास संबंधी भत्ता पहले से अधिक कैसे दिया जा सकता है। केन्द्र और राज्य सरकारों का काफी राजस्व न्यायाधीशों के आदेश जारी करने की वजह से न्यायालयों में फंसा पड़ा है। सभा को यह सूचित करने का समय आ गया है कि तस्करों और असमाजिक आर्थिक अपराधियों ने न्यायालयों को अपने लिए स्वर्ग के समान देखना शुरू कर दिया है।

परिणाम यह निकला है कि किसी भी सामाजिक-आर्थिक उपाय को वे तत्काल चुनौती दे देते हैं यहां तक कि अगर कोई उपाय पास होता तो वे उच्च न्यायालय में चले जाते हैं और वहां से स्थगन आदेश ले लेते हैं वह समय आ गया है जब कि सरकार यह पता लगाने के लिए कि भारत में विकास प्रक्रिया और सामाजिक आर्थिक विधिनिर्माण की प्रगति में रूकावट डालने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है एक आयोग कि नियुक्ति करे या एक सामान्य समीक्षा करे। अन्यथा आप राजस्व संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे और न्यायालय उन्हें रद्द करते रहेंगे या वसूली को स्थगित कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इन टिप्पणियों के साथ मैं वित्त मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : महोदय "मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों का विरोध करता हूं। जब फरवरी के अन्त में इस सभा में बजट पेश किया गया था तो विपक्ष के कई सदस्यों ने अपनी आशंकायें व्यक्त की थी कि इससे काफी मुद्रा स्फीति बढ़ेगी क्योंकि पहले ही 5688 करोड़ रूपये का घाटा था। लेकिन सरकार ने तर्क दिया था कि उससे मुद्रा स्फीति संबंधी दबाव नहीं पड़ेगा। हम सहमत हैं कि गंभीर सूखा पड़ा है और कई प्राकृतिक आपदायें भी आयी हैं। परन्तु कुल परिणाम क्या है? रूपये के मूल्य में एक रिकार्ड गिरावट आयी है। 1950 की तुलना मे इसकी क्रय शक्ति घटकर अब केवल 9.7 पैसे रह गई है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए किसी प्रकार की मुद्रा-स्फीति, किसी प्रकार की घाटे की अर्थव्यवस्था आवश्यक है। हमारे ये विचार नहीं हैं। यह भी सच है कि घाटे का अर्थव्यवस्था का सहारा तभी आश्रय लिया जा सकता है जब लोगों के लिए समर्पित एक शक्तिशाली प्रशासन हो दुर्भाग्य से हमारे देश ही अविकसित नहीं हैं बल्कि प्रशासन भी है विकसित यह मजबूत नहीं है, बल्कि ढीलमुल है। परन्तु यह उन लोगों के दबाव के आगे नहीं झुकता जिन्हें नौकरी चाहिए सुरक्षा चाहिए और भोजन चाहिए। यह सरकार उन गरीबों की मांग के प्रति असंवेदनशील है जिन्हें मकान, काम, शिक्षा आदि की आवश्यकता है। परन्तु यह इसका झुकाव एकाधिकार वादियों, विश्व बैंक और अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति है। माननीय मंत्री श्री अरूणाचलम द्वारा दिये गये एक उत्तर से मुझे पता चलता है कि दो वर्षों के अन्दर उच्च एकाधिकारवादी घरानों की परिसम्पत्तियों में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 1983 में यह 13103 करोड़ रुपये थी, 1984 में यह 15448 करोड़ रुपये थी और 1985 में यह 20136 करोड़ रुपये थी। इससे पता चलता है कि उच्च एकाधिकारवादी घराने अपनी परिसम्पत्तियों में दो वर्षों के अन्दर 50 प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं कोई आश्चर्य नहीं है कि विश्व बैंक, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उच्च एकाधिकारवादी घराने इसीलिए सरकार की इसके कार्यकरण के लिए बहुत बड़ाई कर रहे हैं। ये एकाधिकारवादी घराने एक समान्तर अर्थव्यवस्था बना रहें हैं। उनमें से कई विदेशी मुद्रा की तस्करी में लगे हैं। उनमें मे एक पकड़ा गया और प्रधान मंत्री को बहुत दुख हुआ कि उसे गिरफ्तार किया गया। कराधान की नीति के कारण सरकार कालेधन की समान्तर अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पायी है। 1950 के दौरान कर 40 प्रतिशत से अधिक राजस्व प्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ था। परन्तु अब यह केवल 15 प्रतिशत है और अधिकांश राजस्व अप्रत्यक्ष करों और उत्पाद शुल्कों आदि से एकत्र किया जाता है। स्वभाविक है कि आम जनता यह बोझ उठायेगी। और इसी कारण मुद्रास्फीति अनियंत्रित है। जैसे कि मेरे मित्र श्री भट्टम श्री रामर्मूति ने कहा है कीमतें बढ़ती जा रही हैं खाद्यन्न, खाद्य तेलों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। यह आम लोगों की पहुंच से बाहर

[डा० सुधीर राय] जारी

है। हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा था कि देश में 18 मिलियन टन सुरक्षित खाद्यान्न भण्डार हैं। देश में खाद्यान्न का भण्डार काफी है अतः सरकार मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए इन सुरक्षित भंडारों का आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। यह उचित दर की दुकानों और राशन की दुकानों के जरिये 14 आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर सकती है परन्तु सरकार ऐसा नहीं करेगी। स्वाभाविक रूप से निर्धन लोग को कम आय वर्ग समूह के लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नई आयात नीति का क्या परिणाम है ? हम देखते हैं कि सरकार द्वारा स्वतंन्त्र आयात नीति का अनुसरण करने के कारण एक के बाद एक प्रतिष्ठान रूग्ण हो रहे हैं। उदाहरण के लिए दुर्गापुर के मैसर्स ए.सी.सी. बाब कोक को ही लें। यह एक प्रतिष्ठित फर्म थी। इसने कई विद्युत संयन्त्रों को बायलर सप्लाई किये। लेकिन सरकार विश्व बैंक के दबाव में आकर स्वीडन आस्ट्रिया, जापान आदि से बायलरों का आयात कर रही है इसलिए ए०बी० एल० को आर्डर नहीं मिल रहे हैं। यही स्थिति बी. एच. इ. एल. की है और ए. बी. एल. 14 महीने से बन्द पड़ी है 7000 कामगार अब बेरोजगार हैं; ऐसा सरकार द्वारा स्वतन्त्र आयात नीति के अनुसरण करने के कारण हुआ है। इस नीति के कारण हमारी कपड़ा मिलों, पटसन मिलों को नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में अब कई पटसन मिलें बन्द हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (आई) सहित सभी राजनीतिक दलों ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि इन पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। परन्तु केन्द्र द्वारा इस मांग को नामंजूर कर दिया गया और कृत्रिम रेशों के आयात के कारण जूट मिलें गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। पटसन उत्पादकों को उपयुक्त कीमतें प्राप्त नहीं हो रही हैं कपास उत्पादकों को भी लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए हमें नहीं मालूम कि इस कृत्रिम रेशे का आयात क्यों किया जा रहा है। इससे नतो कृषकों को और नहीं कामगारों को लाभ हुआ है। एक के बाद एक सभी पटसन मिलें और कपड़ा मिलें कृत्रिम रेशे के उदार आयात के कारण बन्द हो रही हैं। आशा है मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

कल श्री माधव राव सिंधिया ने एक उत्तर में कहा था कि भारतीय रेल बिजली से चलने वाले 40 रेल इंजनों का आयात करेगा और प्रत्येक रेल ईंजन की कीमत 240 करोड़ रूपए होगी। परिणाम क्या होगा ? एक या दो साल के अन्दर चितरंजन रेल इंजन कारखाना रूग्न करार दिया जाएगा। पहले ही 1.4 लाख औद्योगिक इकाईयां रूग्ण पड़ी हैं और परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है। तीन करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार है और ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के पास नियमित रोजगार नहीं हैं तथा लाखों नौजवान युवा और युवतियां बेरोजगार के हैं। यह आपकी नई आर्थिक नीति और नई आयात नीति का परिणाम है।

नयी शिक्षा नीति का क्या परिणाम है ? हमने हमेशा मांग की है कि केन्द्र सरकार के बजट का 10 प्रतिशत शिक्षा के लिए आबंटित किया जाये और व्यापक निरक्षरता को विशेषरूप से दूर किया जाये। किसी देश का विकास उसके मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है लेकिन लगता है कि सरकार और सत्ता रूढ़ दल का, इस व्यापक निरक्षरता को बरकरार रखने में निहित स्वार्थ है। क्योंकि अधिकांश लोग अगर निरक्षर रहते है और इसके परिणाम स्वरूप गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं तो वे सरकार और उसकी नीतियों के विरूद्ध अपनी आवाज नहीं उठा सकेंगे। नई शिक्षा नीति के नाम पर सरकार पुरानी धनवानों की शिक्षा नीति को जारी रख रही है और आदर्श स्कूल आरंभ किए गए हैं। जहां तक मुझे जानकारी है इन आदर्श स्कूलों में केवल बड़े अधिकारियों के

लड़के और धनी लोगों के लड़कों को ही प्रवेश दिया गया हैं। उन सामान्य स्कूलों की हिमायत करते हैं जहां अधिकांश लोग अपने लड़के और लड़कियों को भेजते हैं। हम कहते हैं कि इनको और सुदृढ़ किया जाये। हम तर्क-वितर्क करते हैं कि निरक्षरता को दूर करने के लिए सभी प्रकार के उपाए किए जायें लेकिन इस सरकार की यह करने की कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है।

सरकार विश्व बैंक के दबाव में आकर उदार आयात नीति का गुणगान कर रही है। दक्षिण कोरिया, ताइवान, और हांककांग उसके आदर्श हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इन देशों में तानाशाही किस्म की सरकारें हैं और साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभाव में वे तानाशाहीपूर्ण तरीके अपनाती हैं और श्रमिक वर्ग तथा अन्य लोगों को मजदूर संघ अधिकारों से वंचित रखती है। चूंकि नई उदार आयात नीति को स्वीकार किया गया है अतः विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थायें यह तर्क प्रस्तुत करेंगी कि हमारे राजनैतिक ढांचे और औद्योगिक ढांचे में भी सुधार किया जाना चाहिए। परन्तु भारत हांगकांग अथवा दक्षिणी कोरिया नहीं है। लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद है कि हमारे देश में लोकतंत्र है।

यह हमारी जनता के संघर्ष का परिणाम है। अतः हमें अपने देश को दूसरा दक्षिणी कोरिया, हांगकांग अथवा ताइवान बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

महोदय, हमें पता लगा है कि विश्व बैंक ने यह कहा है कि इस वर्ष कोई विकास नहीं होगा और एक बिलियन डालर का घाटा होगा। यह एक भयावह तस्वीर है। हमारी आर्थिक स्थिति डांवाडोल है। नई आयात नीति, काले धन और सरकारी क्षेत्र की हेराफेरी के कारण लोगों को नुकसान हो रहा है। अतः अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसे कदम उठाएं ताकि लोगों को रोजगार और शिक्षा का अधिकार मिल सके। उचित दर दुकानों अथवा राशन की दुकानों के माध्यम से 14 आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जानी चाहिए। कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, पटसन अथवा कपास उत्पादनों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। अतः मैं यह कहूंगा कि कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य देना चाहिए और बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंन्टरी डिमान्ड्स फार ग्रान्ट्स (जनरल) 1987-88 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मैं मानता हूं कि सप्लीमेंन्टरी डिमान्ड्स सरकार तब पेश करती है, जब पिछले जो सरकार के पास फन्ड्स हैं, कि पूरे साल में उनसे काम नहीं चल पाता है। इसके अलावा इनमें जितनी डिमान्ड्स पेश की गई हैं, उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं और वे विशेष तौर पर जो आज हमारी समस्याएं हैं, उनसे सम्बन्धित हैं।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सारे देश पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूखे के कारण बड़ी भारी आपदा है और सूखे का सामना करने के लिए बहुत सारे फंडस की जरूरत है लेकिन इस सूखे के संबंध में जो पैसा जिन स्टेट्स को दिया जाता है, उसके बारे में गहराई से विचार किया जाए। सेन्टर की तरफ से इस बारे में मोनीटरिंग की जाए और यह देखा जाए कि

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]— जारी

जो पैसा सूखाग्रस्त इलाकों में दिया जाए, उस पैसे का मिसयूज न हो, उसका दुरूपयोग न हो और वह पैसा वहीं जाए, जिस इलाके में उस पैसे की जरूरत है। मैं अपनी हरियाणा स्टेट की बात करता हूं। हरियाणा के अन्दर आज हालत यह है कि सूखे के नाम पर लोगों की मदद की बजाए, उनको लूटा जा रहा है और वहां पर ड्राऊट रिलीफ फन्ड की जगह पर...** रिलीफ फंड के नाम से लोग उस को बोलते हैं और उसमें...........**

खुलेआम नाजायज फायदा उठाते हैं। सूखे का असर किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं पड़ता है। सूखे का असर स्टेट के तमाम लोगों पर पड़ता है चाहे वे नौकरशाही पेशा हों। चाहे बिजनैसमैन हों, चाहे किसान हों और चाहे छोटे दुकानदार हों। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मोनीटरिंग यहां से हो और लोग धन का दुरूपयोग न करें और सूखे की स्थिति का फायदा उठा कर लोगों का शोषण न हो और लोग नाजायज फायदा न उठाए तथा लोगों को तंग न किया जाए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज हमारी स्टेट के अन्दर इस प्रकार के हालात हो चुके हैं कि हरियाणा प्रान्त की सरकार हर फ्रन्ट पर फेल हो चुकी है। वहां पर आई. ए. एस. और आई. पी. एस. आफीसर्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जैसे भेड़ बकरी को काटा जाता है। इस ढंग से उन लोगों को सस्पेंड करके, और ट्रासफर करके वहां पर बहुत बुरी हालत पैदा कर दी गई है। रिसैन्टली अभी दो सीनियर-मोस्ट कमिश्नर रैंक के आफिसर्स मि. आर. एस. मलिक और मि. वशिष्ट को सस्पेंड कर दिया।

बिलकुल फ्लिम्जी ग्राउण्ड पर, कोई रीजन नहीं दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की चीजों को नोट करे और यह देखें कि सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद राज्य सरकारों को दी जाती है, उसका दुरूपयोग तो नही होता और क्या उस मदद का वे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तो प्रयोग नहीं करते। इस किस्म की चीजों को देखा जाए। वहां सूखा राहत के नाम पर पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। वहां इस प्रकार की हालत है। मैं अपनी हरियाणा स्टेट के बारे में कहता हूं कि वहां ला एण्ड आर्डर तो बिलकुल फेल हो चुका है। हमारे एक्स मिनिस्टर श्री राजेन्द्र सिंह मलिक हरियाणे के हैं, उनके लड़के पर सरेआम गोली चलवाई गई। उसमें...... ......**.........और उसकी फरियाद भी की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस के लोगों पर गोली चलाई जा रही है और मारे जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।

दूसरी समस्या जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह बेरोजगारी की है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि सरकार के बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जिनको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। जितनी सरकारी विहीकल हैं सरकारी काम के नाम से उनका दुरूपयोग होता है। सरकारी अफसर उनको अपने नीजी कामों के लिए प्रयोग करते हैं और पेट्रोल का खर्च ज्यादा होता जा रहा है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए प्रशासनिक खर्च को कम कर के उस पैसे का सदुपयोग हमारे विकास के लिए, विकास के कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। एक तरफ तो सरकारी कार्य के नाम पर गाड़ियों का दुरूपयोग ये अफसर करते हैं दूसरी तरफ हमारे हजारों नौजवान भूखों मर रहे हैं। हरियाणा में 1987 के चुनाव के समय वहां पर लोकदल ने

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपने मैनीफेस्टो में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आ गई, तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैट्रिक को 150 रुपए और ग्रेज्युएट को रू. 300/- की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वे उस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से झूठ बोलकर जो कार्य किया है और अब वे अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं. वे इसकी सजा खुद भुगतेंगे। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि अनएम्प्लायमेंट की बीमारी का इज परमानेण्ट इलाज किया जाए। बेरोजगारी के कारण हमारे नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं जिससे ला एण्ड आर्डर की स्थिति भीं खराब होती है और विकास के कामों में भी कमी आती है। रोजाना स्ट्राइक करवाते हैं. झगड़े करते हैं जिससे पूरे देश की शांति खराब होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस किस्म का प्रावधान किया जाए जिसके अन्तर्गत हमारे जो बेरोजगार मैट्रिक और उससे एबव हैं, उनको कुछ न कुछ भत्ता जरूर मिले क्योंकि हम सबको तो नौकरी नहीं दे सकते हैं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि एजूकेशन का जहां तक सवाल है हमारी बहुत सारी स्टेटों ने मैट्रिक तक फीमेल के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और हरिजनों के लिए शिक्षा फ्री रखी है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैट्रिक तक की शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए। बल्कि मैट्रिक तक एजूकेशन फ्री तो हो ही, कम्पलसरी भी होनी चाहिए। इससे जो गरीब आदमी के लड़के-लड़कियां हैं, वे जरूर पढ़ेंगी जिसके कारण आगे आने वाले समय में हम उनके जीवनस्तर को अच्छा बना सकते हैं।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। यह चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में है। इसमें बहुत डिटेल इस बारे में नहीं आई हैं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया, तो हमारा सारा प्रजातंत्र का ढांचा खत्म हो जाएगा। जब तक हम इलैक्शन रिफॉर्म नहीं करते, तब तक हमारी स्थिति डांवाडोल ही रहेगी। आज मेरा हरियाणा स्टेट के अंदर जाकर देखिए स्थिति यह है कि एक आदमी बंदूकधारी बूथ पर खड़ा हो जाता है और सारे इलैक्शन को कण्ट्रोल करता है और अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डलवाता है। और 60-60 साल के बूढ़े आदमी का वोट एक दस साल का बच्चा डालकर आता है, औरत का वोट मर्द डालकमर आता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम को, इस बीमारी को खत्म करना चाहिए ईलैक्शन और रिफार्म्स के लिए दो सुझाव देना चाहता हूं. एक आईडैण्टिटी कार्ड का और दूसरा इलैक्ट्रोनिक मशीन का जिसके जरिये वोट दी जाय। आइडैंटिटी कार्ड से तो इम्पर्सनेशन से जो गलत आदमी पेश होकर वोट डालता है वह रूक जायेगा और अगर मशीन से वोटिंग करवाते हैं तो जो काउण्टिंग के वक्त गड़बड़ करते हैं, अधिकारियों से मिलकर या जिसका बहुत जोर होता है तो दोनों समय ही गड़बड़ हो पाती है या तो काउण्टिंग के समय या वोटिंग के समय और दोनों का इलाज आइडैण्टिटी कार्ड या मशीन से वोटिंग कराने से होगा और इसके बाद मैं समझता हूं कि 90 परसेन्ट तक जो खराबियां हैं वह दूर हो जायेंगी। जो आदमी वोट डालने जाय उसके आइडैण्टिटी कार्ड पर मोहर लगाई जाय और प्रिजाइडिंग आफिसर उस पर दस्तखत करे। अब अंगुली पर निशान लगाते हैं, अंगुली के ऊपर निशान के बजाय आइडैण्टिटी कार्ड पर निशान लगा दिया जाय और अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो इसको काग्नीजिबुल आफेंस बनाया जाय और अगर आइडैण्टिटी कार्ड पर प्रिजाइडिंग आफिसर के दस्तखत नहीं हैं और उस आदमी का वोट पड़ गया है तो

[श्री धर्मपाल सिंह] जारी

[अनुवाद]

पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता था।

एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूं कि कर्ज सम्बन्धी जो चीजें हैं, यह हर स्टेट के अन्दर बीमारी फैली हुई है और कर्ज के सम्बन्ध में आज दोनों तरफ से बातें चलती हैं। बहुत सारा जो कर्जा दिया जाता है उसमें कुछ पार्टियां कर्ज की बात का शोषण करके गरीब आदमियों के वोट को परचेज करने की, खरीदने की बात करती हैं कि हम कर्जा माफ कर देंगें, इससे हमारी तमाम इकोनोमी पर इफैक्ट पड़ेगा, इससे हमारी आर्थिक हालत ऐसी गिर जायेगी कि हमने जो 40 साल में तरक्की की हैं हम वहीं वापस चले जायेंगे। इसके लिए बाकायदा इस प्रकार के कानून बनाये जायें कि कोई आदिमी इस कर्ज के बारे में इस प्रकार की बात न कर सके जिससे कि हमारी आज की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़े। आज हम देखते हैं कि हरियाणा स्टेट के अन्दर मुख्यमंत्री ने कहा दिया कि मैं तुम्हारे सब कर्जे माफ कर दूंगा और अगर कोई तुम्हारे पास पैसा लेने के लिए आता है तो उसको में पुलिस मैं भेज दूंगा, कोई नहीं जायेगा क्योंकि पुलिस मेरी है, चाहे बैंक केन्द्रीय सरकार के हों, तो इस प्रकार के माहौल पैदा करना कि जैसें केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार का आपस में एक दूसरे से विरोध हो, दुश्मनी हो, इससे तमाम देश की आर्थिक हालत कमजोर होगी और इसी के कारण लोगों ने अपने डिपाजिट्स बैंक से विथड्रा करने शुरू कर दिये हैं और वह दूसरे स्टेट में अपने डिपाजिट्स डालने लगे हैं और वहां के आम आदमी पर से बैंकों का विश्वास गिरता जा रहा है, अगर आम आदिमी पर बैंक वाले विश्वास नहीं करेंगे, उनको लोन नहीं देंगे, क्योंकि हर आदमी इस प्रकार की बात को अच्छा समझता है कि मेरा लोन माफ हो जायेगा लेकिन वह आगे की नहीं सोचता तो इस बात को सोचकर हमारी सरकार को इस बात का प्रावधान करना चाहिए कि कोई भी राजनैतिक आदमी इस प्रकार का एक्सप्लायटेशन करने के लिए ऐसी बातें न करे बल्कि वह प्रान्त की या केन्द्र सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बात करे।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि स्टेट में हमारे बैंकों की जो स्थिति है इसके बारे में मंत्री महोदय क्लियर करें क्योंकि इसमें आज बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग इस बारे में बड़े परेशान हैं उनको न तो आगे के लिए कर्ज मिलता है और उनके जिम्मे कर्ज को न वे वापस देते हैं और उन पर ब्याज चढ़ता जा रहा है और मदद के बजाय उनकी आर्थिक हालत और कमजोर होती जा रही है। मंत्री महोदय जिस टाइम उसपर जवाब दें तो इस बारे में स्पष्टीकरण जरूर दे और वह ऐसा स्पष्टीकरण हो जिससे, हमारे स्टेट की यह बीमारी दूसरे स्टेट्ट में भीं जाने लग गयी है, यह बीमारी रूक सके।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि राजनैतिक बदले की भावना से लोगों की मरवाने या बहुत बड़े आई.ए.एस. आफिसर्स, सीनियर आफिसर्स के खिलाफ विण्डिक्टिव नेचर की कार्यवाही करना गलत है और इसके बारे में मेरी यह गुजारिश है कि इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी कारवाई जाये। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा कानून जरूर हो कि कोई भी प्रान्तीय सरकार अगर गलत तरीके

इस्तेमाल करती है तो उसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवायें ताकि उस चीज से ठीक तरीके से निपटा जा सके और कोई इस प्रकार की गलत स्थिति न हो जाय जो काबू से बाहर चली जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

1.35 म०प०

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं। मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ उन मुद्दों का उल्लेख करता हूं जिन्होंने जन-प्रतिनिधियों के मन में हलचल उत्पन्न कर दीं।

मुख्य अतिरिक्त मांग बाढ़ ग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए की गई है। दुर्भाग्य से यह हमारे देश की पुरानी समस्या रही है और यह भाग्य का ही खेल है कि हमे एक ओर तो भारी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है जबकि दूसरी ओर देश के अन्य भागों में पीने के पानी की भी कमी है।

भारत सरकार इस सम्बन्ध में काफी समय से सोचती और योजना बनाती आई है परन्तु आज तक कोई दीर्घकालीन योजना नहीं बनी है। मुझे याद है कि जब मैं महाराष्ट्र राज्य में सिंचाई प्रभारी था उस समय गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने के लिए और गोदावरी तथा कावेरी में पानी लाने के लिए एक योजना बनाई गई थी। अतः बहुत सी योजनाओं के बारे में बातचीत की गई है परन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है बाढ़-पीड़ित और सूखा पीड़ित लोगों की सहायता के लिए हम प्रतिवर्ष हजारों रुपये खर्च करते हैं। मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है जब हमें अति शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लेना चाहिए और युद्ध-स्तर पर उसे क्रियान्वित करना चाहिए। इस निर्णय के होनी क्रियान्वयन में संसोधनों की रूकावट नहीं चाहिए।

हाल ही में समाचार-पत्रों में मैंने कुछ बहुत अच्छे लेख पढ़े हैं। हमारे समक्ष दो विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि डा० राव के समय से ही, जो कि भारत सरकार के सिंचाई विभाग के प्रभारी थे, यह सोचा गया था कि इस पानी को गोदावरी और कावेरी की नदी घाटियों में लाया जाए। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि पिछले 2 या 3 दिन से बिहार में हमारे सदस्य इस बात को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं कि नेपाल से तथा अन्य क्षेत्रों से बिहार के उत्तरी ओर आने वाला पानी; वहां के लोगों के लिए एक विकट समस्या खड़ी कर रहा है। यदि इस समस्या की ओर उचित ध्यान दिया जाए तो मेरे विचार में यह समस्या हल हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा है समाचार-पत्रों में मैंने कुछ अच्छे लेख पढ़े हैं जिनमें दो विचारधाराओं के बारे में सुझाव दिया गया है। एक सुझाव यह है कि इस पानी को दक्षिण की ओर गोदावरी और कावेरी में नहरों के जरिए लाया जाए। और नवीनतम सुझाव यह है कि इस पानी को पाइपों के जरिए गोदावरी तथा कावेरी बेसिन में लाया जा सकता है। और यदि ऐसा किया जाता है तो इसमें कई लाभ होंगे। ऐसा करने से पानी का रिसाव नहीं होगा और नहरों को खोदने में लगने वाले समय की भी बचत होगी। ऐसा करना आसान भी है और इसमें पानी का अपव्यय भी नहीं होगा। तुलनात्मक दृष्टि से इसका रखरखाव भी आसान होगा और पाइप लाइनों के जरिए जरूरतमन्द क्षेत्रों के लिए पानी उपलब्ध किया जा सकेगा।

[श्री मधुसूदन वैराले] –जारी

मैं इस अवसर पर इस समस्या पर प्रकाश डालता हूं मैं जानता हूं कि अतिरिक्त मांगों पर समर्थन के इस अवसर पर बहुत सी अलग-2 समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। और साथ ही मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या को युद्ध स्तर पर हल करे और इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले।

महोदय मुझे विश्वास है कि यदि इस कार्य को सरकारी क्षेत्र में लिया जाए तो यह संभावना है कि इस देश के लोग उन परियोजनाओं मे अपने धन का निवेश करेंगे जिनकी लागत 10000 करोड़ रुपये अथवा 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। लोग ऐसा करने के लिए आगे आयेंगे क्योंकि यह योजना न केवल बहुत उत्पादक रहेगी अपितु हमारे उपमहाद्वीप के लिए स्थाई समाधान भी होगी। हमारा देश एक उपमहाद्वीप के समान ही है।

अब मैं कृषकों की समस्या पर आता हूं। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की निरन्तर यह नीति रही है कि कृषकों को समर्थन मूल्य दिए जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है अब तक औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में तथा कृषि की वस्तुओं के मूल्य में आपस में कोई समानता नहीं है।

औद्योगिक वस्तुए.. कृषि वस्तुओं की अपेक्षा अधिक कीमती है। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ राज्यों ने अपनी ही योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में कार्य किया है। महाराष्ट्र की 'मोनोपाली काटन स्कीम' एक ऐसी ही योजना हैं जिसमें कृषकों की सहायता करने की कोशिश की गई और भारत सरकार भी इसमें अपनी सहायता देती रही परन्तु इस वर्ष एक अजीब घटना घटित हुई है। कपास के दामों पर एकाधिकार के कारण बहुत से लोग अपने मुनाफों से हाथ धो बैठे हैं और इसी कारण के अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सीमाओं के बाहर अधिक मूल्य देकर कपास खरीद कर इस योजना को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में हम आज ही भारत सरकार से अनुरोध किया कि 'महाराष्ट्र काटन मोनोपाली स्कीम' को अपनी दरों में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करने की इजाजत दी जाए हमने भारत सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि इसका वित्तीय भार भारत सरकार पर नहीं पड़ेगा। हमने भारत सरकार से हमें प्रोद्योगिकी छुट देने और कपास उत्पादकों को अदायगी के लिए अपने धन का प्रयोग करने की अनुमति देने के लिए भी कहा हैं। हमें बिश्वास है कि अन्त में बोनस के जरिये इन सभी खर्चों की उचित ढंग से पूर्ति की जा सकेगी।

मैं एक अन्य समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गत वर्ष कृषकों के लिए चीनी नीति की घोषणा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि जिस फैक्टरी की दैनिक क्षमता 2500 टन है केवल उन्ही को अनुमति दी जानी चाहिए। यह नीति छोटे कृषकों के लिए नुकसानदेह साबित हुई और सरकारे ने यह अश्वासन भी दिया कि इस सम्बन्ध में वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और ऐसी चीनी मिलों को भी चलने की अनुमति देगी जिनकी क्षमता 1256 टन प्रतिदिन है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए और इन फैक्ट्रीयो को चलने की अनुमति देनी चाहिए ताकि किसानों को कृषि पर आधारित उद्योग शुरू करने का अवसर प्राप्त हो।

महोदय, परसों सूखे की समस्या पर चर्चा करते समय इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की थी कि कुछ क्षेत्रों में पानी खारा है, पीने योग्य नहीं है। खारे पानी को 'मीठे पानी में बदलने की प्रौद्योगिकी बहुत उन्नत है और मेरी जानकारी के अनुसार दो पैसे प्रति लीटर की लागत

से खारे पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है। अब प्रौद्योगिकी बहुत अधिक उन्नत है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि बड़े स्तर पर न सही. छोटे स्तर पर ही इस योजना को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे अपने प्रोयोगिकी विद इस तकनीक के बारे में जानते हैं और सूखे के कठिन समय के दौरान पेय जल की समस्या के समाधान के लिए इस प्राद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।

मैं सरकार का ध्यान कृषि पर आधारित उद्योगों को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने की तरफ दिलाना चाहूंगा। आज तक हम यह समझते रहे कि केवल कपास है ही कच्चा माल है जैसाकि श्री माननीय मंत्री श्री गढ़वी जानते ही होंगे क्योंकि वे भी गुजरात के रहने वाले हैं। परन्तु हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अब नई तकनीक आ गई है जिसकी सहायता से कृषि क्षय को उनके प्रतिस्थानी के रूप में अच्छे कच्चे माल में परिवर्तित किया जा सकता है। हम जानते हैं कि ऊन राष्ट्र में एक दुर्लभ वस्तु बन गई है और बहुत महंगी होती जा रही है यह हमारे परिस्थितिक पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। यदि कृषकों को कृषि अपशिष्ट पर आधारित 3 उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे वे उन का उत्पादन कर सके तो यह कृषकों की आर्थिक स्थिति के लिए उपयोगी होगा।

मुझे समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं यह सब बातें वित्त मंत्रालय से प्रत्यक्ष रूप में संबधित नहीं है और मुझे आशा है वे ये बातें संबन्धित विभागों तक पहुंचा देंगें। मैं आशा करता हूं कि हम मंत्री महोदय से कुछ ठोस सुझाव सुनेंगे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अधिक चिल्लाने वालों को उत्तर मिलता है और जो अध्ययन करते हैं और शांत रहते है उन्हें उत्तर नहीं मिलेगा।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री हमारे आग्रह पर ध्यान देगें।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : मैं बजट से संबंधित पुरक मांगों का समर्थन करती हूं।

राष्ट्र सूखे और बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा है। ग्रामीण विकास कृषि मंत्रालय के अधीन हैं। क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं अपना भाषण मुख्यतया कृषि तक ही सीमित रखूंगी।

आज मेरे बोलने का मुख्य उद्देश्य सरकार से यह अनुरोध करना है कि कृषि के सामान्य बजट और योजना से देश को और अधिक सहायता नहीं मिलेगी। पूरी प्रकृति बड़ी तेजी से बदल रही हैं। इस लिए हमें नए तरीके से सोचना होगा। यह बहुत जरूरी है कि बंजर भूमि और वारिश के पानी से भरे खेतों का विकास किया जाए।

(श्री शरद दिघे पिठासीन हुए)

1.48 म०प०

यद्यपि कृषि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तदापि मुझे अफसोस है कि यह ज्यादातर मासून पर निर्भर करती है।

कृषि का खाद्यान्न की सप्लाई, कच्चे माल और निर्यात के माध्यम से सकल आर्थिक विकास में योगदान के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान है। यह अधिकांश जनसंख्या के लिए जीविका का साधन है कृषि के संतुलित विकास से देश की ग्रामीण जनता को क्रय शक्ति बढ़ सकती है। कम विकसित क्षेत्रों में सिचाई, मल निकास, सड़के और उधार सँस्थानों का

[श्री फूलरेणु गुहा] - जारी

होना जरूरी है। इसके अलावा हमे नई तकनीक की आवश्यकता है । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बन रोपण और विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है। हमें केवल बड़ी सिचाई योजनाओ तक ही केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि छोटी सिचाई योजनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि हम बड़े पैमाने पर छोटी सिंचाई पर ध्यान नहीं देते है तो राष्ट्र में सूखा और बाढ़ आते रहेंगे। देश के चहूंमुखी विकास के लिए प्रभावशाली जल व्यवस्था की अयंत्त आवश्यकता है। बारीश का बचा पानी अक्सर बेकार जाता है। मैं "अक्सर" क्यों कहूं? यह हमारे राष्ट्र में हमेशा बेकार जाता है। बारिश के पानी के भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए । महोदय हमारे पास बहुत अधिक पानी है हमारे पास नदियां हैं, विशाल समुद्र हैं और समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। फिर भी हम सूखे का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम इस तरफ नही सोचते हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी हलाकि प्रोढ़ शिक्षा के लिए धनराशी आवटन किया जाता है असिलियत में परन्तु समाचार तब उत्पन्न होती है जब राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा अनुदान देने में इतनी देरी हो जाती है कि आप कल्पना भी नही कर सकते। कल्पना करना यह देरी महीनों की नहीं परन्तु वर्षों की होती है । इसका नतीजा यह होता है कि सब जोश ठंडा पड़ जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस विषय में गम्भीरता पूर्वक विचार करे । हमने कई बार इस विषय में शिकायत की है। परन्तु हमे अब तक कोई नतीजे प्राप्त नही हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से, उपयुक्त अधिकारियों से अनुरोध करती हूं कि इस विषय पर शीघ्र जांच की जाए। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी सुझाव है कि प्रोढ़ शिक्षा को दूरदर्शन और रेडियो पर अधिक से अधिक समय दिया जाना चाहिए। मैंने इस विषय में संबंधित मंत्री से पूछा हैं और उन्होंने दूरदर्शन और रेडियो पर अधिक समय देने पर सहमति दी है। लेकिन केवल समय देने से स्थिति नहीं सुधरेगी। एक उपयुक्त कार्यक्रम बनाना चाहिए और कार्यक्रम बनाने से पहले मैं सरकार से विनती करूंगी कि वह उनके साथ कुछ बैठकें करे जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। केवल अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम बना लेन से समस्या का समाधान नहीं होगा । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अकसर अफसर मिलते हैं और कार्यक्रम बना लेते हैं । वह कभी फील्ड में काम नहीं करते हैं। लेकिन जो कार्यवाही वास्तव में प्रोढ़ शिक्षा पर काम कर रहे हैं उनके साथ विचार करना चाहिए और उसके साथ विचार और चर्चा के बाद ही अधिकारीगण को कार्यक्रम बनाना चाहिए।

अंत में, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि मेरे चुनाव क्षेत्र कन्टई में काजू उत्पादक बड़ी परेशानी में है क्योंकि उस क्षेत्र से काजू का निर्यात नहीं हो रहा है। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र से काजू का निर्यात किया जाए। ताकि उत्पादकों को बचाया जा सके। इन शब्दों के साथ ही मैं अनुदान की पूरक मांगों का समर्थन करती हूं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, पूरक मांगे काफी सीमित हैं परन्तु इस अवसर का उपयोग सभी माननीय सदस्यों द्वारा सामान्य आर्थिक नीति और सामान्य वस्तुस्थिति पर विचार करने के लिए किया जा रहा है और मैं भी आज इनके संदर्भ में बोलूंगी। मैं प्रारंभ में अनुदान की पूरक मांगो का विरोध करती हूं और ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रही है मैं विपक्ष में हूं बल्कि सरकार द्वारा जिन आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है इसके विरोध में मैं ऐसा कर रही

हूं: अब वस्तुस्थिति व्यापक है। उदाहरणतया औद्योगिक मजदूरों का सूचकांक पिछले सात महीने से बेरोकटोक बढ़ रहा है केवल एक महीने में ही 9 अंक बढ़ गया है अर्थात अगस्त और सितम्बर के बीच में राजधानी में जुलाई—अगस्त में यह 64 अंक बढ़ गया है। इस संबंध में गृहणियों की कठिनाई और रोष पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु बहुत ही कड़वा प्रश्न जिसे हमें समझना चाहिए। जिसे हमें सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि के राकेट का इस्तेमाल 21 वीं सदी में जाने के लिये किया जा रहा है। उनके लिए यह सबसे बढ़िया वाहन है सरकार के लिए यह हो ऐसा हो सकता है परन्तु लोगों के जीवन स्तर के आधार पर वह वापस 18 वीं सदी में ले जाना है। सूखे ने निसंदेह ग्रामीणों की दुर्दशा दूगनी करदी है। यह पता लगता है कि उर्वरक और भंडार कि उर्वरक और कीटानाशक है काफियों का काफी भंडार है परन्तु मांग की तुलना में यह प्रर्याप्त नहीं है।

किन्तु इसके बाबजूद हमारे किसान खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। यह उनकी दुर्दशा को दर्शाता है। महोदय, यह भी सही है कि कृषि के क्षेत्र में, हरित क्रान्ति की नीति का घरेलू बाजार के विस्तार में पूर्णतया उपयोग नहीं हुआ है। उत्पादन और उत्पादकता में हरित क्रान्ति से हुए लाभ का वितरण सामाजिक और भौगोलिक रूप से उतना असमान रहा है कि सापेक्ष मूल्य स्थिरता और अधिकांश लोगों की उपलब्ध सप्लाई तक पहुंच नहीं हो सकी है। तथा अब भूमि सुधार की उपेक्षा कर दी गई है। इसलिए इस नीति के द्वारा घरेलू बाजार सीमित हो गया है और इससे अनेक सामाजिक तनाव उत्पन्न हो गए हैं। कृषि क्षेत्र की यह दशा है।

जहां तक सामान्य आर्थिक नीति और इसके प्रभावों का सवाल हैं, हम समझते हैं कि सातवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है, जब तक इसको बहुत बड़ा सहारा नहीं दिया जाता यह योजना संसाधनों की कमी के कारण खटाई में पड़ जायेगी। ऐसी स्थिति में विदेशी कर्ज बढ रहा है और जैसा कि सभी को मालूम है इस साल यह बढ़ कर 31,919 करोड़ हो गया है और एक ही साल में रुपये विदेशी ऋण 1600 करोड़ बढ़ गया और यह कहने की जरूरत नहीं कि वर्तमान संदर्भ में इस साल घाटे की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक रहेगी। अब इस स्थिति को बढ़ने से रोकना है क्योंकि यह अपरिहार्य है। जैसा कि मैंने कहा कि सरकारी आर्थिक नीतियों से और कोई विकल्प नहीं मिल सकता है।

जी०एन०पी० के शून्य विकास के प्रश्न पर, जिसकी आगामी में आशंका है, संयोगवश यहां पर केवल देवरा जीं ने, जो कि पूंजीवाद के सही व्याख्याता हैं, दावा किया हैं कि उद्योगों में केवल सात प्रतिशत विकास होगा। मालूम पड़ता है कि कृषि-उत्पादन 25 प्रतिशत कम होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि उद्योगों में जो विकास हो रहा है वह किस उद्देश्य के लिए, किसकी लागत पर और किसके लाभ के लिए हो रहा है। महोदय, यहां पर मैं यह कहना चाहूंगी की घाटे के बजट, बढ़ते हुएघरेलु और विदेशी ऋण में और उपभोक्ताओं की नवीन रहन-सहन की शैली में परस्पर एक सम्बन्ध है जिसको सरकार बढ़ावा दे रही है। यही वर्तमान नीति का एक परिणाम है। जहां तक इस पूरे सम्बन्ध का प्रश्न है, यहां पर विदेशी ऋण और उदार आयात नीति का प्रश्न आता है। हमारा विदेशी ऋण बढ़ गया हैं और इन बहुत से ऋणों का विदेशी सहयोग से चलने वाली परियोजनाओं से और देश की आन्तरिक औद्योगिक नीति से भी सम्बन्ध हैं। जो भी थोड़ा बहुत विकास हो रहा है वह केवल विशिष्ट उपभोक्ताओं के लिए हो रहा है।

[श्रीमती गीता मुखर्जी] – जारी

आप ऐसी वस्तुओ का, यहां तक कि पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में भी आयात कर रहे हैं जिनको आयात करने की जरूरत नहीं है उदाहरण के लिए हमें तुरत भोजन तथा अच्छी कारों की तकनीक की आवश्यकता कहां है।

म० प० 2 00

इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की तकनीक का आयात क्यों ? पागलपन में भी तरीका होता है। यह हमारा प्राथमिकता क्षेत्र नहीं है। इसके बावजूद उन वस्तुओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनके द्वारा हमारा विदेशी ऋण बढ़ता जा रहा है और घाटे की अर्थ-व्यवस्था का भी इसमें योगदान है। यहां पर मुख्य बात यह है कि सबसे पहले तकनीकी उन्नति के नाम पर विदेशी और घरेलू क्षेत्र के पूंजीपतियों का उद्देश्य समृद्ध मध्यमवर्ग के लिए छोटे बाजार हथियाना है और उस नीति का अनुसरण करना है, जिससे वे उन क्षेत्रों में, यहां तक कि पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में भी विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन हेतु आयात कर सके और वह भी हमारे देश के विकास के उद्देश्यों के लिए नहीं और न ही बड़े क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य के लिए जिसमें आत्मनिर्भरता हमारा घोषित लक्ष्य है। किन्तु वे दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो सम्पन्न वर्ग के लोगों की आवश्यकताओ की ओर अत्यन्त सम्पन्न मध्यमवर्ग की आवश्यकताओं की तथा बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा अधिक से अधिक लाभ देता है। इसलिए इस नीति में विकास का उद्देश्य नहीं रहा है इसका उद्देश्य है जनसंख्या के एक छोटे से वर्ग को सन्तुष्ट करना है। इस प्रक्रिया का प्रतिकूल प्रभाव रोजगार पैदा करने पर पड़ा है। इसका कारण यह है कि न तो कृषि में और न ही उद्योग में अर्थव्यवस्था का बहुत बड़े स्तर पर विकास करने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर बल नहीं दिया गया है।

संयोगवश जब उद्योगों के बारे में वात हो रही है तो मैं रूग्ण उद्योगों के बारे में बात करूंगी जो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। सरकार ने एक हास्यस्पद दृष्टिकोण अपनाया है। वे इस बात से छुटकारा पाना चाहते हैं। यहां तक कि वे परियोजनाएं जिनकी व्यवस्था सरकार ने बहुत लम्बे समय से अपने हाथ में ले रखी है, उनकी उपेक्षा यह कह कर की जा रही है कि संसाधनों की कमी है। इस प्रकार का एक उदाहरण 'बंगाल पोंट्री' का है जहां कि लम्बे समय तक बहुत अधिक धन मजदूरी के लिए दिया गया, किन्तु कार्य पूंजी कमी नहीं दी गयी।

अब सरकार कहती है कि सूखा पड़ने के कारण वह 15 करोड़ रुपया एक ही समय में नहीं दे सकती है। परन्तु यह राशि तो विभिन्न चरणों में दी जानी थी। यहां तक कि उस धन को भी देने से मना कर दिया गया यह कहते हुए कि सरकार उस उद्योग को अब अधिसूचित कर देगी मज-दूर जायें भाड़ में। जो सोने का हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया गया वह निश्चित रूप से फांसी का सुनहरा फन्दा बनकर सामने आया। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह से हुआ कि ऐसी हालत उत्पन्न हो गयी है। इसलिए जो विचार अब रखे जा रहे हैं उनमें मूल रूप से बदलाव लाया जाना चाहिए। पहले के विचारों की तो उपेक्षा की जा रही है। मैंने यह नहीं कहा है कि पहले के बिचारों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हुआ। ऐसा नहीं हुआ। किन्तु फर्क केवल इतना है पूर्व विचारों की उपेक्षा कर दी गयी, उनके क्रियान्वयन के बारे में तो कहना ही क्या। यहां इस प्रकार

के नारों का कोई महत्व नहीं है जैसे आत्म-निर्भरता, भूमि सुधार, अनावश्यक वस्तुओं का आयात नहीं, इन सभी की उपेक्षा कर दी गई है। इसलिए पूर्णरूप से जबतक अलग दिशा नही अपनायी जाती है वह एक बहुत बड़े दलदल में फंस जायेंगे। जिसका पूर्वाभास हमें आज इन क्षेत्रों में होने लगा है।

इस पृष्ठभूमि में बहुत सी बातें योजनाओं के बारे में और संसाधनों के बारे में कही गयी हैं। प्रश्न है प्राथमिकता और बिना प्राथमिकता का। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को इधर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। बिना प्राथमिकता वाले क्षेत्र की नई प्राथमिकताएं दी जा रही हैं। यदि मैं छोटी बातों को कहने लगूं जो कि कुछ प्रांसगिक हैं, तो एक प्रश्न उठता है, हम कैसे खर्च करते हैं। ये सभी चीजें मैं समझती हूं कि सरकार ने निर्देश दिया है कि गैर-योजना खर्चों पर प्रतिबन्ध लगाया जाऐ।

इसी पृष्ठभूमि में, मुझे मालूम है कि पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ने अपने बंगले में दो नहाने के कमरे 80,000 रुपये की लागत से बनवाये, जिससे पता लगता है कि खर्च में किस को बहुत बड़ी प्राथमिकता दीं गयी है। यह एक ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब कि बाढ़ नियंत्रण और पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार ने अधिकतम सीमा निर्धारित की है, वह केन्द्रीय योगदान अभीतक बहुत पीछे है और नहीं मिला है और प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं दे रहे हैं, सम्पूर्ण आर्थिक दिशा को बदलना चाहिए।

अनुपूरक मांगों के सम्बन्धों में, मांग नं० 5, हल्दिया उर्वरक परियोजना के लिए है। मैं चाहतीं हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच करें कि 600 करोड़ रुपये जो कि इस परि-योजना पर खर्च किए गए हैं क्या उनसे 600 टन उर्वरक का उत्पादन हुआ है। क्या सयन्त्र का पुर्नगठन किए बिना क्या यह बच पाएगा ? मैं नहीं जानती। हल्दिया उर्वरक परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र के पास है और यह मेरा अपना जिला है। इसलिए मैं सब कुछ व्यक्तिगत रूप से जानती हूं। आप इन चीजों को पूर्णरूप से देखे बिना कार्य करते हैं।

23 करोड़ रुपये की एक और मांग एन० टी० सी० के लिए और 16 करोड़ रुपये एन० जे० एम० सी० के लिए आबन्टित किए गए हैं। आप एक और तो सिन्थेटिक ग्रेन्युल्स बाहर से प्राप्त कर रहे है और दूसरी ओर आप इन आई० जे० एम० ए० वालों की सहायता करना चाहते हैं। इसके लिए आई० जे० एम० ए० के लोग आगे नहीं आ रहे हैं।

आप एन० जे० एम० सी० राज्य उद्यम को अपने हस्तक्षेप का मुख्य अंग नहीं बना रहे है। एन० जे० एम० सी० की प्रबन्ध व्यवस्था में वह परिवर्तन नहीं किया गया है जैसाकि किया जाना चाहिए था और श्रमिकों को इसमें भागीदार नहीं बनाया गया है, और यद्यपि इन मिलों का राष्ट्रीय-करण करने में वे बहुत सक्रिय रहे थे।

जब तक पूरी आर्थिक नीतियों को नही बदला जाता अनुपूरक मांगों का वस्तुत: आर्थिक स्थिति पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्र (ज्जगीर) : सभापति महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें कुल 17 अरब

[डा० प्रभात कुमार मिश्र]—जारी

80 करोड़ 49 लाख रुपयों की मांग की गई है। मेरे विचार से आने वाले समय में हमारे सामने पीने के पानी की समस्या आयेगी और हमें जल-संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। इस काम के लिए हमें अधिक से अधिक रिग मशीन लगानी होंगी। परन्तु जब हम इन मांगों की ओर देखते हैं तो इस प्रयोजन हेतु बहुत कम धनराशि रखी गयी है। हमारे देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और खेती पर आश्रित है। आज उनके सामने कई तरह की समस्याएं विद्यमान हैं। इसलिए ग्रामीण अंचलों में जल-संसाधनों के सही उपयोग की ओर हमें अधिक ध्यान देना होगा। जैसा मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा, हमें फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए भी अधिक धन आबंटित करना पड़ेगा।

अनुदान की अनुपूरक मांगों की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि बजट में हम जो प्रावधान पहले से निश्चित कर देते हैं, बाद में हम देखते हैं कि वह कार्य पूरा नहीं हो पाता या उसके पूरा करने में आर्थिक कठिनाई आ पड़ती हैं, दुसरे कुछ अनप्रोडक्टिव प्लांटस हैं और कुछ अनप्रोडक्टिव प्लांटस भी हैं जैसे मैं आपको फर्टिलाइजर प्लांट की बात बतलाऊं। कोरबा में 20 करोड़ की लागत से फर्टिलाइजर प्लांट लगाया गया लेकिन वह आज तक शुरू नहीं हुआ। उसमें लाखों रुपये महीने का खर्चा हो रहा है। इस तरह से जो हमारे देश की आर्थिक क्षति होती है और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि हम ऐसी चीजों का उपयोग करके रिटर्न प्राप्त कर सकें जोकि हमारे देश के लिए सुविधाजनक और आर्थिक हित में है।

इसी प्रकार से सूखा राहत पर हम धन लगाने की मांग करते हैं। हम लोग पिछले कई वर्षों से साउथ ईस्टर्न रेलवे, बिलासपुर में मांग कर रहे हैं कि बिलासपुर-मण्डला-जबलपुर रेलवे लाइन को प्लान में शामिल किया जाए और उसकी सैंक्शन दी जाये। मैं समझता हूं ये कार्य जो हैं वह इस प्रकार के हैं जोकि 10-15 साल तक चलेंगे और उससे वहां पर लोगों को ठोस राहत मिल सकेगी और उन कार्य का हमें रिटर्न भी मिलेगा। इस प्रकार से हमें अपने धन का उपयोग एक प्लान्ड वे में सिस्टेमेटिक रूप से करना चाहिए।

इस पूरा बजट में दूर संचार के लिए भी मैं चाहूंगा ज्यादा व्यय किया जाये। आजकल ग्रामीण अंचलों में भी दूर संचार की आवश्यता पड़ने लगी है अतः इस पर ज्यादा पैसा खर्च करके इसकी सुविधा को बढ़ाया जाना चाहिए।

पिछले दिनों भारत सरकार ने घोषणा की थी कि श्रमिकों को अन्तरिम राहत दी जायेगी। कुछ श्रमिकों को राहत दी भी गई लेकिन धन की कमी की वजह से बहुत लोगों को यह राहत नहीं दी जा सकी जिसके कारण आज जगह-जगह पर हड़तालें की जा रही है। उदाहरण के तौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि कोरबा एक ऐसा इण्डस्ट्रियल कांप्लेक्स है जहां पर कोल — माइन्स है, एन० टी० पी० सी० है और जहां पर बालकों है। वहां पर श्रमिकों को अन्तरिम राहत न मिलने की वजह से हड़तालें चल रही हैं। कल कहीं ऐसा न हो कि बालको की हड़ताल एन० टी० पी० सी० में फैल जाये और फिर आगे कोल इंडिया में भी हो जाये जिससे कि हमारे पब्लिक सेक्टर को क्षति पहुंचे। मेरा निवेदन यह है कि इन मुद्दों पर समय रहते आप पैसा खर्च करें ताकि हमारे पब्लिक सेक्टर के कार्य में कोई अड़चन न आने पाये।

पब्लिक सेक्टर के सन्दर्भ में मैं यह बात भी कहना चाहूंगा कि ये संगठन कुछ इस प्रकार के हैं जोकि अगर चाहे तो अपने दायरे से हट कर भी देश के विकास में सहभागी बन सकते हैं। जैसे कि कोयले की खदानों में बहुत सारा पानी एकत्रित रहता है, उस पानी का यदि सही प्रकार से उपयोग किया जाये, किसानो के खेतों में उस पानी को ट्रनआउट किया जाए तो कम लागत में सिंचाई की जा सकती है। इस प्रकार से हम जल संसाधन के बजट की मदद भी कर सकते हैं तथा हमारे देश का उत्पादन भी बढ़ सकता है।

इस संदर्भ में मैं कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि उनके लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। आज ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि लोग काम की तलाश में पलायन करते हैं। ग्रामीण अंचलों में वैसे भी फसल कटने के बाद कोई काम नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में ऐसे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जोकि स्थाई रूप से चलने वाले हों और जिनके द्वारा वहां लोगों की आमदनी बढ़ सके।

साथ ही मैं आपका ध्यान एग्रीकल्चर प्रोडुयस की ओर भी दिलाना चाहुंगा कि एग्रीकल्चर प्रोडयूस की मार्केटिंग की कोई प्रापर व्यवस्था नहीं की जाती हैं और उसकी प्रोडयूस करने में जो इनपुट्स लगते हैं उनकी कीमत को देखते हुए किसान को प्रापर रिटर्न भी नहीं मिलता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में रायपुर में इन्दौर से दूध सप्लाई होता है। बिलासपुर में किसान जो दूध पैदा करता है उसके लिए वह बैंक से ऋण लेता है। उसका दूध मंहगा पड़ता है उस दुध के मुकाबले जोकि इन्दौर रे लाकर सप्लाई किया जाए क्यों कि उसके दूध में फैट परसेन्टेज कम होने कि वजह से उसे प्राइस कम मिलती है और इन्दौर से आने वाले दूध में फैट परसेन्टेज ज्यादा होने की वजह रे उसकी प्राइस ज्यादा मिल जाती है। नतीजा यह होता है कि किसान वहां पर बैंक से ऋण लेकर उस पशुधन से दुध पैदा करके जीविकोपार्जन करना चाहते हैं वे कर्जदार और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है। दिनोदिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाती है। तो ऐसी जो एग्रीकल्चर प्रोडयस है उसकी मार्केटिंग के लिए उचित व्यवस्था करके उचित कीमत दिलाने का प्रबन्ध होना चाहिए।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन यह भी है कि बहुत स्थानों पर हजारों एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई लेकिन वह बेकार पड़ी हुई है। हमारे यहां बिलासपुर जिले में हजारों एकड़ जमीन तिलहटी सीमेंट फैक्टरी के नाम पर एक्वयर कर ली गई लेकिन वह बेकार पड़ी हुई है, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। न तो सी सी आई ही वहां पर कोई सीमेंट फैक्टरी बना रही है और न सेल ही बना रही है। सेल और सी सी आई के झगड़े में हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है और राष्ट्र को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं जिससे हमारे आर्थिक ढांचे में कमजोरी जाती है इसके कारण भी यहां पर अनुपूरक मांगों को लाने की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से जो बैंक के कर्जदार होते हैं, जो बैंक के कर्ज से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, वे किन्ही मजबूरियों की वजह से डिफाल्टर हो जाते हैं और सरकार के जो नए प्रावधान हैं, जिनसे वे अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, उनसे वे वंचित रह जाते हैं। इसी संदर्भ में हजारों - लाखों करोड़ों किसान जो गांवों में पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति सुधारने के लिए मैं निश्चित चाहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय का ध्यान, ऐसेकेसेज जो कि डिफाल्टर हैं, जो आज की वर्तमान स्थिति से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कोई न कोई रास्ता उनको निकालना चाहिए। ऐसी स्थिति में जबकि हम उद्योगों का प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैं तो कहूंगा

[डा० प्रभात कुमार मिश्र]—जारी,

कहूंगा कि उद्योगों को प्रोत्साहन हम एट-दि कॉस्ट आफ एग्रीकल्चर दे रहे हैं। आप देखेंगे, एल्कोहल का प्लांट लगाने के लिए सरकार से जमीन मिल जाती है, कर्ज मिल जाता है, बिजली में कटौती मिल जाती है, लेकिन उस जमीन के आस-पास रहने वाले लोगों को प्रदूषण की मार खानी पड़ती है। उनका बीमारी की वजह से हर साल मेडिकल बजट बढ़ जाता है। जानवरों को बीमारी हो जाती है और उससे पशुधन का नुकसान होता है। पीने का पानी भी दूषित हो जाता है। इसलिए मेरे विचार से इन सब बातों के लिए इस बजट में प्रावधान होना चाहिए था और विशेष रूप से इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रदूषण और एन्वायर्नमेंट प्राब्लम खास तौर से कस्बों में है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। दस हजार-बीस हजार आबादी वाले कस्बों में मछली पालन किया जाता है। उन गांवों के तालाब में यूरिया डाल दिया जाता है, न सिर्फ यूरिया बल्कि ड्रेन वाटर भी उसमें डाल दिया जाता है, ताकि मछलियों को फर्टिलाइजर मिले और मछलियों का अच्छा उत्पादन हो। उन गांवों के निवासी उस तालाब के पानी का उपयोग पीने के लिए भी करते हैं दैनिक जीवन के उपयोग में भी लाते हैं। इस वजह से उनको काफी नुकसान होता है। इसी प्रकार बिलासपुर में ब्रुक-बॉण्ड पेपर मिल हैं। इस मिल का पानी भी जिस नदी में डाला जाता है, यदि उसमें कोई आदमी उतर जाए तो उस को ब्लिस्टर हो जाता है। यह बहुत ही खतरदाक स्थिति है और इससे उनको आर्थिक नुकसान होता है। उनके साल भर का मैडिकल बिल चाहे पशु के नाम हो या उसके नाम से हो, बढ़ जाता है। एन्वार्यनमेंट प्राब्लम एक ऐसी प्राब्लम है, जो इसको नहीं देखते हैं उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है और हर व्यक्ति को चुकानी पड़ रही है।

अंत में मैं जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता, श्री वैराले जी, ने जो कहा है, उसको और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप जितने भी कार्यक्रम बनाये, वे एग्रीकल्चर ओरिएन्टेड होने चाहिए। एग्रीकल्चर बेस्ड होने चाहिए, ताकि एग्रीकल्चरिस्ट को इससे फायदा हो। कृषि पर हमारे देश की जो 70 प्रतिशत जनता आधारित है, उनको फायदा मिल सके।

इतना कह कर, आपका पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जुझार सिंह (झालावाड़ा): सभापति महोदय, प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि पूर्ववक्ताओं ने कहा है कि 1780.49 करोड़ रुपए का यह सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया गया है और सप्लीमेंट्री बजट सैकेंड टाइम इस सदन में लाया गया है। इस बजट का दो-तिहाई से भी ज्यादा हिस्सा ड्राउट और फ्लड्स पर खर्च होगा। रूरल सैक्टर में फर्टिलाजर सब्सिडी के रूप में 300 करोड़ रूपये देने के लिए कहा है और 815.31 करोड़ ड्राउट के लिए।

फैमिन और ड्राउट हमारे देश में एक रैगुलर फिनोमिना बन गया है और हर साल इसका असर बढ़ता जा रहा है। इसकी भयंकरता बढ़ती जा रही है। कब तक यह क्रम चलता रहेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जितना भी टोटल एमाउन्ट आपने फ्लड और ड्राउट के लिए पंचवर्षीय योजना में रखा होगा, उससे ज्यादा एक साल में खर्च हो जाता है। यह गारन्टी नहीं है कि अगले साल आपको इसी तरह की सिचूएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। पिछले दिनों

फ्लड और ड्राउट पर काफी बहस हो चुकी है- इसलिए मैं उन्हीं प्वाइंट को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मंत्री महोदय को कुछ बातें कहना चाहूंगा। कोई ऐसी परमानेंट व्यवस्था कीजिए जिससे फ्लड और ड्राउट की फ्रिक्वेंसी को कम किया जा सके।

मैं अपने इलाके की बात करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं राजस्थान से, राजस्थान आज फैमिन इफैक्टेड एरिया है लेकिन मेरे हिस्से में कोई फैमिन नहीं है। मैं आपके सामने यह कहने को तैयार हूं। इस साल हमारे यहां झालावाड़ के एरिया में और कोटा के एरिया में नार्मल क्रोप्स हैं सिवाय इसके कि कुछ हिस्सों में अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन अगर 15 दिन पानी नहीं आता, 15 दिन बरसात नहीं होती, तो शायद कोटा के डिवीजन में इतना सीवियर फैमिन होना है, जितना राजस्थान के दूसरे हिस्से में भी नहीं है। इस का कारण यह है कि दूसरे हिस्से के जो लोग हैं, उनके आकूपेशन हमारे इलाके से डिफ्रेन्ट हैं। आप को तो कुछ कोटा का आइडिया होगा। राजस्थान के डेजर्ट एरिया में करीब करीब हर फैमीली का एक आदमी फौज में है, करीब-करीब हर फैमीली का कोई न कोइ आदमी किसी इन्डस्ट्रियलिस्ट के यहां एम्पलायड होता हैं और उस को कुछ न कुछ सहारा बाहर के एम्पलायमेंट से मिल जाता है लेकिन हमारे हिस्से में एन्टायरली वहां लोकल रिसोर्सेज पर डिपेन्ड करना पड़ता है।

अगर कोई इमर्जेन्सी आ गई, तो मैं आप को बताना चाहता हूं कि यहां पर बहुत सीरियस सिचएशन होगी और लोग अपने स्थान पर ही मर जायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि वह एक ऐसा इलाका है, जहां पर फैमिन होना ही नहीं चाहिए। मेरे इलाके में सब से ज्यादा पानी के सीरीज हैं। दो, दो और तीन-तीन मील ऊपर पानी बहता है। वहां पर सरफेस वाटर बहुत है और वहां पर अन्डरग्राउन्ड वाटर बहुत है लेकिन मंत्री महोदय यह सुन कर ताज्जुब करेंगे कि जबकि पूरे राजस्थान का एवरेज 22 पर सेंट इर्रीगेशन का है, हमारे झालावाड़ का, जो मेरी पार्लियामेंटरी कांस्टच्युएन्सी है' एवरेज 14 परसेंट है,बिच इज लेस देन राजस्थान एवरज। जहां पर 80 पर सेन्ट एरिया में सिंचाई हो सकती है और सिंचाई के साधन हो सकते हैं, वहां पर न तो प्लानिंगडिपार्टमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेटिव इनडिफ्रन्स की वजह से और पालीटीकल कन्सिड्रशन्स की वजह से उस एरिया के वाटर रिसोर्सेज को सिस्टेमैटिक वे में युटीलाइज नहीं किया गया है और उस का नतीजा यह है कि हम को भी फैमिन देखना पड़ता है। ये जो साधन हैं, इनका युटीलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो वाटर रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं और अन्य बन्ध चुके हैं, उन बन्धों का पानी भी कहीं-कहीं अभी तक खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह बात आप की रिपोर्ट में भी है कि जितने वाटर पांटेंशियल्स डेवलप हो चुके हैं और जितने यूज हो रहे हैं, उनके बीच में गेप 5 मिलियन हैक्टेयर से ज्यादा है। 50 लाख एकड़ से ज्यादा ऐसे इलाके हैं, जो सिंचित्त्ई हो सकते हैं। उस के रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं लेकिन सिंचाई नहीं हो पा रहे हैं और वह साइज इतना बड़ा है।

जो सारे पंचवर्षीय योजना में जितना इरीगेशन पोटेंशियल आप डेवलप करेंगे, 14 हजार करोड़ रुपया आप खर्च करेंगे सातवी पंचवर्षीय योजना में और उस से जितना पोटेंशियल आप डेवलप करेंगे, उस पोटेंशियल के मुकाबले में कहीं ज्यादा पोटेंशियल है जो अनयूटीलाइज्ड पड़ा हुआ है। इस के लिए कौन रेस्पोन्सीबिल है। पानी मौजूद है लेकिन खेतों में नहीं जा रहा है। इस तरह से जो आपने रिसोर्सेज डेवलप किये, बिजली के हैं, दूसरे इरींगेशन के हैं, उन का फुल यूज नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन यह है कि हर साल यह क्रम रहता है कि सप्लीमेंटरी बजट आते हैं और

[श्री जुझार सिंह]— जारी

अब तो इनकी प्रीवुसेन्सी बढ़ गई है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट कर लें, तो यह जो गैप है, इस को सुधारा जा सकता है। जिस तरह का भ्रष्टाचार है, केयरलेसनेस है और केलसनेस है, आप तो गाव के रहने वाले हैं, आप भी इस को जानते हैं। आप के नोटिस मे भी आया होगा कि फूडग्रेन्स के जितने भी बैग्स आते हैं, उन में आन एनएवरज 10, 15 किलो गेहूं का होता है।

[अनुवाद]

इसका जिम्मेदार कौन है ? कुछ क्यों नही किया जा सकता। जब आप कुल हिसाब लगाते हैं तो यह दो हजार करोड़ रुपये से अधिक आता है जो उन अधिकारियों की लापरवाही के करण बेकार हो गया जो इन बोरियों का रखरखाव करते हैं।

[हिन्दी]

होता यह है कि गल्ला सड़ जाता है। वहां पर इस तरह की केयरलेसनेस होती हैं कि पानी आता है, बरसात आती है और कोई देखता नहीं है और गल्ला सड़ जाता है। इसी वजह से साल दर साल लोगों पर आम टैक्स लगाने के लिए सप्लीमेंटरी बजट ले पाते हैं। जिन लोगों को अल्टीमैटली हैन्डिल करना पड़ता है, उनकी एफीशियेन्सी पर अगर आप ध्यान देंगे, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि बहुत कुछ इस गैप को पूरा किया जा सकेगा ; मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो बरसात की साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, उसके पीछे कई कारण हैं।

डिफोरेसटेशन बहुत बड़ी स्केल में हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह हिन्दुस्तान में दूसरी जगहों पर भी हो रहा है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आपकी लैंड यूज पालिसी डिफेक्टिव है। हर दो मील, तीन मील, चार मील पर मेरे इलाके में फ्लो है। जहां फ्लो होता है वहां इरोजन होना स्वाभाविक है। लेकिन आपकी लैंड यूज पालिसी ऐसी है कि आप ऐसी बंजर जमीन कल्टीवेशन के लिए देते हैं कि उसमे सोयल लूज हो जाता है और रेट आफ इरोजन बढ़ जाता हैं। फ्लड जब आता है हमारी नदियां मे सिल्टिग बढ़ जाता है। नदियों में सिल्टिंग होने की वजह से इरोजन होने लगा है। अगर आप किसी आदमी को ऐसी जमीन देते हैं, किसी भूमिहीन को ऐसी जमीन देते हैं जो प्रोन टू इरोजन है, नदियों से लगी हुई है, जिसमें इरोजन आलरेडी है, ऐसी जमीन का जब खेती के लिए दी जाएगी तो उस पर इरोजन तो बढ़ेगा ही , ऐसी जमीन जब आप देते हैं तो उसे ट्री प्लान्टेशन के लिए दो। ट्री प्लान्टेशन के लिए आपका प्रोग्राम भी चल रहा है। ऐसा करने से सायद वाइंडिंग लूज नही होगी। अगर ऐसी व्यवस्था करके आप जमीन का अलोटमेंट करते हैं तो मेरी समझ में सोलय का इरोजन कम होगा। एक तरफ तो पानी नहीं है। परन्तु दूसरी तरफ जब पानी आता है तो थोड़ा-सा भी बरस जाने पर तो नदियों में उफान आ जाता है, वह पानी नदियों में समाता नहीं। क्योंकि जो जमीन के ऊपर पानी पड़ता है, फोरेस्ट कवर न होने की वजह से पानी जमीन पर आ जाता है और कुछ ही सेकिंडो मे जमीन पर आ जाता है और कुछ ही घंटों में नदी में चला जाता है और दो-चार घंटो में वह रह जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है।

यह सब फोरेस्ट कवर रिमूव होने की वजह से, डिफोरेस्टेशन होने की वजह से, डिफोरेस्टेशन होने की वजह से, डिफेक्टिव लैंड यूज पालिसी की वजह से और बहुत से मेन-मेड कारणों की वजह

से यह ड्राऊट और फ्लड का सिलसिला चल रहा है। मेहरबानी कर के इसकी ऐसी व्यवस्था करें, जैसा कि मैंने कहा है।

मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, एक बात और कहना चाहूंगा। राजस्थान के संदर्भ में; राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में यह बताया गया कि पिछले साल में, एक साल के अन्दर 87 करोड़ रुपये ट्री-प्लानटेशन के लिए दिए गए। यह जितना भी ट्री प्लान्टेशन होता है इसमें वेस्टेज है, खराबी है और करप्शन है। में इस सब्जेक्ट पर अभी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो भी आपका ट्री प्लान्टे-शन हो रहा है उससे आपका सोयल इरोजन रुकने वाला नहीं है। क्योंकि यह ऐसी जगह पर हो रहा है जहां पर मंत्री लोग, नेता लोग किसी चीज को देख सकें, बता सकें। कि कुछ न कुछ काम हो रहा है। यह ट्री प्लान्टेशन और अफोरेसटेशन का काम वहां होना चाहिए जहां पर की रेट आफ इरोजन बढ़ रहा हो। आपके जो पुराने ट्रेडीशनल फोरेस्ट है जिनको कि आपने काट दिया है, उन पुराने और ट्रेडीशनल फोरेस्ट्स को मेन्टेन करने के लिए, जंगलों को प्रीजर्व करने के लिए आप क्या व्यव-स्था कर रहे हैं। आप ट्री प्लानटेशन के लिए, फोरेस्ट्स के लिए 85 करोड़ रूपए दे रहे हैं। जो ट्रेडीशनल फोरेस्ट्स हैं, पुराने जंगल है उनको प्रीजर्व करने की भी आप व्यवस्था करें। अगर उनके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो इसके कारण भी फ्लड आयेंगे, इरोजन होगा और भूमि की फर्टिलिटी बिगड़ेगी। इसलिए जो कुछ भी आप करें उससे कोई बेलैंस होना चाहिए, कोई प्रेक्टेबिलटी होनी चाहिए।

मैंने आपसे मेन प्वाइन्ट यही कहे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेंसी होनी चाहिए। आज गवर्नमेंट का दायरा इतना बढ़ गया है कि आदमी अगर पांव निकालता है तो गवर्नमेंट में पहुंचता है। अगर आदमी को पैसा चाहिए, जमीन चाहिए तो वह गवर्नमेंट से मिलती है। हर जगह गवर्नमेंट का दायरा बढ़ गया है। लेकिन गवर्नमेंट में इनएफीशियेंसी नहीं होनी चाहिए। इससे लोगों में नाराजगी, बेचैनगी, सेंस आफ रिवोल्ट की परिस्थिति आती है। मेहरबानी कर के इन सब आसपेक्ट्स पर ध्यान रख कर बजट को बेलैंस करें और इस पर ध्यान दें। वह इतना ही मेरा निबेदन है।

[अनुवाद]

श्री ए० सी० षण्मुख (वेलोर): माननीय सभापति महोदय अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के की ओर से मैं वर्ष 1986-87 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

विधेयक में 1780 करोड़ रूपये का विनियोजन किया जाना है। बजट में घाटा अत्यधिक बढ़ रहा है। 1985-86 के दौरान बजट घाटा 3650 करोड़ रुपये था लेकिन वास्तव में यह 8285 करोड़ रुपये हो चुका है। 1987-88 के दौरान बजट घाटा 8688 करोड़ रुपये था लेकिन यह पहले ही 8000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना का पूर्वानुमानित बजट घाटा केवल 14,000 करोड़ रुपये था लेकिन योजना अवधि के तीन वर्षों की समाप्ति पर ही यह 17,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। यह एक बहुत गम्भीर मामला है जिस पर वित्तमंत्री को ध्यान देने की आवश्कता है। हमारे देश में किसानों की स्थिति जैसा कि कई सदस्यों ने बताया, संतोष जनक नहीं है। किसान हमारे

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री ए. सी. षणमुख] – जारी

अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं निष्पक्ष रूप से कहता हूं कि पूरे देश में किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त नही हो रहा है। मैं मंत्री जी का ध्यान किसानों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमे वह रह रहे है। एक तरह मूल्य बढ़ रहे है और दूसरी तरफ किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त नही हो रहा है। यह एक विडम्बना है। इसलिए कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य निर्धारित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए। इस देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वह दिन दूरी नहीं जब हमारे देश के किसान प्रत्यक्ष कारणों की वजह से कृषि का व्यवसाय छोड़ देगे। चावल व गन्ने के प्रस्तावित मूल्य शीघ्र ही बढ़ाये जाने चाहिए।

अब हम कपड़ा मजदूरों पर आते है। बुनाई उद्योग बहुत ही निराशा जनक स्थिति में हैं। 4 लाख टन कपास निर्यात की गई है जिससे देश में सूती धागे के मूल्यों में वृद्धि हुई है। हमने कपड़ा उद्योग बड़े आधुनिकी करण के लिए सहायता के रूप में 700 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। लेकिन हथकरघा उद्योग के लिए केवल 53 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं यह 53 करोड़ रुपये की सहायता सरकारी नियंत्रण के जनता ब्राड और अन्य धागे जैसा हथकरघा कपड़ें शामिल है। यह आवंटन नगण्य है सरकार को हथकरघा उद्योग की ओर और अधिक ध्यान देना चाहिए। सरकार हथकरघा उद्योग को 60 दिन की मजदूरी सहायक के रूप में दे रही है लेकिन उन्होने इसको अब आधा करके 30 दिनों की मजदूरी कर दिया है। सहायता के रूप में 60 दिनों की मजदूरी तुरन्त पुन: दी जानी चाहिए। हथकरघा उद्योग में दी भी है। अगर हथकरघा उद्योग में लगातार मंदी रहती है तो गरीब हथकरघा मजदुर अपने घरों में चुल्हा भी नहीं जला पायेगे। इस मंदी को रोकने के लिए सकरकार को शीघ्र उपाय करने चाहिए। निसंदेह आपको कपड़ा उद्योग के आधुनिकी करण की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए लेकिन हथकरघा मजदूरों की कीमत पर नहीं। उनके हितों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इन 2 से 3 करोड़ हथकरघा मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करना पड़ेगा।

मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्यों को दी जाने वाली वित्तीत सहायता घट रही है। पाचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता कुल संसाधनों का 41'5 प्रतिशत थी। छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह घटकर 31-6 प्रतिशत व 23 प्रतिशत हो गई। इससे राज्यों को एक तरफ धकेल दिया गया और उन्हें भारी वित्तीय दबाब में कार्य करनी पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं कि कम से कम आठवी पंचवर्षीय योजना काल में, यह सहायता बढ़ाकर 45 प्रतिशत से 56 प्रतिशत तक कर दी जाएगी।

अनेक सदस्यों ने बताया है कि आबंटन में वृद्धि सुखे की स्थिति से निबटने के लिए की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। तथापि, राज्य सरकारों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जो वित्तीय सहायता दी गई है इसे राज्य सरकारों के योजना आबंटन के अग्रिम धन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इसको एक अनुदान के रूप में माना जाना चाहिए। और राज्य के योजना आबंटन में इसकों समायोजित नहीं किया जाना चाहिए सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। जिस तरह बाढ़ से निपटने के लिए आप अनुदान उपलब्ध कराते हैं उसी तरह सूखे से निपटने के लिए भी आपको अनुदान देना चाहिए।

1986-87 के दौरान, केन्द्र सरकार ने 2000 करोड़ रूपये की राशि के प्रशासनिक कर लगाये थे। वह राशि अभी तक राज्य सरकारों में वितरित नहीं की गई हैं। यह केन्द्र से राज्य को वित प्रवाह पर एक बहुत बड़ा दबाब है।

पिछले सात वर्षों में, अभी तक सूखा स्थिति से निपटने के लिए 4200 करोड़ रुपये खर्च किये किये जा चुके हैं। यदि हमने इस सूखे की स्थिति से बचने के लिए कुछ विवेकी और स्थायी उपाय होते तो हम इतने बड़े खर्चे सें बच सकते थे जबकि हम अपने देश में विधमान जल संसाधनों का केवल 36 प्रतिशत उपयोग कर रहे है और बाकी का जल समुंद्र में बेकार जा रहा है। हमे इस जल का भी उपयोग करना चाहिए। देश में जल संसाधनों के प्रभावो त्पादक उपयोग के लिए विभिन्न नदियों के जल प्रयोगों को जोड़ने के लिए योजना बनानी चाहिए। प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना समय से लम्बित पड़ी है इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और कावेरी को जोड़ने का प्रस्ताव हैं।

सरकार को गंगा कावेरी परियोजना को भी पूरा करना चाहिए। अगर आप परीयोजना को पूरा करने के लिए 10 से 15 वर्ष का समय मार्नीन्ट करते हैं तो प्रत्येक वर्ष आप उसके नगण्य आबंटन करते हैं और कुछ वर्षो के बाद परियोजना मिट्टी में मिल जायेगी लागत में भी वृद्धि होगी। इसलिए परियोजना को कम से कम समय में पुरा करना चाहिए सभापति महोदय तमिलनाडू उद्योग के बारे में खेदजनक तथ्य यह है कि 1967 के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कोई बड़ा उद्योग वहां स्थापित नहीं किया गया है।

हमारे मुख्य मंत्री पुरातीत लाईवर (क्रांतिकारी नेता) डा० एम० जी० आर० ने लगातार केनु सरकार के सभी रचनात्मक कार्यो का समर्थन किया चाहे इसे श्रीमती गांधी या हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। जो एम० जी० आर० के अधीन हमारी सरकार ने सभी मामलों में केन्द्र सरकार को समर्थन दिया और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखे। लेकिन क्या इसके अनूरूप केन्द्र सरकार की ओर तमिलनाडू की जनता तक इसके अनुरुप लाभ पहुंचे हैं। मै निश्चित रूप सेकहूंगी कि नहीं। माननीय मंत्री को इस दुःखद तथ्य का पता होना चाहिए।

तमिलनाडू सरकार द्वारा भेजी गई कई योजनाएं केन्द्र के पास रूकी हुई है। लेकिन उत्तर में कई नई परियोजनाएं शुरू हो चुकी है, जैसा कि हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री पेरारिगनर (पुबुद्ध) अन्ना दुराई ने कहा था कि उत्तर फल फूल रहा है लेकिन दक्षिण का सर्वनाश हो रहा है।

अगला मुद्दा तेलगू गंगा परियोजना के बारे में हैं। इसका उद्घाटन हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था उन्होंने प्रारंम्भिक आबंटन किया और अपने हाथों से इस योजना का उद्घाटन किया था। तमिलनाडू सरकार ने इस आशा से अपने हिस्से के धन का भूगतान आशा से किया था कि कृष्णा नदी का जल मद्रास आयेगा। लेकिन अभी तक परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है। अगर केन्द्र चाहे तो परियोजना को कुछ ही वर्षी में पूरा किया जा सकती है मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मद्रास शहर के निवासियों को पीने के पानी की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी जिलों में हाल ही में छुट-पुट वर्षा हुई है लेकिन मद्रास उत्तरी आरकोट और दक्षिणी आरकोट जैसे उत्तरी जिलों में अभी तक वर्षा नहीं हुई है। बड़ी -2 झिलें भी सूख पड़ी है। वहां पीने के पानी की बहुत कमी है। माननीय मंत्री को शीघ्र ही कृष्णा जल परियोजना को पुरा करवाना चाहिए।

[श्री ए. सी. षणमुख]—जारी

कावेरी नदी जल विवाद का मामला भी एक पुरानी समस्या है। यह दो राज्य के बीच का ववाद है। सरकारी स्तर पर बात हुई थी। मंत्रीय स्तर पर भी बात हुई थीं। यहां तक की तमिलनाडु व कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उस मामले पर बातचीत की हैं। हम इस मामले को पिछले तीन वर्षों से सरकार के ध्यान में भी ला रहे है। भूतपूर्व मंत्री श्री बी. शकरानंद की अध्यक्षता में हुई बातचीत असफल हो गई। इस मामले पर निर्णय देने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना का कार्य केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया गया था हमें समझ नहीं आता कि न्यायाधिकरण स्थापित करने में अत्यधिक देरी क्यों हो रही है। जब राज्य के मुख्यमंत्रियों की बीच की बात असफल हो गई तो केन्द्र सरकार के लिए यह जरुरी है कि वह बिना देरी के एक न्यायाधिकरण नियुक्त करे। मैं आशा करता हूं कि आप इस सम्बन्ध में हमारे मुख्यमंत्री डा. एम. जी आर की अपील पर ध्यान देंगे।

अगर आप न्यायाधिकरण स्थापित करने में 2 से 3 वर्ष लेते है तो सबसे ज्यादा हानि केवल कावेरी डेल्टा क्षेत्र की की उपजाऊ भूमि की ही होगी। वह क्षेत्र मरूस्थल में बदल रहा है। हजारों किसान इससे प्रभावित हुए हैं।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम् तमिलनाडु के रहने वाले है और उन्होंने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा कि कावेरी नदी से सम्बन्धित 1924 का समझौता 1974 में समाप्त हो चुका है। यह बहुत ही दुःख की बात है कि तमिलनाडु के रहने वाले एक मंत्रीं ने ऐसे शब्द कहे हैं। समझौते में इसकी समाप्ति के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। समझौते में जो कुछ कहा गया है वह यह है कि दोनों पक्ष समझौते के पचास वर्षों के बाद अतिरिक्त जल के वितरण की समीक्षा करेंगे और बातचीत द्वारा इसका हल निकालेंगे।

यहां पर उपस्थित माननीय मंत्री और सदस्य, इसलिए, इस बात से सहमत हो सकते हैं कि समझौता समाप्त नहीं हुआ है जैसाकि माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम द्वारा गलत रूप से कहा गया है। 50 वर्षो के पश्चात समझौते के नवीनीकरण के लिए किसी भी खंड में कोई उपबंध नहीं दिया गया है। इस मामले पर शीघ्र न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार पर जोर देने की की बजाय मंत्री ने खेदयुक्त ये शब्द कहें हैं।

विशेषकर व्यस्त समय में मद्रास में यातायात भीडभाड़ वाला होजाता है। यातायात भीड़भाड़ से बचने के लिए तीव्र परिवहन प्रणालीं की योजना बनायी गयी थी। हर वर्ष इसके लिए एक करोड़ अथवा दो करोड़ रुपये आबंटित किये जा रहे हैं और निकट भविष्य में वे इसे पूरा नहीं कर सकते। अब केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इस परियोजना की 50 प्रतिशत लागत वहन करने के लिए कह रही है। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता भूमिगत मिट्रो परियोजना को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की है। परन्तु अब केन्द्रीय सरकार हमें 50 प्रतिशत लागत वहन करने के लिए कह रही है। यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर हम मद्रास में आर. टी. एस. परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत खर्च वहन करते हैं तो क्या आप हमें रेलवे चलाने और उससे होने वाली आमदनी में भागीदार बनने का अधिकार दे सकते हैं? कृपया माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हु कि परियोजना को जल्दी से कार्यान्वित किया जाये।

हमने सलेम में एक इस्पात संयंत्र की मांग की थी। परन्तु आपने सिर्फ एक इस्पात रोलिंग संयंत्र ही प्रदान किया सलेम में 54 लाख रुपये की लागत मे इस्पात संयंत्र का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। आशा है कि सरकार कम से कम इस विस्तार को शीघ्रता से करवायेगी। (व्यवधान)

महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। दिल्ली में जो कोयला 1000 रुपये प्रतिटन के हिसाब से बेचा जा रहा है वह दक्षिण भारत में 1200 रुपये प्रतिटन बेचा जा रहा है। जो लोहा दिल्ली में 4000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा जा रहा है वह वहां पर 5000 रुपये प्रतिटन बेचा जा रहा है। पूरे भारत में एक समान मूल्य नीति होनी चाहिए। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ने आस्ट्रेलिया से कोयला आयात करने की मांग की है। इस मांग को इस आधार पर रदद कर दिया गया कि आयात से सरकार के विदेशी मुद्रा भण्डार में कमी आ जायेगी।

सिगरेनी और अन्य उत्तरी भागों से प्राप्त किये गये कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है इसके अतिरिक्त यह आस्ट्रेलियाई कोयले से अधिक महगा है। वहां पर पत्थर भी है। इसलिए' आस्ट्रेलिया से कोयला आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अगर कोयले के आयात से विदेशी मुद्रा भण्डार पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो आपने 'सेल' को आस्ट्रेलिया से 25 लाख कोयला आयात करने की अनुमति क्यों दी ? क्या यह अनुमति इसलिए दी कि क्योंकि 'सेल' केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है? तमिलनाडु विद्युत बोर्ड एक राज्य सरकार का उपक्रम है इसलिए आपने कोयले के आयात के लिए अनुमति नहीं दी।

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड वहां के लोगों को मुफ्त और सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करके बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। डा० एम. जी. आर. ने 5 लाख गावों को मुफ्त बिजली प्रदान की है। छोटे किसानों को भी मुफ्त बिजली दी गयी है। बड़े किसानों के मामले में नाममात्र वार्षिक प्रभार लिया जाता है। दूसरे राज्यों द्वारा किये गये बिजली प्रभारों की तुलना में तमिलनाडु में सबसे कम प्रभार हैं। इससे राज्य सरकार के राजकोष को 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राजस्व केइस नुकसान को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उदारता से आगे आना चाहिए।

अब ओक्कानेखल जल विद्युत परियोजना को लिया जाये। यह 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकती है। सरकार को इस परियोजना की अनुमति देनी चाहिए अथवा इसको अपने अधिकार में लेना चाहिए।

विश्व बैंक की 150 मिलियन की सहायता से कावेरी डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई नहरों की मरम्मत के लिए भी हमने प्रस्ताव भेजा है। यहां तक की केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए प्रतीक्षा की जा रही है।

मद्रास शहर के फायदे के लिए समुद्री जल को पीने के जल में बदलने के लिए 100 करोड़ रूपये की परियोजना के लिए भी धन का आबंटन किया जाना चाहिए (व्यवधान)

अंतिम बात यह है कि राज्य सरकार ने सूखा राहत सहायता के रूप में 359 करोड़ रूपये की मांग की है। जब कि केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ 34 करोड़ रूपये दिये हैं। केन्द्रीय सरकार को

[श्री ए. सी. षणमुख] जारी

यह जानना चाहिए कि यह राशि पूर्णतया अपर्याप्त है और राज्य सरकार द्वारा मांग की गयी संम्पूर्ण राशि को सहायता दी जानी चाहिए।

अन्त में महोदय, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट अंतिम निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार के पास है। अच्छे और सौहार्द पूर्ण केन्द्र राज्य संबंधों के लिए आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के निर्णय भी जल्दी से लिया जाये।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : मैं मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। देश की आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए अप्रत्याशित व्यय होने की प्रबल संभावना रहती है और इसलिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। देश में वर्तमान सूखे के अभूत पूर्व दूरगामी प्रभावों को देखते हुये अनुदानों की अनुपूरक मागो को गभीरत से किया जाना चाहिए। सूखा और बाढ़ राहत उपायों से संबंधित जो 415 करोड़ रूपये की धनराशि है उसका बहुत महत्व है राष्ट्रीय बीज निगम को धन प्रदान करने के लिए किसानों को उत्तम किस्म के बीज देने हैं जिसके लिए अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। मेरा मुददा यह है कि किसानों को उत्तम किस्म के बीज दिये जाने चाहिए क्योंकि पहले वे अपने खेतों से बीज प्राप्त करते थे और वर्तमान सन्दर्भ में उनके लिए बीज प्राप्त करना संभव नहीं है इसी प्रकार, उर्वरक विकास कार्यक्रम के लिए भी अनुपूरक अनुदान है। उर्वरक कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण आदान है और इसलिए देश की वर्तमान स्थिति में इसकी आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि उर्वरकों के इस्तेमाल में वृद्धि की जाये विशेषकर उन पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर उर्वरकों की ।खपत राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। हमारी आवश्यकता के खर्चे में वृद्धि हुई है और पूरा न होने वाला घाटा बढ़ता जा रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति की प्रवृति को रोका जाये और आवश्यक वस्तुओं और सब्जियों के मूल्यों पर भी नियंत्रण किया जाये क्योंकि इन वस्तुओं की कमी से मूल्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हम इस वर्ष सूखे का सामना कर रहे हैं। निस्संदेह, हर वर्ष हमें किसी न किसी विपदा का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष समूचे देश में सूखे की वर्तमान स्थिति हमारी योजना तथा कार्यवाही के लिए चेतावनी होनी चाहिए। आजकल क्या होता है? यहां पर वर्षा ही नहीं होती और यदि वर्षा होती है तो यह समय पर नहीं होती। इसलिए वातावरण और पारिस्थितिकी पर्यावरण में परिवर्तन है। इसलिए दीर्घ कालीन और अल्पकालीन योजना होनी चाहिएं। जहां तक लम्बी अवधि की योजना का संबंध है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार की जाये। उचित जल प्रबंध होना चाहिए। जहां तक अल्पकालीन योजना का संबंध है इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है; निरंतर बहने वाली नदियों के लिए बांटों का निर्माण किया जाना चाहिए और ढलता जल निकास मार्ग (वाटर रोड), लिफ्ट सिंचाई आदि होने चाहिए। परन्तु मैं सबसे महत्वपूर्ण यह समझता हूं कि हममें ऐसी स्थितियों से सीखना चाहिए और फसल उगाने के तरीके में कुछ परिवर्तन होना चाहिए।

रबी फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कई नीतियां बनायी गयी हैं परन्तु हम देखते हैं और समझते हैं वह यह है कि खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को पूरा किया जाना असंभव है और इसलिए इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

सातवीं योजना में कृषि की उपेक्षा की गयी है। छठी योजना में 25 से 30 लाख हेक्टेयर भूमि में सिचाई की तुलना में सातवीं योजना में इसे घटाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। सातवे दशक के प्रारंभ में सूखा तथा एक खेती का बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन योजना बनायी गयी थी। वर्षा पर आधारित खेती के लिए केन्द्र द्वारा चलायी गयी राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के लिए सिर्फ 234 करोड़ रूपये रखे गये हैं तथा प्रति वर्ष दो से तीन लाख हेक्टेयर भूमि को ही इसके अन्तर्गत लाना चाहते हैं। मृदा तथा जल संरक्षण उपायों के लिए योजना परिव्यय 200 करोड़ रूपये से भी कम है 1987-88 में योजना परिव्यय में कटौती कर दी गयी है। कमांड क्षेत्र विकास की प्रगति बहुत धीमी है। इसके साथ ही हमारे यहां सूखे की स्थिति भी है। इससे देश में कई तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जैसे कि खाद्यान्न की सप्लाई में कमी, वास्तविक आय में अचानक प्रतिकूल बदलाव, खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा बेरोजगारी का बढ़ना।

यदि बाधायें इतनी ज्यादा होंगी। तो अगले वर्ष भी इससे ऊपर—पाना मुश्किल होगा। वर्षा तो अगले साल भी हो सकती है परन्तु कृषि कार्यों में उपयोग किये जाने वाले साधन उस समय तक नहीं बचेंगें। अर्थ व्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी लिए हमें किसानों के लिए कुछ कार्य क्रमों के बारे में गंभीरता से सोचना है। कृषि संबंधी श्रमिकों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी होना चाहिए।

समाज का एक और वर्ग जो बुरी तरह प्रभावित है वह है महिला वर्ग। कृषि कार्यों में प्रारंभ से ही महिलाये कार्य करती हैं, फसल उगाये जाने से लेकर खाद्यान्नों के संरक्षण करने की प्रक्रिया में वे कार्य करती हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार कृषि कार्यों का 80 प्रतिशत कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। सूखे की स्थिति में जब महिलाओं के पास कोई कार्य नहीं होता है तो उनके लिए कुछ विशेष उपाय किये जाने चाहिए।

देश में विशेष रूप से पिछड़े राज्यों में भयंकर सूखे की स्थिति है। उन राज्यों को सूखा राहत अग्रिम योजना की बजाय शत प्रतिशत अनुदान दिया जाना चाहिए।

मेरे राज्य उड़ीसा में प्रत्येक वर्ष या तो सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है या फिर तूफान आता है। 1980 तथा 1982 एवं 1985 में मेरे राज्य में भयंकर बाढ़ आयी। 1982 में इतनी भयंकर बाढ़ आयी थी जो कि पिछले 200 वर्षों में देखने में नहीं आयी। इसके बाद के वर्षों में भी हमारे यहां सूखा पड़ा और समुद्री तूफान आये। वर्तमान में पूरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है। यहां विरोधी पक्ष के सदस्य का उद्धरण दूंगी। विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने कहा है कि सूखा राहत सहायता दूसरे कार्यों में लगायी जा रही है। दूसरे कार्यों में लगाये जाने का उनका अर्थ है कटक शहर के विकास कार्य के लिए लेकिन ऐसी बात नहीं है। 1982 में कटक शहर को सभी तरह के खतरों का सामना करना पड़ा एक जमाने में यह राजधानी नगर था और अपनी सभ्यता, वाणिज्यिक एवं शैक्षणिक विरासत के लिए प्रख्यात था। अब हमने बांध बनाने, उनका विस्तार करने तथा बांध बनाने का निर्माण कार्य आरंभ किया है जो कि किसानों के लिए फायदे मंद होगा। अभी-भी वे शहर के पिछड़ेपन की और नहीं देख रहे हैं। वे कटक शहर में हुये विकास को नहीं देख रहे हैं। उनका कहना है कि धन को किसी अन्य काम में लगा दिया गया है. लेकिन महोदय, ऐसा नहीं है। सिर्फ बात

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]—जारी

इतनी सी है कि एक विभाग का धन थोड़ा सा दूसरे विभाग में खर्च कर दिया गया है और वह भी विधान सभा में मतदान के बाद किया गया था।

सभा समिति द्वारा रखे गये प्रतिवेदन के बारे में विरोधी पक्ष ने भी आलोचना की हैं। हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सभा समिति कालाहांड़ी गयी थी। यह सच है कि तथ्य की जांच करने के लिए सभा समिति कालाहांड़ी गयी थी और यह बताया गया कि वहां पर भूखे से कोई मृत्यु नहीं हुयी। इसलिए में माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि विश्वसनीय जानकारी दें न कि वह जानकारी जो अखबार में प्रकाशित होती है। यह मेरी उनसे जोरदार अपील है।

महोदय संसाधनों को जुटाने के कारण पिछड़े राज्यों के बजट में कठिनाइयां आ सकती हैं मेरे राज्य में 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। संसाधनों को जुटान से अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप पंचवर्षीय योजना में राज्य की विकास योजना पर प्रतिकूल असर पड़ेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः भारत सरकार को उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए।

महोदय, मैं वनरोपण पर भी बहुत अधिक जोर दे रही हूं क्यों कि इससे न सिर्फ पारिस्थिति पर्यावरण ही संरक्षित रहता है बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। विशेष रूप में राज्य की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये। वनरोपण के कार्य में अधिक महिलाओं को लगाया जाना चाहिए।

महोदय, पिछड़े राज्यों के आन्तरिक ढांचे के विकास के कार्य में कमी नहीं आनी चाहिए। विद्युत के क्षेत्र में ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि कृषि एवं उद्योगों के लिए यह मूल आवश्यकता है। अतः उड़ीसा की आई० बी० घाटी परियोजना तथा तलचर सुपर तापीय योजना को यथासभव जल्दी से जल्दी समुचित धन दिया जाना चाहिए। इन परियोजनाओं को चालू रखने के लिए कोयला खान का विकास कार्य भी तुरंत ही शुरू किया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में कम से कम एक मंडल तथा उसमें एक मंडलीय अधिकारी की सख्त जरूरत हैं।

उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों का अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए बन्दरगाह का विकास जरूरी हैं। हमें अपने जल-भूतल परिवहन मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पाराद्वीप बंदरगाह परियोजना के विस्तार की स्वीकृति दी है और छुंडई कारपोरेशन आफ साउथ कोरिया को डी. पी. आर. बनाने के लिए कहा है। इस परियोजना जिसमें पत्तन का विस्तार, खनन का सुधार और विकास तथा पत्तन की ओर जाने वाली रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना शामिल है, में तेजी लाई जानी चाहिए।

हमें पिछड़े राज्यों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिनमें कुल जनसंख्या के 40 प्रतिशत लोग भी हैं; का विकास करना है। हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना है। हमें सूखा राहत संबंधी उपाय की जरूरत हैं। जब हम इन सभी बातों पर विचार करते है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखने की है कि आर्थिक विकास के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाएं। तदानुसार, पिछड़े राज्यों को और धन देकर हर क्षेत्र में उनकी सहायता की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बीरेन्द्र सिंह (हिसार) : सभापति महोदय, मैं दूसरी अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 1780 करोड़ रुपए की मांगे प्रस्तुत की गई है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा 815 करोड़ रुपए सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए रखा गया है और तीन सौ करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए रखा गया है।

सभापति महोदय, इस बारे में जो सूखा पड़ा है, उससे देश के कुल 35 मैट्रोलोजिकल जोन्स में से 25 जोन्स में पूरी तरह से सूखा है और दस जोन्स में पूरी तरह से बाढ़ आई है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अब की बार मानसून के फेल होने से देश के अधिकांश भागों में खरीफ की फसल को काफी नुकसान हुआ है। जहां हमारा टार्गेट 90 मिलियन टन का था, उसमें अब की बार 20-25 परसेंट कम खाद्यान्न होने का अनुमान है जैसा अब की बार मानसून का रवैया देश के विभिन्न भागों में रहा है, उससे ऐसा आभास होता है, देश का वह हिस्सा जिसको देश का खाद्यान्न का घर कहा जाता है — ग्रेनरी—आफ-इन्डिया-उसमें अब की बार बारिश नहीं हुई है। भूगर्भ वैज्ञानिकों और दूसरे वैज्ञानिकों ने अब की बार की मानसून के फेल होने का कारण एलनिनों फिनोमिना की संज्ञा दी है। वैसे वैज्ञानिकों का यह मत है कि 30-40 साल में समुद्र का खासकर जो प्संसिफिक ओशन हैं, जहां से प्रैशर बनता है, उसमें चेंजेज आते हैं। टैम्प्रेचर में और एटमोस्फियर में चेंजेज आते हैं। इसी की वजह से जो बादल हैं, खास तौर से जहां भारत का हिस्सा है, वहां से बादल पीछे हटकर समुद्र में बरसने शुरू हो जाते है, जिससे इवैपोरेशन ज्यादा होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी ख्याल जाहिर किया है कि जो हिमालयन रेंजेज हैं, वहां पिछले जनवरी से मई तक पिछले सालों में स्नोफॉल ज्यादा हुआ है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हो सकता है सफैसिपिक ओशन के ऊपरी सतह के तापमान मे परिवर्तन हुआ हो और इसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं। खास तौर से जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के एक्सपैरिमेंट किए जा रहे हैं - यह भी एक कारण हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जब इस बात की संभावना हम कर सकते हैं कि मानसून आगे आने वाले सालो में फेक हो जाए तो हम कौन से ऐसे साधन जुटा सकते हैं, कौन सी ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे हम किसानों को पूरी तरह से, उनकी व्यवस्थित तरीके से पानी मुहैया करा सकें, चाहे अण्डर - ग्राउण्ड वाटर हो, चाहे नहर हो और चाहे नदी हो। मुझे एक आशा नजर आती है और वह यह है कि हिमालय रेंजेज में जो स्नो - फौल हो रहा है, यदि उसकी व्यवस्थित कर सकें तो देश के जो ग्रेनरी वाले राज्य हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब और वैस्टर्न यू० पी०, जिससे देश के खाद्यान्न भंडार का 80 प्रतिशत भंडारण इन जगहों से होता है, उनके लिए यह पानी की व्यवस्था हो सकेगी। लेकिन सबसे पहले हमें किसानों के लिए यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि किसानों को यह पता होना चाहिए कि अगले दो सालों तक मानसून कैसे बिहेव करेगा। जलवायू का क्या स्तर रहेगा, कितनी बारिश होगी, होगी या नहीं होगी या ज्यादा होगी, इन चीजों का समय पर ज्ञान होना चाहिए। इस बारे में हमारे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक श्री स्वामी नाथन ने एक तजवीज दी थी कि सबसे पहले हमें यह उपाय करना चाहिए कि देश के अन्दर एक नेशनल - सैन्टर-फार-मानसून- मैनेजमेंट-पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे हम वैदर का एनालिसेज समय - समय पर करते रहें, किसानों को आने वालीं बाढ़ और सूखे की स्थिति से अवगत कराते रहें। उसके लिए जरूरी है कि मैट्रोलोजी और ओशनोग्राफी के जो वैज्ञानिक हैं, उनको एक साथ बैठ कर यह अध्ययन शुरू करना चाहिए। यदि इस किस्म के सैन्टर

[श्री बीरेन्द्र सिंह]—जारी

बनेंगे तो हम व्यवस्थित रूप से आगे आने वाली मानूसन के बारे में जो संभावनायें उनको बता सकेंगे।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जितनी भी रीवर्ज हमारे स्नो-फेड हैं, जिन में हम बर्फ का पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन रीवर्स को, उनके सारे चेनल्स को, उन की सारी केनल्सि को और उन के सारे माइनर्स को यह प्रायरटी मिलनी चाहिए कि वे पक्के किये जाएं ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहूंच सके।

3.00 म० प०

एक बात मैं वह कहना चाहता हूं कि फर्टीलाइजर्स के मिए आप ने 300 करोड़ रुपए की की सब्सीडी का प्रवधान किया है। मैं बड़ा हैरान हूं कि आज के दिन फर्टीलाइजर्स की इन्वेन्टरी इतनी है, जितनी देश में पहले कभी नहीं हुई और दूसरी तरफ हम उसके उत्पादन की बात भी करते हैं। जब सूखा होगा, तो फर्टीलाइजर्स का इस्तेमाल कम होगा। 2 हजार करोड़ रुपये की सब्सीडी आप फर्टीलाइजर्स पर देते हैं, उसमें 400 करोड़ रुपये ट्रान्सपोर्टेशन की मब्सीडी दी जा रही है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि इफको का कारखाना, जो कांडलर में हैं, वह भी यूरिया बनाता है और उस का भी वही फार्मुला है और जो आप का पानीपत का एन० एफ० एल० का कारखाना है, वह भी यूरिया बनाता है और उसका फार्मूला भी वही है लेकिन एक गाड़ी, एक रैक कांडला से चल कर पानीपत विकने को आ रहा है और दूसरा रेक पानीपत से चल कर झड़िया में विकने को जा रहा है। इस तरह से 400 करोड़ रुपये बरबाद हो जाते हैं। अगर आज हरियाणा के अन्दर 20 लाख बोरे इफको मार्क खाद की खपत है, तो क्यों नहीं 20 लाख बोरा वहां भेज दिये जाएं जाए और यहां उन को फिल -अप कर दिया जाए। कम से कम 400 करोड़ रूपये की सब्सीडी हम इस तरह बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फर्टीलाजर्स पर 2,000 करोड़ रूपये की सब्सीडी यह कह कर दे रहे हैं कि यह हम फार्मर्स के भले के लिए और उन को कम्पन्सेट करने के लिए दे रहे हैं। फर्टीलाजर्स की कोस्ट का फैसला कौन करता है। वह कारखानेदार करता है चाहे वह काआपरेटिव सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो और चाहे पाब्लिक सेक्टर हो। उसके लिए कारखाने का प्रतिनिधि और गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है। फैसला यह होता है कि 150 रुपये की कोस्ट आई। उसमें 50 रुपये गवर्नमेंट सब्सीडी देगी और 100 रूपये किसान को देने होंगे। यह जो कोस्ट निकालने का तरीका है, यह बिल्कुल अव्यवहारिक है। इसमें किसान का प्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है ताकि किसान के नाम पर जो 2.000 करोड़ रूपये की सब्सीडी हम फर्टीलाजर्स के विभिन्न कारखानों को देते हैं उससे हम बच सकें और उस पैसे को किसानों के लिए लगा सकें।

एक बात को क्रोप इन्शोरेंस कवर के बारे में कहना चाहता हूं। क्रोप इन्शोरेस की एक स्कीम हमने चलाई है। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कहा है कि क्रोप इन्शोरेंस उस चीज का इन्शोरेंस करती है जो लोग काआपरेटिव के माध्यम से लिये हों। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर क्रोप इन्शोरेंस की सही नीति सरकार देश में लागू करना चाहती है, तो सारे देश के सभी हिस्सों में और सभी फसलों पर क्रोप इन्शोरेंस लागू होना चाहिए और उसके लिए प्रीमियम

की जो बात कही गई है, उसकी कटौती, कन्ज्यूमर्स को जो 1600 करोड़ रुपये सब्सीडी के नाम पर देते हैं और 2,000 करोड़ रुपये फर्टीलाइजर्स के नाम पर जो सब्सीडी देते हैं, इन दोनों सब्सीडियों में से की जाए और सभी किसानों की फसलों को, वह किसी भी तरह की फसल हो, पूरी तरह से इन्शोर किया जाए । यह एक तरीका हो सकता है, जिससे किसानों को विपदाओं से बचाया जा सकता है चाहे वह अकाल हो और चाहे वह फ्लड हो ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । मेरे अपने राज्य में पिछले 17 सालों से चर्चा चली आती है कि हरियाणा में रावी और व्यास का पानी आएगा और उससे हरियाणा की 30 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी । पिछले कई सालों से सतलुज-यमुना लिंक नहर का निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज से 4 साल पहले हमने यह वायदा किया था कि यह नहर, जो 117 किलोमीटर लम्बी पंजाब के हिस्से में बननी है, बन कर पूरी हो जाएगी । हर साल हरियाणा के किसानों को 400 करोड़ रुपये का नुकसान नहर का पानी न आने की वजह से हो रहा है । मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आज पंजाब में ऐसी स्थिति है कि उसमें इस नहर का निर्माण कार्य तेजी से चल सकता है ।

अगर वह नहर बन कर तैयार होती है तो हरियाणा के किसान को और देश को फायदा होगा । आज हरियाणा देश को 30 लाख टन से ऊपर अनाज देता है । इससे देश को बड़ा भारी फायदा पहुंचेगा और वहां के किसान को भी पहुंचेगा ।

3.05 म. प.

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । मंत्री जी एक ऐसे इलाके से आते हैं जहां न बारिश का पानी है और नीचे का पानी खारा है । उसको फसल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता । खारी पानी को उपयोग करने की टैक्नोलोजी डवलप हुई है । हमारे जवान वहां कई टुकड़ियों में रहते है और वे समुद्र का पानी डीसैलाईन करके उसे पीने योग्य बना रहे हैं । हमारे वैज्ञानिक भी इस दिशा में काम कर सकते हैं और खारे पानी को डीसेलाईन कर के फसल बोने के लिए किसानों को दे सकते हैं । हमारे वैज्ञानिक दूसरे तरीके भी किसानों को दे सकते हैं जिससे किसानों को फसल बोने में मदद मिले और वहां के किसानों की आर्थिक अवस्था ऊंची हो, उसमें सुधार हो ।

हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि देश के वैज्ञानिकों ने कृषि की तरक्की के लिए बहुत से तरीके निकाले । पहले जहां एक एकड़ में गेहूं 20 मन होता था, आज वह 60 मन होता है । यह ठीक है । लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि जिन इलाकों में अकाल की स्थिति है उन इलाकों के लिए वैज्ञानिक कुछ ऐसे बीज निकालें जिनको बो कर किसान पैदावार कर सकें ।

हमारे यहां पिछले बार जब अकाली की स्थिति हुई थी तो उस समय किसान की खरीफ की फसल तबाह हो गयी थी । सितम्बर और अक्टूबर के महीने में सरसों और तोरिया के बीज जमीन में बोये नहीं जा सके चूंकि जमीन में तपस थी । जो बीज बोये गये वे वहीं के वहीं

श्री जैनुल बशर]—जारी

राब हो गये । आज देश के वैज्ञानिकों को ऐसे कार्य करने चाहिएं कि ऐसी परिस्थितियां जब में पैदा हो जाएं तो उस समय भी किसान फसल दे सकें । उन्हें ऐसे तरीके निकालने हिएं ।

अन्त में मैं यह जरूर कहूंगा कि कृषि की व्यवस्था, किसान की हालत को देखते हुए कृषि से सुधार करने चाहिए जिनसे किसानों की और गांवों में रहने वालों की अवस्था में सुधार रकें ।

शाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अनुपूरक अनुदानों की मांगें की है । सामान्यतः हमें अनुपूरक मांगों से सहमत होने पर कोई आपत्ति नहीं होती । लेकिन रता हूं कि हमें यह अवसर मिला है कि हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या यह और इसके वित्तीय प्रबंधक मांगे स्वीकृत किये जाने के पात्र हैं और इस तरह यह सरकार न्न विभागों के कार्य की वस्तुतः बहुत संक्षेप में जांच करने का अच्छा अवसर है ।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : और जांच संगत रूप से रकती है ।

रो. मधु दंडवते : निश्चय ही संगत रूप से । मैं मंत्री नहीं हूं । अतः मैं संगत बात कहूंगा) जब मैं मंत्री था, तब मैं और अधिक प्रासंगिक बात कहता था ।

होदय, वर्तमान अर्थव्यवस्था का प्रबंध बिलकुल ठीक नहीं है और इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त

एन. जी. रंगा (गुंटुर) : अरे वाह !

मधु दंडवते : आपने कहा 'सुनो' सुनो ।

एन. जी. रंगा : नहीं, मैं कह रहा हूं 'अरे वाह' मैंने 'सुनो सुनो' नहीं कहा ।

मधु दंडवते : यदि आप इस बात को नहीं मानते तो आप इसे बदल सकते हैं लेकिन कभी न/कलई खुल ही जाएगी ।

कि मैं कह रहा था, चूंकि अर्थ-व्यवस्था में कुप्रबंध है और भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोगों डाला गया है और मंत्री महोदय अनुदानों की और मांगे पेश कर देते हैं । मैं ऐसे केवल दिखाने के लिए बताऊंगा कि यह सरकार कितनी कुशलता से देश की अर्थव्यवस्था कर रही है ।

ममता बनर्जी (जादवपुर) : खड़ी हुईं ।

ia

दंडवते : मैं पश्चिम बंगाल का नहीं, केन्द्र सरकार का जिक्र कर रहा हूं ।

मैं इसका एक ठोस उदाहरण दूंगा कि पूरा तंत्र' कितना पक्षपात पूर्ण है। उदाहरण के लिए 'ऋण मेलों' को लीजिए। जहां तक कमजोर वर्गों को विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को ऋण देने की विभिन्न योजनाओं का संबंध है, यदि ऋण देने की ऐसी त्वरित योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे महिलाओं और कमजोर वर्गों को लाभ मिले तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन इस सरकार के साथ मुश्किल यह है कि कुछ अच्छी योजना को भी बिगाड़ दिया जा सकता है। उन्हें इस प्रकार करने की पद्धति और तरीके आते हैं।

उदाहरण के लिए 'ऋण मेलों' का प्रश्न लीजिए। हाल ही में 4 और 10 नवम्बर को बंगलौर में विभिन्न बैंकों की बैठकें हुई। मैं इसका एक ऐसा प्रमाण देना चाहता हूं कि यहां का तंत्र कितना पक्षपातपूर्ण हैं। जब आप अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हैं तब आप कांग्रेस के सदस्य नहीं है, आप मात्र चेयरमैन हैं। अतः मैं आपकी तटस्थता का लाभ उठा रहा हूं। संभवत आपको यह सुनकर बहुत दुःख और आश्चर्य होगा कि जब आवेदक ऋण मेले से फायदा उठाना चाहते हैं तो किस तरह के प्रपत्र परिचालित किए जाते हैं। लेकिन वह पढ़कर बताने से पहले मैं आपने मंत्रियों द्वारा काम करने के ढंग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं युवा मंत्री 'श्री पुजारी जी' का सम्मान करता हूं। वह हमारे अच्छे मित्र हैं ; लेकिन कई बार सत्ता/अधिकार मिलने के बाद व्यक्ति के काम का तरीका कुछ घिसा पिटा हो जाता है। हर मंत्री को यह याद रखना चाहिए कि उसके मंत्रालय के साथ जो कर्मचारी संबद्ध है वे मंत्री की सहायता के लिए हैं। और कभी कभार उन्हें सलाह देने के लिए हैं। लेकिन अब मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता है, बंधुआ मजदूर कानूनों को केवल मजूरी करने वालों पर ही नहीं अपितु सरकार के विभिन्न विभागों पर भी लागू करना चाहिए। मुझे यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि हमारे मंत्री कर्मचारियों तथा अधिकारियों के साथ कैसा रूखा व्यवहार करते हैं और उनसे कैसे काम लेते हैं ; यह बहुत ही खराब तरीका है, बहुत से कर्मचारी ऐसा महसूस करते हैं कि वे कुछ कह ही नहीं सकते।

हम, संसद सदस्यों, को बोलने का अधिकार है लेकिन अधिकारी और कर्मचारी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं उनकी भावना व्यक्त कर रहा हूं, उनमें से कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि वे बंधुआ मजदूरों की भांति काम कर रहे हैं। उन्हें अनुदेश दिए जाते हैं और यदि उन अनुदेशों में कुछ पक्षपात भी होता है तब भी उन्हें उनको क्रियान्वित करना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिन्ता है। जब ये ऋण मेले लगाए जाते हैं और लोगों को आवेदन पत्र दिए जाते हैं तो प्रपत्र का खाका क्या होता है ? मेरे पास एक प्रपत्र है। यह उन लोगों को दिया गया था जिन्हें सत्तारूढ़ दल ऋण देना चाहता था। वास्तव में इस संबंध में बहुत से प्रश्न हैं ; क्या आपको ऋण आसानी से मिल पाया था ; क्या उन्हें कुछ कठिनाई हुई थी ; क्या उन्हें किसी बिचौलिये के माध्यम से ऋण मिला था और यदि उन्हे बिचौलिये के माध्यम से ऋण मिला तो उसे हटाया जा सकता है। मैं 'बोफोर्स' का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं केवल बैंक से मिलने वाले ऋणों का जिक्र कर रहा हूं अतः मध्यस्थ व्यक्ति को हटाया जा सकता है। यह एक अच्छी बात है। मुझे राशन कार्ड पर ऋण देने की योजना का पता है जिसके लिए कुछ प्रपत्र तैयार किए गए थे ; और अनाधिकारिक रूप से एक प्रपत्र परिचालित किया गया था जिसमें निम्न प्रश्न कहे गए थे।

श्री बी. के. गढ़वी : मैं व्यवस्था के प्रश्न के बारे में नहीं कह रहा अपितु माननीय सदस्य को जानकारी दे रहा हूं। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। वह लोक सभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियमों के नियम 216 का जिक्र कर सकते हैं। पृष्ठ 100 पर ऐसा कहा गया है :-

> "अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिनसे वे बने हों और जहां तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उन से संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

अत:, ऐसी कोई मद नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि संगत बात कहिए, कृपया संबंध बात कहिए। **(व्यवधान)**

प्रो. मधु दंडवते : मैंने इन सभी नियमों को पढ़ा है। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : क्या आप निर्धनों की वकालत कर रहे हैं —**(व्यवधान)**

प्रो. मधु दंडवते : कुमारी ममता बनर्जी की अनुमति से, मैं अपनी बात आगे कहूंगा।

मैं व्यवस्था के प्रश्न से पूरी तरह सहमत हूं लेकिन वह भी पहली लोक सभा से वर्तमान लोक सभा की सभी चर्चाओं को भी पढ़ सकते हैं।

सभापति महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न यह नहीं है।

प्रो. मधु दंडवते : उनका सूचना का प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है, ठीक है। बहुत अच्छे पहले उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न कहा बाद में उसे बदल कर सूचना का प्रश्न कर दिया। बड़ी अच्छी बात है। मुझे यह बात भी बहुत माफिक आई है। जो फार्म परिचालित किया गया है—यह टाईप किया हुआ साइक्लोस्टाइल फार्म है—और अगर आप चाहें तो मैं आपको एक के बजाय सौ फार्म दे सकता हूं।

आवेदकों को कमजोर वर्गों की महिलाओं परिचालित किये गये फार्म के प्रश्न संख्या 15 में यह पूछा गया है : अगली बार आप किसे वोट देंगें"। **(व्यवधान)** प्रश्न संख्या 16 इस प्रकार है "तथा आपने जर्नादन पुजारी का नाम सुना है ?" **(व्यवधान)** प्रश्न संख्या 17 इस प्रकार है ········ **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपको जरा धैर्य रखना चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री टी. बशीर (चिरायिंकिल) : हम जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार का फार्म है। **(व्यवधान)**

प्रो. मधु दंडवते : आप मुझसे सवाल पूछिए। **(व्यवधान)**

श्री टी. बशीर : क्या यह फार्म बैंक द्वारा दिया गया है ?

प्रो. मधु दंडवते : यह बैंक द्वारा दिया कैसे हो सकता है ? **(व्यवधान)**

दुर्भाग्य से मुसीबत यह है कि वे सुन नहीं रहे हैं। वे अज्ञानता के अपने मौलिक अधिकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक गैर-सरकारी फार्म है जिसे उन लोगों के बीच परिचालित किया गया है जो सत्तारूढ़ दल से सहानुभूति रखते हैं। अगर आप चाहें तो मैं बंगलौर से सौ फार्म लेकर आपके समक्ष पेश कर सकता हूं (व्यवधान) मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं।

सभापति महोदय : प्रोफेसर साहब यह फार्म अप्रमाणिक है, आपको उद्धृत नहीं करना चाहिए। कोई भी इसे वितरित कर सकता है। अगर वे अप्रमाणिक हैं तो उन्हें उद्धृत मत करिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए।

प्रोफेसर साहब, जब यह अप्रमाणिक है तो आपको इसे उद्धृत नहीं करना चाहिए।

प्रो. मधु दंडवते : मैं पूरी तरह से तैयार हूं चर्चा के दौरान 'क' या 'ख' चाहे कोई भी हो मुझे पूरा अधिकार है। इसी सदन में आयात लाइसेंस कांड के दौरान बहुत से गैर प्रमाणिक कागजातों को पढ़ा गया।

सभापति महोदय : यह फार्म प्रमाणिक नहीं है। यह अप्रमाणिक फार्म है। आपको उद्धृत नहीं करना चाहिए।

प्रो. मधु दंडवते : मैं किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा रहा।

सभापति महोदय : कृपया ऐसा मत करिए।

प्रो. मधु दंडवते : मैं अपने अधिकारों की सीमा में हूं। मैं आपको पिछले उदाहरण दूंगा। इसी सदन में, आयात लाइसेंस स्कैंडल के दौरान बहुत से गैर कानूनी कागजातों को पढ़ा गया और अंत में श्री ढ़िल्लों ने इस सदन में अपना विनिर्णय दिया।

सभापति महोदय : आप इस तरह उद्धृत नहीं कर सकते। यह प्रमाणिक फार्म नहीं है। इसे कोई भी परिचालित कर सकता है।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : वह उद्धृत नहीं कर सकते। (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : मैं इस तरह से चुप नहीं हो सकता। यह बात समझ ली जाए। (व्यवधान)

बहुत सी सामग्री अभी आनी बाकी है। यह तो शुरूआत है। बहुत सी सामग्री अभी आनी बाकी है।

श्री ए. चार्ल्स : हम इस तरह की बातों की अनुमति नहीं देंगे।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते . आप मुझे अनुमति देने वाले कौन होते हैं मधु दंडवते को इस तरह से चुप नहीं कराया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों आप बैठ जाइए ।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए, जो रेलीवेन्ट हैं, उसको हम देखेगें ।

[अनुवाद]

यह देखना मेरा काम है । यह करना आपका काम नहीं है । कृपया बैठ जाइए ।

श्री ए. चार्लर्स : कृपया उन्हें अनुमति मत दीजिए ।

उन्हें इसे वापस ले लेना चाहिए । (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, क्या मैंने कोई अपमान जनक बात कही है । क्या 'पुजारी जी' असंसदीय है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : जी नहीं ।

प्रो. मधु दंडवते : मैं तो प्रधान मंत्री जी तक का नाम ले सकता हूं ······(व्यवधान)······

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : मैं नियम 216 उद्धृत कर रहा हूं । इसमें उल्लिखित है ।

"अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उन मदों तक ही सीमित रहेगा जिनसे वे बने हों और जहां तक चर्चा धीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी ।" (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : वह पिछला भाग तो भूल गए ।

श्री मनोज पांडे : जहां तक लोक सभा में चल रही इस चर्चा का संबंध है यह मुद्दा पूरी तरह संगत है । चर्चा का संबंध बजट के सामान्य अनुदान से है । यह पूरी तरह संगत है । इसलिए महोदय, मैं नियम 216 पर आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

प्रो. मधु दंडवते : इसके पहले की आप अपना विनिर्णय दें क्या मैं व्यवस्था के प्रश्न पर एक निवेदन कर सकता हूं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपसे निवेदन किया था । पहले मेरी बात सुनिए । उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं बताना चाहता हूं कि मुरली देवरा जी ने क्या कहा है ··(व्यवधान) सदन की यह परम्परा है कि मांगों पर मंजूरी देते समय हमें उन्हें यह बताने का अधिकार है कि अर्थ-व्यवस्था को ठीक से नहीं चला रहे । (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न सुना है। कृपया बैठ जाइए।

श्री टी० बशीर : महोदय, यह झूठा कागजात है। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कोई विनिर्णय नहीं दिया गया। कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दन्डवते : यहीं वे लोग हैं जिन्होंने इस सदन में सी आई०ए० एजेंट के बारे में ाचार-पत्रों की कतरनों को पढ़ा है। उनके 50 सी०आइ०ए० एजेंटों को समाचार पत्रों की कतरने के पतों पर भेजी जाती थी। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपके पास थोड़ी सा वक्त है। कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : वह आपके व्यवस्था के प्रश्न को पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। कृपया ाइए।

श्री ए० चार्ल्स : यह एक झूटा कागजात है। हम अनुमति नहीं देते। (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दन्डवते : उन्हें चिल्लाने की अपनी शक्ति एक ही मद पर खर्च नहीं करनी चाहिए··· ान)

अब अगली मद: "अगर आपको मौका मिला तो क्या आप उन्हें वोट देंगे। अगर आपको इस पृष्ठभूमि मालूम हुई है तो इन सब बातों के बारे में आपका क्या मत है? (**व्यवधान**)

श्री टी० बशीर : यह बहुत आपत्ति जनक है। जो दस्तावेज वह पढ रहे हैं झूठा है।

सभापति महोदय : आपकी बारी भी आएगी। आप चिंता क्यों करते हैं?

० **मधु दंडवते** : अब वे सरकारी दस्तावेज चाहते हैं। ठीक है, मैं सरकारी दस्तावेजों पर कृपया बैठ जाइए।

ापति महोदय : जो इन्होंने कहा है उनका एक्जामिन किया जायेगा। जो रिकार्ड में जाने है वह नहीं जायेगा।

० **मधु दंडवते** : महोदय, बेहतर होगा आप उनकी जांच अगले हफ्ते करें। वे सरकारी ाहते हैं। यह रहा एक सरकारी दस्तावेज। यह दस्तावेज है क्या? यह बंगलौर में कम- र सम्बन्ध रखने वाली महिलाओं को अधिक से अधिक ऋण देने के कार्यक्रम से सम्बन्धित 987 को आयोजित बैंकरों की बैठक का कार्यवाही सारांश है। (**व्यवधान**) यह बैंकरों कार्यवाही सारांश है। मैं जिम्मेवारी लेता हूं।

ेरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह कार्यवाही सारांश जरूर श्री हेगड़े ने भेजे होंगे।

प्रो. मधु दंडवते : वह यह बात भूलने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्हें कर्नाटक में सत्ता से हटा दिया गया है। हर बार वह मुझे इस बात की याद दिलाते हैं। वे मुझे इस तरह याद क्यों दिलाते हैं ?

"अब मैं सरकारी दस्तावेज पर आता हूं। (व्यवधान) मैं इसे आपको दूंगा। उस बैठक में, सिंडिकेट बैंक के उप-महाप्रबन्धक श्री पलदियार ने बैठक को सूचित किया कि मंत्री जी की सलाह पर इस कार्य के लिए मंत्री जी द्वारा नामित समाज सेवकों को आयोजक बैंक द्वारा 85,000 आवेदन पत्र दिए गए।" उन्होंने मंत्री जी, श्री पुजारी द्वारा नामित समाज सेवकों को 85,000 आवेदनपत्र दिए। इस प्रकार वह अर्थव्यवस्था को चलाए जा रहे है। इस तरह से राष्ट्रीय संस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके से बैंकिंग मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। जब तक वह बैंकिंग संस्था का इस तरह उपयोग कर रहे हैं और वे स्टाफ के सदस्यों के साथ बड़े आक्रामक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे फार्म आपने छपाए थे ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अगर मैंने उन्हें छापा होता और इसके लिए आपके पास प्रमाण होता तो मुझ पर जालसाजी का आरोप लगाया जाता, और मेरे पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता। कई बार हमें राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। कहा जाता है कि हम अस्थिरता वादी हैं हम देश भक्त नहीं हैं। इसके लिए हमें राजद्रोह का अपराधी माना जाता है। हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। अगर वह चाहते हैं तो मुझ पर जालसाजी का आरोप लगा लें।

सभापति महोदय : आपका समय सीमित है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या किया जाए ? क्या आप नहीं सोचते कि वे मेरा अधिक समय ले रहे हैं ? (व्यवधान) हम विपक्ष में आपकी आरती उतारने के लिए नहीं हैं वल्कि यह बताने के लिए हैं कि आपकी असफलताएं क्या हैं। हम यहां चापलूस की हैसियत से नहीं हैं। हम यहां 'हिज मैजिस्ट्री' के विपक्ष के रूप में सत्तारूढ़ दल के चापलूसों की हैसियत से भी नहीं हैं। यह हमारा काम नहीं है। मैं विपक्ष के एक सतर्क सदस्य की हैसियत से अपना काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। (व्यवधान)

आप सौ बार चिल्लाइए पर मैं चुप नहीं होऊंगा। जब आपात काल के दौरान हमें चुप नहीं कराया जा सका तो सामान्य स्थिति में भी चुप नहीं कराया जा सकता। आप अपनी तसल्ली के लिए चिल्लाइए पर मेरी आवाज को दबा नही पाएंगे। निश्चित रहिए। अगर आप चाहते हैं और अगर उनका चिल्लाना जारी रहता है तो मैं 12 बजे तक बोल सकता हूं। मेरी आवाज को चुप नहीं कराया जा सकता।

हम दूसरे भाग की चर्चा करते हैं। शिक्षित बेरोजगारों को ऋण के रुप में 25,000 हजार रुपए देने की एक बहुत बढिया योजना है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर उपयुक्त ढंग से इसे लागू किया जाए तो यह एक बहुत अच्छा उपाय बन सकता है। आप इस समय सभापति की हैसियत से पीठासीन हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार इसकी जांच के लिए एक समिति, चाहे वह संसद सदस्यों की समिति क्यों न हो, नियुक्त करें।

यदि यह शत प्रतिशत सत्ताधारी दल के सदस्यों की समिती भी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि हम इसके बारे में उनके समक्ष साक्ष्य रखेंगे । ऐसे मामले भी हैं जिनमें आप पाएंगे कि 25,000 रुपए में से केवल 10,000 या 15,000 रुपये ही बेरोजगार की जेब में पहुंचते है। शेष बिचौलियों द्वारा हड़प लिए जाते हैं। केवल संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त कीजिए । भले ही यह सत्ताधारी दल के सदस्यों की समिति हो । हम उनके समक्ष ऐसे लोगों को प्रस्तुत करेंगे जो यह बात स्वीकार करने को तैयार हैं कि उनकी जेब में 25,000 रुपए में से केवल 10,000 या 15,000 रुपए ही गए । **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : वह कर्नाटक में सत्ता धारी दल की बात कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें यह नही मालूम की बेरोजगारों को ऋण राज्य द्वारा नही बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है , यह बैंको द्वारा दिया जाता है । वह यह बात भूल चुके हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है । महोदय, वह अभी पुराने दिनों के रिपवैन बिकल" के समान हैं । वह अभी पुराने युग में घुम रहें हैं

मैं अब अन्य बात पर आऊंगा । जैसा कि मैंने कहा न केवल अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित है, बल्कि मैं कुछ और उदाहरण भी दूंगा । अब मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा । कृपया कुछ समय के लिए शांत रहिए । महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध हैं, हाल ही में जब देश के विभिन्न भागों में भीषण सूखा पड़ा, तो विभिन्न मुख्य मंत्रियों, मेरे अपने राज्य के मुख्य मंत्री, सत्ताधारी दल के सदस्यों सहित हम सभी सदस्यों ने शुरू में लगभग 480 करोड़ रुपए की मांग की । आरम्भ में हमें केवल 30 करोड़ रुपए दिए गए । । मैं केन्द्रीय सरकार को दोष नहीं देता क्योंकि दुर्भाग्य से उनकी व्यवस्था ठीक नहीं थी और उन्होने धन को इस प्रकार से उड़ाया है कि बिचौलियों ने बीच में ही काफी धन हड़प लिया । बेचारे प्रधान मंत्री जी क्या कर सकते हैं । केन्द्रीय खजाने में से काफी चोरी होती है ।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट दी है कि केवल एक स्विस बैंक में ही विदेशी मुद्रा और विनियम अधिनियमन का उल्लंघन करने वालों ने काफी राशि जमा करा रखी है। उन्होंने धन का घपला किया है और वह इसे देश के बाहर ले गए हैं और तथ्य यह है कि स्विस बैंक उनके नाम प्रकट नहीं करता । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुल 1332 करोड़ रुपए की राशि बताई है और एक भूतपूर्व वित्त मंत्री ने भी 1332 करोड़ रुपए की राशि की पुष्टि की है । अब यह राशि अकेले स्विस बैंक में पड़ी है । भागवान ही जानता है कि पेरिस मे कितनी राशि है, लंदन में कितनी राशि है. वाशिंगटन में कितनी है और फ्रैंकफर्ट में कितनी है । एक ही बैंक में, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जिक्र किया है, उन्होंने 1332 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। महोदय, अब मैं इस सदन के पटल पर रखे गए सरकारी दस्तावेज का जिक्र करूंगा ।

महोदय, भारतीय सरकारी वित्त और नीति संस्थान ने देश में काले धन के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है और वह रिपोर्ट वित्त मंत्री द्वारा इस सभा के पटल पर रखी गयी थी और इस रिपोर्ट में देश में काले धन की प्रतिवर्ष होने वाली हेराफेरी के आंकड़े दर्शाए गए हैं,

[प्रो० मधु दण्डवते]—जारी

इसमें तस्करी शामिल नहीं है। यह 38,000 करोड़ रुपए है। अब यदि इस देश में तस्करी के अलावा 38,000 करोड़ रुपए काले धन के रूप में जमा होते हैं, जो अकेले एक स्विस बैंक में जमा हैं, जो यह अर्थव्यवस्था के कुप्रबंध के कारण ही है, और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट मे इस बात का उल्लेख है।

महोदय, सरकार ने प्रथम दृष्टि में मामला स्वीकार किया है और इसलिए मैं इसका जिक्र कर सकता हूं। आज सुबह ही अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस पर जांच चल रही है। महोदय, हमें दस्तावेज मिल गया है और यह प्रभावित हो चुका है। मैं आपको बताता हूं कि स्विडजरलैण्ड में राजस्व और सम्पत्ति के रजिस्ट्रार ने कागजात दे दिए हैं। यह बात उस देश में, उसके बाहर हर जगह प्रकाशित हुई है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि अजिताभ बच्चन ने एक 5 कमरे का फ्लैट खरीदा है, आरम्भ में जिसका मूल्यांकन 48 लाख रुपये किया गया था और अब यह 65 लाख और 80 लाख रुपये के बीच है। जाहिर है कि धन भारत से बाहर भेजा गया और यह विदेशी मुद्रा में था इसलिए विदेशी मुद्रा विनयमन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। और यह खरीद 3 अप्रैल, 1986 को की गई। उस समय विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम अस्तित्व में था। उस समय यह महोदय, मैं अडवानी कहूंगा, भारतीय नागरिक थे। इनके द्वारा 5 कमरे का फ्लैट खरीदा गया जिसका मूल्य 65 लाख रुपए और 80 लाख रुपए के बीच था। उन्हें यह धन कहां से प्राप्त हुआ। किसी ने इस रिपोर्ट का पहले भी खण्डन किया था। किन्तु, सदन से बाहर जाने पर हमने पाया कि यह सही नहीं। महोदय, ऐसा करके विदेशी मुद्रा को देश से बाहर भेज कर विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। सर्वप्रथम, चूंकि उन्होंने विदेशी मुद्रा प्राप्त करके अपार्टमेंट खरीदा है, विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन किया गया है। नं० 2 -- भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा को देश से बाहर भेज कर विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन किया गया है। यह दूसरा उल्लंघन है। तीसरे, विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम की धारा 25 का उल्लंघन किया गया है अर्थात उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भारत से बाहर स्थायी सम्पत्ति की खरीद की है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 8 धारा 9 और धारा 25 का उल्लंघन हुआ है। जब तक आप तथ्यों का पता नहीं लगा लेते और सदन को यह नहीं बताते कि हम दोषी को सजा देने जा रहे हैं जब भी किसी व्यक्ति को दोषी के रूप में जरूरत होती है उसे देश से बाहर जाने की अनुमति नही मिलनी चाहिए— प्रत्येक व्यक्ति चार्ल्स सोभ राज नहीं होना चाहिए — जब भी उसकी जरूरत होती है वह देश से बाहर होते हैं। और इसलिए, इस मामले की जांच होनी चाहिए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ।

महोदय, कुछ क्षण और लूंगा। महोदय, बीच में टोकने वालों का समय घटा दीजिए।

महोदय, अब मैं एक पुरानी समस्या के बारे में बात करूंगा। महोदय देश में मारुति कारखाने की स्थापना की गई थी। आज सुबह एक कांग्रेसी सज्जन ने लाइसेंस नीति को उदार बनाए जाने के लिए सरकार को बधाई दी। महोदय, मारुति कारखाना लाइसेंस नीति को उदार बनाए जाने की चरम सीमा थी। मैं आप को बताना चाहता हूं आप पुराने सांसद हैं, जब श्री फाखरुद्दीन

अली अहमद भारत सरकार में उद्योग मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी की अब सरकार की नीति छोटी कार के लिए लाइसेंस देने की नहीं होगी क्योंकि देश में आज सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता है, देश में छोटी कार बनाने के पहले से ही बहुत कारखाने है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन के कारखानों को लाइसेंस मिलेंगे। संजय गांधी ने जिस समय आवेदन किया, नीति 48 घंटे के भीतर बदल दी गई। मारुति कार को लाइसेंस मिल गया किन्तु उन्हें बताया गया कि यह मोटरकार का शतप्रतिशत स्वदेशी कारखाना होगा। आज, यदि आप मारुति, सुजुकी कार को देखें तो यह पता लगाने का प्रयत्न करें कि क्या इसके स्वदेशी स्वरूप को बनाए रखा गया है। यदि आप मुझसे पूछें कि आज की मारुति कार में स्वदेशी क्या है ? तो मैं कहूंगा कि टायर में भरी हवा भारतीय है अन्यथा वास्तव में हर चीज आयातित हैं। यह स्थिति है। चलो ठीक है विगत को भूल जाईए। संजय गांधी भी अब नहीं रहे। किन्तु मैं आप को बताता हूं जब मारुति घाटे पर चल रही थी तो इसका राष्ट्रीकरण किया गया। मैं कहता हूं कि घाटे का राष्ट्रीकरण ठीक है। और हाल ही में जब हमने जापानी कम्पनी सुजुकी के साथ सहयोग समझौता किया, अभी पिछले ही सप्ताह आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, जापानी कम्पनी बहुराष्ट्रीय सुजुकी कार कम्पनी ने मांग की है कि उनके इक्विटी शेयर को 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत किया जाना चाहिए। महोदय, हम आत्म निर्भरता की देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं और यदि हम उन्हें इक्विटी शेयर को 26 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत करने की अनुमति देते हैं तो इसका अर्थ होगा सरकारी क्षेत्र के उद्योग मारुति कारखाने का हिस्सा जापानी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अधिक से अधिक अन्तरण ! यह है नीति जिसका वे पालन कर रहे हैं।

एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा कि यह सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का समर्थन करती है या निजी क्षेत्र का। मैंने कहा सीधी सी बात है सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र का और निजी तौर पर निजी क्षेत्र का समर्थन करती है। और आज इक्विटी शेयर को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है।

महोदय, चूंकि गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी विचार किया जाना है, मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा कि गृह मंत्रालय कैसे काम करता है। बेशक, मैं मंत्री महोदय को दोष नहीं देता, कहीं न कहीं कोई गलती हुई है एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन मैं 97 लोगों की सूची का स्वागत करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। सरकार ने अपने आप ही उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने का निर्णय किया है क्योंकि वह सब महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक स्वतन्त्रता सैनानी के रूप में हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री --मेरे उनसे मतभेद हो सकते हैं किन्तु मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता कि वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे -- का नाम स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में शामिल किया गया, किन्तु आपको यह जानकर दुख होगा कि उन्हें गृह मंत्रालय से एक सन्देश भेजा गया कि : आपका नाम विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में शामिल किया गया है। कृपया आप अपना पासपोर्ट आकार का फोटो और उंगलियों के निशान भेजें। उन्होंने उनसे उंगलियों के निशान भेजने को कहा। मुजरिमों की उंगलियों के निशान लिए जाते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के नहीं। हम में से जो भी भारत या गोवा की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, हमें गर्व है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, और यदि सरकार या कोई अधिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को मुजरिम मानता

[प्रो० मधु दण्डवते] –जारी

है और उनसे उंगलियों के निशान मांगता है तो यह हम सब के लिए शर्म की बात है, आपके लिए भी जो इस आसन पर बैठे हैं। इसलिए, काम करने के तरीके को बदलना होगा।

जब तक काम करने के तरीके को नहीं बदला जाता अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित नहीं किया जाता, किफायत नहीं बरती जाती, वित्त मंत्रालय में अफसर शाही पर रोक नही लगाई जाती, तो आपके लिए संसाधनों का प्रबंध करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने अपना प्रतिरोध दर्ज किया है। यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम लोगों की भावनाओं और लोगों की तकलीफों को आवाज दे सकते हैं। महोदय, मैं आपका आभारी हू कि अपने पार्श्व संगीत के बावजूद मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनी।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, ये जो सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स फोर ग्रान्ट्स हैं, मैं इनको सपोर्ट करती हैं। यह हमारी परम्परा है कि लेजिसलेचर में और पार्लियामेंट में सप्लीमेंटरी डिमांड्स फोर ग्रान्ट्स गवर्नमेंट लाती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडीचर के लिए। हम इस को सपोर्ट करते हैं।

बहुत सारे मैम्बरों ने कहा है कि हमारे देश में प्राइस राइस बहुत हो रहा है। हमारे देश में बाढ़ और सूखे के कारण इंफ्लैशन भी बढ़ रहा है। यह भी सच है कि लास्ट इयर जो ओरीजनल डेफीसिट था, वह 3,703 करोड़ रुपये था लेकिन ओवरआल बजट डेफीसिट जो हुआ, वह 8,285 करोड़ रुपये का था। पहले सप्लीमेंटरी डिमांड्स 687 करोड़ रुपये की थी और अभी भी सप्लीमेंटरी डिमांड्स गवर्नमेंट ले आई है सप्लीमेंटरी खर्चे के लिए लेकिन बात यह है कि क्रिटीसाइज करना तो बहुत आसान है। देश में खुशहाल केंडिशन्स आ जाए, तो उसके लिए अपोजिशन पार्टीज को और रूलिंग पार्टी को मिल कर प्राब्लम्स को सोल्व करना चाहिए। जो बात सच्ची है, वह कहने में कोई एतराज नहीं है। हम रूलिंग पार्टी के मैम्बर हैं लेकिन अगर रूलिंग पार्टी की कोई गलती होगी, तो हम जरूर बोलेंगे क्योंकि हम पब्लिक के रेप्रेजेंटेटिव्ज हैं। पब्लिक रेप्रेजेन्टेटिव का काम है कि पब्लिक की जो भी ग्रीवान्स हो, वह हम सुने। हम उन को सुनते हैं। प्रो० मधु दंडवते जी के लिए हमारे दिल में बहुत रसपेक्ट है लेकिन यह क्या बात है कि एक अपोजीशन मैम्बर ऐसे कुशल टाइम में कन्सट्राक्टिव सजेश्चन दे सकता है, वह न दे कर दूसरी बात है। कैसे इन्फ्लेशन रेट कम होगा और कैसे बाढ़ और कैसे सूखे के कारण आदमी न मरे और कैसे प्राइस राइज को कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कन्सट्रक्टिव सजेशन्स अपोजीशन को देने चाहिए लेकिन बहुत दुःख की बात है कि दंडवते जी जो एक सीनियर मेम्बर होने के बाद भी, एक मिनिस्टर के लिए एक फोर्ज्ड डाकूमेंट दे कर, बैंक्स के करप्ट आफीसर को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट का 20 प्वाइंट प्रोग्राम है फार दि अपलिफमेंट आफ दि पूअर और अपोजीशन का एक ही प्वाइन्ट प्रोग्राम है गवर्नमेंट को क्रिटीसाइज करना। इस के आलावा और कोई प्रोग्राम नहीं है।

सारे हाउस ने देखा कि एक एडज़ोर्नमेंट मोशन ले आये। किस बात के लिए ले आये? अपोजीशन के पास कोई पोलिटिकल यूशू नहीं था। जीरो आवर में कुछ करना था इसी वास्ते ले

आये। हल्ला-गुल्ला करना था इसीलिए एडजोर्नमेंट मोशन दे दिया जिसका कि कोई प्वाएंट ही नहीं था। नान कांग्रेस आई स्टेट में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें क्लीयर करना चाहिए। यह बात हम भी बोलते हैं। यह पब्लिक इंट्रेस्ट में है। हमारी स्टेट बंगाल के भी जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है वे भी क्लीयर होना चाहिए। यह बात हम भी सोचते हैं। लेकिन ऐसे हल्ला-गुल्ला करने से तो बात नहीं होता है। इससे तो स्पीकर हाऊस एडजार्न करके चले जाएंगे। जब हाऊस में प्राईस राईज की बात आती है तो हाऊस में अपोजीशन का एक भी आदमी नहीं होता। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हाऊस में सप्लीमेंटरी बजट पर बहस हो रही ...(व्यवधान) सप्लीमेंटरी बजट हाऊस में आया है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : बात यह है कि अपोजिशन गवर्नमेंट पर एलीगेशन तो जरूर लगायेगा। यह उसका बिजनस है। लेकिन अपोजिशन को यह देखना चाहिए कि यह उसका बिजनस टीक है या नहीं। उसमें केस है या नहीं। उसकी अथानटिसिटी है या नहीं। हमारा अपोजिशन से यह कहना है।

सर हम इस पर बोलना नहीं चाहते थे लेकिन मधु दंडवते जी ने थोड़ा प्वाएंट रेज किया इसलिए हम बोल रहे हैं।

सर इन्दिरा जी ने बैंक नेशनेलाईज किये और गरीब आदमियों के भले के लिए किये। हम मैंनेजमैंट की हिमायत नहीं करते। लेकिन हम यह भी नहीं बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेट में सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे कोआप्रेट नहीं करते हैं। उसमें ऐसे लोग भी हैं जो हमसे कोआप्रेट करते हैं। लेकिन ब्योरोक्रेसी में ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट के साथ कोआप्रेट नहीं करते और कांफिडेंशल डाकुमेंट्स अपोजीशन को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसको रेज करो।

सर बात यह है कि दो-तीन रोज पहले इसे हाऊस में हम सब एम० पी० खड़े हो कर बोले थे कि बैंक का मैंनेजमेंट ठीक नहीं है। वहां कोई काम नहीं करता। वहां एक एम० पी० की टीम बना कर भेजिये, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप वहां इंक्वायरी कीजिए। बैंक का मैंनेजमेंट जो लोन देता है उसमें वह गरीब आदमियों के साथ बहुत गड़बड़ करता है। अगर गरीब आदमियों को पांच सौ रुपये का लोन मिलना है तो वह उन्हें तीन सौ रुपये ही मिलेगा। दो सौ रुपये मिडिल मेन खा जाता है। हमारे मधु दंडवते जी बोफोर्स के मिडिल मेन के बारे में बहुत बोलते हैं लेकिन बैंक के मिडिलमेन के बारे में नहीं बोलते। यह ठीक नहीं हैं। हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम एम० पी० लोगों में कोई डिफेन्स आफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ऐसी बातों पर हमें यह नहीं देखना चाहिए कि वे अपोजीशन के एम० पी० हैं या हम रूलिंग पार्टी के एम० पी० है। हमें यह देखना चाहिए कि पब्लिक का काम ठीक हो। आप लोग भी पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव हैं हमें भी पब्लिक के रिप्रेजेन्टेटिव हैं। हम लोगों को पब्लिक का इन्ट्रेस्ट सामने रखना चाहिए।

सर जो बात मैं अभी बोलना चाहती हूं उस पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज में माडरेनाइजेशन के लिए ध्यान दिया है। ठीक है हिन्दुस्तान में इंफलेशन बढ़ रहा है। यह प्रोब्लम अकेले हिन्दुस्तान में ही नहीं है, वर्ल्ड की बहुत-सी कन्ट्रीज में इन्फलेशन

[कुमारी ममता बनर्जी]—जारी

बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ यह बात भी है कि हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन सब से बड़ा काम है। इंडस्ट्रीज हमारे देश की बेकबोन हैं अगर हम इंडस्ट्री सेट अप नहीं करेंगे तो अनएम्पलाएमेंट प्राब्लम को साल्व नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम मधु दडवते जी को सपोर्ट करते हैं। मुरली देवरा जी भी बोले हैं कि जो नये एन्टरप्रीन्योर्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा एडवान्टेज मिलना चाहिए जिससे कि वे देश में नयी इंडस्ट्री लगा सके।

सर, देश में सिक इंडस्ट्रीज बहुत सारी हो गयी हैं। यह तो गवर्नमेंट की पालिसी नहीं है कि गवर्नमेंट उनको टेक ओवर करे। लेकिन सिक इंडस्ट्री में एक बात है कि जब इंडस्ट्री सिकनेस में चली जाती है तो वर्कर बेकार हो जाता है, उसके पास खाने के लिए नहीं होता। जो मैनेजमेंट का आदमी है उसको तो कहीं न कहीं नौकरी मिल जाती है, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिल जाती है। इसलिए सिक इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को स्पेशल रिहेबलिटेशन पैकेज मिलना चाहिए, मोरेटोरियम रिलीफ मिलना चाहिए। हम बंगाल की बात बोलना चाहते हैं। सिक इंडस्ट्रीज में बंगाल लिस्ट में टोप पर है। बंगाल में स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, रिहेबलिटेशन पैकेज मिलना चाहिए। इसी तरह से हम लोग थोड़ी सी इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर सकते हैं। वहां ए० वी० एल० का जो सिचुएशन है उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। ध्यान देने से वह खुल सकता है।

जैसे हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर है, हल्दिया में इसकी हालत कैसी है, इसको रिव्यू कीजिए और इसके लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए एक जगह की तकलीफ सब जगह की तकलीफ होती है। आज यह है कि फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने में 6 महीने या साल का वक्त लग जाता है। आज जो प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं या जिनकी योजना है, हो सकता है उनके शुरू होते हम यहां न रहें, क्योंकि यह तो डेमोक्रेसी है। इसलिए जो एम० पी० होता है, उसके रहते हुए भी उसके कहने के अनुसार वहां की जनता के लिए कुछ काम होना चाहिए।

प्राइस राइस के बारे में भी मैं पहले बोल चुकी हूं। बेबी फूड, राइस, व्हीट, वेजीटेबल्स, एडीबल आइल आदि के दाम काफी बढ़ गये हैं, इन पर कुछ कंट्रोल किया जाना चाहिए। और ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस स्टेट में किस तरह से काम कर रहा है, इसको भी देखने की आवश्यकता है। जहां पर यह ठीक से काम नहीं कर रहा है, वहां पर इसका बंदोबस्त ठीक करने की आवश्यकता है।

एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैं कहना चाहती हूं और वह है रिक्रूटमेंट पर बेन के बारे में। आज हमारे यहां बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है और 5 साल इस बेन को हो गए हैं, इसलिए इस बेन को थोड़ा विथड्रा कर लिया जाए, तो अनएम्प्लायड यूथ को थोड़ा मौका मिल जाएगा। बेरोजगारों के कल्याण के लिए पोस्टल आर्डर फीस भी हटाने की आवश्यकता है। गांवों में इस फीस के कारण बहुत से युवक एप्लाई ही नहीं कर पाते, हालांकि उनमें बहुत से ब्रिलियंट भी होते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

बाढ़ और सूखे की देश में कठिन समस्या है। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा जहां-जहां अधिक समस्या है : वहां पर एडीक्वेट फेसिलिटीज देने की आवश्यकता है। सरकार ने बहुत सहायता दी है, इसके लिए वह बधाई की पात्र है। इसके साथ-साथ यह भी पता लगा है कि कई स्टेट्स में रिलीफ फण्ड का अकाउंट ठीक तरह से मेन्टेन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका अकांउट प्रापरली मेन्टेन होना चाहिए। इसी तरह से श्रीमती गीता मुखर्जी और तिरकी जी कह रहे थे कि फ्लड रिलीफ ज्यादा रुपया देना चाहिए। (व्यवधान)

इसका मैं समर्थन करती हूं। इस हाऊस में सी० पी० आई० और सी० पी० एम० के लोग तो इस बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको हटा लिया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन दिया है ...आई० एम० नाट पार्टनर आफ लैफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट। सी० पी० एम० की सरकार वर्कर्स को फ्लड रिलीफ नहीं देती है, इनको फ्लड रिलीफ नहीं मिला है। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि फ्लड रिलीफ के लिए सरकार प्रापर अकाउंट मांगे और जितना रुपया ये मांगते हैं, दे दीजिए, इनको खाने दीजिए, लेकिन दीजिए अवश्य। (व्यवधान)

इसी तरह से क्रेडिट कैंप्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएंप्लायड यूथ बढ़ रहा है। खासकर के लेडिज और शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कैंप लगाए जाने चाहिए। जब बैंक नेशनलाइज नहीं हुए थे तब सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ही पैसा मिलता था, लेकिन अब गरीब आदमी को भी बैंक का लाभ मिलता है।

लेकिन गरीब आदमी को नहीं मिलता है। अपोजीशन के एलीगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। यह तो उनकी हैबीट है। हमें जो काम देश के लिए करना है, वह तो करना ही है। नागालैण्ड के इलैक्शन में हम लोग गए थे। हमको मालूम है कि अरूणाचल, मेघालय और त्रिपुरा के लिए कम्यूनिकेशन फेसिलिटी अच्छी नहीं है। उसकी तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में सुधार हो सके। भगत जी और शीला जी यहां पर हैं, इसलिए मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूं। हम लोग पब्लिक रिप्रेजन्टेटीव्ज हैं इसलिए हमको पबलिक के ग्रीवान्सेज को दूर करने के लिए काम करना पड़ता है। हम लोग अगर पबलिक के ग्रीवान्सेज को टेक-अप नही करेंगे तो और कौन करेगा। बात यह है कि किपी के ग्रीवान्स को हम फारवर्ड करते हैं तो हमारा लैटर फिर उसी के पास चला जाता है। एम० पीज० और एम० एल० एज० पबलिक के रिप्रेजन्टेटीव्ज हैं इसीलिए पबलिक कोई शिकायत करती है तो उसको हम लोगों को देखना चाहिए। एक लेडीज को कोई प्राबलम थी और उसका लैटर मैंने फारवर्ड किया था। उसके बाद उस लेडीज को एक लैटर मिला है जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री के०सी० सेठ प्रशासन के उप-निदेशक (महानिदेशक के लिए) ने उस स्त्री को एक पत्र भेजा है।

"विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (संहिता) नियमावली 1964 के नियम 20 के अधीन चेतावनी। इस निदेशालय को श्रीमती मीरा मुखोपाध्याय उत्पादक सहायक के पद पर सेवा में लिए जाने के संबंध में इस निदेशालय के "माननीय कु० ममता बनर्जी सांसद, लोक सभा से संख्या शून्य दिनांक 18 जून 1987 का एक पत्र प्राप्त हुआ"

"केन्द्रीय सिविल (संहिता) नियमावली 1964 के नियम 20 के अधीन सरकारी कर्मचारी को ऐसे मामले, जो की उसकी सेवा से सम्बन्धित हों, के सम्बन्ध में अपने आगे के हितों के लिए बाहरी दबाब डालने की मनाही है। इसलिए श्रीमती मीरा मुखोपाध्याय को भविष्य में किसी सांसद या विधायक से स्वयं या अपने रिश्तेदारों या मित्रों के माध्यम से सिफारिश न करने की सलाह दी जाती है।"

(व्यवधान)

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : प्रजातंत्र के लिए शर्म की बात है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपको सम्बन्धित मंत्री से इस विषय पर कुछ कहने का निदेश देना चाहिए।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्यमंत्री (श्री बी०के० गढवी) : सेवाशर्तें कार्मिक विभाग के अन्तर्गत आती हैं। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की कदर करता हूं। हम निश्चित रूप से यह बात उनके नोटिस में लायेंगे। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इन नियमों को बदला जाना चाहिए। नियमों को निकाल देना चाहिये। (व्यवधान) उन्हें स्पष्ट करना चाहिये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ममताजी आप जल्दी खत्म करें।

कुमारी ममता बनर्जी : हम मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि इसको देखें। हमारी सरकार गरीबों के लिए, देश के लिए काम करना चाहती है, लेकिन कभी कुछ लोग······।

सभापति महोदय : ममताजी आप कल बोल लें।

4.00 म०प०

आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम यह संख्या 16 लेगें। नियम 193 के अधीन चर्चा। श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ) : सभापति महोदय, सदन में पिछले कुछ दिनों से नियम 193 के अधीन मूल्यवृद्धि पर सदन में हो रही चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, मूल्यवृद्धि की समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं बल्कि यह एक विश्वव्यापी समस्या है । यह एक जटिल विवाद ग्रस्त और विश्वव्यापी समस्या है ।

4.0-1/2 म०प०

[**श्री शरद दिघे पीठासीन हुए**]

लेकिन प्रश्न यह है कि मूल्य वृद्धि को न्यूनतम संभावित स्तर पर रखा जाना चाहिए । हम कितना भी प्रयास क्यों न करें जो मूल्यस्तर स्वतंत्रा प्राप्त करने के समय 1947 में था पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ 1951 में थे अब हम उस मूल्यस्तर की आशा नहीं कर सकते । मूल्यस्तर बढ़ेंगे । मूल्य स्तर बढ़ गये हैं । लेकिन वास्तव में प्रश्न यह है कि इस पर नियंत्रण कैसे किया जाये । यह देखते हुए कि अब हमारे देश की स्थिति सचमुच असंतोषजनक है यह गम्भीर बात है और यह सरकार के साथ-2 विभिन्न समुदायों के लिए चिन्ता का कारण है । मैं जानता हूं कि सरकार इस बारे में चिन्तित है । सरकार ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए और पूरे देश में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय शुरू किये हैं ।

महोदय, अब अगस्त 1987 के अन्त में मुद्रास्फति की दर 8-7 प्रतिशत है और अप्रैल 1987 में यह 7.5 प्रतिशत थी । इससे पता चलता है कि मुद्रास्फीति की दर कैसे बढ़ी है । हमे डर है कि इस वर्ष मूल्य वृद्धि दुगनी हो सकेती है ।

इस असामान्य मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ? हमें उन कारणों को जानना है । वे स्पष्ट हैं । भारत अभी भी एक कृषि प्रधान देश है । हमारा बजट जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में कहा जाता था अभी तक मानसून पर निर्भर करता है । अगर मानसून ठीक समय पर न हो तो सभी चीजों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है यहां तक कि मूल्यवृद्धि पर भी ।

जैसा कि आप जानते हैं कि 1986-87 में हमारा अनुमानित घाटा बजट 5688 करोड़ रुपये था जबकि घाटा 8255 करोड़ रुपये हुआ हमें यह आशा और विश्वास था कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण अच्छे उत्पादन अच्छी फसल और पैदावार से इसे कम किया जा सकता है । लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य था कि इस शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ने के कारण अत्यधिक फसल तो क्या औसतन फसल भी प्राप्त नहीं हुई ।

कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में क्या हुआ ? देश में केवल 37 प्रतिशत भूमि पर औसतन और अधिकतम वर्षा हुई । शेष भाग में अर्थात देश के 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हुई । जैसा कि आप जानते हैं अपर्याप्त वर्षा से कृषि सम्बन्धी क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो जाता है । यह इतना बड़ा व अप्रत्याशित सूखा पड़ा है कि इसका प्रभाव लम्बे समय तक रहेगा । अगली खरीफ फसल तक हमें तंगी की स्थिति से गुजरना पड़ेगा । हमें इसे ध्यान में रखना है और उसी के अनुसार क्षतिपूर्ति के उपाय करने हैं ।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही] – जारी

जैसा मैंने आपको बताया है उत्पादन में 10 से 15 मिलियन टन कमी होगी। इससे घाटे के बजट में और वृद्धि होगी और घाटे के बजट में वृद्धि होने से मूल्य में वृद्धि होगी।

फिर, सरकार के खर्चे में वृद्धि भी चिंताजनक है। पिछले वर्ष के 83,498 करोड़ रु० की तुलना में यह 1986-87 में 95,000 करोड़ रुपये हो गया। अतः सरकार का खर्चा तेजी से बढ़ रहा है। और घाटा कम नही हो सका। जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ गई है।

इस तरह से यह सरकार के वश की बात नहीं है। हम इसका आरोप केवल सरकार पर नहीं लगा सकते। प्राकृतिक आपदा भी इसकी जिम्मेदार है। हमने कृषि के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति की है। हमने 15 या 16 वर्षों में सिचाई क्षेत्र को दोहरा किया है। 1965 और 1981 के बीच यह बढ़ कर 31 मिलियन हेक्टर से 62 मिलियन हेक्टर हो गई। दुर्भाग्य से फसल और चारे के जितने अधिक क्षेत्र को हम सिंचाई के अन्तर्गत ला रहे हैं उतना ही अधिक से अधिक सिंचाई क्षेत्र सूखा व बाढ़ की चपेट मे आ गया है। हमने अपनी फसल का क्षेत्र लगभग दो दुगुना कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद स्थिति इस प्रकार बनी हुई है।

यह हमें अपनी योजनाओं को फिर से देखने का मौका देता है।

हमें अपनी योजना पर दुबारा से ध्यान देना है। हमें निर्णय लेना है इसी लाइन पर चलना है या हमें इसे बदलना है। हमें सिंचाई और ऊर्जा पर और अधिक बल देना है। जहां सूखा पड़ा है वहां हमें शुल्क कृषि तकनीक अपनानी चाहिए स्वाभाविक है, और हम अपनी सिंचाई क्षमता को बढ़ा नहीं सकते तब हमें शुष्क सिंचाई तकनीक विकसित कर लेनी चाहिए जिससे कि जहां पर्याप्त वर्षा न हो वहां भी हम उत्पादन प्राप्त कर सकें। फसल बीमा योजना को सही रूप में लागू करना होगा एवं इस के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा जो कि अभी नहीं किया जा रहा।

अब कई कृषक दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। उनके प्रतिनिधियों को विभिन्न समितियों पर अधिकारिक स्थानों पर होना चाहिए जिससे कि वे लाभकारी मूल्य निर्धारित कर सकें। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि कृषि उत्पादनों और औद्योगिक मूल्यों में कोई उचित समानता नहीं है। किसानों के बीच अन्दर ही अन्दर असंतोष फैल रहा है। हमें उस खतरे को देखना है जो कल आने वाला है। हमें कृषि क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान देना है। उनको पास बुक जारी की जानी चाहिये। ऋण प्राप्त करने के लिए तरीकों को सरस करना चाहिये। अब सूखा पड़ा है लेकिन हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं।

यहां तक की एक मध्यवर्गीय किसान जिसके पास 30 एकड़ जमीन है आर्थिक स्थिति में एक चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी से भी बुरी अवस्था में है। मैं यह साबित कर सकता हूं। सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाने के लिए एक निश्चित समयोपरान्त आयोग के बाद आयोग बैठाये जाते हैं। जब कभी कीमतों में वृद्धि की जाती है उसे महंगाई भत्ते को बढ़ाकर बेअसर कर दिया जाता है। लेकिन कृषकों के बारे में क्या स्थिति है? उनके ऋण बढ़ते जा रहे हैं। हमारी नीति इस प्रकार की है कि कोई क्षेत्र जब तक लगातार तीन साल से अधिक समय तक प्रभावित

नहीं होता उन्हें कुछ लाभ जैसे ऋण की चुकती में छूट अथवा माफी नहीं दिये जा सकते। अतः इसमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। कृषकों में जो इस देश की बुनियाद हैं इस तरह की भावना न बने की उन्हे नजरअन्दाज किया जा रहा है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस मसले को मंत्रीमंडल तक ले जायें और एक व्यवहारिक दिशा अपनायें जिससे कृषि का विकास भी हो और किसान भी संतुष्ट रहें।

मैं लोक उद्यम ब्यूरो को दोष देना चाहूंगा। क्या कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के वेतनमानों में कोई समानता है। वहां एक बड़ा फासला है। हमारी आर्थिक नीति क्या है। हमारा उद्देश्य है सामाजिक न्याय के साथ-साथ औद्योगिक और कृषि विकास। विभिन्न वर्ग के लोगों की आमदनी में जो फायदा है. उसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिये। इसे भरा जाना चाहिये। हम लोकतंत्रीय समाजवाद लाने के प्रति वचनवद्ध हैं, जब हम समाजबाद लाने के लिए कृतसंकल्प हैं तब हम यह कैसे ला सकते हैं अगर हम विभिन्न वर्गों में आमदनी के फासले को न भरें।

हमें ऊर्जा की तरफ भी ध्यान देना है। यदि ऊर्जा नहीं होगी तो औद्योगिक इकाईयां भी नहीं होगी। औद्योगिक इकाईयां ऊर्जा की कमी के कारण एक के बाद एक बन्द होती जा रही हैं। हमें ऊर्जा को प्राथमिकता देनी है। कीमतों की वृद्धि के बारे में। हमारी जो कुछ भी जरूरतें हों यह स्वाभाविक है कि ऐसे वर्ष में जैसा कि इस साल है परेशानियां तो होगीं ही।

हमारे रुपये की क्रम शक्ति गिरकर केवल तेरह पैसे रह गई है। हाल ही में समाचारों में देखने में आया कि डालर के मूल्य में भी रिकार्ड गिरावट आई है। इसीलिए यह केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह विश्वव्यापी समस्या है। इसी के साथ हमारी जरूरतों का भी सही अन्दाजा लगाया जाना चाहिए। सभी स्थानों पर खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाने चाहिए। हमें अपनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें इसके आधार को बड़ा करना है। हम यह कैसे कर सकते हैं। कुछ सीमित वस्तुएं हैं जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं। इस सूची को भी बढ़ाना है। कीमतों के बारे में एक नीति होनी चाहिये। हमारी किस तरह से कीमतों की नीति हो सकती है। हर जगह कुछ वस्तुएं हैं जिनकी जरूरत और कीमतों को आप व्यवस्थित करते हैं। लेकिन कुछ और वस्तुएं जिनके ऊपर आप का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए हर आवश्यक वस्तु पर हमारा नियंत्रण जरूरी है। हम अपने कानूनों को उसी के अनुसार बदल सकते हैं। हमें जमाखोरी के विरुद्ध अभियान को तेज करना है। वस्तुतः यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। आपने मुख्य सचिवों को यहां बुलाया है। कई कदमों के बारे में विचार किया है। स्वभावतः. इन सब चीजों पर निगरानी चाहिए।

हम जो कुछ भी करें, व्यक्तिगत खुदरा विक्रेता का लाभ उद्देश्य रहता है। हम इसको नजर-अन्दाज नहीं कर सकते। इसलिए हमें सहकारी समितियों, नगरनिगमों, ग्रामपंचायतों आदि द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उत्साहित करना है। इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है। जो उन्हें दी जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूं। मुझे इस बात की जानकारी है कि सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने की दिशा में कुछ कदम उठाये हैं। इन उपायों को और मजबूत करना चाहिए।

प्रो० के० वी० थामस *(एरनाकुलम) : महोदय, मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति हमेशा ही केन्द्रीय* तथा राज्य सरकारों के लिए बड़ी सिरदर्दी बनी रही है. मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति अध्ययन करने से साफ-साफ पता चलेगा कि केन्द्रीय सरकार ने उनपर काबू पाने के लिए प्रर्याप्त कदम उठा रही है।

फिर भी विपक्षी के मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि मुद्रास्फीति की दर एक चौकाने चिंताजनक स्थिति में पहुंच गयी है, परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। यदि आप पिछले 15 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर का अध्ययन करें तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि केन्द्रीय सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में सफल रही है। 1974-75 में मुद्रास्फीति की दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 16.7 प्रतिशत थी। 1980-81 में यह नीचे आकर 12.6 प्रतिशत रह गयी.। 1983-84 में यह फिर घटकर 12.2 प्रतिशत रह गयी'। 1986-87 में यह 7.5 प्रतिशत है। इस साल अप्रैल और मई में इसमें कुछ वृद्धि हुई है। प्रत्येक व्यक्ति यह मानता है कि पिछले तीन वर्षों से यह देश अभूतपूर्व बाढ़ और भयंकर सूखे का सामना कर रहा है, मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है। महोदय, प्रत्येक प्वाइंट के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के श्रेणीवार विश्लेषण से पता चलता है। कि वर्ष 1986-87 में मूल वस्तुओं और निर्मित बस्तुओं के कारण ही अधिकतर वृद्धि हुई है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये दो श्रेणी हैं जिस पर मूल्य नियंत्रण के लिये बल देना चाहिए। सरकार को मूलभूत वस्तुओं जिसमें अनाज, दालें, फल, सब्जियां शामिल हैं के मूल्य सूचकांक में 4.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि 1985-86 में जिसमें कि शामिल हैं, के मूल्यों में वृद्धि हुई है जो आम आदमी के लिए है, के मूल्यों का और अध्ययन करने से पता चलता है कि इनके मूल्य प्रतिदिन और अलग - अलग बाजारों में घटते बढ़ते रहे हैं। यह अध्ययन इस साल 9 अगस्त को सब्जियों के मूल्यों पर दिल्ली के बाजारों में किया गया यह अध्ययन बिल्कुल बिलक्षण है। साकेत में फूलगोभी का मूल्य प्रति किलो ग्राम रु० 12 था कैलाश कालोनी में यह रु. 24, प्रति किलो ग्राम तिलक नगर में रु० 20 प्रति किलो ग्रा० और पहाड़गंज में रु० 16 प्रति प्रति कि० ग्रा० था, एक ही सब्जी की किमतों में दिल्ली के बाजरों में उतार-चढ़ाव आता रहता है। इसलिए हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मशीनरी एक शहर के सभी बाजारों में एक ही सभी और अन्य मदों के मूल्य एक दिन में समान रहें और मूल्य स्थिर रखे जा सकें।

दूसरा तथ्य यह है कि राज्य सरकारों की मूल्य नियंत्रण के संबंध में कैसी प्रतिक्रिया हैं, मेरे राज्य केरल में 7-8 महीने की अल्पावधि में 100 से 150 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि हुई है। प्याज और आलू 2 रुपये से 4.5 रु० प्रतिकिलो के हिसाब से बिक रहा है, और हरी मिर्च 4 रु० से 10 रुपये प्रतिकिलो। कीमतें इतनी बढ़ गयी हैं कि यह 3 रु० से 5 रु० हो गयी हैं, इस मामले में राज्य सरकार केन्द्र सरकार को दोष नहीं दे सकती। यदि आप केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल राज्य की सरकार को दी गयीं सहायता को देखें तो केरल को चावल के लिए 126 करोड़ प्रति वर्ष राज सहायता दी गई हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार मिट्टी तेल के लिए राज सहायता दे रही है, मेरा राज्य लगभग दो लाख टन मिट्टी तेल प्राप्त कर रहा है किन्तु जब साधारण आदमी बाजार जाता है तोउसे बहुत ऊंची कीमत पर उसे मिट्टी का तेल खरीदना पड़ता है।

दूसरी वस्तु खाद्य तेल है। हम यह जानते हैं कि खाद्य तेलों की कीमतों में दिन प्रतिदिन बदलाव आता रहता है, हम जानते हैं कि काफी बड़ी मात्रा में हमारी विदेशी मुद्रा तेलों के आयात पर

खर्च हो जाती है किन्तु खाद्य तेल कहां जा रहा है ? मैं साउथ एवन्यू में रहता हूं, यहां तक कि संसद सदस्यों तक को खाद्य तेल उपलब्ध नही है, जब हम सुपर बाजार जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि हम केवल एक किलो ग्राम तेल प्राप्त कर सकते हैं। कई बार इतना भी नहीं मिलता। बड़ी मात्रा में आयात करने के बावजूद नियंत्रण कहां है ? हमें इस बात पर निगरानी रखनी चाहिए कि खाद्य तेलों का नियंत्रण किस प्रकार हो रहा है ।

दूसरा तथ्य यह है कि मूल्यवृद्धि नियंत्रण तभी हो सकता है जबकि हमारे पास प्रभावशाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि हमारे पास एक अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, किन्तु इसे और प्रभावशाली बनाना होगा। जब सम्मानीय मंत्री श्री भगत केरल में थे उन्होंने सम्मेलन बुलाया था। जैसा कि मैंने कहा है केरल में हमारे पास एक प्रभावशाली वितरण प्रणाली है और वहां चावल, मिट्टी तेल और अन्य सामान उचित दर की दुकानों से वितरित किया जा रहा है। हमने मांग की थी कि उचितदर की दुकानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से कम से कम 25000 रुपये की राशि अग्रिम के रूप में दी जाए ताकि वे सभी आवश्यक वस्तुएं खाद्य निगम अथवा अन्य ऐजैन्सियों से प्राप्त कर सकें, परन्तु साल बीत चुका है आज तक उचित दर की दुकानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से कुछ भी आर्थिक सहायता नहीं दी गयी ।

एक और महत्वपूर्ण बात खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा के सम्बन्ध में हैं। केरल में हमें तीन प्रकार का चावल मिलता हैं एक साधारण किस्म का है दूसरा अच्छा और तीसरा बहुत अच्छे किस्म का है, उपभोक्ताओं को यह मालूम नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचितदर की दुकानों को किस किस्म का चावल दिया गया है।

पहले यह प्रथा थी कि जब उचितमूल्य की दूकान के लोग भारतीय खाद्य निगम से चावल लेने जाते थे तो उनको छोटे सील बन्द पोलीथीन के बोरों में चावल दिया जाता था और उसके लिए उचित मूल्य की दूकान के मालिक को एक रुपया देना पड़ता था, परन्तु आजकल हमें सिर्फ पोलीथीन के बोरे ही मिलते है चावल नहीं। उपभोक्ता को यह पता नहीं चलता कि क्या यह साधारण किस्म बढ़िया अथवा सबसे बढ़िया किस्म का चावल है। इसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उपभोक्ता को यह पता चल सके कि उचित मूल्य कि दुकानों के माध्यम से किस किस्म का चावल अथवा गेहूं वितरित किया जा रहा है।

मूल्य वृद्धि को रोकने की जिम्मेदारी केवल केन्द्रीय सरकार की ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों की भी हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि कितनी राज्य सरकारों ने वर्तमान कानून को लागू किया है और जमाखोरों के खिलाफ कार्यवाही की है। कुछ राज्यों सरकार जमाखोरी को पकड़ने के लिए कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं कर रही है। इस संबंध में सरकार को सचेत रहना चाहिए ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। जब तक हम जमाखोरी को नहीं रोकेंगे तब तक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को भी हम नहीं रोक पायेंगे।

अन्त में, सब्जियां ऐसी वस्तुओं में आती हैं जिनमें उतार-चढ़ाव बहुत अधिक होता है इनको भी उचित मूल्य कि दुकानों अथवा किसी दूसरी एजेंसी के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए ताकि शहरों में लोग इन्हें उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : चेअरमेन साहब, दो—तीन दिन के बाद बोलने का मौका मिला है। बहुत देर से नम्बर आता है।

प्राईस राईस के सम्बन्ध मे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ रुपये की कीमत घट रही है और दूसरी तरफ भगत जी के डिपार्टमेंट ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं कर रहें हैं। जिस तरह का संकट आज देश के अन्दर है, अगर उसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ठीक तरह से व्यवस्था करें तो निश्चित तरीके से हम लोगों को इस अकाल के समय में बहुत सहुलियतें दे सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा कि परसों इस बात की चर्चा हुई थी कि किस तरीके से लोगों को राशन की दूकानों से असेंशल आर्टिकल्ज मिलते हैं।

आज सुपर बाजारों मे आवश्यक सामग्री नहीं मिलती है। दो दिन पहले भगत जी ने ही बताया कि न वहां पर प्याज मिलता है न आलू मिलता है, न एडीबल आइल और न वेजीटेबल आइल मिलता है। इस प्रकार से चीजों की कमी की बजह से लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। लोगों को इन चीजों के लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है और सामान लेना पड़ रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले सिविल सप्लाई और फूड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे विभाग को गियर— अप करें, ताकि सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकें। जब-जब देश पर संकट आता है तबतब हमारे देश के लोग एक होकर मुसीबतों का सामना करते हैं और सरकार को सहयोग देते हैं, लेकिन क्या अभी आपने भी इस बात को सोचा है कि इतनी बड़ी मुसीबत हमारे देश पर आई है, अकाल और बाढ़ है, सारी व्यवस्थाए अस्त-व्यस्त हो रही हैं, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, इसलिए विभाग को गिअरअप करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को भी गिअरअप करने की आवश्यकता है। इसके साथ—साथ सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर सारी वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी चाहिए। क्या आपने वितरण प्रणाली की रीढ़ की हड्डी को-आपरेटिव सोसायटीज के बारे में सोचा है, उनको मदद करने की बात क्या आपने कभी सोचा है? आज को-आपरेटिव सोसायटियां पैसे के अभाव की वजह से असेंशियल कमोडिटिज लोगों को सस्ते भाव में उपलब्ध कराने में असफल ही रही है, इस बारे में सरकार को कदम उठाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। आपने आज तक न कभी "नाबार्ड" से कहा और न किसी अन्य संस्था से इन को-आपरेटिभ सोसायटीज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कहा, ताकि वे असेंशियल आर्टिकल्स सुचारू रूप से जनता को सप्लाई कर सकें। इस व्यवस्था को अभी तक किसी ने नहीं देखा जिससे कि कोआपरेटिव सोसायटियां अस्त-व्यस्त पड़ी हुई हैं। आर्थिक व्यवस्था न होने की वजह से ये ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रही हैं।

इसी तरीके से एक और ऊंची मार्केटिंग सोसायटी ब्लाक - लैवल पर काम करती है, जो सारे असेंशियल आर्टिकल्स लेकर कोआपरेटिव सोसायटीज को सप्लाई करती हैं। क्या आपने कभी उस मार्केटिंग सोसायटी की मदद करने के बारे में सोचा है। इनकी मदद अवश्य करनी चाहिए, ताकि ये असेंशियल आर्टिकल्स कोआपरेटिव सोसायटीज को और फेयर प्राइस शाप्स को सप्लाई कर सकें और डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था ठीक से हो सके। सुपर बाजार और इसी तरह की अन्य एजेंसीज

की व्यवस्था भी ठीक करने की आवश्यकता है, जिनके द्वारा असेंशियल आर्टिकल्स सप्लाई किए जाते हैं, वे किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उनमें क्या कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए अभी तक आपने क्या किया है। कंज्यूमर्स सोसायटीज को मजबूत बनाने के लिए क्या व्यवस्था आपने की है इसको देखने की आवश्यकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ विभाग को विशेषरूप से ध्यान देना चाहिए, इनके ठीक काम करने से सारी व्यवस्था निश्चित तरीके से ठीक हो जाएगी और लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित समय पर उचित कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगी। इस बारे में अभी तक विभाग ने कुछ नहीं किया है। अब जागिए और गंभीरता से विचार करिए तथा इन संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए, ताकि हिन्दुस्तान की जनता को राहत मिले। यह कोआपरेटिव सोसायटीज की बात थी।

दूसरी बात जिन राज्यों में भयंकर अकाल है, खास तौर से राजस्थान के संबंध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बताइए कितना गेहूं, कितना एडीबल-और वेजीटेबल आईल, कितनी सुगर और आवश्यक वस्तुएं आपने वहां पर मुहैया कराई है ताकि वहां की गरीब जनता को ये सारी चीजें ठीक तरह से उपलब्ध हो सकें।

एफ० सी० आइ० के गोडाउन, चाहे जिस क्षेत्र में हों, उनमें भयंकर गड़बड़ियां हैं, भयंकर भ्रष्टाचार है। आप देखेंगे जहां पर कान्ट्रेक्टर्स बैठे हुए हैं और जो इस सारे सामान को इधर-उधर ले जाकर देते है, सबसे ज्यादा खुराफात की जड़ वे ही लोग हैं। उनको हटाने में एफ० सी० आइ० के लोग कतई इंटरेस्टेड नहीं हैं। दो हजार करोड़ रुपया फूड के संबंध में जो सबसिडी आप देते हैं, वह सारा पैसा ये कान्ट्रेक्टर्स खा जाते हैं। ये लोग जितना घपला करते हैं एफ० सी० आइ० के गोडाउन्स में उतना शायद और कोई नहीं करता है। जब यहां पर पहले बहस हुई थी तो मैंने इस संबंध में कहा था। बंगाल में दो प्रकार का प्रोसीजर है। एक जगह तो सरकारी आदमी काम करते हैं और दूसरी जगह पर कान्ट्रेक्टर्स काम करते हैं। जहां कान्ट्रेक्टर्स काम करते हैं वहां सैंकड़ों मन गल्ले के भरे हुए ट्रक पार हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कहा जाता है कि सरकारी आदमी पूरा काम नहीं करते उसके बावजूद भी जहां सरकारी आदमी काम करते हैं, वहां आपका गोडाउन एफीशियेंटली रन करता है। वे प्रॉफिट देते हैं, नुकसान नहीं देता है। इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। ऐसे भयंकर अकाल के समय में अगर आपने एफ० सी० आइ० पर कंट्रोल नहीं किया तो देश की व्यवस्था गड़बड़ा जायेगी। आप कहते हैं कि हमारे पास बहुत सामान पड़ा है, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दरार हो जायेंगे और इधर-उधर से बहुत सारा सामान निकलने लग जायेगा तो उनके बाद ऐन मौके पर आप हाथ ऊंचा कर देंगे कि हमारी हालत खस्ता हो गई है इसलिए, समय रहते आप जागरूक होकर काम कीजिए और इन व्यवस्थाओं को रोकने की कोशिश कीजिए ताकि सारे हिन्दुस्तान को खिलाने वाले एफ० सी० आइ० के भंडार सुरक्षित रह सकें और उनमें किसी प्रकार की दरार न हो। उसमें गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इन व्यवस्थाओं को आप कीजिए। शक्कर, गेहूं, चावल या कोई भी अन्य वस्तु हो, हर क्षेत्र में जागरूक रहकर इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। तब आप इन परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। तीन—चार महीने में गर्मी का मौसम आ जायेगा और उस वक्त स्टाक खत्म होने के नजदीक आ जायेंगे। तब आपको मालूम पड़ेगा कि गफ्लत की वजह से कितना नुकसान हुआ है। इसी प्रकार होर्डर्स, प्रोफिटियर्स और स्मगलर्स के ऊपर आपको विशेषतौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इनके ऊपर

[श्री गिरधारी लाल व्यास] जारी

जितनी सख्ती से कार्यवाही करेंगे, निश्चित रूप से व्यवस्थाएं उतनी सुचारू रूप से चलेंगी वरना ये ही तो दुश्मन हैं जो हमारे देश की परिस्थिति को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचते हैं । आप कैसा भी कानून बना दें लेकिन प्रोफिटियर्स और होर्डर्स पर वह ठीक प्रकार से लागू नहीं होता । बड़े-बड़े पैसे वालों के सामने आपके उच्च से उच्च अधिकारी भी नतमस्तक हो जाते हैं और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करता । अगर आप ने इनको कंट्रोल कर लिया तो निश्चित तरीके से आप इस सारे मामले में विजय प्राप्त कर लेंगे और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकेंगे ।

एडीबल ऑयल के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । गांवों में गेहूं और शक्कर तो थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन चार सौ करोड़ रुपया खर्च करके विदेशों से जो एडीबल ऑयल आ रहा है, वह गावों तक नहीं पहुंच रहा है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आज गांवों की संस्थाओं को, को-आपरेटिव सोसायटीज को एडिबल आयल नहीं मिल रहा है, इसकी क्या वजह है । आज बाजार में तेल का भाव 30-35 रुपये का है । जो कि काफी सस्ता है, लेकिन इन दूकानों के जरिये बिचौलियों इस तेल में मिलावट करके इसे बेच रहे हैं और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं । इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है । को-आपरेटिव सोसायटीज़ पर यह तेल न ही पहुंचता जिससे गरीब किसानों को यह उपलब्ध नहीं होता है जो कि अकाल से पीड़ित हैं । उनको इन सोसायटीज़ के जरिये सस्ता कपड़ा भी नही मिलता है । नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन का जो सस्ता कपड़ा निकलता है वह आम जनता तक नही पहुंच पाता है इसलिए सरकार को यह कपड़ा उन तक पहुंचाने के लिए मजबूत व्यवस्था करने की आवश्यकता है । अगर आप इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमारे देश की हालत बाढ़ और सूखा से काफी संकटपूर्ण है और भी संकटपूर्ण हो जाएगी । इसलिए इस व्यवस्था को मजबूती से लागू करें जिससे निश्चित तरीके से देश की समस्याओं को हल करने में आपको सहयोग मिलेगा ।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता (मोतीहारी) : माननीय सभापति महोदय, आज हमारा देश बहुत संकट की घड़ी से गुजर रहा है और एक आम चिंता मूल्य वृद्धि को लेकर है । मूल्य वृद्धि के कारण कठिन स्थिति उत्पन्न हो रही है और मैं यह कहने का लोभ—संवरण नहीं कर सकती कि हमारी केन्द्रीय सरकार बहुत सचेष्ट है । उस ने मूल्य वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कदम उठायें हैं । इस सबध में एक केबिनेट कमेटी भी बनी हैं । जो यह देखेगी कि मूल्य वृद्धि कैसे हो रही है । मंत्रीमंडल ने एक पांच सूत्री कार्यक्रम की भी इसके लिए घोषणा की है । जिसके अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली को और चुस्त=दुरुस्त किया जायेगा । मोबाइल सेंटर भी इसके अन्तर्गत खोले जायेंगे । साथ ही साथ यह भी देखना चाहिए कि जन वितरण प्रणाली में जो धांधली है उसको कैसे रोका जाये । कैसे इसकी सही मानेटरिंग की जाये जिससे अधिक मात्रा में जरूरत की चीजें लोगों को उपलब्ध हों । हमारी केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि 23 जरूरत की चीजें साधारण जनता को उपलब्ध करानी हैं । मैं समझती हूं सरकार इस बारे में बहुत सचेष्ट है । यदि सरकार वास्तव मे कठोर कदम उठायेगी तो मूल्य नियंत्रण हम बहुत प्रभावी ढंग से कर पायेंगे । मूल्य वृद्धि के कारण कई हैं । आप देखें जब बजट आता है तो उसके तीन महीने जनवरी से मार्च तक मूल्यों मे वृद्धि नहीं होती है, लेकिन पोस्ट बजट के हमारा सारा दारोमदार मूल्य वृद्धि पर रहता

है। हमारी सरकार को यह भी देखना है कि किस तरह से हम अर्थव्यवस्था पर संतुलन बनाये रखें। घटाई बढ़ाई तो होती ही है, लेकिन कीमतें आसमान को छूने लगें और कमर तोड़ महंगाई हो, यह चीज रोकनी आवश्यक है। यदि विश्व में मूल्य वृद्धि के संबंध में फिनोमिना है, लेकिन जो आज की महंगई है यह और भी लोगों पर कहर ढ़ा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा देश एक पिछड़ा हुआ और विकासशील देश है। गरीबी हटाने के जो कार्यक्रम हो रहे हैं वह वास्तव में ठीक ढग से लागू हुए होते तो उसका लाभ जनता को मिलता और लोगों को मूल्य वृद्धि से इतनी परेशानी नहीं होती। हमारी अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मण्डी और औद्योगिक मण्डी पर असर पड़ता है और हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह की यह अर्थव्यवस्था हो गई है... मैं समझती हूं कि मूल्य वृद्धि के कई कारण हैं, सबसे बडा कारण मुद्रास्फीति है और इसके विस्तार को हमारी सरकार कैसे रोकेगी, इसको देखना है और हर साल हमारी सरकार की घाटे की अर्थव्यवस्था बनती है और वह घाटे की अर्थव्यवस्था भी मजबूर करती है कि मूल्य वृद्धि हो। हम देखेंगे कि हमारी आने वाला बजट घाटे की अर्थव्यवस्था वाला न हो क्योंकि इससे मूल्य काफी प्रभावित होते हैं।

इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा समानान्तर कारण है और वह यह है कि देश के अन्दर करोड़ों अरबों रुपये की ब्लैकमनी घुम रही है और चारों तरफ घूम रही है और वह परेशान कर रही है किसानों को, वह गरीबों को परेशान कर रही है वह महिलाओं को परेशान कर रही है, सभी लोग जो वहां बैठकर पहरा कर इस महान सभा का, जो चापरासी रात दिन यहां खड़े रहते हैं, कितने परेशान रहते हैं और जब घर जातेहैं तो इनके बाल-बच्चे, इनकी पत्नी कहती होगी कि आज पैसे तो कम हो गये, तभी साग सब्जी बनता होगी, खाना बनता होगा।

1987-88 में चाहे आपका खुदरा मूल्य सूचकांक हो, चाहे मूल्य थोक सूचकांक हो, इन दोनों में काफी बढ़ोतरी हुई है और अभी हमारे व्यास जी ने ठीक ही कहा कि 480 जो कुल जिले हमारे देश के अन्दर हैं, उन 480 जिलों में से 3 हिस्से जिले ऐसे हैं, 280-300 जिले सूखे और बाढ़ की विभिषिका से प्रभावित हैं और सूखे, बाढ़ की विभिषिका ने हमारी अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है और महंगाई को चरम सीमा पर ला दिया है। आज हमारी कृषि की जो उपज है उसमें गिरावट आई है और उसने भी मूल्य वृद्धि को काफी हद तक प्रभावित किया है तो मैं चाहती हूं कि उत्पादन की गिरावट को रोकने के लिए कृषि मन्त्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं उनको काफी कदम उठाने होंगे और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए केन्द्र सरकार का जो व्यय होता है या राज्य सरकारों के अन्दर स्थापना का जो व्यय होता है उन सरकारी खर्चों में कटौती करनी होगी।

हमें इस बात की खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने गम्भीरता से इसे ग्रहण किया है और उनका सरकारी खर्चों में कमी करने का निर्देश है। जैसे ही हमारे देश के अन्दर बाढ़ और सुखाड़ आया तो उन्होने एनाउंसमैण्ट किया और उस घोषणा का मैं स्वागत करती हूं और पूरे देशवासियों ने इसका स्वागत किया है कि कभी भी यदि विदेशी भ्रमण होगा तो बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही लोग विदेशी दौरे पर जायेंगे और उसमें रुकावट आई है, कमी की गई है लेकिन मैं समझती हूं उसे और भी रोकना चाहिए और सरकारी खर्चों में कमी करनी चाहिए और घाटे की अर्थव्यवस्था में कमी करनी चाहिए और चारों तरफ जो कालाधन घूम रहा है, इसको आपको रोकना चाहिए।

[श्रीमती प्रभावती गुप्ता] - जारी

आज स्विस बैंकों को लेकर, हमारे यहां से पाटिलिपुत्र अखबार निकलता है, कल 2 तारीख के पाटिलिपुत्र टाइम्स अखबार के अन्दर हमने पढ़ा, पटना से निकलता है, कि एक स्विस बैंक विदेशों में हैं और बिहार की राजधानी में भी अनेकों स्विस बैंक खुले हुए हैं तो हमारी सरकार की और कम से कम मंत्री जी की निगाह, वे यहां बैठे हैं, इसपर रहनी चाहिए की किसी भी भाग में स्विस बैंक की तरह यहां बैंक नहीं खुलने पायें, कहीं भी समानान्तर अर्थव्यवस्था नहीं होने पाये, तभी मूल्य वृद्धि को हम रोक पायेंगे ।

मैं आपको बताऊं कि कितनी बड़ी मूल्य वृद्धि आज हो रही है, 1987-88 के अन्दर 6 प्रतिशत हो गई, 1986-87 में मूल्य वृद्धि 4.48 प्रतिशत थी, मैं फीगर्स आपको बताये देती हूं' जनवरी 1987-88 में होलसेल प्राइस इण्डैक्स 359.5 था, फरवरी में 376 हो गया,मार्च में, 378; अप्रैल में 381, मई में 389.3, हमेशा राईजिंग ट्रैण्ड रहा, जुलाई में 400, अगस्त में 407.3, सितम्बर में 408.4 और अक्टूबर में 409.2 हो गया । इस तरह से दिन-ब-दिन प्राइस इन्डैक्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ? आप इसके कारणों को खोजकर इसको रोके रखिये । आप देखिये कि आपने यहां से जो 5 सूत्री घोषणा की है और उपभोक्ता परिषद की स्थापना की हैं वह उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए है । आपूर्ति विभाग से विगत में हमारा जो सैशन हुआ था, उसमें एक विधेयक लाये थे और एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया था उससे हमें काफी आशा और विश्वास बन्धे हैं और हम काफी हद तक इसमे काम करेंगे लेकिन जो परिषद बनी और उपभोक्ता संरक्षण के लिए यहाँ से कार्यक्रम की जो घोषणा की; मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि उन सभी चीजों का आप सही ढग से पालन करेंगे ।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज हालत क्या है. आज हालत यह है (व्यवधान)···अभी तो मेरा मीटर चल रहा है (व्यवधान) अभी तो मैं खड़ी हुई हूं···।

सभापति महोदय, जिस कर्मचारी या किसान को कम पैसे मिलते हैं वे कैसे अपनी गुजर करेंगे। जिस किसान की आज 500 एकड़ भूमि भी है उसके यहां भी एक दाना धान या गेहूं का पैदा नहीं हुआ है. तो आप बताइए इन लोगों को खाने को कैसे देंगे । आप कम से कम इन को दो टाइम खाने को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था तो कीजिए । एक दिन मैं बैठी हुई थी, मेरे पास कांग्रेस सेवा दल की दो महिलाएं आईं, मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया कि आज तुम क्या खाकर आई हो, तो उन्होंने बताया कि सरसों के पत्ते का साग बनाया है, उसको खाकर आई हूं । तो ये हालत है वहां पर दाल तो किसी को देखने को भी नहीं मिलती है । दूसरे दिन मैंने पूछा तो उन्होंने कहा आज कुछ नही बना है, तो मैंने उनको दे दिया । आज हालत यह है कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किस्म के भोजन की कीमतें बराबर हो गई हैं । बाढ़ में दरभंगा और मोतीहारी में प्याज की कीमत बीस रुपए हो गई । आज यहां दिल्ली में दो या चार रुपएं गोभी मिल भी जाता है, किन्तु पटना और बिहार के अन्य नगरों में गोभी छः या आठ रुपए किलो मिलता है । वहां पर बहुत परेशानी है । बाढ़ की वजह से कुछ होता ही नहीं है । आपके खाने का तेल जो पिछले साल 22 रुपए किलो था आज वह सरसों का तेल 40 रुपए किलो हो गया है । दो किलो सरसों के तेल का डिब्बा यहां केन्द्रीय भंडार में तो 78 रुपए का मिल भी जाता है, किन्तु आई०एन०ए मार्केट में तो वही डिब्बा 80 रुपए से ज्यादा कीमत पर मिलता है । 50-60 रुपए किलो मछली मिलती है । किस तरह आसमान को यह मेंहगाई छू रही है ।

सभापति महोदय,मेरा आपके माध्यम से सरकार से और विशेषतौर से मंत्री जी से निवेदन है कि उन्होंने जो 5 सुत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है, यह बहुत अच्छा किया है। इसके माध्यम से आप विचार-विमर्श करेंगे और सोचसमझकर कार्य करेंगे । आप सिम्पिलिसिटी रखिए, इससे खर्चों में कुछ कमी आएगी, तो जनता पर बोझ कम पड़ेगा। आज जो व्यापारी हैं उनको भी विश्वास में लीजिए और उनसे कहें कि वे स्वयंसेवी बन जाएं। उनसे कहिए कि आप जनता की सेवा करिए। आपने अच्छा कार्यक्रम रखा है।

आपने 209 चलती-फिरती और 3 हजार नई दुकानें खोली हैं। मेरा अनुरोध है कि इनसे काम चलने वाला नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि जो 23 एसेंश्यल कमोडिटीज आपने बताई हैं और जिनकी आपने घोषणा की है और जिनको आसानी से आम जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए, वे आज कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं। मैं एक मा हूं, एक बहन हूं और भारत की एक नारी होने के नाते कह रही हूं कि आज देश में चीजों की उपलब्धि नहीं हो रही है और आम जनता बहुत परेशान है। इस लिए आप अपनी शासन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करिए। यहां पर हर साल भाषण होता है और बाजार में बेतहाशा मूल्य वृद्धि होती जाती है। सन् 1945 में भारत का अपना जो एक रुपया था उसकी कीमत घटकर 15 पैसे रह गई है। इस प्रकार से दिन-प्रतिदिन रुपए की कीमत गिर रही है लोगों की पाकेट खाली होती जा रही है और लोग परेशान हैं, लोग दर्दनाक हालत में हैं। जो कार्यक्रम आपने चलाया है, उसका तो मैं स्वागत करती हूं लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि उनका सख्ती से पालन करवाईए।

[अनुवाद]

*श्री एम० महालिंगम (नागापट्टिनम) : माननीय सभापति,महोदय, ए०आई०ए०डी०एम०के० की तरफ से नियम 193 के अधीन 'मूल्य वृद्धि, पर चर्चा में भाग लेने में मुझे अतिप्रसन्नता हुई है।

देश में वस्तुओं का कुल उत्पादन और सेवाएं अर्थव्यवस्था की स्थिति का सही सूचक हैं। अगर अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति बराबर हैं तो इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी अगर उत्पादन गिरता है तो मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी। इस मामले में ऐसी स्थिति हो जायेगी कि बहुत अधिक पैसे में बहुत कम वस्तुयें मिलेंगी। अगर सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए नये नोट छापती है और आशा करती है कि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तब ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं होगा बल्कि इसमें वृद्धि होगी। मुद्रास्फति से ग्रस्त अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए मुद्रा के प्रसार की इस नीति को आधार बनाने से काम नहीं चलेगा।

जनवरी 1984 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 563 था। अगस्त, 1987 में यह बढ़कर 736 हो गया। हमारे देश में इस तरह की तेजी से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति विद्यमान है। वर्ष 1985-86 में जीवन यापन लागत सूचकांक 6.5 पर था, जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर 8.7 हो गया। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष 1985-86 में मुद्रास्फीति दर 3.88 प्रतिशत थी। वर्ष 1986-87 के दौरान मुद्रास्फीति पर 5.3 प्रतिशत पहुंच गयी। रुपये का अवमूल्यन काफी बड़े अनुपात में

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

[श्री एम० महालिंगम]—जारी

हुआ है। वर्ष 1960 के मूल्यों के आधार पर जुलाई 1986 में रुपये की कीमत 16.45 पैसे थी। एक वर्ष में ही अर्थात जुलाई 1987 में यह कीमत और घटकर 15.20 पैसे हो गयी।

सभी वस्तुओं के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चावल, गेहूं, खाना बनाने के तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य हर रोज बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति दर का दो अंकों में पहुंचने का काफी भय है।

मुद्रास्फीति एक ऐसा रोग नहीं है जिसने सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित किया है। यहां तक कि इंगलैंड, जापान और अमेरिका जैसी मुक्त अर्थव्यवस्था भी मुद्रास्फीति से ग्रस्त हैं। अमेरिका में स्टाक बाजार में गिरावट आयी है। फैक्टरियां बन्द हो गयी हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं। मेरा यह सब कुछ बताने का उद्देश्य यह है कि हमारे देश में ऐसी नहीं आनी चाहिए।

हमारे ही देश को लें, हर जगह बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी की समस्या का सामना करने के लिए सभी कदम उठाये जाने चाहिए। सरकार को सभी रुग्ण मिलों का अधिग्रहण करना चाहिए। रुग्ण इकाइयों के अधिग्रहण से भारत में लाखों लोगों को भूख से बचाया जा सकेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र वेदारान्यम में काफी लोग नमक बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। थोक बिक्रेताओं द्वारा खरीद न किये जाने की वजह से वेदारान्यम में बनाया गया नमक, नमक कड़ाहों में दरों में पड़ा हुआ है। ऐसा परिवहन की पर्याप्त सुविधायें न होने की वजह से है। नमक को रेलगाड़ी द्वारा ढोने की कोई भी सुविधा नहीं है। तंजावूर से वेदारान्यम सड़क मार्ग की मरम्मत की जानी चाहिए और इसे एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाये। अगर ऐसा किया जाता है तो नमक कड़ाहों से नमक को लाने ले जाने में आसानी हो जाएगी और इस प्रकार वेदारान्यम में नमक मंदी को टाला जा सकता है।

इसी प्रकार, नागापाट्टिनम में कावेरी बेसिन में ओ०एन०जी०सी० तेल और गैस निकाल रहा है। निकाला गया तेल अशोधित होता है और शोधन के लिए मद्रास ले जाता है। इसके काफी फिजूल खर्ची होती है। नागापट्टिनम में ही एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना की जानी चाहिए। इससे नागापट्टिनम में रोजगार के अवसर पैदा हो जायेंगे, जो एक पिछड़ा क्षेत्र है और जहां पर बेरोजगारी की दर भी बहुत ऊंची है।

सरकार वर्तमान मूल्य वृद्धि के दो कारण बताती है। एक कारण तो सूखे की वजह से उत्पादन में भारी गिरावट और दूसरा बजट में लगभग 7000 करोड़ रुपये का घाटा। ये दोनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो उत्पादों के उपक्ताओं से राजस्व प्राप्त होगा और इस राजस्व से आप घाटे को पूरा कर सकते हैं। इसलिए, सरकार को और फैक्टरियां आरंभ करनी चाहिएं और वर्तमान फैक्टरियों में उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहिए।

मुद्रास्फीति से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने पांच सूत्री नीति की घोषणा की है। ये इस प्रकार हैं। (1) सार्वजनिक वितरण की अधिक दुकानें खोलना। (2) इन दुकानों को पर्याप्त खाद्यान्नों का वितरण करना। (3) इन दुकानों के माध्यम से वितरण पर निगरानी रखना। (4) जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना और (5) व्यापार और उद्योग के

प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के माध्यम से मुनाफाखोरी के खिलाफ व्यापारियों में आत्म अनुशासन की भावना पैदा करना ।

सरकार ने 23 आवश्यक वस्तुओं का भी पता लगाया है और इनके वितरण पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये हैं । मैं इस कदम का स्वागत करता हूं । बड़े-बड़े होटलों में और दावतों पर होने वाले फिजूल खर्च को रोकने के लिए लाए गए अतिथि नियंत्रण आदेश में संशोधन का भी स्वागत करता हूं ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करने के किए तमिलनाडू सरकार सभी संभव कदम उठा रही है । तमिलनाडू के प्रत्येक गांव में उचित मूल्यों पर वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है । 'पौष्टिक आहार योजना' के अन्तर्गत सरकार बच्चों और वृद्धों को भी भोजन दे रही है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार की मदद करे ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसके अन्तर्गत आ सकें ।

वर्तमान मूल्य वृद्धि के लिए सूखा एक मुख्य कारण है । परन्तु सूखा, और बाढ़ें और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की प्रतिवर्ष पुनरावृत्ति होती है । इसलिए, सरकार के पास इस समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए ।

तमिलनाडु में सूखे के कारण कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है । वहां पर पानी की भारी कमी है । माननीय मंत्री से अनुरोध है कि कावेरी नदी जल विवाद के हल का के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाये । इस बारे में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कई बार स्मरण कराया है ।

सूखा और बाढ़ों से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सरकारें भारी धनराशि खर्च कर रही है । यदि भारत में सभी नदियों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ दिया जाये तो इससे सूखा और बाढ़ों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी । ऐसा करने से बड़े पैमाने पर हो रही फिजूल खर्ची भी रोकी जास केगी ।

भारत एक विशाल देश है । इसके कुछ भागों में बाढ़ें आती हैं और कुछ में सूखा पड़ता हैं । यदि भारत में सभी नदियों को जोड़ने से ही इस स्थिति से बचा जा सकता है । यदि ऐसा किया जाए तो वर्षा ऋतु के दौरान, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों का फालतू जल दूसरी नदियों में बहाया जा सकता है और जिससे सभी जल संसाधनों के सही इस्तेमाल में मदद मिल सकती है । इस प्रकार, सूखे की स्थिति पर प्रभावशाली ढंग से काबू पाया जा सकता है ।

आशा है कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार विचार करेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

5.00 म० प०

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सभापति महोदय, यहां पर दो ऐसी प्रमुख समस्याऐं हैं जो निकट भविष्य में क्रांति ला सकती है । प्रथम तो मूल्य वृद्धि है और दूसरी बेरोजगारी है ।

[श्री पी० आर० कुमार मंगलम]—जारी

महोदय, आज सभा में मूल्य वृद्धि पर चर्चा हो रही है। चर्चायें तो होती ही रहती हैं। संसद सदस्य गंभीरता से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, परन्तु ऐसा लगता है कि जैसे यह सब कुछ होता ही है।

मूल्य वृद्धि शीघ्र ही ऐसी स्थिति में पहुंच जायेगी कि गरीब लोग जीने के बजाय मरना बेहतर समझेंगे। चाहे कोई इस बात को माने या न माने परन्तु हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं, जहां पर एक गरीब आदमी दाल के बारे में सोच नहीं सकता ; खाद्य तेल की तो बात ही छोड़िये ; वह अपनी पाचन क्रिया को जारी रखने के लिए किसी तरह कुछ खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने तक ही सीमित हैं।

महोदय, मैं न तो सरकार का समर्थन कर रहा हूं और न विरोध कर रहा हूं। मैं यहां पर संसद सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे इस बात का पता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर लोग गरीब हैं, और वे कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर भी मूल्य वृद्धि में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। जनवरी 1985 में, मैं जब संसद सदस्य निर्वाचित हुआ था और इस सभा में आया था तब उपभोक्ता सूचकांक 568 था सितंबर 1987 मे यह 745 हो गया। स्पष्टतया इसमें लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

क्या उन लोगों के प्रति मेरा यही योगदान है जिन्होंने मुझे इस सभा में आने के लिए मतों दिये हैं? केवल यही नही। आज मुद्रास्फीति की दर 8 प्रतिशत है। यदि 8 प्रतिशत दर अधिक नह है तो क्या है? क्या यह 20 प्रतिशत होगी तभी इसे कोई अधिक मानेगा ? हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि दिन-प्रतिदिन की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए सरकार एक ने मंत्रीमंडलीय समिति नियुक्ति की है परन्तु यह समिति क्या कर रही है? निगरानी का अर्थ आंकड़े एकत्र करना नहीं है यह कार्य सांख्यिकीविदों द्वारा भी किया जा सकता है। आंकड़े एकत्र करना ही हर बात का प्रयोजन नही हैं। वास्तविक प्रभाव क्या है? क्या हम मूल्य नियंत्रण में सक्षम हैं ? जी नही। हमने क्या किया है? लोग इस तरह की मांग करते रहे हैं कि थोक व्यापार का राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिए, खुदरा व्यापार का राष्ट्रीयकारण किया जाना चाहिए। परन्तु यहा यही वास्तव में सम्भव है? जी हां, यदि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो यह स्वागत योग्य बात होगी। परन्तु क्या यह वर्तमान व्यवस्था इसका प्रबन्ध करने में सक्षम हैं?

1960 में हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 100 था, इस महीने यह लगभग 755 अंक तक पहुंच गया है। हम कहां से कहां पहुंच गये हैं? केवल यही नहीं। इस वर्ष खाद्य तेलों की कीमतें 37 प्रतिशत बढ़ गई हैं — मेरे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों की पहुंच से भी बाहर। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि हमारे जैसे परिवारों के लिए भी खाद्य तेल एक दुलर्भ वस्तु बनते जा रहे हैं। यह बात चुभती है। तब कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि देश के गरीब लोगों की क्या हालत है? केवल झूठी सहानुभूति ही पर्याप्त नही है। हमें कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता है। यदि हम कार्यवाही नही करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सभी संस्थाएं जो आपके पास हैं चाहे वे कितनी भी बड़ी तथा लोकप्रिय हैं, वे सभी नष्ट हो जायेंगी, भारत के लोग ऐसी व्यवस्था का सहन नहीं करेंगे जो उन्हें प्रतिदिन एक जून भोजन भी नहीं देती है।

बेरोजगारी उस स्तर तक पहुंच गई है जहां बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ तक पहुंच गई है। 20 से 30 वर्ष की आयु के युवकों, जिनमें से बहुत से शिक्षित हैं कि संख्या 5 करोड़ के लगभग पहुंच रही है। क्या आप यह सोचते हैं कि ये बेरोजगार लोग वर्तमान मूल्य वृद्धि में प्रतिदिन एक जून खाना खा सकते है? जी हां, कम से कम रोजगार शुदा लोग भाग्यशाली हैं? श्री हरीश रावत रंगराजन कुमारमंगलम इन्द्रजीत गुप्त इत्यादि ने मंहगाई भत्ते की मांग की है जिससे वास्तव में क्षतिपूर्ति नहीं होती है परन्तु कम से कम इस दृष्टि से बहुत तो मुआवजा मिल जाता है: 'चिल्लाओ मत, यदि मैं आपको पूरा गिलास दूध नही दे सकता तो आधा गिलास ही लो।" बेरोजगारों, गरीबों तथा स्वरोजगार प्राप्त लोगों का क्या होगा? क्या उनकी आय मूल्य वृद्धि के बराबर बढ़ रही है? उन लोगों का क्या होगा जो फिलहाल उस स्थिति में हैं जिनमें 1960 की मूल्य रेखा पर भी वे जीवित नहीं रह सकते और प्रतिदिन दो जून का भोजन नहीं खा सकते हैं? मेरे विचार में यह उचित समय है कि सरकार इस समस्या पर ध्यान देने के लिए गंभीरता पूर्वक निर्णय ले तथा केवल कागजी कार्यवाही ही न करे। और सामान्यरूप से जिसे हिन्दी में नाटक कहते हैं न करे वास्तव में जिस चीज की आवश्य कता है वे यथार्थ परिणाम हैं। इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारे में से कोई भी इसे राजनैतिक मुद्दे के रूप में न देखें, क्योंकि संसदीय प्रणाली ही दाव पर लगी हुई है। मुझे पक्का विश्वास है कि विपक्ष के सदस्य भी मेरी बात से सहमत होंगे कि अब यह दलगत मुद्दा नहीं है, चाहे यह दल हो यह वह दल हो। हमें इस मुनाफाखोरी, जो जारी है, को खत्म करना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं, खाद्य वस्तुओं में मुनाफाखोरी एक अपराध है। अब यह व्यवसाय नहीं है, क्योंकि लाभ का हर हिस्सा जो वे कमाते हैं, वे गरीबों और निर्धनों का पेट काट कर कमाते हैं। खाद्य व्यापार में मुनाफाखोरी को अपराध घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसे न्यायोचित्त नहीं ठहराना चाहिए और इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। बेशक इन व्यापारियों को अपने धन के कारण भारी समर्थन प्राप्त है। परन्तु अब समय है कि हम यह महसूस करें कि हम उस दुश्चक्र में फंस गये हैं जहां यदि हम इसकी रोकथाम नहीं करेंगें तो हमें रोक दिया जायेगा और हमें इस सभा से बाहर भी धकेला जा सकता है।

5.10 म०प०

(उपसभाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि भारतीय खाद्य निगम में, उदाहरण के तौर पर:— मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को समस्या की जानकारी होगी अक्सर उन्होंने कांट्रेक्ट लेबर एबोलीशन एक्ट' का उल्लघंन करके कांट्रेक्ट लेबर' प्रणाली का प्रयोग किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रममंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम से निवेदन किया है—वास्तव में निर्देश दिया है — कि इस प्रणाली को खत्म करें जो गैरकानूनी है। परन्तु उन्होंने इसे उचित नहीं समझा और वे कह रहे हैं कि इस प्रणाली को जारी रखना सस्ता पड़ता हैं। परन्तु उन्हें चोरी के आंकड़ों का देखना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ठेकेदार एक मजदूर को 5 रुपये प्रति बोरा दे और अधिकारी से दो रुपये प्रतिबोरा ले? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि उसे तीन रुपये प्रति बोरा हानि हो रही है? और इस हानी का पूरा करने के लिए वह किसी अन्य तरीके से तीन रुपये से अधिक राशि प्रति बोरा ले रहा है क्योंकि उसका उद्देश्य देश सेवा नहीं है। उसका उद्देश्य निश्चित

[श्री पी०आर० कुमार मंगलम]—जारी .

रूप से लाभ कमाना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के लिए इन बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है क्योकि व्यवस्था विफल हो रही है, माननीय मंत्री मुझे गलत न समझे परन्तु मुझे विश्वास है कि वे ऐसा व्यक्ति होने के नाते, जिसका प्रतिदिन जनता के साथ सीधा सम्पर्क होता है, विशेषतौर पर दिल्ली में, कीमत वृद्धि पर लोगों की भावनाओं से परिचित है । यदि वर्तमान व्यवस्था, इसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नही है तो हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो इसे निन्त्रित कर सके ।

मेरे विचार में उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है । जब तक हमारे पास अधिक उचित दर की दुकानें नहीं होंगी हम लोगों की सेवा नहीं कर पायेंगे, दूसरे आपात-काल की तरह केवल आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें ही नहीं, अपितु तथाकथित आवश्यक वस्तुएं, सभी वस्तुओं की खुदरा कीमतें तय करने की आवश्यकता है और यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी खुदरा विक्रेता तथा थोक विक्रेता इन कीमतों को अपनी दुकानों में प्रमुख स्थानों पर लगाए तथा ऐसे मामलों मे जहां अधिक मुनाफाखोरी मिले वहां दण्डनीय कार्यवाही की जाये । इसका अर्थ यह नही है कि केवल नाम के वास्ते ही पता लगाया जाये । खाद्य अपमिश्रण विभाग में कोई भी व्यक्ति, किसी भी रूप में, चाहे नकद हो या किसी वस्तु के रूप में हो, इन कानून के अपवचकों की सहायता करने के लिए, रिश्वत लेता हुआ पाया जाए तो मेरे विचार में उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कावर्याही की जानी चाहिए ।

महोदय, खाद्य व्यापार में हमने देखा है कि उत्पादक संघ बनाते हैं, उनका लगभग सामुहिक एकाधिकार हो जाता है । वे प्रत्येक वस्तु से लाभ कमाते हैं । यदि कोई किसान के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह किस भाव पर टमाटर बेच रहा है तो आप देखेंगे कि इसका भाव 2 रुपये प्रतिकिलो से 3 रुपये प्रतिकिलो होता है जबकि यहां खुदरा तौर पर कभी-कभी इसका भाव 12 रुपये किलो अथवा 10 रुपये किलो होता है । क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में कोई सम्बन्ध नहीं है । एक स्तर तक लाभ न्यायोचित ठहराया जा सकता है और इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ।

यदि कोई कहता है कि इन वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बेचा जा सकता है तो यह कहा गया है कि ये खराब होने वाली वस्तुयें हैं और इसलिए हम इनका भंडारण नहीं कर सकते हैं । फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस लिए है ? इसलिए, यदि यह लोगों की सेवा में है, यदि हानि होती है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । आप विभिन्न रूपों में जैसे ऋण माफ करने इत्यादि, हजारों करोड़ रुपये की राज सहायता देते हैं जो धनी व्यक्ति के फायदे के लिए होती है । क्या आप भोजन के लिए राज सहायता नहीं दे सकते हैं ? मूल्य नियंत्रण के लिए सरकार को अपने पूरे दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक है । केवल झूठी सहानुभूति पर्याप्त नहीं है । यह सरकार, विपक्ष तथा उन सभी जो संसदीय प्रणाली में विश्वास करते हैं, का काम है कि कम से कम खाद्य पदार्थों में मुनाफाखोरी रोकी जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए । मुनाफे का उद्देश्य चाहे पूंजीवादी राज्य में न्यायोचित है । परन्तु संविधान के अनुसार हमारा देश एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा एक प्रजातान्त्रिक गणतंत्र है । और यदि हम एक हैं तो अब समय है

कि हम सभी जागरूक बनें तथा मूल्य नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल जन-प्रदर्शन तथा सार्वजनिक कार्यवाही करने के लिए कदम उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मैं इस सरकार या उस सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं परन्तु पिछले 40 वर्षों से हमने कई सरकारें सत्ता में देखी हैं, परन्तु कोई भी सरकार आपातकाल के दौरान दो वर्षों 1975 से 1977 की अवधि को छोड़ कर यह दावा नहीं कर सकती कि उन्होंने मूल्य वृद्धि को रोकने में सफलता प्राप्त की है। मेरे विचार में जैसा कि कुछ लोगों का कहना है, आपातकाल में कुछ ज्यादतियां हो सकती हैं। परन्तु अब समय है कि हम यह महसूस करें कि कुछ फायदे हुये थे जो हम देश वासियों को मिले थे। मैं सभा में यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आपातकाल की जरूरत है परन्तु मेरा सुझाव यह है कि आपातकाल में कुछ उपाय किये गये थे जिनसे मुनाफाखोरी पर रोक लगाई गई तथा आम जनता को लाभ मिले। कम से कम वे उपाय वापस लाये जाने चाहिए। कम से कम आम आदमी को प्रतिदिन दो जून का भोजन मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री के०डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने मूल्य वृद्धि का मुकाबला करने के लिए अपने साधनों द्वारा काम किया है, यह एक सराहनीय काम है परन्तु सारे देश की जो स्थिति हमारे समक्ष आई है, वह यह है कि हर प्रान्त के जो गरीब लोग हैं, वे महसूस करते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। मैं यह समझता हूं कि महंगाई का कारण यह है कि बड़े-बड़े जखीरान्दोज जो लोग हैं वे अपने गोदामों में माल इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके लिए हमारी सरकार को छापे मारने चाहिए और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। पीछे जो सूखा पड़ा उस की वजह से कीमतें ज्यादा बढ़ गई हैं और आज हम देखते हैं कि इस सदन में जो हमारे मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं, वे भी कहते हैं कि महंगाई है और पहले जो खाना पांच रुपये का आता था और एक रुपये 80 पैसे की थाली आती थी, अब जो केन्टीन में खाना खाने जाते हैं, तो उस की कीमत 20 रुपये हो गई है। एम०पी० की जो सेलरी है वह सब मिला कर 2250 रुपये है और एक चपरासी की तन्ख्वाह के बराबर उन की तन्ख्वाह है जबकि रात-दिन वे लोगों के काम करने में लगे रहते हैं। तो उन के लिए भी महंगाई बढ़ी है। हमारी संसद में कुछ ऐसे एम०पीज हैं, जिन की बढ़ी पोजीशन है लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, किसान हैं और उन की बड़ी दुर्दशा है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अन्दर जिस तरह से हमारी सरकार ने इसका मुकाबला किया है, वह सराहनीय है लेकिन मैं यह कहूंगा कि मेरा चुनाव क्षेत्र शिमला है, जिस में तीन बड़े जिले हैं और 17 असेम्बली कान्सटीटुयेन्सीज हैं। उस प्रदेश के अन्दर बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है, जो तिब्बत के साथ लगता है और चाइना के साथ लगता है जैसे लेह का एरिया है, लद्दाख का एरिया है और भरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किनोर का इलाका है। यहां पर लोगों को बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। बर्फ पड़ने लगी है और अनाज के भंडारों को हैलीकोप्टर के द्वारा उतारना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि लाहोल-स्पीति, केलांग और भरमौर के लिए आप ऐसा इन्तजाम कर दें कि वहां पर स्थायी तौर पर 6 महीने के लिए राशन पहले से जमा हो जाए, जिससे जो ट्राइबल के इलाके हैं, उन की जरूरतें कम से कम पूरी हो सकें।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : एक मिनट के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता था कि कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, जो बर्फ से घिर जाते हैं मैंने अपने अधिकारियों को बता दिया है कि राज्य सरकारों के सहयोग से 6 महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का भण्डार करें तथा गोदाम जैसी तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करायें। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि अगम्य हो रहे क्षेत्रों में कम से कम 6 महीने का स्टॉक रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने ये हिदायतें दीं। मैं पिछले दिनों का एक उदाहरण इस माननीय सदन में देना चाहता हूं। हमारे यहा इतनी बरफ पड़ती है कि एक ग्राम सेवक किसी गांव के लिए चला और इतनी बर्फ पड़ी कि वह कहीं रास्ते में रुक गया। अखबारों में आ गया कि वह गुम है या मर गया। जब रास्ते खुले तो उसे लोग पहचान नहीं सकेंगे। लेकिन वह जिंदा रहा क्योंकि उसके पास दो कट्टे चावल थे, कुछ दाल थी और कुछ कोयला था जिनके सहारे वह अपना समय काटता रहा। वह काला गांव कुंजनपार्क के पास जाते हुए बर्फ में फंस गया था। मैंने उसे देखा है। वहा लोग बहुत बुरी हालत में हैं। मिनिस्टर साहब ने हिदायतें दी हैं, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार मे उन पर अमल हो रहा होगा।

श्री एच के०एल० भगत : अभी कुछ दिन पहले अफसरों को कहा गया है कि पक्का इंतजाम करो जिससे कि इन एरियाज में 6 महीने का सामान रहे, लोगों को कोई परेशनी न हो। अब वहां जा कर के वेअर हाऊसिज और दूसरी चीजों को देखेंगे। केन्द्र सरकार के अफसर राज्य सरकार से बात करके इसका इंतजाम करेंगे।

श्री के०डी० सुल्तानपुरी : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने एक बड़ा सराहनीय निर्णय लिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में फसलें तबाह हो गयी हैं; जैसे कि दूसरे प्रदेशों की फसलों की बात आयी, कहीं सूखा पड़ने से, कहीं बारिस न होने की वजह से बर्बाद हुई। जिन किसानों के पास थोड़ी-बहुत जमीन है, अगर वह जमीन मैदान की भूमि से लगी हुई है और बारिस हो जाती है तो उसमें प्रोडक्शन हो जाती है। बारिस न होने से फसल बिल्कुल नहीं होती। इस दफा तो बारिस बिल्कुल नहीं हुई है। इस संकट में दूरदराज के गांवों में सरकार के द्वारा जो डिपो खोले गये हैं उनसे लोगों को काफी लाभ पहुंचा है। लेकिन सरकार को यह पता होना चाहिए कि वहां लोगो को कितनी चीनी की, कितनी गन्दम की, कितने चावल की जरूरत हैं। अगर को आप्रेटिव्ज के माध्यम से भी देंगे, अगर उनके पास व्हीट नहीं है तो उनको दूर आना पड़ेगा। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप राज्य सरकार को हिदायतें दे कि जो राशन की वस्तुएं हैं, जो कि लोगों को सस्ते दामों पर दी जानी हैं वे वहां पर समय पर पहुंचाए। ताकि वहां लोगों को दिक्कत पैदा न हो।

इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने एक बड़ा अच्छा निर्णय किया है कि 31 करोड़ रुपये अपन राज्य के बजट में से मंहगाई का मुकाबला करने के लिए रखा है उन्होंने 4 रुपये किलो के हिसाब से चने, की दाल, साढ़े चार रुपये किलो के हिसाब से उड़द की दाल, डेढ़ रुपये के हिसाब से चना, पौने दो रुपये के हिसाब से आटा देने का निर्णय किया है। इससे राज्य सरकार पर बहुत बोझ पड़ गया है।

हमारे जो पड़ौस के राज्य हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर है उनको जो लाभ मिल रहे है, मैं कहना चाहता हूं कि वे लाभ हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं मिल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी राज्य सरकार इस महंगाई का मुकाबला करने के लिए जितना रुपया मांगती है, ज्यादा से ज्यादा रुपया भारत सरकार दे ताकि राज्य सरकार वहां के दूरदराज के लोगों को फायदा पहुंचा सके।

अभी हमारे कुमारमंगलम जी, ने कहा कि दिल्ली में टमाटर आजादपुर में आता है। उनके पास एक झोली होती है। किसान चाहे गन्ना, चाहे केला, चाहे आलु, चाहे सब्जी पैदा करे लेकिन वह लोगों को अपनी मर्जी के भाव पर नहीं बेचता। जब शाम का समय होता है तो उससे कह दिया जाता है कि तुम्हारा माल इस भाव पर बिक गया। यह जो शोषण का काम है इसको बंद करने के लिए उचित कदम उठाये जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तभी किसान को लाभ पहुंचेगा। जो बोली लगाने वाले लोग हैं वे खत्म किये जाने चाहिए। किसान जो पैदावार करता है उसके उसको ठीक दाम मिलें, ऐसा इंतजाम किया जाना चाहिए। महगाई इतनी है कि आढ़ती जिस भाव चाहे उसको बेच सकता है, वहां पर वह भाव की कोई सूची नहीं लगाता जिससे कि किसान को पता लग सके कि उसका सामान किस भाव बिका है। इसलिए इस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है।

एफ सी आई की जहां तक बात है, कई जगह फ्लोर मिलों को सस्ती दर पर गेहूं दिया जाता है, कई राज्य सरकारे भी देती हैं, यहां तक कि उनको उधार भी दिया जाता है। ये फ्लोर मिल वाले कुछ माल तो ब्लैक मार्केट मे बेचते हैं और कुछ मैदा तथा सूजी बनाकर मुनाफा कमाते है और पंजाब से सड़ा हुआ और सस्ता गेहूं लेकर उसके आटे को महंगे दामों पर साफ करके और धोकर बेचा जाता है। आजकल कोई गेहू के ऊपर कंट्रोल नही है। इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बजाए गांवों में पंचायत-वाइस, डिपो-वाइस, अलाटमेंट किया जाए, जिससे गरीब आदमी को लाभ हो। ये लोग लाखों रुपया इसमें मुनाफा कमा रहे हैं, इस पर मानिटरिंग होना चाहिए, जिनको गेहू अलाट किया जाता है, उनके ऊपर निगरानी करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जब से माननीय मंत्री महोदय ने कार्यभार संभाला है, तब से विभाग के कार्य में काफी सुधार हुआ है। कई जगह छापे भी मारे गए हैं; जिनसे काफी लाभ हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुधार हुआ है मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में मद्रास गया था वहां पर दैनिक मजदूरों का शोषण हो रहा है। यहां पर रेगुलर मजदूर रखे जाने चाहिए, ताकि इस शोषण को रोका जा सके। इस वजह से वहां पर हड़ताल भी हो जाती है, पिछले दिनों भी वहां पर हड़ताल रही, जिसको बड़ी मुश्किल से समाप्त करवाया गया। इन मजदूरों को शोषण से बचाया जाए।

एक बात और कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में पंजाब के वेतनमान अपनाए गए हैं और इस बजह से अभी हिमाचल प्रदेश सरकार को 43 करोड़ रुपया कर्मचारियों को देना पड़ा है। ये जो आर्गनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, ये लोग एजीटेशन करके अपनी मांगें मनवा लेते हैं और हमारी सरकार इनके आगे झुक जाती है। इनके ग्रेड भी बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन हमारे ग्रेड वहीं के वहीं रहते हैं। हमसे यह पूछा जाता है कि आपने लोकसभा में जाकर क्या काम किया है, अपने क्षेत्र के बारे में क्या आवाज उठाई है। इन बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[श्री के० डी० सुल्तान पुरी] जारी

आज सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है जो सारे देश में अनाज सप्लाई का काम अपने जिम्मे ले लिया है और सरकार सारा काम ठीक प्रकार से करवा रही है। हमें आशा है कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाएगा और जिन राज्यों में अभाव है, उस अभाव को दूर किया जाएगा। इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, 1977 में प्याज के दाम को और सोने के दाम को लेकर श्रीमती इंदिरा जी ने जनता में प्रचार किया और 1980 के चुनाव में जनता सरकार को हटवा दिया। सारे देश के अंदर इस बात का हंगामा माचाया गया, मतदाताओं को अपनी तरफ खींचा गया और चुनाव जीता गया। हमारे एक भाई इमरजेंन्सी की बात कर रहे थे कि मैं इमरजेंन्सी लागू करने के लिए वकालत नहीं कर रहा, लेकिन इमरजेन्सी में भाव काबू में थे, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1977 में जिस वक्त जनता सरकार बनी उस वक्त चीनी का दाम क्या था, प्याज का भाव क्या था, प्याज का भाव थोड़ा सा बढ़ा और किसी वजह से सोने का दाम बढ़ा, उसके लिए इतना हल्ला मचाया गया, सारे देश में प्रचार किया गया, लेकिन आज प्याज का भाव क्या है, सोने का भाव क्या है। सोने का भाव बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन प्याज के भाव के बारे में आपका क्या कहना है।

अपनी पचास साल की उम्र में मैंने तेल का भाव तीस—चालीस रुपए किलो कभी नहीं देखा। इसका क्या कारण है और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आप कहेंगे कि सूखा है। लेकिन सूखे का प्रभाव तो अगले साल होने वाला है। पिछले साल तो फसल अच्छी हुई और कहीं कहीं पर बारिश भी हुई है। इस साल के भावों को देखते हुए ऐसा लगता है कि खाने का तेल, प्याज और तरकारी नहीं मिलेगी, केवल मास ही मिलेगा। अभी यहां पर कहा गया कि शाकाहारी और मासाहारी के भावों में कोई अंतर नहीं है। किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राईस नहीं मिलता है और इसी प्रकार उपभोक्ताओं को भी सही दाम नहीं मिलता है। उस वजह से आज लोग परेशान हैं। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को आज छूने के लिए भी दाल नहीं मिल रही है, खाने की बात तो अलग है। तुअर की दाल का भाव छह सो रुपये क्विन्टल से ज्यादा नही है लेकिन बाजार में चोदह रुपए किलो मिल रही है। इसी प्रकार मूंग और उड़द को देखिए। दाल जो प्रोटिन है, उससे गरीब की थाली तक भी पहुचने के आसार नजर नहीं आते हैं। इस साल फसल ठीक नहीं होने के कारण आगे क्या होगा, कुछ पता नही चलता है। यह कहा जाता है कि एफ० सी० आई० के पास तीन साल के लिए स्टाक इकट्ठा किया हुआ है। अखबार में पढ़ते हैं कि दूसरी जगह से मगाना पड़ रहा है। इसका क्या कारण है। किसानों को भी उचित दाम नही मिलता है। सो फीसदी या एक सौ पचास फीसदी रिटेल मार्किट मे ज्यादा होता है, इसका क्या कारण है। इसके पिछे कौन है, इस बारे में आप पता कीजिए। इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके तो आगे के लिए बहुत परेशानी हो जायेगी। अभी कुमारमंगलम साहब ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है और भाव भी बढ़ रहे हैं। इन दोनों विषमताओं को खत्म करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। एक तरह की पालिसी होनी चाहिए। ग्राउंड नट का भाव चार सौ या पांच सौ रुपए क्विटल है? लेकिन तेल का भाव तीस से चालीस रुपए किलो है। इसका क्या कारण है। हर चीज के दाम देखने से हमको पता चलता है कि हमारी नीति में कुछ गल्तियां

है । इसको सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए । मंत्री जी को मालूम हैं, मैंने पहले भी कहा था कि तूफान के कारण दाल खराब हो चुकि है । केवल बॉयल्ड राइस के काम आ सकती हैं । मार्किट में 150, 130 या 120 के भाव पर बोरियां लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है । आपने रेपसीड के लिए कुछ केन्द्र खोले है । राज्य सरकार किसान को बचाने के लिए खरीदती नहीं है । अगर कोई पैसे वाला खरीदता है तो बैंक वाले ऋण देते हैं । किसान को दो—तीन हजार रुपये का ऋण देने के लिए दस एकड़ जमीन गिरवी रखनी होती है, लेकिन बड़े आदमी को दो—तीन लाख रुपया मिलता है । वह बायल्ड राइस बनाकर केरल, कर्नाटक में भेजता है जहां लोग खाते हैं । किमतों को कम करने के लिए, मुनाफाखोरों को बंद करने के लिए और एफ० सी० आइ० के लिए जो सपोर्ट प्राइस फिक्स किया है उस पर ध्यान देना चाहिए और दाल को खरीदना चाहिए और बॉयल्ड राइस बनाकर अपने गोदाम में रखिए और जहां पर लोग खाते हैं, वहां भेजिए । यह नहीं हो रहा है । केवल बीच वाले ले रहे हैं, इसको बंद करने की आवश्यकता है ।

आज कल हमें कुछ चीजें जैसे कि गेहूं, चावल और तेल के सिवा कुछ नहीं इन पर मिलता है । आप दाल का भी प्रबंध करें । दाल में बहुत प्रोटीन होता है । दक्षिण भारत में रोज साम्भर बनता है, लोग खाते हैं वह दाल का ही बनता है । इसलिए एफ० सी. आइ० की तरफ से दालों का भी इन्तजाम करें । बिना शक्कर के आदमी रह सकता है, लेकिन बिना दाल के नहीं रह सकता है । आप दाल को भी काबू में लाकर एफ. सी. आइ. के अन्तर्गत लायें और राशन कार्ड से देने की कोशिश करें । वर्ना दाल मिलना आदमी के लिए मुश्किल काम हो जाएगा । एफ. सी. आइ. की तरफ से जो खर्चा हो रहा है इसको बन्द करने की कोशिश करनी चाहिए । एक किलो पर एक रुपया सत्तर पैसे से लेकर दो रुपये पन्द्रह पैसे तक खर्चा होता है । इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए । मैं एक उदाहरण देता हूं । हमारे वारांगल में जो मिले हैं वहां के लिए हैदराबाद से गेहूं आता है और हैदराबाद की जो मिलें हैं उनके निए वारांगल से गेहूं आता है । आपको हैदराबाद के मिलर्स को हैदराबाद से और वारांगल के मिलर्स को वारांगल में ही गेहुं देने में क्या आपत्ति है । जितना भी गेहूं आप एन. आर. ई. पी और आर. एल. ई. जी. पी. के तहत गेहूं देते हैं वह बाजार में बिकता है कोई खाने वाला नहीं है । आप चावल ज्यादा दें, क्योंकि दक्षिण भारत में गेहूं खाने वाले कम हैं । गेहूं को ठेकेदार बेचता है और बड़े दाम से देता है । जहां पर चावल खाने वाले लोग हैं वहां पर चावल और जहां पर गेहूं खाने वाले लोग हैं वहां पर गेहूं आप एन. आर. ई. पीं. और आर. एल. इ. जी. पी के द्वारा भिजवायें । आप कहते हैं कि जहां पर चावल खाने वाले हैं वहां पर गेहूं भेजते हैं और जहां पर गेहूं खाने वाले हैं वहां चावल भेजते हैं इससे इनका ब्लैक मार्केट होता है । आंध्र प्रदेश में जितना भी गेहूं देते हैं वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ब्लैक मार्केट के जरिये जाता है इसलिए इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए । जहां पर आटे की मिलें हैं जिनको आप लाइसेंस देते है मैदा बनाने के लिए या आटा बनाने के लिए, जहां पर नजदीक में गोदाम हों वहां से देने की कोशिश करें ताकि ट्रांसपोर्ट चार्जेज कम हो सके ।

श्री एच० के० एल० भगत : जिन फ्लोर मिल्स के नजदीक गोदाम हैं वहां से उनको नहीं मिलता है और उनकी सूची आपके पास है तो वह मेरे पास भिजवा दें अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं पूरी करूंगा ।

श्री सी० जंगा रेड्डी : बहुत—बहुत शुक्रिया, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा । पंजाब और हरियाणा मे चावल का सपोर्ट प्राइस ज्यादा होता है । आंध्र प्रदेश में पैडी और चावल कम दामों में लेते हैं और उसी पर बेचते हैं । इसका क्या कारण है । सारे देश में एक ही सपोर्ट प्राइस होना चाहिए । एफसीआई का सपोर्ट प्राइस आंध्र प्रदेश में पंजाब और हरियाणा से बीस रुपये कम है । मैंने इस सबंध में चिट्ठी लिखी थी कि प्राइस क्या है, कैसे है ? उसका जवाब एक साल तक नहीं मिला । इसलिए राज्य सरकार पर यह आप मत डालें, आप ही उसकी जिम्मेदारी लें, विशाखापत्तनम् में जितना भी पाम आयल दूसरे देशों से आया वह ब्लैक मार्केट में चला गया । यह पेपर्स में भी आया है । मैंने सदन मे यह मामला उठाया और उसकी जांच की मांग की थी । चाहे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार कोई भी इसमें फसी हो उसको सजा दें । कई लोगों ने जरूरत की चीजें लेने के लिए ड्राफ्ट ले लिया मगर पैसा नही दिया । इससे काफी नुकसान हुआ । करीम नगर, वारांगल जिलों मे विशाखापत्तनम् से आने वाला पाम आयल गायब हो गया...।

वह सब ब्लैक मार्केट में चला गया । इस व्यवस्था को रोकने के लिए मेरा निवेदन है कि आप तमाम प्रकरण की जाच कराइये और जांच के बाद ही आपको असलियत का पता चल पायेगा ।

तरकारियों के भाव के बारे में मैं सदन में पहले भी निवेदन कर चुका हूं । आज टमाटर के बाजार में भाव 12 रुपये किलो हैं और टमाटर ही नहीं, गोभी, बैंगन आदि दूसरी सभी तरकारियां महंगी हैं । मूल्यों को नियंत्रित करने के साथ - साथ मेरा निवेदन है कि आप किसानों को भी उचित दाम दिलवाने की व्यवस्था करें । उनके लिए कूलिंग सैन्टर्स बनवाइये ताकि फलों और दूसरी चीजों की तरह तरकारियों को भी कुछ दिनों के लिए स्वच्छ रखा जा सके । इसके साथ साथ बैंकों पर भी थोड़ा काबू रखने की आवश्यकता है क्योंकि बैंक वाले जिसको भी ऋण उपलब्ध कराते हैं, उसमें अपना मुनाफा अवश्य रखते हैं वर्ना ऋण ही नहीं देते । फूडग्रेन्स खरीदने के लिए कमीशन-दारों को कम कर्जा देना चाहिए और जो ओवरड्यू करे उसका चालान करना चाहिए । इस प्रकार के बंदोबस्त के साथ मैं चाहता हूं कि किसानों को उचित मूल्य अवश्य मिलें जो आज बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं । यही कारण है कि आज हमारे किसान कोमर्शियल क्रोप की ओर जा रहे हैं, कोई कौटन की तरफ जा रहा है, कोई तम्बाकू की ओर और कोई गांजे की खेती कर रहा है । अभी पिछले दिनों हमारे जिले में 10 करोड़ रुपये का गांजा बिना लाइसेंस का मिला है जो ओपन मार्केट में पकड़ा गया । इसको रोकने के साथ-साथ आप गेहूं और दूसरे खाने वाले अनाजों के दाम कम करने की ओर ध्यान दीजिए ताकि उपभोक्ताओं और किसानों दोनों की मदद की जा सके ।

श्रीमती उषा चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में एक ही सप्ताह में सूखा-बाढ़ और मूल्यवृद्धि जैसे गम्भीर विषयों पर चर्चा हो रही है, जो वास्तव में हमारे देश और समाज के सामने संकट बनकर खड़े हुए हैं । दोनों का एक दूसरे से गहरा सम्बन्ध है, निकट का सम्बन्ध है । मुझसे पहले जितने भी भाषण हुए, सभी माननीय सदस्यों ने समान रूप से इन विषयों पर अपनी चिन्ताएं प्रकट कीं । इस सदन में देश के सभी कोनों से आये, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले माननीय सदस्य मौजूद हैं और सभी ने एकस्वर से इन प्राकृतिक आपदाओं और मूल्यवृद्धि पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया । मैं चाहती हूं कि सरकार के सामने जो जो प्रश्न उठाये गए, सरकार उन

सभी सवालों पर गम्भीरता से विचार करके उन समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न करे। इसी तारतम्य में मैं बहुत थोड़े से शब्दों में अपनी भावनाएं भी व्यक्त करना चाहती हूं।

मैंने अब तक हुए सभी भाषणों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है और यह बात भी सही है कि आज न केवल हमारे देश को मूल्यवृद्धि का मुकाबला करना पड़ रहा है. बल्कि पूरी दुनिया मूल्यवृद्धि के कारण बड़े संकट में है। इसके पीछे बहुत से कारण बताये गए हैं जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यवृद्धि से लेकर बजट में आने वाले घाटे तक की चर्चा की गयी लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं तथा कुछ हमारे समाज व्यवस्था में तथा देश में जिस तरह की भीषण अर्थ-व्यवस्था चल रही है, वैसे तो उसके बारे में हमारे कई भाई अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, यदि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें, नफाखोरी और मुनाफाखोरी पर नियंत्रण पा सकें, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में सुधार कर सके, छोटे लोगों को देश की विकास धारा में सहभागी बना सकें तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकें तो निश्चित तौर से काफी सीमा तक मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण पा सकते हैं।

हमारे एक भाई ने कहा कि जब हम इस सदन में चुन कर आते हैं तो हम यहां कुछ अपेक्षाएं लेकर आते हैं परन्तु आज हम देखते हैं कि मूल्यवृद्धि दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। जहां हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में 15 परसेंट मूल्यवृद्धि देखी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वह बढ़कर 25 परसेंट हो गयी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 35 परसेंट, उसके बाद 45 परसेंट और आज हम 60 प्रतिशत मूल्यवृद्धि देख रहे हैं। यहां पर कई दूसरी चर्चाएं भी की गयीं परन्तु मेरा विचार है कि राष्ट्रीय स्तर की जितनी समस्याएं हैं, चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, मूल्यवृद्धि हो, जो पूरे देश में फैली हुई हों, उसके लिए यदि हम केन्द्रीय सरकार को ही जिम्मेदार ठहरायेंगे, तो वह ऐसा सोचने वाले की बहुत बड़ी गलती है। केन्द्र सरकार ने, हमारे प्रधान मंत्री ने एक निर्णय लिया कि बजट में जो घाटा हुआ है, उसके कारण जो योजना का व्यय है, उसको हम कम करेंगे। जो लोगों के हित के लिए जरूरी है, वह खर्चा हम करेंगे, लेकिन बाकी जो खर्च है, उसको हम कम करेंगे। इस प्रकार से सरकार ने एक प्रयत्न किया, अच्छा कदम उठाया है। इसके साथ-साथ मैं एक नागरिक के नाते से कहना चाहती हूं कि हम जिन-जिन राज्यों से आते हैं, उन राज्यों को भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वे भी अपने-अपने व्यय में कटौती करें। जो ज्यादा खर्च हो रहा है, उसकी कैसे कटौती करें इसके लिऐ वे जिला स्तर पर समितियों का गठन कर के इस बात को पूरा करें जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जो कटौती करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसको बल मिले।

अभी कुछ दिन पहले हमारे वित्त मंत्री जी ने राज्य सभा में बताया था कि जो भी मूल्यवृद्धि हुई है, उसको देखते हुए और लोगों को राहत देने के लिए खाद्य तेल या और आवश्यक चीजों को वे आयात कर रहे हैं। उसमें 15 लाख मीट्रिक टन खाद्य तेल का आयात करना भी बताया है और यदि इसके बाद भी कमी रही तो इस मात्रा को और आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ये बातें सरकार की तरफ से हो रहीं हैं, उसके लिए तो हम आभारी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक सवाल पैदा होता है कि जब हम आजाद नहीं थे, आजादी से पहले हम हर चीज के लिए विदेशों पर निर्भर थे. किन्तु जैसे ही आजाद हो गए तो उसके बाद हमने काफी तरक्की की और आज हमारी सरकार बड़े नाज़ से कहती है कि अगर देश में सूखा और बाढ़ आएगी और यदि फसल खराब हो जाएगी तो हमारे भण्डारों में इतना अन्न है कि हम देश को खिला सकते हैं। जब ऐसी बात है, तो फिर हम

[श्रीमती ऊषा चौधरी] - जारी

क्यों विदेश से खाने का तेल और अन्य चीजें आयात कर रहे हैं। राज्यों में जो फसल तेल के बीज गेहूं धान व दाल तथा सब्जियों आदि की होती है, वह दिन प्रति दिन कम क्यों होती जा रही है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये चीजें तो हम अपने खेतों में आसानी से अच्छी तरह से उगा सकते हैं। इनकी पैदावार तो हमें अपने देश में बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इन चीजों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। आज देखिए इंडस्ट्री की जो चीजें हैं उनके दाम बराबर बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को बराबर फायदा होता जा रहा है, जबकि दूसरी ओर किसान की चीजें सस्ती होती जा रही हैं और उसको अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इंडस्ट्री और किसान की चीजों में और उनकी कीमतों में जो अन्तर है और जो असन्तुलन है, उसके कारण भी मूल्य वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से ही मूल्यवृद्धि होती है। इसलिए हमें किसानों के लिए सस्ते दर पर बीज, खाद, पानी और बिजली देनी चाहिए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकें। स्टेट वाइज एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिसके अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं को निरन्तर सुलभ कराते रहने के लिए कार्यक्रम हो। किसानों के लिए प्रशिक्षण दें जिससे वे अच्छे बीज, अच्छी फसल और अच्छी सब्जी पैदा कर सकें। वैसे सरकार ने इस दिशा में काफी कार्य किया है और कर रही है, लेकिन इस कार्य को तेजी से और ज्यादा पैमाने पर करने की जरूरत है।

जंगा रेड्डी जी, यहां अब नहीं हैं। वे बोलकर चले जाते हैं और सुनने के लिए यहां नहीं बैठते हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक बात छेड़ी थी कि जनता राज में चीनी के दाम बहुत कम हो गए। लेकिन उसके साथ वे यह भूल गए कि जनता टाइम में किसानों ने अपने गन्ने को आग लगाई और जानवरों को कुट्टी कर के डाला और किसानों ने गन्ना लगाना ही छोड़ दिया। जब कांग्रेस शासन में आई, तो कुछ लोगों को और किसानों को संतोष हुआ। दिवाली के टाइम में थोड़े दिन के लिए चीनी सस्ती कर दी, तो बड़ी पापुलेरिटी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उसका असर कई बरसों तक चला, भारत के किसानों ने गन्ना उगाना या उसकी उपज करना बहुत कम कर दिया। जिससे हमारे यहां चीनी का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ और हमें बाहर से चीनी लानी पड़ी। इसलिए सरकार चलाना या कोई मूल्य-वृद्धि या कोई भी आर्थिक संकट राजनीतिक संकट या सामाजिक संकट हो तो उसका मुकाबला करना या पापुलर होने का या किसी के दिवाला निकालने का सवाल नहीं है, वह एक परिवार चलाने की बात होती है। इसलिए ऐसे गंभीर विषय पर जब हम बहस करते हैं तो जो भी सरकार अच्छा काम करती है, अच्छी तरह से मुकाबला करती है, उसके बारे में विरोधी लोगों को भी सोचना चाहिये और बोलना चाहिये और यदि कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव हो तो देना चाहिये, वह हमको भी अच्छे लगते हैं।

कुछ स्वाभाविक बातों पर, जो हम अपने तौर पर कर सकते हैं, उनके बारे में भी बोलना चाहती हूं कि जो आपने आवश्यक वस्तुओं के आयात करने का फैसला किया है, जब तक हम अपने पैरों पर स्वावलम्बी नहीं बनते तब तक उन चीजों का समय पर आयात हो।

साझेदारी और तस्करी के बारे में यहां पर काफी बातें कही गई। मैं आपको बताती हूं, हमारे यहां भी आदिवासी क्षेत्र हैं, मेरी कांस्टीटुएन्सी में। सब जगह कन्ट्रोल की दुकानें हैं, आप सर्वे करा के देखो, जो व्यापारी हैं, जिनकी खुद की प्राइवेट शाप्स हैं, वह कन्ट्रोल के नाम पर माल लाते हैं

और अपनी प्राइवेट शाप्स पर बेचते हैं । वहां वह बोलते हैं कि कन्ट्रोल का माल आया ही नहीं । आप उन पर निर्बन्ध क्यों नहीं लगाते ? जो को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं, महिला सोसाइटीज हैं या कन्ज्युमर्स सोसाइटीज काम करती हैं या जो छोटे-छोटे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनके लिए यह अच्छा मुद्दा निकालें कि अगर राष्ट्रीय बैंक उनको लोन दें और वह कन्ट्रोल की दुकान लगायें तो उनको काम धन्धा भी मिल सकता है और वह ईमानदारी से लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और इससे साझेदारी और तस्करी भी बन्द हो सकती है ।

उसके बाद वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो आपने 3000 के करीब शाप लगाने की बात सोची है तो आदिवासी क्षेत्रों में स्टाकेज होता नहीं है । बरसात में स्टाक आता नहीं है इसलिए 4 महीने तक लोगों को अनाज मिलता नहीं है । दुकानदार बोलते हैं कि बारिश की वजह से माल ला नहीं सकते तो माल का स्टोर भी होना चाहिए ।

मजदूर को एम्पलायमेंट देने के बारे में महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है । गारन्टी में जो हम रोजगार देते हैं उससे आधा हम उनको अनाज देते हैं । उसमें कन्ट्रोल का कपड़ा, अनाज देते हैं । इस तरह से मजदूरों को रोजगारी में लगाने की बात हो तो उससे बड़ा फायदा होगा ।

आखिर में मैं यह कहना चाहती हूं कि ब्यूरोक्रेशी या नौकरशाही या छोटे-मोटे लोक-प्रतिनिधि के जरिये यह काम सफल नहीं होगा । कज्यूमर्स मुवमेंट को देश में बढ़ावा देना चाहिए । बड़े शहरों और गांव में कंज्यूमर्स मूवमैंट ऊपर आ रहा है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं है । सरकार को इसके को-आर्डिनेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए । प्रान्त से लेकर जिला तालुका स्तर तक समितियां बनायें तभी हम यह काम कर सकते हैं और सही दामों पर जो भी उपलब्ध चीज हो वह लोगों को देने की कोशिश कर सकते हैं ।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्री बीर सैन (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी पक्षों की तरफ से मंहगाई की भर्त्सना तो सभी ने की है । मैं समझता हूं कि मंहगाई के मूल कारणों की तरफ भी कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है और इसमें सबसे पहले मुद्रास्फीति है । जब तक मुद्रास्फीति का आधार, जो हम डैफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, वह चलता रहेगा, तब तक मूल्यों की वृद्धि में कोई कमी होने वाली नहीं है । मुद्रास्फीति को हम कैसे रोक सकते हैं, मैं इसका सिर्फ एक ही इलाज समझता हूं कि हम राज्य की सरकारों में जो फिजूलखर्ची होती है, उसको हम छोड़ दें । और फिचूलखर्ची के बहुत से तरीके हैं, विशेष यात्राओं का यहां पर बहुत जिक्र किया गया है कि बहुत से अधिकारी तो विदेश यात्राओं के नक्शे ही बनाते रहते हैं और उसमें खर्च करते रहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो व्यक्तिगत तजुर्बा है, मैं कुछ दिन के लिए यहां मंत्री रहा तो मेरी मेज पर कोई न कोई विदेश यात्रा का प्रस्ताव राज ही रहता था और उन विदेश यात्राओं को इन्कार करके और मना करके उनकी नाराजगी लेना, मैं समझता हूं कि, बड़ा हानिकर होता है, कोई मंत्री हिम्मत करे कि सरकारी अधिकारियों ने विदेश यात्राओं के जो प्रस्ताव बनाये हैं उनको मना करें तो उसमें उसे नुकशान होने का खतरा है, उसकी कुर्सी ही नही रहे । एक सैक्रेट्री ने विदेश यात्रा का प्रोग्राम बना दिया और 5 दिन में विदेश में एक लाख रुपया खर्च करके आये तो मैं कहता हूं कि फिजूलखर्ची को रोकना होगा । हर विभाग में बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन एसेंशियल योजनाओं

[श्री वीर सैन]—जारी

को ही रखना चाहिए। मेरा विचार है कि सबसे पहले तो उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, नम्बर दो-शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और नम्बर तीन-बिजली और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और फिर खेती से ताल्लुक रखने वाली योजनायें हैं उनको रखना चाहिए। बाकी योजनाएं जो सिर्फ दिखावे और प्रदर्शन के लिए हैं उन्हें बन्द करना चाहिए। मैं समझता हूं कि कुछ योजनाएं हैं जिनको 10-20 साल के लिए भी हम स्थगित कर सकते हैं जब तक हम यह नही सोचेंगे तब तक मुद्रास्फीति में फर्क नहीं आयेगा और हमारा खर्च बढ़ता जायेगा और कीमतों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और उसे हम नहीं रोक सकते हैं।

नम्बर दो-कई सदस्यों ने ब्लैक मनी का जिक्र किया है। ब्लैक मनी बनती क्यों है? हमारे टैक्सेज इतने ऊंचे हैं, इतने ज्यादा हैं कि नतीजे में हर आदमी को इस बात का लालच होता है कि किसी तरीके से इसको मैं बचाऊं। अगर प्रापर्टी बेचने भी जाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स का भार ऐसा हो जाता है और नियम ऐसे बने रहते हैं कि कम कीमत पर दिखाकर करा लो क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टैक्सेज ज्यादा हैं तो इसको मिसाल के तौर पर मैंने दिया। मैं जानता हूं कि इनकम टैक्स दुनिया भर में यहां सबसे ज्यादा है। जिस तरह से इनकम टैक्स आप वसूल करते हैं उसी तरह से चलता रहा तो ब्लैक मनी समाप्त होने वाली नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि टैक्स कम करें और देखें कि वसुलयाबी बढ़ी है या नहीं। जितने टैक्स कम होंगे उतनी ही आदमी की बेईमानी की नीयत कम होगी। पिछले जो वित्त मंत्री थे उन्होंने इस बात का इशारा किया था और टैक्स कम किये गये थे और उससे आमदनी बढ़ी है तो उस तजुर्बे को आगे बढ़ाना चाहिए।

तीसरे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना करप्शन है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी तारीफ के पुल हम यहां बांधते हैं लेकिन उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसकी तरफ कोई चर्चा नहीं करता और मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने भी, सरकार के मंत्रियों ने भी और नीचे के अधिकारियों का तो कहना ही क्या, सब यह मान बैठे हैं कि यह नार्मल चीज है, इसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं जबतक इस बात को नहीं सोचेंगे कि भ्रष्टाचार कहां-कहां पर है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो विभाग है यह ऊपर से लेकर नीचे तक सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है और मैं समझता हूं, सरकार भी जानती है और मंत्री जी भी जानते हैं कि जिस तरह का सिस्टम बना रखा है, सामान बेचने के लिए जो डिस्टीब्यूटर है, जो फेयर प्राइस शाप वाला है उसको क्या देते हैं, उसको कमीशन में इतना कम देते हैं कि सारा का सारा ट्रांसपोर्ट में ही खर्च हो जाता है। सब के सब अधिकारी और मंत्री भी यह जानते हैं कि बिना ब्लैक मार्केटिंग किये हुए, बिना चोरी किये हुए कोई फेयर प्राइस शाप नही चल सकती है लेकिन फिर भी इस बात को नहीं सोचते हैं कि उसका कमीशन बढ़ाया जाय, क्यों नहीं सोचते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आती। इस तरीके से मैं सोचता हूं....।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपको रोक नहीं रहा। ऐसा नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं, मैं जब जवाब दूंगा तो बताऊंगा कि उसकी चोरी के बिना चल नहीं सकता, उन का कमीशन कुछ जगह बढ़ाया भी गया है ताकि उनको ठीक तरह से मिले। ऐसा नहीं है कि जानते हैं, उनको कुछ आमदनी नहीं होती, सारा ट्रांसपोर्ट का खर्च होता है इसलिए मैं आपके सामने

बात लाऊंगा। करप्शन, सिस्टम में लीकेज है, चीजें हैं, इसके बारे में मेरी भी कुछ फीलिंग है...लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ जानते हुए भी कि टोटल करप्शन है फिर भी नहीं बढ़ाते हैं। हमने बढ़ाया है, उसका कुछ हिसाब-किताब किया हुआ है।

6.00 म०प०

श्री वीर सैन : मंत्री जी ने सफाई देने की कोशिश की।

श्री एच०के०एल० भगत : मैं जवाब दूंगा तब बताऊंगा। मैं सफाई देने में यकीन नहीं रखता हूं।

श्री वीर सैन : व्यवहारिक बात यह है कि कोई ऐसी दुकान हिन्दुस्तान में नहीं है, जहां गेहूं, चीनी और तेल की ब्लैक न होती हो। अगर ब्लैक न करें तो दुकान चलेगी ही नहीं।

श्री एच०के०एल० भगत : जितनी आप जमीन की खबर रखते हैं, मैं भी रखता हूं। मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूं और न मैं आपकी बात का खण्डन कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि मौजदा कमीशन से आदमी ईमानदारी से दुकान चला ही नहीं सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर चलाना चाहे तो चला सकता है।

श्री वीर सैन : फिर तो मैं चलेंज करूंगा कि आप हिन्दुस्तान में मुझे एक भी दुकान बता दें जो कि बिना ब्लैक के चल रही हो। सफाई देने के लिए तो खैर आप कह ही सकते हैं।

अब मैं पामोलिन आयल के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। अखबारों में इस बात की चर्चा है और मैं समझता हूं कि यह साइंटिफिक फैक्ट है कि पामोलिन के पिघलने का जो अंक है, वह आदमी के शरीर की गर्मी के अंक से ऊंचा है। इस बात को सभी जानते हैं कि अगर पामोलिन आयल खाया जाए, तो वह नसों में जमेगा जिससे हार्ट अटैक होंगे और लोग मरेंगे। इस बात की चर्चा अखबारों में भी हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आखिर पामोलिन जो कि तन्दुरूस्ती के लिए खराब है, देश में हार्ट-अटैक की बीमारियां फैलाने वाला है, फिर भी क्यों इम्पोर्ट किया जा रहा है?

दूसरी बात यह है कि जो रैपसीड आयल है, वह सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 6 रु० प्रति किलो से हिसाब से इम्पोर्ट होता है। जो वनस्पति इन्डस्ट्रीज है, वह बताती है कि उसके हाइड्रोजिनेशन का खर्चा प्रति किलो 6 रु० पड़ता है। इस तरह से कुल बारह रुपए का खर्चा होता है। लेकिन वही बनस्पति बाजार में 28, 30 रु० प्रति किलो बिक रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार को इस बात का पता नही है कि वनस्पति उद्योग 18 रु० प्रति किलो का मुनाफा इसमें कमा रहा है। क्या आप यह नही जानते कि रैपसीड का सारा का सारा जो तेल है उसका एक फीसदी भी कन्जूमर के पास नही पहुंचता है। सारा का सारा 99 प्रतिशत रैपसीड आयल वनस्पति उद्योग को जा रहा है, जिससे 18 रु० प्रति किलो का लाभ वे उठा रहे हैं। आखिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता है?

मुझे बताया गया कि जर्मनी 18 रु० प्रति किलो के हिसाब से बटर-आयल देने को तैयार है, बम्बई में। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं, वे कहते हैं कि इससे किसानों को बड़ा नुकसान होगा। घी की हालत तो आज यह हो गई है कि उसके दाम 70 रु० तक पहुंच गए हैं। लेकिन ये समझते हैं कि किसानों को बड़ा भारी लाभ हो रहा है। मैं समझता हूं कि इनकी यह झूठी और बेइमानी की

[श्री श्री वीर सैन]—जारी

दलील है। मैं कहना चाहता हूं कि शुरू से लेकर आखिर तक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी सबके सब मिले हुए हैं मुझे माफ करें कि मैं कुछ ऐसी चीजें कह रहा हूं। (व्यवधान) मैं खत्म कर रहा हूं मैं यह कह रहा था कि इस तरीके से ऊपर से नीचे तक सारा मामला गड़बड़ है। एक फेयर प्राइस शाप पर दस लाइसेंस लेने पड़ते हैं और दस जगह पैसा नहीं देंगे, तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा।

इस बात की तरफ भी मंत्री महोदय ध्यान दें कि साल में कुछ महीने ऐसे हैं, जब बाजार में गेहूं का दाम कम होता है और राशन की दुकान पर ज्यादा होता है। अप्रैल से लेकर सितम्बर तक के महीने ऐसे होते हैं। फिर बाजार में दाम ज्यादा हो जाता है, तब राशन की दुकानों पर आदमी जाता है। आप इस बात की जांच करके देख लें कि इन महीनों में फेयर प्राइस शाप्स वाले कितना गेहूं उठाते हैं। तो आप को पता चल जाएगा कि उस वक्त कीमतें कम होती हैं या ज्यादा होती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फेयर प्राइस शाप्स पर पहले छः सात हजार यूनिट्स होते थे और अब दुकानें बढ़ा दी गयी हैं तो दो—ढ़ाई हजार यूनिट्स रह गए हैं।

कोई चारा नहीं रह गया है कि बेईमानी न करें। फर्जी यूनिट न लगायें। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे के सारे पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम खराब हैं और भ्रष्टाचार जैसे लूप—हेल्स को मैं समझता हूं कि आपको खत्म करना चाहिए।

हमारे कुछ मित्रों ने और बातें कही हैं, शायद व्यास जी चले गए हैं, उन्होंने को-आपरेटिव का जिक्र किया है। मुझे व्यक्तिगत तजुर्बा है, बहुत सी को-आपरेटिव फर्जी हैं। को-आपरेटिव में जितना सामान कपड़ा इत्यादि ... आती है, वह रातों—रात सब बिका हुआ दिखा दिया जाता है और कन्ज्यूमर तक पहुंचता ही नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मौनिटरिंग आप किस बात की करते हैं? आप मौनिटरिंग यह तो करेंगे कि सामान जिले में पहुंचा दिया और जिले से वहां चला गया। लेकिन वाकई में वह सामान कन्ज्युमर तक पहुंचा है या नहीं, इसकी मोनिटरिंग आप नही करते है। ये फेयर—प्राइस-शाप्स आप की सबकी सब झूठी हैं और धोखा देने वाली हैं। कन्ज्यूमर कितना परेशान है, इसका अन्दाजा यहां बैठ कर, अधिकारी गैलरी में बैठ कर नहीं लगा सकते हैं, जिनकी नौ—नौ हजार तनख्वाह हो गयी है। उनके लिए चाहे कितनी ही कीमत बढ़ जाए, उनको कोई फर्क नही पड़ता है। कुछ आयलैंड ऐसे हैं, जिनके चारों तरफ कुछ भी प्रभाव हो लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता है और उसमें लोकसभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य हैं। सरकार मानती है कि इनके ऊपर महंगाई की कीमतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो स्थिति ढ़ाई हजार रुपये पाने वाले चपरासी की है, वही स्थिति मैंम्बर आफ पार्लियामेंट की है। इसलिए इनकी हालत की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

6.06 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 1987/13 अग्रहायण, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रण : दि इण्डियन प्रेस राजा पार्क दिल्ली-34

पी. एल. एस. 48/33/20/87 (एन.)
185

© 1987 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक इण्डियन प्रेस, दिल्ली द्वारा मुद्रित ।